राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तैंतालीसवां दिवस [संख्या : 25

बुधवार,

8 अप्रैल, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम, साहब। नमस्कार। नमस्कार। राम-राम, साहब। श्री बंशीधर खण्डेला।

खण्डेला में संचालित चिकित्सा केन्द्र

452. **श्री बंशीधर** (खण्डेला): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त चिकित्सा केन्द्रों में कहां-कहां पर आपरेशन थियेटर बने हुए हैं और वहां पर किस प्रकार के आपरेशन किये जाने की सुविधा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं और उनके विरुद्ध कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के अन्तर्गत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 89 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस व खण्डेला में आपरेशन थियेटर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बने हुए हैं जिनमें नसबन्दी केसेज के आपरेशन किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की रिक्ति दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे। अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां चार सी.एच.सी. हैं। दो सी.एच.सी. तो पिछली सरकार ने जाते-जाते खोली थीं, तो उसमें तो कोई सुविधा है नहीं। पुरानी जो सी.एच.सी. हैं खण्डेला और रींगस, उनके अन्दर गायनिक डाक्टर तीन साल से नहीं हैं, और सर्जन हैं, सर्जन के लिए आपरेशन थियेटर भी तैयार हैं, लेकिन एनस्थेसिया डाक्टर दोनों सी.एच.सी. खण्डेला और रींगस में नहीं हैं। दोनों जगह दांतों के डाक्टर हैं, लेकिन दंत डाक्टर के आपरेशन करने वाली जो चेयर होती है, दोनों जगह चेयर नहीं हैं। वे सारे के सारे डाक्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इससे सरकार का नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को अपन सुधारें और यह दंत चिकित्सक की चेयर भिजवायें और जहां एनेस्थेसिस्ट नहीं हैं, तो वहां सर्जन क्या काम आएंगे? आप ये कब लगाएंगे? यह बतायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के अन्दर चार सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं। उनमें से दो सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, इनको पी.एच.सी. से रेफरल चिकित्सालय में 2013-14 जाजोद और कांवट, 2012-13 में पूर्ववर्ती सरकार ने इनको क्रमोन्नत करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, ये चिकित्सा संस्थान जो आम व्यक्ति के जन-जीवन से जुड़े हुए हैं, इनको हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपनी राजनीतिक लोकप्रियता के आधार पर, सिर्फ इस बात को कहकर कि हमने इस जगह पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी, परन्तु इसके साथ-साथ हम कभी यह मूल्यांकन नहीं करें कि इस चिकित्सा संस्थान को संचालित करने के लिए जिस प्रकार के चिकित्सक और नर्सिंगकर्मियों की जरूरत है, वे हमारे पास हैं कि नहीं हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है कि नहीं है; अध्यक्ष महोदय, जो सी.एच.सी. जाजोद है, इसके अन्दर जो भवन है, वह बहुत पुराना है। पिछली सरकार ने इसके भवन के उन्नयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कांवट के अन्दर भी भवन ही नहीं था। हमने आकर इसके अन्दर 298 लाख की स्वीकृति जारी की है, भवन निर्माणाधीन हैं। इन दोनों जगह तो आपरेशन थियेटर नहीं हैं।

माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि जहां आपरेशन थियेटर हैं, वहां भी आपरेशन नहीं हो रहे। आपने बिलकुल सही बात फरमाई है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि आज राजस्थान के अन्दर 1,415 हमारे जो जूनियर स्पेशलिस्ट हैं, जिनके माध्यम से यह सारा काम होता है, उनके पद रिक्त हैं। कुल रिक्त पदों में आज 45 प्रतिशत, 3,011 कुल पद हैं जूनियर स्पेशलिस्ट के, उनमें 1,415 खाली हैं; यानी 45 परसेंट खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए, इन पर योग्य चिकित्सक पहुंचें, इस हेतु राज्य सरकार ने कुछ प्रयास प्रारम्भ किये हैं। हमने वन यीअर पी.जी. सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किया है। इसके अन्दर 391 हमारे जो सेवारत चिकित्सक हैं, इनको एक वर्ष का डिप्लोमा करवाकर हम हमारे जो रिक्त पद हैं, इनको भरने का काम करेंगे। लम्बे समय से इन चिकित्सकों की पदोन्नति, डी.ए.सी.पी. जिसको कहते हैं, वह लम्बित थी। इसी एक वर्ष के अन्दर हमने 1,051 जो मेडिकल अफसर हैं, उनको जे.एस. के अन्दर पदोन्नत किया है और इन सबको भी मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, प्रयास रहेगा कि इन चिकित्सकों को वहां पर हम पहुंचायें।

माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इनके यहां 2 डेंटल डाक्टर हैं पर डेंटल चेयर नहीं हैं। डेंटल डाक्टरों की पदस्थापना हमने ही आकर प्रारम्भ की है। डेंटल डाक्टर गये हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले एक महीने के अन्दर दोनों जगह डेंटल चेयर पहुंच जाएंगी ताकि वहां दंत चिकित्सा की व्यवस्था तो ठीक सुचारु रूप से हो जाए।

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब। क्या आप दूसरा प्रश्न करेंगे?

श्री बंशीधर (खण्डेला): यस, सर।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि खण्डेला में सी.एच.सी. के लिए जगह बहुत कम है, उसके लिए अलग जगह देखकर, अलग बिल्डिंग बनाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे? दूसरा, हमारे रींगस के अन्दर एनेस्थेसिस्ट है, आर्थो डाक्टर भी नहीं है। हमेशा वहां कोई दुर्घटना होती रहती है। वहां प्राथमिकता से कोई आर्थो डाक्टर लगा दें और एनेस्थेसिस्ट लगा दें और वहां हो सके तो ट्रोमा यूनिट स्वीकृत करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रींगस के अन्दर अभी 30 बेडेड रेफरल चिकित्सालय है और 30 बेड वहां पर लगे हुए हैं। खण्डेला के अन्दर 50 बेडेड रेफरल चिकित्सालय स्वीकृत है, जिसमें 30 बेड अभी वहां पर लगे हुए हैं। मैं हमारे चीफ इंजीनियर को भेजकर, वहां का मूल्यांकन करवाकर, अगर उसी भवन के विस्तार के अन्दर करके, उसी में यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है तो उसमें कराएंगे, वरना उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन आपरेशन के लिए माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, अभी हमारे यहां कुछ चिकित्सक जिन्होंने डिप्लोमा किया एनेस्थेसिया के अन्दर, यह प्रश्न लगने के बाद मैंने जब यह सूचना मांगी, तो 206 ऐसे डाक्टर्स हैं जिन्होंने सरकारी खर्चे पर 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग कर रखी है एनेस्थेसिया में, पर उनको पदस्थापित एनेस्थेसिया के जे.एस. के अंगेस्ट में नहीं कर रखा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, इन सारे डाक्टर्स को भी हम, जिन्होंने जे.एस. के अंगेस्ट में ट्रेनिंग ले रखी है एनेस्थेसिया की, इनको जे.एस. के अंगेस्ट में पदस्थापित करेंगे, ताकि कुछ काम हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, अब वर्तमान में जो डाक्टर आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है कि चिकित्सक आता है, सरकार में दो साल की नौकरी करता है, फिर पी.जी. करने चला जाता है। ज्योंही उसने पी.जी. की, उसके बाद वह निजी क्षेत्र में चला जाता है। इस बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन-सर्विस जो पी.जी. करेगा, हमने उसको कहा कि आप 50 लाख रुपये का बाण्ड भरो, या आपको आने वाले 10 साल तक लगातार सरकारी सेवा में रहकर काम करना पड़ेगा। अब यह प्रयोग कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह स्वीकारने में गुरेज नहीं कि आज राजस्थान के अन्दर 2,572 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। पद भरने के लिए हमने पूरी कोशिश की। हमने जहां हाई पावर्टी की डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां आई एम आर और एम एम आर ज्यादा हैं, वहां उनको उनके खुद के वेतन के अलावा 25 से 30 हजार रुपये अतिरिक्त देने की बात कही। उसमें भी चिकित्सक नहीं आये। हां, अभी इन्हीं दिनों के अन्दर हमें 900 के लगभग चिकित्सक मिले हैं। कोशिश रहेगी।

इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बार बजट के अन्दर एक भी नई पी एच सी, सी एच सी की घोषणा नहीं की, क्योंकि उनकी मान्यता है कि यह सेवाएं, इनका कंसोलिडेशन करें। इन सेवाओं के विस्तार से पहले, इन सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए इनका कंसोलिडेशन करके, जो हमारे पास संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं किस प्रकार ठीक ढंग से चलें, इसका प्रयास करें और एक योजना बनाकर हम इसका प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी। पूरक प्रश्न के लिए आपने दे रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, साहब। मैंने कहां दिया है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, यहां नाम था आपका। श्री सुखरामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह घनश्याम दूसरा है।

श्री अध्यक्ष: नाम था आपका। या तो उन घनश्यामजी ने किया होगा।

श्री सुखरामजी। खण्डेला से सम्बन्धित है आपका पूरक प्रश्न?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, हां, अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको चारों तरफ घनश्याम ही घनश्याम क्यों दिखाई दे रहा है?

श्री अध्यक्ष: इसलिए कि सर्वत्र है विश्व में। यहीं नहीं, विश्व में सर्वत्र है घनश्याम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इसी से सम्बन्धित है। इसी के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं। पहले क्या शंका है? इसी के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः केवल आप खण्डेला के बारे में पूछिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इसी के सम्बन्ध में, खण्डेला के सम्बन्ध में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः हां, पूछिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जिस तरह से प्रदेश में डाक्टरों की कमी है, जिस तरह से मेडिकल कालेजों में व्याख्याता डाक्टरों की उम्र बढ़ाई गई है, या बढ़ाने के लिए आपके पास मामला विचाराधीन है, क्या प्रदेश में जितने भी डाक्टर 60 साल के होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट में उनकी उम्र बढ़ाने का विचार है आपका?

श्री अध्यक्षः नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्रीमती शकुन्तला रावत। जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका खण्डेला से सम्बन्धित है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बिलकुल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन डाक्टरों की पोस्टिंग तहसील में दी है और उप-तहसील में दी है, तो वे डाक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दूसरा प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उनको पी.जी. में लाभ नहीं मिलेगा। खण्डेला में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उन्हीं के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः विराजिये आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वहीं का मैटर है। सुबह आया है आज कि जिन्होंने तहसील और उप-तहसील में ज्वाइन नहीं किया है, मंत्री महोदय, पी.जी. में उनको लाभ नहीं मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कर देंगे। साहब, कर देंगे।

श्री अध्यक्षः नैक्स्ट प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

प्रदेश में दर्ज मुकदमों के लम्बित चालान

453. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013-14 में प्रदेश में कितने मुकदमों में पुलिस द्वारा अब तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश में वर्ष 2013 में 1,619 एवं वर्ष 2014 में 3,074, कुल 4,693 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना शेष है, जिनकी सूची जिलेवार परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 4 पर है।

श्री अध्यक्ष: सवाल तो पूरा हुआ ही नहीं और नोटिफाई होने लग गये नाम यहां। हां, अब बोलो।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (2) न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने से शेष रहे प्रकरणों में यदि कहीं प्रथम दृष्टया लापरवाही पायी जाती है तो उस अवस्था में उस प्रकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। ऐसे प्रकरणों में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण जिलेवार परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब के खण्ड-एक में दिया कि अभी 2013 में 1,619 और 2014 में 3,074 मामले पेंडिंग हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यदि जयपुर जिले में अगर देखें तो जयपुर को आपने पांच भागों में बांटा है और इस पूरे जिले में 2013 में 35,357 मुकदमे दर्ज हुए और 2014 के अन्दर 38,143, जो प्रशासनिक जयपुर जिला है, उसके अन्दर मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसी तरीके से अगर देखें तो सबसे अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं वे अलवर में हुए हैं, उसके बाद में भरतपुर के अन्दर हुए हैं। क्या सरकार इन जिलों में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष योजना अपनाने का विचार रखती है? या जिस तरीके से जयपुर को पांच भागों में विभक्त किया है, उसी तरीके से अलवर और भरतपुर को भी अलग तरीके से दो भागों में विभक्त करके और अलग से इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जयपुर को और भरतपुर और अलवर को जोड़ने का प्रयास किया। जयपुर की आबादी और यहां के हिसाब से यहां पांच एस.पी. कार्यरत हैं। मुकदमों की संख्या के हिसाब से भी काफी अधिक है।

मैं सोचता हूं जो पेंडेंसी, चालान पेश करना; मतलब तफ्तीश पूरी हो गयी लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक भी कोर्ट में जो चालान पेश होना है वह नहीं हुआ है, ऐसे केवल 2013 में अपन मानें तो .6 परसेंट ऐसे केस जिनका इंवेस्टिगेशन तो हो गया लेकिन चालान पेश करना है, .6, मैं सोचता हूं, बहुत नगण्य है। इसी तरह से अगर अपन 2014 में लें तो जिनकी तफ्तीश पूरी हो गयी लेकिन केवल कोर्ट में चालान पेश करना बाकी रहा, वह 1.14 है।

मैं सोचता हूं कि जो विषय इन्होंने रखने का प्रयास किया, वह यह है कि अलवर में वास्तव में 2013 में भी जो प्रकरण दर्ज हुए हैं वे 17,687 हुए। अधिक हैं, इसमें कोई दो-राय नहीं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की सारी सूची, एस.पी. के अनुसार देखें तो सबसे अधिक प्रकरण वहां दर्ज हुए हैं। इसी तरह से उन्होंने भरतपुर को भी जो बनाया है, उसमें भी 12,448 हैं। अपराधों की संख्या अधिक है, इसमें कोई दो-राय नहीं लेकिन एस.पी. के बारे में निर्णय केवल, और केवल, अपराध के आधार पर तय करना सम्भव नहीं है।

मैं सोचता हूं कि जैसे ही हमारे साधन हमको मिलेंगे, हमारी प्रायोरिटी में अलवर जरूर है, इसमें कोई दो-राय नहीं, क्योंकि अपराध भी हैं और जिले का फैलाव भी अधिक है, और विशेषकर के इंडस्ट्रियल एरिया जो डवलप हो रहा है उसके कारण से और दिल्ली से एकदम लगा होने के कारण से निश्चित रूप से वह है। ऐसे और भी प्रस्ताव हैं, लेकिन परमेश्वर कमेटी की रिपोर्ट कम्प्लीट आ जाने के बाद हम इस बारे में जरूर सोचेंगे कि राजस्थान में अपराधों की दृष्टि से और नियंत्रण की दृष्टि से और एस.पी. आफिस खोलने होंगे तो हम निश्चित रूप से खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जैसा कहा कि आगामी संसाधनों को देख कर हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो पेंडिंग चालान हैं वे कोर्ट में पेश कर दिये। कोर्ट में पेश करने के बावजूद भी कई बार यह देखा जाता है कि कोर्ट के अन्दर चालान पेश किये गये, उनमें से कम से

(श्री रामलाल शर्मा)

कम 60 परसेंट मुकदमे ऐसे होते हैं कि वे गवाह दूसरे रूप से मुकर हो जाते हैं और उसकी वजह से जो मुस्तगीस होता है उसको न्याय नहीं मिल पाता। क्या आने वाले समय में जिन लोगों के खिलाफ आपने चालान पेश किया है और जो गुनहगार आपने माना है, उन गुनहगार व्यक्तियों को सज़ा दिलाने के लिए जो गवाह होते हैं वे गवाह मुकर नहीं हों, पक्षद्रोही नहीं हों, उन गवाहों को भी आप सुरक्षा प्रदान करने का विचार रखते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से वर्ष 2013 में भी जिन केसों का हमने कोर्ट में चालान कर दिया, वह लगभग 57 प्रतिशत है और 2014 में भी लगभग 57 पाइंट समथिंग है। पेश करने के बाद भी गवाह पक्षद्रोह हो जाने के कारण से उसको लाभ मिलता है। मैंने पहले भी, जब मैं गृह मंत्री था, तब भी और अब भी मैंने आते ही केस आफिसर स्कीम फिर से लागू की है। जो संगीन केस हैं, उस थाने के, उस थाने पर उपलब्ध जो स्टाफ है उसमें से ही किसी व्यक्ति को केस आफिसर बना करके, उसका एविडेंस और कोर्ट में जब तक जजमेंट नहीं हो, तब तक उसका वह पीछा करे और उस दृष्टि से, जैसे पहले भी सज़ा का परसेंटेज बढ़ा है, अभी भी लगभग 52 परसेंट के आसपास आ रहा है, जो 34 परसेंट था और मेरा विश्वास है कि इस केस आफिसर स्कीम के तहत सज़ा का परसेंटेज भी बढ़ेगा और वास्तव में अपराधी को दंड दिलाने में जितना प्रयास किया जा सकता है वह जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक बात जानना चाहूंगा कि यह तो आपने पेंडिंग मामलों का बताया, और ठीक है सरकार अपना काम कर रही है; मैं एक विषय बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार में कुछ ऐसे मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कई राजनीतिक लोग होंगे, शायद सभी राजनीतिक दलों के लोग होंगे। कई बार जन आन्दोलन हो जाते हैं, कोई खनन माफिया को लेकर किसी मुद्दे को लेकर जनता आक्रोश में आ जाती है, मास आफ पब्लिक खूब सारी इकट्ठी होकर के कभी कोई थाने का घेराव करती है, कभी हाइवे बंद कर लेती है। इस प्रकार के दिसम्बर, 2013 के पहले के काफी मुकदमे पेंडिंग हैं। तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, जो आदतन अपराधी नहीं हैं, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ऐसे मुकदमों को देखते हुए उनको वापस लेने का विचार करती है? क्योंकि पहले भी कई आन्दोलनों में किया है, मैं किसी

(श्री निर्मल कुमावत)
आन्दोलन विशेष का नाम नहीं लूंगा, सरकार ने बड़े-बड़े आन्दोलन जिनमें जन-हानि भी हुई है, सरकार को राजस्व का घाटा भी हुआ है, वैसे मुकदमे भी लिये हैं। तो ये तो साधारण मुकदमे हैं। कोई जन-प्रतिनिधि हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है।...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, भाषण नहीं, सवाल करो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): तो क्या मंत्रीजी उनको वापस लिये जाने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते? यह बतायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया कि कुछ ऐसे जो जन आन्दोलन से सम्बन्धित मुकदमे बनते हैं, उनके बारे में चाहे पहले सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे हमारी रही हो, हमेशा केस विथड्रा करने का प्रोसेस है और उसके तहत उसकी पूरी फाइल जाने के बाद, एस.पी., कलक्टर और ए.डी.पी. की राय आने के बाद, फिर हमारे पास आता है और हम भी उसको गुणावगुण के आधार पर देखते हैं कि वास्तव में इस केस को विथड्रा किया जाए या नहीं।

मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, जन आन्दोलन के तहत जो कुछ मुकदमे बने हैं, उनको सरकार विथड्रा करने का मैग्जिमम प्रयास करती है। अगर बहुत ही गम्भीर किस्म का हो, तब तो बात दूसरी है। आपने अधिकारी के आफिस में जाकर मारपीट की और खून-खराबा कर दिया, तब तो शायद आपको बचना बहुत मुश्किल होगा और केवल कोई सामान्य घटना हुई है, तो निश्चित रूप से हम उसमें मदद करते हैं। मैंने अभी तक लगभग 125 केस, मेरे आने के बाद, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों के कारण या जन आन्दोलन के कारण से, या गौ रक्षा को लेकर लोगों ने कहीं रास्ता रोका और कहीं कोई गाड़ी पकड़ी और उसके कारण से बने हैं, ऐसे मुकदमों को जरूर करते हैं। व्यक्तिगत कोई भी मुकदमा, चाहे पड़ोसी के साथ छोटे से छोटा भी हुआ, उसका विथड्रा करने का कोई कारण नहीं है। केवल जन आन्दोलन से सम्बन्धित ऐसे कोई प्रकरण हैं जो पब्लिक हित में किया गया है, ऐसे केसेज को जरूर कंसिडर करने का प्रयास करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह। दूसरा पूरक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपने पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं मांगी है। देखिये, आप...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, एक इसी में। इसी में।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा जानना चाह रहा हूं कि जिनके चालान नहीं हुए, उन पर भी विचार करेंगे क्या आप?

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। आप मिल लेना। विराजिये। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): चालान होने के बाद तो विथड्रा करते हैं, जिनके चालान नहीं हुए उनको कैसे अनुसंधान में आप करेंगे? यह तो बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 के और 2014 के आंकड़े देखें तो अलवर जिले में 2013 में 17,687 मुकदमे दर्ज हुए और मुकदमे में इंवेस्टिगेशन का पीरियड होता है तीन महीने। इसलिए इतने भारी मुकदमे, आप राजस्थान के सब जिलों के आंकड़े देखेंगे तो अलवर जिला ऐसा है जिसमें तीन गुना से अधिक आंकड़े हैं, अपराध बढ़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, उसमें ऐसे भी गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध हैं, जैसे अलवर में सुरेश गुप्ता ज्वेलर का मर्डर हुआ, स्कीम तीन में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल का मर्डर हुआ, बहरोड़ में दो सिपाहियों का मर्डर हुआ, हरसोली में एक सैनिक का मर्डर हुआ और किशनगढ़ बास प्रोपर में एक सोनी का गर्दन काट कर मर्डर हुआ; ऐसे बहुत सारे गम्भीर प्रकृति के प्रकरण हैं जिनमें प्रोपर इंवेस्टिगेशन नहीं हो सकता।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे जो गम्भीर मुकदमे हैं जिनकी सरकार के पास भी शिकायत है कि इनमें खामियां रही हैं, जांच सही, प्रोपर नहीं हुई; पीड़ित पक्ष ने भी कहा है और जिनको मुलजिम बनाया है उन्होंने भी कहा है, क्या ऐसे स्पेशल केसेज की क्राइम ब्रांच को या सी बी आई को जांच देकर इनका इन्वेस्टिगेशन करायेंगे ताकि उनको न्याय मिले? अपराध कम हों, इसके लिए क्या अलग से अलवर जिले के लिए पुलिस व्यवस्था या अन्य पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेंगे?

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि अलवर जिले में 2013 में भी 17,687 मुकदमे दर्ज हुए थे और उनमें से 45 ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका है लेकिन कोर्ट में अभी भी चालान पेश नहीं किया गया है। जो टोटल हमारे पास 1,619 हैं उनमें से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

45 प्रकरण अकेले अलवर जिले के हैं जिनमें 2013 में इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर भी चालान पेश नहीं हुआ। इसी प्रकार से 2014 में भी अलवर में 17,849 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें से 217 प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांच हो चुकी है लेकिन अभी तक कोर्ट में चालान करना बाकी है। ये दोनों इस बात को जरूर बताते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, उसके बाद भी चालान में कोई विलम्ब है। इसके डिटेल में जाना पड़ेगा कि आखिर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद भी कोर्ट में चालान पेश करने में विलम्ब क्यों हो रहा है।

मैं यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी केस आपने मुझे दिया है और जिसके बारे में भी आपने कहा कि हमको इस तफ्तीश से संतुष्टि नहीं है, तो मैंने ऊपर के अधिकारी को देकर के उसकी जांच फिर से कराने का प्रयास किया है। आवश्यकता पड़ेगी, अगर कोई संगीन अपराध है, तो सारे को क्लब करने के बाद, कोई स्पेशल टीम भी लगानी पड़ी तो विभाग अलवर जिले के ऐसे संगीन मुक़दमों के लिए विचार करेगा। वही नहीं, प्रदेश के भी अगर ऐसे संगीन मुकदमे हैं, तो जो कुछ मेरे पास जिले में उपलब्ध टीम है, उसको लगाकर के उसकी मानिटरिंग कर रहे हैं कि कौन से ऐसे अपराध हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं सदन में कि राजस्थान का यह जो वर्ष है 2014, इसमें जितने भी संगीन प्रकरण इस प्रदेश में हुए हैं, उनमें 90 परसेंट प्रकरणों को खोलने में पुलिस सफल हुई है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। नहीं, यह तीसरा पूरक प्रश्न है। बस। गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के जवाब में जो आंकड़े दिये हैं, उसमें 2014 में सीकर में 8,235 कुल प्रकरण दर्ज हुए, इनमें से 6 पेंडिंग हैं; निस्तारित, चालान किये गये 4,031 हैं; पेंडिंग, एफ.आर. लगाये गये 3,706 हैं; जो अनुसंधान में प्रकरण पेंडिंग हैं वे 498 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो एफ.आर. लगाई गयी, वह यह मानकर के पुलिस ने लगाई होगी कि झूठे प्रकरण दर्ज हुए हैं। यह संख्या चालान वालों के लगभग बराबर लग रही है। ऐसे झूठे प्रकरण दर्ज नहीं हों, इसके लिए सी आर पी सी में प्रोविजन भी है कि अगर एफ.आर. लगा दी, आपने झूठा करार कर दिया, तो उनके खिलाफ इस्तगासा 182 का होना चाहिए। क्या सरकार ऐसे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
प्रकरणों में, जो एफ.आर. लगाकर के झूठे मामले पाये जाते हैं, वे झूठे दर्ज नहीं हों, उनको रोकने के लिए क्या उसमें 182 का इस्तगासा करने का विचार रखती है?

दूसरा मैं निवेदन करूं, साथ ही पूछ लूं दोनों बात, इनका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: एक ही पूरक प्रश्न करना है, बस। तीसरा हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, वह 90 दिन वाला; 90 दिन का नियम है चालान करने का, लेकिन प्राय: यह देखने में आ रहा है कि जो जन-प्रतिनिधि होते हैं, एम एल ए, एम पी और जो भी हैं, उनका सी आई डी (सी बी) में मामला आ जाता है। सी आई डी (सी बी) में चाहे जन-प्रतिनिधि का आ जाओ, चाहे दूसरे का आ जाओ, वह प्रकरण 5-5, 7-7 साल तक चलते हैं। उनमें 90 दिन की अनिवार्यता क्यों नहीं की जाये? जिससे अगर उसमें सज़ा हो तो वे अन्दर जायें, चालान हो; नहीं तो वह बरी होकर के, कम से कम निष्कलंक तो हो। वह 5-5, 7-7 साल जब तक फाइल चलती है, उनमें न तो एफ आर लगती है और न ही चालान होता है। वह हमेशा अपने को अपराधी मानकर चलता है। वह चीज है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, सवाल हो गया। माननीय मंत्री महोदय। नो, नो, तीन के आगे नहीं दूंगा मैं। तीन हो गये। तीसरा पूरक प्रश्न है। (व्यवधान) नो, नो, बिलकुल नहीं। माननीय बनवारी लालजी, बैठिये। (व्यवधान) नहीं, व्यवस्था है। (व्यवधान) आप बैठिये। कृपया बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर में 2013 में 8,141 जो दर्ज हुए थे, उनमें से हमने 4,583 का ही चालान किया। उसके साथ ही हमने एफ.आर. जो दी है वह 3,486 में दी है। उसके कई कारण हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे झूठे मुकदमों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, हम प्रकरणों को छांटकर कोर्ट तक भी जाते हैं लेकिन कोर्ट इतनी लम्बी प्रक्रिया से उसको करता है कि जो हमें 182 का लाभ मिले, जिसने झूठी शिकायत की उसको सज़ा दिलायें, लेकिन उसका परसेंटेज नहीं के बराबर है। इसके कारण से, इतनी बड़ी एक्सरसाइज और इतना मैनपावर लगाने के बाद भी कोर्ट से जितनी हमको इसमें मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। इसके कारण से वास्तव में राजस्थान में एवरेज 36-37 परसेंट मामलों में एफ.आर. लगती है, जो वास्तव में अधिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास करेंगे कि इनमें से जो बहुत संगीन प्रकरण हैं, किसी ने किसी पर रेप करने का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मुकदमा लगा दिया और 164 का बयान भी करा दिया, बाद में जाकर एविडेंस से यह लगा कि यह झूठा है। ऐसे प्रकरण जरूर छांटकर के हम उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही करेंगे, जिसके कारण से इन पर बंदिश लग सके।

जहां तक एम एल ए, एम पी के प्रकरण हैं, यह बात निश्चित रूप से सही है कि ये बहुत लम्बे समय तक पेंडिग चलते हैं। हम सब लोगों के जो भी प्रकरण होते हैं, वे सीधे सी आई डी में जांच के लिए चले जाते हैं। आज की तारीख में राजस्थान में 318 प्रकरण ऐसे हैं, जो अभी भी सी आई डी में जांच के लिए हैं। उनमें से लगभग 101 एम एल एज के हैं और कुछ एम पी के भी हैं। 1997 से भी प्रकरण हैं जो किसी न किसी के विरुद्ध बना हुआ है। यह 1997 से लेकर के 2015 तक की सूची है। निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही भी नहीं होती है और केस का डिस्पोजल भी नहीं होता है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि ऐसे प्रकरण जो लम्बे समय से पेंडिंग हैं, या तो उनमें चालान हो, या इनका निस्तारण हो जाये।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री गोपाल कृष्ण।

मुक्ता प्रसाद नगर (बीकानेर) में आवासों के निर्माण में विलम्ब पर कार्यवाही

454. **श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुक्ता प्रसाद नगर में आवासन मण्डल की योजना कब से प्रारम्भ की गई तथा अब तक कुल कितने आवास तैयार कर आवेदकों को सौंप दिये गये और कितने तैयार करके सौंपे जाने शेष हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में आवासों का निर्माण समय पर न कर विलम्ब से किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या आवासन मण्डल के द्वारा तैयार किये गये आवासों में आवश्यक संसाधन अच्छी क्वालिटी से पूर्ण तैयार कर लगाया जाता है? यदि हां, तो इसकी गुणवत्ता के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुक्ता प्रसाद नगर में आवासन मण्डल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की योजना दिसम्बर, 1979 से प्रारम्भ की गई थी। दिसम्बर, 1979 से फरवरी, 2015 तक कुल 4,542 निर्मित आवासों में 4,526 आवास आवेदकों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं तथा 16 पूर्ण निर्मित आवास आवेदकों को सौंपे जाने शेष हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में निर्माणाधीन 159 आवास भी पूर्ण कर सौंपे जाने शेष हैं।

(2) जी हां। मुक्ता प्रसाद नगर योजना में वर्तमान में निर्माणाधीन उच्च आय वर्ग के 34, मध्यम आय वर्ग-ब के 40 तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 47 आवासों (कुल 121 आवासों) का निर्माण विलम्ब से चल रहा है। इसके अतिरिक्त अल्प आय वर्ग के 22 तथा मध्य आय वर्ग-अ के 16 आवासों का निर्माण न्यायालय स्थगन के कारण कार्य रुका हुआ था, जिनमें से 8 आवासों के निर्माण पर अब तक स्थगन आदेश प्रभावी है। उपरोक्त कुल 159 आवासों में से 121 आवासों के निर्माण में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी पाये गये हैं। संवेदकों को अनुबन्ध की धाराओं के तहत समय-समय पर विलम्ब हेतु नोटिस तथा पत्र जारी किये गये हैं तथा शास्ति के रूप में राशि रोकी गई है। कार्य में विलम्ब के लिए संवेदक (ठेकेदार) दोषी है। इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा तैयार किये गये आवासों में आवश्यक संसाधन अच्छी क्वालिटी से पूर्ण तैयार कर लगाया जाता है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता मण्डल द्वारा जारी लैब मैन्यूअल के अनुसार जांची जाती है तथा सेनिटरी, बिजली व अन्य निर्माण सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार लगाई जाती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि यह 1979 से प्रारम्भ की हुई स्कीम है, जिसको कुल मिलाकर के 36 साल हो गये हैं। 36 साल के अन्दर इन्होंने केवल 4,542 आवासों को निर्मित किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कम नहीं है? बीकानेर में 36 सालों के अन्दर आपने इतने ही क्यों बनाये?

दूसरा, क्या कोई पापुलेशन से इसका कोई रेश्यो है? उस रेश्यो के हिसाब से यह घर बनाते हैं, आवास लोगों को देते हैं?

ये 159 आवास जो आप कह रहे हैं कि निर्माणाधीन हैं, ये कब से निर्माणाधीन हैं और इनका कब तक निर्माण हो जाना चाहिए था? निर्माण नहीं

(श्री गोपाल कृष्ण)

होने के बाद भी, इनके निर्माण में अब कितने दिन शेष रह गये? क्या इसमें शास्ति का कोई प्रोविजन था? क्या किया है ऐसा?

कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): तीसरी बात, चूंकि यह विलम्ब की बात और है, इसके साथ ही आपने कहा कि विलम्ब भी होता है, किस कारण से विलम्ब हुआ है? यह क्या अधिकारियों की त्रुटि के कारण से, या मैटेरियल सप्लाई, या किसी कारण से, जो अच्छा नहीं बना रहे हैं, दुबारा बनाया है या और कुछ किया है, तो इसलिए ठेकेदारों पर यह शास्ति लगाई गई है क्या? अगर शास्ति लगाई गई है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि वह शास्ति लेट कारण से, विलम्ब के कारण से अगर लगाई जाती है, तो वह क्या आवासन मण्डल ले लेता है, या उपभोक्ता को देना चाहिए? उपभोक्ता का पैसा पहले दे दिया जाता है ठेकेदारों को।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): वह पैसा ठेकेदारों को पहले दे दिया जाता है और उसके बाद घर बनाये जाते हैं। तो जो शास्ति लगती है, मैं यह समझता हूं कि आवासन मण्डल को नहीं लेकर, यह शास्ति उपभोक्ता को मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या आवासन मण्डल विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या के आधार पर या रिक्वायरमेंट के आधार पर निर्माण करता है। यह सही है कि आवासन मण्डल जहां पर जितनी डिमाण्ड है उस डिमाण्ड के असेसमेंट के हिसाब से काम करता है। बीकानेर के अन्दर पवनपुरी के नाम से पहले जो योजना 1979 में शुरू की गई, बाद में मुक्ता नगर के नाम से आवासीय योजना शुरू की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने सूचना दी है, उसके अतिरिक्त केवल 990 मकान ऐसे हैं जिनकी पेंडेंसी है। बीकानेर में कोई लम्बी-चौड़ी पेंडेंसी नहीं, 990 मकानों की पेंडेंसी है। उनमें से भी 199 मकान का काम का वर्क-आर्डर हमने 21 मार्च, 2015 को दे दिया है, जिसका

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

काम आज शुरू हो गया है। तो इन 199 को हटाने के बाद यह पेंडेंसी 800 के करीब रह जाती है। यह पेंडेंसी का कारण भी इसलिए है कि जब तक जमीन की उपलब्धता नहीं हो, तब तक निर्माण सम्भव नहीं है। अभी भी जिस मुक्ता नगर में हमने जिस जमीन का एक्वीजिशन किया है, उसमें से 240 बीघा जमीन का अभी भी खातेदारों के बीच में डिस्प्यूट है। इसलिए आज की तारीख के अन्दर हमारे पास एक बीघा जमीन भी ऐसी उपलब्ध नहीं है जो अनडिस्प्यूटेड हो और सरकार के खाते में हो। इस कारण से इन 800 मकानों की पेंडेंसी जारी है। जितनी जल्दी जमीन की उपलब्धता हो जाएगी, इन बचे हुए 800 मकानों को हम पूरा कर देंगे।

आपने कहा कि जो देरी हुई है, उस देरी की क्या जिम्मेदारी है? जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 159 मकान हैं जो पाइप लाइन के अन्दर हैं। एच आई जी कैटेगिरी के 34 मकान हैं, एच आई जी कैटेगिरी के 40 मकान हैं; इकोनोमिकली वीकर सेक्शन के 47 मकान हैं। इस प्रकार 121 मकान लेट चल रहे हैं। इनमें से एच आई जी के जो 34 मकान लेट चल रहे हैं उसमें हमने संवेदक पर शास्ति लगाई है 39 लाख रुपये और एम आई जी के मकान 40 हैं वह लेट चल रहे हैं, तो उन पर 40 हजार रुपये की कटौती कर दी है; जो फाइनल बिल जाएगा, उसके एन्ड पर पहुंचेगा तो और कटौती कर दी जाएगी। इकोनोमिकली वीकर सेक्शन के जो 47 मकान हैं, वे लेट चल रहे हैं। उन लेट चलने वाले मकानों का जो काम रुक गया है, रुक गया है, यहां इन्टरेस्टिंग चीज यह आई है कि काम जब शुरू हुआ तो उन्होंने 80 मकानों के लिए वर्क आर्डर जारी किये थे और 80 मकानों के आर्डर जारी किए थे जमीन पर कब्जे के बिना, जहां जमीन का कब्जा ही नहीं था। 40 मकान हैं, इन 47 मकानों में से 40 मकान जो लेट चल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेट नहीं चल रहे हैं, काम बंद हो गया 2013 में ही, वर्क आर्डर के बाद में। इसकी निश्चित रूप से हम जांच कराएंगे कि जमीन नहीं होने के बावजूद वर्क आर्डर दे देना और 2013 में वर्क आर्डर देने के बाद में बचे हुए मकानों का काम बंद हो जाने के बावजूद भी 2015 तक भी रिटेंडर करने की कोई कोशिश नहीं करना, इसमें निश्चित रूप से जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर हम आज और कल में ही कार्यवाही कर देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है।

आपने कहा, बाकी बचे मकान तो 38 मकान हैं, 121 के अलावा जो 38 मकान हैं, उसका मैंने कहा कि 159 मकान पाइप लाइन में हैं, बचे हुए 38

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मकानों में कोर्ट का स्टे था। कोर्ट के स्टे में से 30 मकानों का स्टे खारिज हो गया है, 16.6.2014 को उनका काम शुरू हो गया है और बचे हुए 8 मकानों में स्टे बचा हुआ है। यह 8 मकान जिनमें स्टे बचा हुआ है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, जब तक स्टे वैकेट नहीं होता है। जिन मकानों का स्टे वैकेट हो गया है, उनका काम शुरू कर दिया गया है।

ई डब्ल्यू एस के जो 47 मकान, 40 मकान, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनमें काम बंद पड़ा है, उसको रिटेंडरिंग कर देंगे; जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लेंगे। बाकी एच आई जी और एम आई जी के मकानों के बारे में मैंने कहा कि 39 लाख की शास्ति लग गई और उस शास्ति के प्रोविजन के तहत जो शास्ति लगनी है तो निश्चित रूप से 39 लाख रुपये की कटौती करेंगे।

तीसरा प्रश्न, आपने कहा कि जो कटौती की है वह कटौती पास-आन क्यों नहीं करते कंज्यूमर को? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कटौती जिसकी की है उसमें दो पार्टी हैं, हाउसिंग बोर्ड-मकान बनवाने वाला और ठेकेदार-मकान बनाने वाला। दूसरी चीज है कि हाउसिंग बोर्ड और कंज्यूमर, हाउसिंग बोर्ड और कंज्यूमर के बीच में रिलेशनशिप डिफरेंट किस्म की है। उसकी प्राइस तय की हुई होती है, उसका प्राइस को तय करने का एक मेकेनिज्म होता है और उस मेकेनिज्म के तहत हम उसकी प्राइस तय करते हैं लेकिन संवेदक के बीच में और हाउसिंग बोर्ड के बीच में जो एग्रीमेंट है, उसमें जो शास्ति लगती है, उस शास्ति को ट्रांसफर करने का न तो कोई प्रोविजन है और न उस प्रोविजन का कोई औचित्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे?

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): जी हां, पूछूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष: अब तो आ गया पूरा।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात तो यह पूछी थी कि 159 आवास आपके, कब से निर्माण शुरू हुआ है इनका और कब तक इनको देने की अवधि थी और उसमें नहीं दिये गये, यह विलम्ब कितना हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का अपना घर होने का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि एक मेरा भी घर होगा और मैं उस अच्छे घर में रहूंगा। नहीं तो, आदमी कहीं नौकरी करता है, समझ लीजिए, किराये पर रहता है, लेकिन अपने घर का

(श्री गोपाल कृष्ण)

आनन्द, वह आनन्द नहीं मिल रहा है लोगों को। मेरा कहने का मतलब यही था कि जब तक लोगों को अपना घर नहीं मिले, क्योंकि वह पूरा पैसा दे देता है, स्ववित्त पोषित योजना में जो घर बनाते हैं उसमें पूरा का पूरा पैसा ले लेते हैं, पूरा का पूरा पैसा लेने के बाद वह पैसा ठेकेदार को भी दे देते हैं। उसके बावजूद भी उसको विलम्ब से मिलता है, तो वह तड़फता रहता है कि कब मेरा अपना घर होगा और कब मैं उसके अन्दर रहूंगा। एक बात तो यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, आपने यह कहा है कि आप इसमें पूर्ण रूप से गुणवत्तायुक्त बनाते हैं। क्या अस्थायी रूप से जो लैब बनती है, जहां पर मकान बनते हैं, आपके वहां पर कोई लैब है क्या? मुझे तो वहां दिखाई दी नहीं। लैब होनी चाहिए। अगर लैब हो तो उसकी गुणवत्ता की जांच हो सकती है। नहीं तो, गुणवत्ता की जांच किस तरह से होगी? अगर लैब ही नहीं है, अस्थायी लैब बनाई जाती है, हो सकता है कि परमानेंट लैब आपकी कहीं दूसरी जगह पर हो। तो एक तो लैब आपकी परमानेंट कहीं पर नहीं है। गुणवत्ता कब जांची गई और किस तरह से कब-कब जांची जाती है और किन बेसेज पर इसकी गुणवत्ता जांची जाती है...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, बहुत सवाल कर लिये। आप बहुत कम बोलते हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी बात। थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए।

यहां पर कुछ बगीचे बने हुए हैं, इस जगह पर मुक्ता प्रसाद योजना में कुछ बगीचे बनाये गये हैं। उनकी दीवारें टूट गईं, बाग-बगीचे उजड़ गये, गाय, बैल, कुत्ते, सारे बगीचों के अन्दर शौच करते हैं और उन्होंने वहां पर नाजायज कब्जा कर रखा है। वहीं पर बैठे लोगों, मनुष्यों के लिए वह जगह नहीं है। तो क्या उन बगीचों को मनुष्यों के लिए, आनन्द लेने के लिए, आपका वहां पर उन लोगों के लिए यह बन जाए और वे लोग आनन्द लें इस बगीचे का, ऐसा इरादा आप रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 159 मकानों में से 38 मकान बनने में देरी होने का कारण कोर्ट का स्टे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, जवाब आने दीजिए। आप विराजिए। जवाब आ रहा है, पूरा जवाब आ रहा है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): जो बगीचे बने हैं उनके बारे में है प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: वह भी जवाब दे देंगे। आपके सब आएंगे, जवाब सब आ जाएंगे। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि 159 मकान जिनके बारे में आपने पूछा कि कब निर्माण शुरू हुआ, विलम्ब कितना है, उन 159 मकान का बाइफर्केशन मैं आपको दे रहा हूं। 159 मकान में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 40 मकान का काम तो बंद ही हो गया 2013 में, जैसा मैंने खुद ने स्वीकार किया है और कहा है कि उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और रिटेंडरिंग की जाएगी। 38 मकान के लिए मैंने कहा है कि 38 मकान पर कोर्ट का स्टे था, जिनमें से 30 मकान का स्टे 16.6.2014 को खतम हुआ है और 8 मकानों पर स्टे अभी भी जारी है।

अब बचे मकान कितने? अब बचे हुए मकान जो हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बचे हुए मकान हैं 81 । तो 81 मकानों में से एक काम दिया था, ई डब्ल्यू एस का काम किया था, 30.4.2012 को जो पूरा होना चाहिए था, 2 साल के अन्दर। दूसरा काम हमने दिया था, उस पर स्टे हो गया। तीसरा काम हमने दिया था, जो काम हो जाना चाहिए था 30.10.2010 को, उसमें देरी है और उसी कारण से उस पर शास्ति लगाई है। उसी कारण से, देरी है, इसी कारण से शास्ति लगाई और मैंने कहा कि 39 लाख रुपये की शास्ति लगाई है और शास्ति के प्रोविजन के हिसाब से जो और शास्तियां लगनी होंगी, उन शास्तियों को हम निश्चित रूप से लगाएंगे। बाकी बचे हुए मकान के अन्दर, एक को पूर्ण करना था 14.10.2013 को और एक को पूरा करना था 4.10.2014 को। इस 2014 वाले में तो कोई बहुत लम्बी-चौड़ी, 34 मकान जो बचे हैं उच्च आय वर्ग वाले, उनको तो 2014 को पूरा करना था और 2015 में जो डिले हुए हैं, तो डिले के लिए शास्ति लगाने के लिए, मैंने कहा, वह पैसे काटे हैं, बाकी पैसे भी काटेंगे।

जहां तक क्वालिटी कंट्रोल की बात आपने की है, उसमें मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पहले भी मैंने सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

किया था कि अबकी बार, इस अप्रैल के साथ में सरकार के द्वारा जहां-जहां भी मकानों का निर्माण कराया जाएगा, उन मकानों का एन ए बी एल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। मैं समझता हूं, उससे बड़ी कोई एश्योरेंस की जरूरत नहीं है कि एन ए बी एल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी और वह भी थर्ड पार्टी। इसका जिस दिन से क्वालिटी का चैक शुरू हो जाएगा, निश्चित रूप से क्वालिटी में सुधार आएगा, चाहे वह बाग़ का मामला हो, चाहे मकान का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो। निश्चित रूप से इस दिशा के अन्दर हम काम करेंगे और उसमें सुधार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: वह कुत्ते-बिल्ली वाला तो जवाब दो। आप वही चाह रहे हैं। बाग़-बगीचों में बैठ जाते हैं। विशेष तौर से चाह रहे हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): बगीचों की बात थी, आपने वह तो बात बतायी नहीं। जहां कुत्ते, बैल, सारे बैठे हैं और आदमी नहीं जा सकते, उस बगीचे का आनन्द नहीं ले सकते, तो बग़ीचा किस काम का? (व्यवधान) उनको भी आनन्द लेने दो। कभी मनुष्य को भी आनन्द लेने की बात करो ना। वह भी ठीक कराइये। कहने का मतलब यह है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं इसी का। मैंने खुद ने कहा है कि जवाब दिया जाय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने कहा है कि बागों में कुत्ते बैठे हैं... (व्यवधान) कुत्तों ने अतिक्रमण कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: कुत्ते, बिल्ली। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड मकानों का निर्माण करता है, हाउसिंग बोर्ड बागों का निर्माण भी करता है और सारा विकास करने के बाद उन कालोनियों को नगर निगम, नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित कर देता है। लेकिन जिन इलाकों का अभी तक हस्तान्तरण नहीं हुआ, जिनका ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है, वहां निश्चित रूप से चौकीदार की व्यवस्था करेंगे और कुत्तों के अतिक्रमण को समाप्त कर देंगे। चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। श्री विश्वनाथ।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बीकानेर में हाउसिंग बोर्ड की शिवबाड़ी क्षेत्र में क्या आवासीय योजना प्रस्तावित है?

श्री अध्यक्षः इससे सम्बन्धित नहीं है; बीकानेर पश्चिम से सम्बन्धित नहीं है।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): बीकानेर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। इसके इधर-उधर नहीं जा सकते आप।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): इस योजना को कब तक चालू कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्षः बीकानेर का नहीं।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): बीकानेर से सम्बन्धित है, हाउसिंग बोर्ड से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्षः बीकानेर पश्चिम से सम्बन्धित है या नहीं?

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): बीकानेर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्षः बीकानेर नहीं, बीकानेर पश्चिम?

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): बीकानेर पश्चिम।

श्री अध्यक्षः विराजिए। भंवर सिंह। बीकानेर पश्चिम से सम्बन्धित होना चाहिए। विराजिये। बैठिए आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर पश्चिम में मुक्ता प्रसाद नगर आज से कई सालों पहले आवासन मण्डल द्वारा विकसित किया गया था। इस कालोनी में पेयजल की, सीवरेज, सड़क, नाली, रोडलाइट, आदि सुविधाओं की स्थिति आज बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या आवासन मण्डल इस योजना का विकास करने के लिए, मुक्ता प्रसाद कालोनी में जो सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए कोई अतिरिक्त बजट देकर कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखते हैं? मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः विराजिये। माननीय मंत्री महोदय। यह मुक्ता प्रसाद नगर है, इसलिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड जिस इलाके में अपनी कालोनी डवलप करता है, वह जमीन काफी बड़ी एक्वायर कर लेता है और फेजल मैनर में वहां डवलपमेंट होता है। वहां मुक्ता प्रसाद नगर का मामला हो, चाहे पवनपुरी का मामला है, जैसा मैंने कहा, 234 बीघा जमीन जो हमने एक्वायर कर ली है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उसका भी खातेदारों से अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। वह भी मुक्ता प्रसाद नगर का ही हिस्सा है। वहां फेजल डवलपमेंट होता है। जैसा मैंने कहा, अभी 199 मकानों के निर्माण करने का काम हमने आज शुरू किया है। जिस-जिस इलाके में निर्माण हो गया है, वहां सड़क की सुविधा, नाली की सुविधा और उद्यान की सुविधा तो हाउसिंग बोर्ड ने दी है, लेकिन जो इलाके अभी ट्रांसफर नहीं हुए और हाउसिंग बोर्ड के पास ही हैं, उन इलाकों में जिस प्रकार की अनुकूलतम सुविधाएं होनी चाहिए, आप्टिमम सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं के बारे में जानकारी करके, कोई कमी-बेशी है, तो निश्चित रूप से उनमें सुधार कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार। बीकानेर पश्चिम। बीकानेर पश्चिम।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया, मुक्ता प्रसाद नगर में जिन ठेकेदारों ने काम समय पर पूरा नहीं किया, और काम की रिस्क व कास्ट की बात की है, मैं कहना चाहता हूं कि ये रिस्क व कास्ट ठेकेदारों से वसूल नहीं कर पाते और वह आवास-आबंटियों पर डालकर उनसे वसूल की जाती है, जो 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। क्या मंत्री महोदय मंशा रखते हैं, सरकार उन आबंटियों पर न डालकर उन ठेकेदारों से वसूली जाय?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, जहां-जहां भी संवेदक अपने काम में देरी करता है, वहां शास्ति का प्रावधान है। शास्ति को रिकवर करने की भी एक प्रक्रिया है; नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब आएगा, उसके बाद में तय होगा कितनी शास्ति लगेगी। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि हाउसिंग बोर्ड में जिस तरह से मकानों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है और विलम्ब के कारण कास्ट एस्कलेशन होता है, उसका भार कहीं न कहीं आबंटियों पर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जो कास्टिंग का पूरा पैटर्न है, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कास्टिंग का पैटर्न, जिसके आधार पर उसकी कीमत तय की जाती है, उस कास्टिंग पैटर्न को पूरा का पूरा सरकार रिव्यू कर रही है और रिव्यू करने के बाद, आबंटियों को किस प्रकार से ज्यादा सुविधाएं दे सकें, उसकी कास्ट को किस प्रकार से कम किया जाय, इसकी चिन्ता है। उसको हम रिव्यू कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी फर्जी डिग्रियां

455. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी करने का प्रकरण उजागर हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय द्वारा कितनी डिग्रियां किन-किन को फर्जी तरीके से जारी की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में चल रहे निजी एवं सरकारी विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून में बदलाव कर निगरानी समितियां गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर के विरुद्ध एस.ओ.जी. थाना जयपुर ने फर्जी डिग्रियां/अंक-तालिकाएं जारी करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 120-बी के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण संख्या 15/2014 दर्ज किया है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर जयपुर के न्यायालय में एस.ओ.जी. थाना जयपुर के द्वारा पेश किये गये आरोप पत्र संख्या 03 दिनांक 16.3.2015 के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के द्वारा 25,003 छात्रों को फर्जी तरीके से अंक-तालिकाएं/डिग्रियां जारी की गई हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। निजी एवं सरकारी विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियामक आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है। सरकार ने जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रकरण की जांच हेतु आदेश दिनांक 26.02.2015 के द्वारा जांच समिति गठित की है जिसका कार्यकाल आदेश दिनांक 26.03.2015 के द्वारा 2 माह के लिये बढ़ाया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। जांच समिति गठित करने के आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वैसे एक प्रश्न में पांच प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न में एक। आपके जैसा बुद्धिमान आदमी एक प्रश्न में ही सब समावेश कर लेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही मैं कह रहा हूं कि एक में पांच पूछे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: पांच मत कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भगवान ने एक आदमी को वरदान दिया कि एक वर मांग। (व्यवधान) सुनो, महाराज।

श्री अध्यक्ष: मैं महाराज नहीं हूं, अध्यक्ष हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो आप भगवान हो ना।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अध्यक्ष हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसने कहा, उसके आंखें नहीं थीं, उसने कहा कि मेरा पड़पोता मेरी आंखों से देखूं और सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। तो उसको सोना भी मिल गया, पड़पोता भी मिल गया और आंख भी मिल गई।

श्री अध्यक्ष: यही विद्वता आप दिखाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर कितने वर्षों में इसने 25,003 फर्जी डिग्रियां बांटीं? एक। इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर उन पर तो कार्यवाही की गई, लेकिन फर्जी डिग्रीधारकों पर क्या कार्यवाही की गयी?

इस राजस्थान की विधान सभा ने इनका प्रस्ताव पास करके इनको एक्ट बनाकर ये विश्वविद्यालय बनाये थे। इनके नियामक आयोग के अलावा, इसी विधान सभा में विधेयक लाकर इन यूनिवर्सिटियों का निरसन किया जाय और इनकी सारी सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त की जाय ताकि ये फर्जी दुकानें बंद हों और वास्तविक विश्वविद्यालय चलें। केवल निगरानी आयोग से काम नहीं होगा, इनको यहां लाकर उनको बंद करके सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही करनी पड़ेगी। उस पर सरकार क्या विचार कर रही है? यह बताओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एस ओ जी को जब जांच दी गयी तो 38 हजार डिग्री व मार्कशीट्स की उन्होंने जांच की। उनमें से 25,003

(श्री कालीचरण सराफ)
अंकतालिकाएं व डिग्रियां फर्जी पायी गयीं। यह एस ओ जी की रिपोर्ट में आया है।

दूसरा आपने कहा कि इसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के विघटन के लिए और प्रशासक नियुक्त करने के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक कमेटी का निर्माण किया है जो एस ओ जी की रिपोर्ट और वहां हुई वितीय अनियमितताएं एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करेगी। दो महीने में उसकी रिपोर्ट आने के बाद, एक्ट की धारा 44 के अन्तर्गत जो सरकार को शक्तियां प्राप्त हैं, दो महीने में उसकी रिपोर्ट आने के बाद, सरकार बिलकुल मूकदर्शक नहीं रहेगी, यदि विघटन की आवश्यकता हुई तो विघटन भी करेगी और प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता हुई तो प्रशासक भी नियुक्त किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न। पहला पूरक प्रश्न। शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो पूछ सकते हैं कालेज का? अब तो आपकी परमिशन है कालेज के लिए?

श्री अध्यक्षः यह जोधपुर का है, इससे सम्बन्धित।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जोधपुर का नहीं, इसमें दूसरा है जो पूरे प्रदेश का है।

श्री अध्यक्षः हां, हां, इसके बारे में आप कर सकती हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने मांग की थी कि जिस विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कालेज नहीं हैं, वहां खोलेंगे क्या? तो आपका जो जवाब आया था, वह यह आया कि वहां पर बहुत सारे निजी महाविद्यालय हैं, इसलिए कालेज खोलने की मंशा नहीं रखते। तो क्या आप निजी कालेजों को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या गरीब बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते? सरकारी महाविद्यालय नहीं खोलने के लिए जो कारण लिखा, वह कैसा कारण है, साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगी कि आप कब तक खोलने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय। आपने जोड़ लिया, ठीक है, जवाब दिलवा देते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबको शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए सरकारी संसाधन क्योंकि सीमित हैं इसलिए सबको शिक्षा देने की मंशा होते हुए भी सरकार सबको शिक्षा केवल

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकारी साधनों से नहीं दे सकती। इसीलिए निजी महाविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों का कंसेप्ट आया है। आज राजस्थान में 200 के लगभग तो सरकारी महाविद्यालय हैं और 1,500 के लगभग निजी महाविद्यालय हैं। तो 1,500 महाविद्यालय सरकारी स्तर पर तो खुल नहीं सकते और शिक्षा देना आवश्यक है, इसलिए निजी महाविद्यालय भी खुलेंगे और सरकारी जो महाविद्यालय हैं, जैसे-जैसे हमें वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, तो हम सरकारी महाविद्यालय भी खोलेंगे।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न। मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जिन्होंने फर्जी डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन लाभान्वितों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्षः विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, मैंने जैसे कहा है कि एस.ओ.जी. ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और इसमें जो-जो लोग थे...

श्री अध्यक्षः आप तो रोज ही बोलते हैं, आज नहीं। तीसरा पूरक प्रश्न उधर है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): इसमें श्रीमती संध्या कोठारी, पुनीत गोदावत, श्यामलाल आनन्द, मनोज पारीक, ऐसे ये जो विभिन्न स्थानों पर कोआर्डिनेटर बना रखे थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है, वे सारे लोग जेल में हैं और कमल मेहता इसके मुख्य कर्ता-धर्ता हैं, सबके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्षः जवाब सुन लीजिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विद्यार्थियों के खिलाफ क्या करेंगे; यह पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद कार्यवाही क्या की जा सकती है, नहीं की जा सकती, उसके ऊपर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः तीसरा पूरक प्रश्न। जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रयुक्त शब्द 'राष्ट्रीय' यूज किया गया है और ऐसे शब्द का प्रयोग क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है? यदि

(श्री जोगाराम पटेल)

नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसे समस्त गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में, जिन्होंने 'राष्ट्रीय' या 'भारतीय' या इससे मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग किया है, उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं? यदि कार्यवाही करने का विचार रखते हैं, तो कब तक?

साथ ही साथ यह भी बतायें कि जो आजकल नकल गिरोह पनप गये हैं, अनेक क्षेत्रों में बड़े-बड़े नकल के गिरोह पकड़े गये हैं, नकल खुद करवाते हैं, पेपर आउट करवाते हैं और यह रोजाना सुन रहे हैं, तो इनके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, नकल गिरोह जहां-जहां पकड़े जाते हैं, जहां-जहां इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है। आपके पास भी कोई ऐसा प्रकरण हो तो बता दीजिये, उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा, तो मैंने जैसा पहले बताया कि इनका जो प्रमाणन होता है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है।

आपने जो पूछा कि 'राष्ट्रीय', 'नेशनल', इस प्रकार के जो शब्द हैं, इनके लिए हमारे विभाग ने परिपत्र जारी किया है और इस प्रकार के जो मिलते-जुलते नाम हैं, उनको या तो वे खुद चेंज कर लें और चेंज नहीं करेंगे तो हम उन पर रोक लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। प्रश्न संख्या 456.

(स्थगित)

यह प्रश्न स्थगित है।

अगला प्रश्न। श्रीमती संजना आगरी।

सोजत में 'रमसा' के तहत करवाये गये कार्य

457. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या 'रमसा' द्वारा सरकारी विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सोजत में उक्त कार्य के लिए कितने

(श्रीमती संजना आगरी)

ठेकेदार पंजीकृत हैं? क्या उक्त कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री का भौतिक सत्यापन आधुनिक मशीनों द्वारा या अधिकारियों द्वारा करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2015 तक कौन-कौन से विद्यालयों में 'रमसा' के तहत कितनी राशि के कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत करवाये जा रहे कार्य पूर्ण हो गये, या अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। 'रमसा' द्वारा विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। 'रमसा' योजनान्तर्गत ठेकेदार पंजीकृत करने का प्रावधान नहीं है। राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों के निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों (संवेदकों) से निविदाएं आमंत्रित कर निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व सम्बन्धित विद्यालय विकास प्रबंधन समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। सीमेंट क्यूब, ईंट, आदि सामग्री की जांच मशीनों द्वारा की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में 'रमसा' योजनान्तर्गत 18 कार्य स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यों की कुल स्वीकृत राशि 443.64 लाख रुपये है। विद्यालयों की सूची मय स्वीकृत राशि एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में 'रमसा' योजनान्तर्गत करवाये जा रहे 18 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 10 कार्य प्रगतिरत हैं। कार्यवार पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्री महोदय, आपने बताया कि 'रमसा' योजनान्तर्गत ठेकेदार पंजीकृत करने का प्रावधान नहीं है और राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों के निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और उनसे कार्य करवाया जाता है। मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि 'रमसा' के तहत निर्माण कार्य करने वाले कोई भी ठेकेदार या फर्म, जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुणवत्ताहीन व घटिया सामग्री काम में लेने की शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह 'रमसा' द्वारा जो कार्य करवाये जाते हैं, उसमें डी.पी.सी., ए.डी.पी.सी., जे.ईएन. और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की देखरेख में ये कार्य करवाये जाते हैं, जबकि यह पूरी शिक्षा की मशीनरी है, इनको भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होती है और इसका जो अध्यक्ष होता है वह विद्यालय का एच.एम. होता है। जो डी.पी.सी. और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हैं, इनके द्वारा ही इनके प्रपोजल बनाये जाते हैं और प्रपोजल बनाने से लेकर प्रस्ताव पारित होकर आता है, उसका निर्माण कार्य भी उसी कमेटी के द्वारा करवाया जाता है।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि 'रमसा' द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों की वित्तीय वितरण व्यवस्था एवं एजेंसी, जिसके निर्माण कार्यों की जानकारी का एच.एम. को अभाव होता है और कई बार घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जाती है, तो क्या सरकार वित्तीय वितरण व्यवस्था में जन-प्रतिनिधियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग और सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में काम करवाने का विचार करती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, U-DISE के माध्यम से स्कूल का चयन होता है और उसके बाद इसके जिला स्तर पर टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। टेंडर कोई भी, पी.डब्ल्यू.डी. में या निकायों में जो भी पंजीकृत ठेकेदार हैं, वे उस टेंडर को भरते हैं। फिर इसको जिला स्तर पर मंगवाकर यदि उसमें 10 प्रतिशत जो रेट्स हैं उनके तहत आते हैं तो जिला स्तरीय समिति तय कर लेती है। वर्क आर्डर वहां का प्रिंसिपल देता है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जहां तक आपने उसकी क्वालिटी का कहा, तो क्वालिटी निश्चित रूप से, पंजीकृत स्थान है, वह पी.डब्ल्यू.डी. के एक्स.ईएन. लेवल के रहते हैं और पी.डब्ल्यू.डी. अधिकतर विभागों में करती है और हर काम के लिए वहां का टेक्निकल व्यक्ति ए.ईएन. भी है, ब्लाक स्तर पर जे.ईएन. भी है और वे टेक्निकल लोग इसकी गुणवत्ता जांचते रहते हैं।

आपने दूसरा प्रश्न किया, अभी तक आपके सोजत क्षेत्र के किसी भी काम की शिकायत राइटिंग में हमारे पास नहीं आई। यदि आपके पास है, आप देंगी, तो मैं उस पर जांच करवाकर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर 'रमसा' के तहत कार्य हो रहा है, उसमें मैसर्स महावीर सिंह जो फर्म है उनके द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकण्डरी स्कूल, सांडिया, सोजत रोड, खोखरा और बगड़ी के अन्दर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि बगड़ी के अन्दर जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इसके अलावा भी जो निर्माण कार्य किये गये हैं, उनकी छतों से पानी टपक रहा है, उन्होंने छतें भी सही नहीं डालीं। जो निर्माण कार्य बगड़ी में किया गया, उसकी पूरे ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पूरे गांव वाले पूरा डेलीगेशन लेकर हमसे भी मिले लेकिन सम्बन्धित विभाग ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। मेरा आपसे निवेदन है कि मैसर्स महावीर सिंह ने जो-जो ये कार्य करवाये हैं उन कार्यों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर इसमें शिकायत सही पाई गई है और शिकायत मिलती है, तो उनको क्या ब्लैकलिस्ट करने का विचार रखते हैं?

(12.00 बजे)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप शिकायत देंगी तो मैं उसकी जांच करवा दूंगा। शिकायत आप दे दीजिये, उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: जांच करवा देंगे। दोनों ही साथ हो गया, जांच भी हो जायेगी और प्रश्न काल भी समाप्त।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): धन्यवाद, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्षः स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय बाड़मेर में राजस्थान आवासन मण्डल की प्रस्तावित हाउसिंग कालोनी के लिए अभी तक भूमि अवाप्त नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में छोटे बच्चों से श्रमिक का काम लेकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर रोक लगाने हेतु सख्त कानून बनाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा डेयरी द्वारा पशुपालकों को अनुदान पर कुट्टी मशीन देने के लिए क्रय हेतु निकाली गई निविदा में घोर अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

आप हाथ यूं ही मत कीजिये। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। हां, तो ये हैं। मैं आपके सामने इसीलिए पढ़ रहा हूं। धीरे-धीरे पढ़ रहा हूं। आपको समझ में भी तो आए कि स्थगन प्रस्ताव कैसे आये।

(4) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत के पांच दर्जन से अधिक गांवों में पेयजल योजनाओं का रखरखाव व संचालन सही नहीं होने से पेयजल का संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विकास अधिकारी, ए सी एम, अध्यापकों, आदि के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल की भारी समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर सहित पूरे प्रदेश में पीने के पानी की भारी किल्लत के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सोना देवी, सदस्या की ओर से रायसिंहनगर के रोडवेज बस स्टैण्ड को नगरपालिका प्रशासन द्वारा तीन किलोमीटर दूर सूनसान स्थान पर ले जाने की योजना के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल में अधूरा कार्य छोड़ देने वाले ठेकेदारों के स्थान पर दूसरे ठेकेदारों को बढ़ी हुई दरों पर ठेका देने के कारण आवासों की कीमत में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नौ स्थगन प्रस्ताव हैं। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज -शाहबाद में बंगाली जाति के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र देने, खातेदारी अधिकार देने एवं बी पी एल सूची में नाम जोड़ने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता कटारा, सदस्या की ओर से जिला डूंगरपुर का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से जिला झुंझुनूं के ग्राम बुड़ाना में आई टी आई खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(4) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से गृह रक्षा के अधीनस्थ सेवा स्थायी स्टाफ के वेतन, मैस व अन्य भत्तों की विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कृष्ण कड़वा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया में हथियार लाइसेंस जारी करने की अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने तथा अघोषित पाबंदी को हटाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, खातौली द्वारा लिये जा रहे पानी की कम कीमत देने से राजस्व की हो रही हानि के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर के रविन्द्र रंगमंच के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामचन्द्र, सदस्य की ओर से भवानीमण्डी की मगनभाई मार्केट कालोनी, वार्ड नं. 16 को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की पेयजल की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री धनसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा की माही परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित लिफ्ट स्कीमों को मूर्त रूप देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कतिपय विद्यालयों का भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 46 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नलिखित हैं:-

(1) श्री अर्जुन लाल जीनगर, मातृकुण्डिया बांध के नीचे के भाग में जलस्तर की कमी को देखते हुए मेजा फीडर पर चैंज से नहर निकालकर बनास को रिचार्ज करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखराम विश्नोई, पंचायत समिति रानीवाड़ा, जिला जालौर की अनुसूचित जाति की महिला प्रधान के कर्तव्यों के निर्वहन में बी डी ओ द्वारा कथित रूप से बाधा डालने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, विधान सभा क्षेत्र चौमूं के किसानों द्वारा बिजली वृद्धि के विरोध में आन्दोलन करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, जालौर जिले की सर्वोदय को-आपरेटिव व रिद्धि-सिद्धि को-आपरेटिव सोसायटियों द्वारा कथित रूप से अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

295। श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, पानी की बड़ी समस्या है, आपने उसको महत्व ही नहीं दिया। पानी के लिए हम बोल रहे हैं, और कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, जे जे वाई के कुओं का सारा कनेक्शन कट गया। आपने उसके पैसे भी नहीं जमा कराये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तीन बड़े-बड़े महत्वपूर्ण विधेयक हैं और दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिस्टेड हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: एक प्रस्ताव आया है, 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, क्या आपकी सहमति है?

(स्वीकृत)

295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जे जे वाई के कुओं के कनेक्शन कट गये। सरकार मूकदर्शक बैठी है। पैसे जमा नहीं करा रहे हैं। लोग प्यासे मर रहे हैं। आप उसको महत्व नहीं दे रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): श्रवण कुमारजी, आसन पैरों पर है। श्रवणजी, आसन पैरों पर है, बैठिये।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर, श्री अर्जुन लाल जीनगर। श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई। चिट के माध्यम से, श्री सुखरामजी विश्नोई। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। बैठ जाइये। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लोग प्यासे मर रहे हैं। गांवों में जाकर देखो हालत। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में नहीं है। हम गांवों के लोग हैं, गांवों में जाते हैं। आप जाकर देखिये, क्या हालत है कुओं के अन्दर। लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): टैंकर लाकर पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यह कौनसी संवेदनशील सरकार है जो राजस्थान के लोगों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

को पानी नहीं पिला पा रही है? (व्यवधान) आप हमारे हितों का संरक्षण कीजिये। हम जो स्थगन लगाते हैं, आप, अध्यक्ष महोदय, हमें स्थगन पर बोलने का मौका नहीं देते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों की समस्या का समाधान करो। जे जे वाई के कुओं के कनेक्शन काट दिये गये, पैसों के अभाव में। पानी के अभाव में लोग मर रहे हैं। पैसे जमा नहीं करा रही है सरकार। (व्यवधान) 12 महीने पहले कहा था कि पैसे जमा करायेंगे, आज तक पैसा जमा नहीं कराया। लोग प्यासे मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री अध्यक्ष: जब ये शांत हो जाएं, तब आप बोल लेना। (व्यवधान) समय की बरबादी कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव पढ़ लो पहले और मुझे समझा दो। ये आपके वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, इनसे कहलवा दो। ऐसे स्थगन प्रस्ताव होते हैं क्या? (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सुखरामजी। (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? कृपया शांत रहिये। अपने-अपने स्थान पर जाइये। यह क्या हो रहा है? (व्यवधान) आप शांत रहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

व्यवस्था

सदन में मंत्रीगण से बात करना मना है

श्री अध्यक्ष: अपने-अपने स्थान पर जाइये। आपकी सूचना के लिए, विधान सभा में सभी माननीय मंत्रियों को कक्ष अलाट किये हुए हैं। अगर मंत्रियों से आपको कोई भी चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, तो उनके कक्ष में जाइये। ऐसा मेरा निवेदन है। यहां पर बात करना मना है मंत्रियों से। (व्यवधान)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रानीवाड़ा की महिला प्रधान के कर्तव्यों के निर्वहन में बी डी ओ द्वारा बाधा

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले की रानीवाड़ा पंचायत समिति की प्रधान एस सी रमिला मेघवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। सब बैठ जाओ। हां, बोलिये, सुखरामजी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, रानीवाड़ा में अभी जो पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं, रानीवाड़ा से मेघवाल जाति की, एस सी की रमिला मेघवाल प्रधान चुनी गई। वहां कुन्दन लाल दवे बी डी ओ लगा हुआ है।

उस बी डी ओ ने, रानीवाड़ा में एक पशु मेला लगता है, उस पशु मेले के लिए, उद्‌घाटन के लिए, समापन के लिए, मेले की पूरी व्यवस्था के लिए, उस बी डी ओ ने प्रधान और उस लोकल बाडी को बिना विश्वास में लिए हुए, बिना मीटिंग बुलाए, न केवल मेले का आयोजन किया, बल्कि एज ए प्रधान की हैसियत से मेले का संचालन किया, मेले का उद्‌घाटन कार्यक्रम किया, मेले का समापन कार्यक्रम चलाया।

(12.10 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, उस एस.सी. महिला प्रधान को केवल मात्र इसलिए नहीं पूछा गया और इसलिए मीटिंग नहीं बुलाई गई कि वह कांग्रेस की प्रधान थी। पूरे जिले में एक ही कांग्रेस की प्रधान आई। वह क्यों आई? इसलिए एस.सी. महिला को, जान-बूझकर उसके पद के उपयोग को रोकने के लिए ऐसे बी डी ओ को लगाया गया है।

ऐसे बी डी ओ को लगाने के बाद, जब उस प्रधान ने उसको पत्र लिखकर के पूछा कि जब मेले का संचालन आप कर रहे हो, उद्‌घाटन आप करवा रहे हो, समापन आप करवा रहे, पूरी गतिविधियां एज ए प्रधान की हैसियत से कर रहे। तब, माननीय सभापति महोदय, उस बी डी ओ ने उस प्रधान को पत्र लिखा और पत्र में यह हवाला दिया कि मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा समापन समारोह में, कार्यक्रम में जो अतिथियों को बुलाया गया...; मतलब, यह प्रधान को जवाब दे रहा है कि मैंने जो अतिथियों को बुलाया है, प्रधान ने नहीं बुलाया है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

मानसीय सभापति महोदय, लोकल बाडी अपने आप में स्वतंत्र है। जो 1994 का पंचायत एक्ट बना है, पंचायत बाडी स्वतंत्र है, पंचायत समिति स्वतंत्र है, जिला परिषद स्वतंत्र है। स्वतंत्र लोकल बाडी होते हुए, केवल मात्र कांग्रेस का प्रधान होने के कारण, एक एस.सी. महिला होने के कारण, उसे प्रताड़ित करने के लिए कि यह इस्तीफा देकर के भाग जाए, इस तरह से कार्यक्रम चलाया जाए। इसके पीछे एक षड्यंत्र है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में जो लैटर उसने लिखा है, उस लैटर की जो भाषा है, चूंकि यह कार्यक्रम पंचायत समिति रानीवाड़ा द्वारा आयोजित कार्यक्रम है तथा इस कार्यक्रम में आपके सक्रिय सहयोग चाह रहे है..., यह बी डी ओ लैटर लिख रहा है उस प्रधान को, केवल मात्र आपका सहयोग तथा आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। आप हाजिर रहें। बाकी आपको कुछ नहीं करना है।

माननीय सभापति महोदय, जो पंचायत एक्ट बना हुआ है और उस पंचायत एक्ट, 1994 की धारा-33 के अन्दर यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी विकास अधिकारी पंचायत समिति, लोकल बाडी, बिना उसकी आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकता है। मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और मीटिंग में जो निर्णय पारित हो, उसी अनुसार मेहमानों को बुलाया जाए, उसी के अनुसार पूरी पंचायत समिति का संचालन हो। परन्तु इस तरह से एक एस.सी. महिला की आवाज को दबाया जा रहा है, उसके अधिकारों को कुचला जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसी पंचायत एक्ट के अन्दर सेक्शन-35 खण्ड (4)(ड़) में मेले लगाने का प्रावधान किया गया है। उस मेले में उसकी जो देखरेख है, उसका जो संचालन है, लोकल बाडी करेगी; जो पंचायत समिति की बाडी है वह करेगी। परन्तु पंचायत समिति रानीवाड़ा में इन पूरी बातों को और जो पंचायत एक्ट बना है, उस एक्ट को एक तरफ रखकर के केवल मात्र मनमर्जी के आधार काम हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें, कृपया। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, आपस में बात न करें, प्लीज। कृपया। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, वही बात पुनः दोहराई जा रही है सदन में। कृपया आप अपने स्थान पर जाएं, बात नहीं करें आपस में।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, उस प्रधान ने जो पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि मेले में, मेले के

(श्री सुखराम विश्नोई)

आयोजन में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं हेतु गठित कमेटियों के बारे में क्या आपने मेरे सलाह-मशविरा, मतलब न तो कमेटी की मीटिंग बुलाई और न ही सलाह-मशविरा किया। मेरे द्वारा 28.3.2015 को अतिथियों को आमंत्रित करने हेतु आपको पत्र लिखा गया था, जिस पर आपने अतिथियों को तय हुई बात पर तारीख बदल दी तथा अपने आधार पर कार्यक्रम तय किया गया। नोट-शीट आगे नहीं बढ़ाई गई। कुछ मेरे को पूछा नहीं गया। आगे उन्होंने लिखा है, जबकि इस बार आपने मेरी बिना अनुमति के मुझ आयोजक को ही विशिष्ट अतिथि बनाकर के कार्यक्रम किया। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उसके बाद में यह जो मेले के समापन समारोह का पत्र प्रकाशित किया, उस समापन समारोह में उस प्रधान की बिना सहमति के, बिना प्रधान की राय लिए हुए, उसको विशिष्ट अतिथि बनाया गया। वह तो खुद बुलाने वाली प्रधान है, उसको केवल मात्र विशिष्ट अतिथि बनाकर के रख दिया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस के प्रधान पूरे प्रदेश में जीते हैं, क्या इसी तरह से, जिस तरीके से रानीवाड़ा में प्रधान के खिलाफ व्यवहार हो रहा है, क्या पूरे प्रदेश में इसी तरह का व्यवहार हो रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएं। अब आप विराजिए, माननीय सदस्य, आपने कह दिया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, क्या जिस तरह से रानीवाड़ा में रानीवाड़ा-प्रधान कांग्रेस की होने के कारण जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अधिकारों के उपयोग में रुकावट डाली जा रही है, या पूरे प्रदेश में जहां कांग्रेस के प्रधान हैं, यह स्थिति अपनाई जा रही है? अभी जो मास्टरों की नियुक्ति हुई, उनमें प्रधानों की राय नहीं ली गई है।

माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस विषय की एक कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए। जांच में दोषी पाये जाने पर उस पर कार्यवाही की जाए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, सांचौर से आने

(श्री नारायण सिंह देवल)

वाले माननीय सदस्य, ये बिलकुल तथ्यहीन और मिथ्या बात कर रहे हैं। प्रधान ने यह कहा है कि मैं इसमें होस्ट रहूंगी। सारे जितने भी रजिस्टर हैं, उनमें उनके सिग्नेचर हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप मंत्री थोड़े ही हैं। आप कोई मंत्री थोड़े ही हैं। ये मंत्री हैं क्या?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): इनाम की जो कमेटी बनी, उसमें सिग्नेचर हैं। इनाम उन्होंने बांटे। अख़बार के अन्दर यह फोटो आया है। ये विधायक बिलकुल मिथ्या बातें कर, सदन को गुमराह करके ये बातें कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं तो जांच की बात कर रहा हूं। गुमराह कहां कर रहा हूं?

श्री सभापति: अब आप विराजें। प्लीज, आप भी बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रधान और बी डी ओ के बारे में सदन में चर्चा की है और जो बात बताई, मेरा माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन है कि बी डी ओ के भी अधिकार और कर्तव्य नियमों में दिये हुए हैं और प्रधान के भी अधिकार और कर्तव्य नियमों में दिए हुए हैं। तकरार वहां होती है जहां एक दूसरे पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जाती है। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ जैसाकि आप बता रहे हैं कि मेले के उद्‌घाटन के सम्बन्ध में इनके आपस में तकरार हुई। तो उस तकरार के सम्बन्ध में एक शिकायत...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...(व्यवधान) उद्‌घाटन या समापन पर कहीं नहीं पूछते हैं ना, मतलब? मेले का मामला थोड़े ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिये। आप भी विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आ रहा है, कृपया, माननीय सदस्य, इंटरप्ट नहीं करें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रधान महोदया ने उस प्रकरण के सम्बन्ध में एक शिकायत जिला कलक्टर महोदय को पेश की। जिला कलक्टर महोदय ने ए सी ओ और कोषाधिकारी, इनका संयुक्त जांच दल बनाकर के जांच कमेटी बैठा दी। उस

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी, जिसकी भी गलती होगी, चाहे प्रधान की हो, चाहे बी डी ओ की हो, उनके ऊपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

मातृकुण्डिया बांध के नीचे जलस्तर की कमी को देखते हुए बनास के रिचार्ज की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मातृकुंडिया सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। उस तीर्थ के ऊपर आज से लगभग 35-40 साल पहले मातृकुंडिया नाम से एक बांध बनाया गया। उसकी भराव क्षमता 1189 एम सी एफ टी थी। वह बांध लगभग-लगभग कई वर्षों तक भरा, कई वर्षों तक आधा भरा, कई वर्षों तक नहीं भरा। ऐसी स्थिति उस मातृकुंडिया बांध की है।

यह मातृकुंडिया बांध इसलिए बनाया गया कि भीलवाड़ा के अन्दर पेयजल की समस्या थी। उस पेयजल की समस्या के समाधान के लिए मेजा के अन्दर बांध था। उस बांध की लागत थी 1 करोड़ रुपया। उस बांध को भरने के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से मातृकुंडिया में बांध बनाकर के 54 किलोमीटर लम्बी फीडर बनाकर के मेजा बांध को भरने का काम किया। जब यह बांध बना, तब क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, कितने गांव इससे प्रभावित होंगे, कितने लोगों की ज़मीनें डूबेंगी, कितने लोगों के पेयजल के लिए कुएं रिचार्ज नहीं होंगे, कितने लोगों को क्या नुकसान होने वाला है, किसी चीज का ध्यान नहीं रखा और यह स्कीम बनाई। तब से जाकर आज भी इस क्षेत्र के लोग इस बात से दुःखी हैं कि हमारे पेयजल का ध्यान नहीं रखा गया। इस बनास नदी से, जो उस क्षेत्र की लाइफलाइन है, बनास नदी जो मेवाड़ की गंगा कहलाती है, उस पर डैम बन गया। डैम बनने से कोई नाराज नहीं है, लेकिन नीचे के जलस्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए था।

मैंने उस समय जब मैं पहली बार चुन कर के आया था 1993 में, तब मैंने 1994-95 में तत्कालीन शेखावत साहब की सरकार में हमारे तत्कालीन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सिंचाई मंत्री थे देवीसिंहजी भाटी, उस समय मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था और उस ध्यानाकर्षण के समय मुझे आश्वासन दिया गया था कि इस बांध के भरने के बाद सबसे पहले बनास नदी के नीचे के हिस्से को रिचार्ज करने के लिए मैं आश्वस्त करता हूं और जितने भी गांव हैं, वह नदी रिचार्ज हो जाएगी और रिचार्ज होने के बाद पेयजल का संकट खतम हो जाएगा और सिंचाई का संकट भी खतम हो जाएगा। लेकिन जब-जब भी यह बांध आधा भरा, तब नदी में पानी नहीं छोड़ा गया। छोड़े भी कैसे, जब बांध के गेट तक ही पानी नहीं आया उस समय मैंने यह कहा था कि जब भी यह नहर चले, मेजा फीडर में नहर जाए, तब इसके किनारे-किनारे जितने भी छोटे-बड़े नदी-नाले हैं, तालाब हैं, उसमें आकोड़िया है, कर्जिया है, ऊंचिया है, इनको धीरे-धीरे उनसे भरा जाए और किसान भी जिस समय नहर चले उस समय साइफन सिस्टम से पानी लेकर खेती कर सके। उस सरकार के तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त किया था कि ये तुम्हारी जो मांगें हैं, मान ली जाएगी और बनास नदी के अन्दर पचास एम सी एफ टी पानी, चाहे बांध कम भरे, तो भी हम रिचार्ज करेंगे। लेकिन दुःख इस बात का है कि इतने वर्षों के बाद भी जब बांध आधा भरता है तो मेरा यह निवेदन है कि जब बांध आधा भरे उस समय मेजा फीडर की जीरो नम्बर चैन पर एक कट लगा कर सौ मीटर की एक नहर बना कर के बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए उससे फीड करके उसमें पानी छोड़ दिया जाए, ताकि बनास नदी भर जाए, मातृकुंडिया का डैम भर जाए। ऐसी स्थिति करने के लिए मैंने पहले निवेदन किया था, वह स्कीम आज भी विभाग के पास पड़ी हुई है लेकिन ध्यान नहीं रखा गया।

मेरा निवेदन यह भी है, मंत्री महोदय, आज नदी बेसिन के ऊपर एक बिल भी आ रहा है, माननीय मंत्री महोदय उस पर भी जवाब देंगे, मैं चाहता हूं कि इस पर भी जवाब दें। मेरा एक ही निवेदन है, जब-जब भी कोई भी परियोजना बने सिंचाई की, तब-तब यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो वर्ग संघर्ष होगा, किसानों के अन्दर लड़ाई-झगड़े होंगे। जहां-जहां पर भी बांध बन रहे हैं, वहां के लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, पेयजल की समस्या का ध्यान नहीं रखते हैं और लोग दुःखी होकर के विस्थापित होकर के दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है, जब भी पेयजल योजनाएं इस प्रकार की बनायें तब इन बातों का ध्यान रखा जाए।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक निवेदन और। इस बांध के पास में लगभग पचास किलोमीटर दूर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा का एक कारखाना है जो जिंक उत्पादन करता है। मातृकुंडिया से, इस बांध से 213 एम सी एफ टी पानी हिन्दुस्तान जिंक हर साल ले जाता है और उसके बदले में हमको देता है, सिंचाई विभाग को आय के नाम पर, मात्र 43 लाख रुपये। अब 43 लाख रुपये में 213 एम सी एफ टी पानी लेकर के जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही कम राशि है। नया एग्रीमेंट करके सरकार की इससे आय बढ़ाई जाए।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जब मातृकुंडिया से पानी ले जा रहा है और इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, तो तीर्थ स्थल के डवलपमेंट के लिए, अन्य कोई भी कम्पनियां जहां-जहां पर भी बसी हैं, सी एस आर मद से उन स्थानों के डवलपमेंट पर कुछ पैसा खर्च करती हैं, लेकिन हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा ने मातृकुंडिया के विकास के लिए आज तक एक रुपया सी एस आर मद से डवलपमेंट में खर्च नहीं किया है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सी एस आर मद से वहां के विकास में पैसा खर्च करें और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर कोई न कोई आश्वासन दें कि देवीसिंहजी भाटी ने जो हमको आश्वासन दिया था, और वह रिकार्ड में है, उस हिसाब से हमारी बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए मेजा फीडर की चेन नम्बर जीरो पर एक कट लगाकर, नयी नहर बनाकर के, सौ मीटर की इस बनास को रिचार्ज करने का आश्वासन दें। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्रीजी हैं ही नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्रीजी हैं, साहब।

श्री सभापति: मैं बाध्य नहीं कर सकता किसी मंत्री को। आपने अपनी बात कह दी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हम भी बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं। आसन से निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: कृपया स्थान ग्रहण करें। आ गये मंत्रीजी। आप विराजें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो फरमाया कि मेजा फीडर से कट लगाकर के और नदी के पेटे को रिचार्ज करने के लिए वहां से पानी दिया जाए, तो इसके लिए मैं एक कमेटी गठित करूंगा एडिश्नल चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में और इसकी टेक्निकल और हाइड्रोलाजिकल सर्वे करवाकर के, अगर फीजिबल होगा तो इनकी बात को पूरा किया जाएगा। जहां तक आश्वासन की बात है, तो वह भी अगर मुझे दिखा देंगे, तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्रीजी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री राम लाल शर्मा।

चौमूं के किसानों द्वारा बिजली बिल वृद्धि के विरोध में आन्दोलन

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी की गई है...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया बात न करें। माननीय सदस्य, इनको रोकिये आप। प्लीज। अभी अध्यक्षजी ने कहा, अध्यक्षजी ने दिशा-निर्देश दिये, कृपया उनका पांच मिनट तक तो ध्यान रखें। आप पांच मिनट के बाद ही उसको फ्लाउट कर रहे हैं।

रामलाल जी शर्मा, please continue.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आप इनको लताड़ पिलाएं जो अनुशासन बिगाड़ रहे हैं। क्या लगा रखा है? सब्जी मंडी है क्या?

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उसके बाद लगभग पन्द्रह दिन से मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं के किसान, जिनमें खेजरोली, कालाडेरा, गोविन्दगढ़ और सामोद और चौमूं के अन्दर भी आंदोलित हैं, जगह-जगह धरना-प्रदर्शन, रैली निकाल रहे हैं। सभापति महोदय, प्राकृतिक मार वे किसान झेल चुके हैं और जिस प्रकार से माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने उदारतापूर्वक पूरे राजस्थान में चार महीने के बिजली के बिल माफ किये हैं, उसी प्रकार से जयपुर जिले के भी चार माह के बिजली के बिलों को माफ करना नितान्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, मेरे जिले में सबसे अधिक अगर पैदावार होती है तो

(श्री रामलाल शर्मा)

वह सब्जी की पैदावार होती है और सब्जी की पैदावार के अन्दर तो थोड़ी-सी बारिश के अन्दर ही फसलों का काफी नुकसान हो जाता है और वह ही स्थिति आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनी हुई है। जयपुर जिले में जो सब्जी की सबसे अधिक पैदावार होती थी, वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। किसानों के बीज के पैसे व्यर्थ चले गये, खाद के पैसे व्यर्थ चले गये और जो उधार लेकर आये थे, उनको चुकाना भी, सभापति महोदय, बहुत मुश्किल है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आगामी चार महीनों के किसानों के बिजली के बिलों को माफ करें और किसान जो आंदोलित हैं, उनको सरकार के माध्यम से बातचीत करके और उस समस्या का वे समाधान कराने का काम करें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा। आज जिस तरीके से किसानों ने एकजुट होकर बिजली के बिल जमा कराने की तिथि तीन बार डिक्लेयर की और तीनों बार ही किसानों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराये। अब जिस किसी गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है तो अब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने का काम भी बंद कर दिया। पूरे के पूरे कई गांव ऐसे हैं जो अंधेरे में अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जिस प्रकार से विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, अगर उपभोक्ता के द्वारा मीटर जलने की सूचना देने के बावजूद भी, लिखित में सूचना दी, सूचना के बाद मीटर के जलने का पैसा जमा कराने के बावजूद भी उनकी गलत तरीके से वी सी आर भरी गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि तत्काल ऐसी वी सी आर, जो सूचना देने के बाद में, बिजली के पैसे जमा कराने के बावजूद, जो वी सी आर भरी गई है, उनको सरकार तत्काल निरस्त करने का काम करे।

सभापति महोदय, एक बिजली की गम्भीर समस्या है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि पी एच ई डी का कुछ पैसा बिजली विभाग के अन्दर बिलों का बकाया है, लेकिन, सभापति महोदय, सरकार का पैसा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, उसमें समय जरूर लग सकता है लेकिन पी एच ई डी के कनेक्शनों को भी बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। गांवों में पेयजल का एक बहुत गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे पी एच ई डी

(श्री रामलाल शर्मा)

के कनेक्शन जो बिजली विभाग ने काटे हैं, कृपया करके उन कनेक्शंस को पुन: जोड़ने का काम करें, ताकि आम जन को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, एक जिस तरीके से उपभोक्ता प्रति वर्ष हर माह पैसे जमा कराने का काम करता है, बिल के अन्दर बारह महीने तक वह पैसे जमा कराता है, एक भी बिल उसका ड्यू नहीं है, लेकिन इनके विभाग के द्वारा जिस तरीके से वर्ष के अंत के अन्दर एक पूरा का पूरा बिजली के कंजम्पशन का बिल लेकर और उपभोक्ता को दिया जाता है और उस बिल की राशि, जहां दो माह से उसके 1,500-2,000 रुपये का बिल आता था, बारह महीने के बाद में उसकी राशि, एक साथ बारह-तेरह हजार रुपये के बिल आ रहे हैं। उस बिल के अन्दर भी, या तो उन बिलों को दुरुस्त करने का काम करें, या इस बारह हजार रुपये को एक साथ जमा नहीं करा सकता, उनकी क़िश्तें करा कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने का काम करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से एक आग्रह और करूंगा कि जिस तरीके से सिविल लाइबिलिटी के अन्दर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक उदारतापूर्वक घोषणा की है, मैं उस चीज का स्वागत करता हूं, लेकिन आने वाले समय में जो किसान पैसे जमा करा चुके, उनको भी समायोजित करने का काम करें, ताकि उनको एक राहत मिल सके।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश की प्राकृतिक रूप से फसलें चौपट हुई हैं, फसलों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की किसान को भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिन जिलों में बिजली का कंजम्पशन बहुत अधिक होता है और ईमानदारी से उपभोक्ता उस बिजली के बिल को जमा कराने का काम करते हैं, कम से कम मंत्री महोदय उन जिलों में उदारतापूर्वक चार माह के जो बिजली के बिल हैं, उनको माफ करने की घोषणा करें। मेरे क्षेत्र में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनसे एक बार परस्पर रूप से वार्ता करके इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से कालाडेरा में आपके जी एस एस को घेर कर तोड़-फोड़ की स्थिति बनी है, आने वाले समय में ला एंड आर्डर न बन सके। जिस तरह से किसान आंदोलित हैं, उनसे एक वार्ता शुरू करके, किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। दोनों एडजोइनिंग हैं। (व्यवधान) किसान बड़े आंदोलित हो रहे हैं। बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मंत्री महोदय से उत्तर तो दिलवाइए।

श्री सभापति: मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। माननीय सदस्य, मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। मंत्री महोदय अगर स्वयं रेस्पोंड करना चाहें, यह उनकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली के बारे में बात कही।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने चार महीने की बिजली की छूट की है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पडेगा। (व्यवधान) करीबन एक साल के लिए बिजली के बिल माफ किये जायें। जो घरेलू बिजली वाले हैं, वे भी किसान हैं, वह अपने घर पर लाइट जला रहा है; आपने कृषि का माफ किया है, जो घर पर लाइट जला रहा है, उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मंत्रीजी, आप उसका जवाब दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

जालौर की सर्वोदय और रिद्धि-सिद्धि कोआपरेटिव सोसायटीज द्वारा अनियमितताएं

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, आज इस हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के भी राजस्थान में एक सामाजिक परम्परा है, पारिवारिक परम्परा, जिसके कारण से एक दूसरे परिवार को समझने की मन:स्थिति पैदा होती है; परिवारों में बचत करने की एक आदत है जिसके कारण आज अमरीका जैसा इतना बड़ा देश आर्थिक मंदी के कारण छटपटा गया लेकिन हिन्दुस्तान में इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि यहां के लोगों की बचत करने की जो आदत है, स्वभाव है, वह बहुत ही बढ़िया है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जैसे-जैसे समय बदलता है, आर्थिक क्राइम भी खड़े होते हैं। निश्चित रूप से गृह विभाग भी इस मामले में सोचता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गांवों में छोटे-छोटे गरीबों के, चाहे वह नरेगा में काम करने वाला हो, चाहे वह कमठा का मजदूर हो, चाहे वह छोटी-मोटी मजदूरी करने वाला बंदा हो, या छोटा किसान हो, रोज अगर उसको 300 रुपये मिलते हैं तो उसमें से 50 रुपये, 100 रुपये अल्प बचत के नाम पर गांव में कोई क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच खुलती है, उसको ब्याज का लोभ दिया जाता है और वह पैसे की बचत करता है। सभापति महोदय, वह बचत करने वाला अपने परिवार का पेट काटकर 10-20-50 हजार की बचत करता है और दो, चार महीने, साल, दो साल में उसको यह मालूम होता है कि क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडलों ने बहुत बड़ा घपला किया, तो उसके ऊपर एकदम पहाड़ टूट जाता है। उसके घर में बच्चों की सुविधाओं को काट कर जो पैसा उन्होंने अल्प बचत के नाम पर इकट्ठा किया है, उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होता है।

श्री सभापति: काइंडली मुद्दे पर आयें, पाइंट पर आयें, माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं वही कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत मार्मिक मुद्दा है। ये छोटे-छोटे क्राइम छोटी-छोटी जगहों पर होते हैं। मैं राजस्थान के जालौर जिले की बात कर रहा हूं। जालौर जिले से पहले उदयपुर में भी एक ऐसा घपला क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी ने 100-200 करोड़ का किया था। माननीय सभापति महोदय, जालौर जिले में सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी और रिद्धि-सिद्धि क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी; सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लगभग साढ़े 9 करोड़ की छोटे-छोटे गांवों में, गुढ़ा, बालोतान और सेदडिया ऐसे छोटे-छोटे गांव जो पंचायत लेवल के गांव हैं, वहां से 25-25 लाख रुपये की जमाबंदी की गई और ऐसे साढ़े 9 करोड़ रुपये की जमाबंदी करने के बाद अब वह सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी का संचालक मंडल..., सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं तो बड़ा आश्चर्य होगा, उसके संचालक मंडल के चेयरमैन और सी ई ओ, 16 मेम्बर उस बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के हैं, 16 में से 9 एक ही परिवार के, और सी ई ओ कौन, 8वीं पास; चेयरमैन कौन, 7वीं पास। उनका यही है कि वे ऐसे पैसे को इकट्ठा करके जमीनों में लगाकर भू-माफिया

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लोग तैयार हो गये। बाद में कोई जमीन के भाव गिर गये तो संचालक मंडल आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करते-करते, वह उसके ऊपर केस करता है, वह उसके ऊपर केस करता है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें उस गांव के मजदूर का क्या दोष है? क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी का, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें उस गांव के मजदूर ने अगर अपना पेट काट-काट कर 50 हजार रुपये जमा कराये और आज हुआ यह, सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी में साढ़े 9 करोड़ के सामने साढ़े 10 करोड़ के ऋण दिये हुए हैं, और ऋण भी कैसे, डेढ़ करोड़ अपने मैनेजर के रिश्तेदार के पास और बाकी सारा का सारा चेयरमैन ने अपने परिवार के लोगों के साथ में दिया। सभापति महोदय, दूसरी बात, यह चेयरमैन और टीम के लोग हैं वे गुजरात बेस के लोग हैं, उनमें से 10 मेम्बर गुजरात के हैं।

एफ आई आर दर्ज हुई 2014 में। जो जमाकर्ता हैं, अल्प बचतकर्ता हैं वे लोग इकट्ठे हुए कि हमारा पैसा लाओ। संचालक मंडल ने हाथ खडे कर दिये; वह उसके ऊपर दोष करने लगा। ऐसे करके रानीवाडा थाना, आहोर थाना, जालोर में उन्होंने केस दर्ज किये। अनियमितताएं पाई गईं, ए आर ने जांच की कि इसमें अनियमितताएं हैं। हमने यह कहा, सारे अल्प बचतकर्ता गये, उन्होंने कलक्टर महोदय से कहा कि इनकी प्रोपर्टी तो सीज करो। माननीय सभापति महोदय, यह बात करते-करते एक साल निकल गया और वह प्रोपर्टी जब्त नहीं की और उन्होंने आधी प्रोपर्टी तो बेच दी, मोरगेज-कर्ता के हिसाब से वह प्रोपर्टी बेच दी। अब उनका पैसा कौन चुकायेगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस प्रकार की क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटियों का संचालक मंडल का जो रजिस्ट्रेशन होता है, कम से कम उनका करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस थाने के द्वारा आ जाये कि ये कैसे लोग हैं और तहसीलदार के द्वारा उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मंगवा दीजिए। वे कहां के हैं, क्या हैं, आज आपके पास कोई अता-पता नहीं है।

पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे 6 महीने तक यह कहते रहे कि वह मेम्बर गुजरात बैठा है, वह वहां बैठा है। उन जमा करने वालों का क्या दोष है? उनके पैसों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दोगे आप लोग?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। जैसे यह सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी में ऋण पास करने वाली कमेटी के सदस्य बनाये, वे रामकंवर और रतनसिंह। रतनसिंह 8वीं पास, रामकंवर 7वीं पास, और वह ऋण कमेटी बनी, वे ऋण देंगे। यह कैसा तरीका है।

माननीय सभापति महोदय, आज 30 ब्रांचों के माध्यम से यह 10-12 करोड़ का जो घपला हुआ है, उसकी कम से कम जांच हम करवाएं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, आपका सी ओ या सी आई यह कहता है कि वह वहां है, वहां कौन जायेगा? आज उन गरीबों पर क्या बीत रही है। एक गांव के 50-50, 60-60 लाख रुपये दिये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में इतना ही कहूंगा कि यह क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी पूरे राजस्थान में जहां भी आप रजिस्टर्ड करते हो, उनकी जो ब्रांच खोलते हैं, जब तक ब्रांच की व्यवस्था सही नहीं पाई जाये, डिपार्टमेंट उसको जस्टिफाई नहीं करें, तब तक उसकी नई ब्रांच खोलने की आप परमिशन मत दो। आपके पास इस प्रकार का केस आने के बाद उसकी जल्दी से जल्दी, आपका विभाग और गृह विभाग, इन दोनों का सामंजस्य बैठाकर आप उस गांव के गरीब को न्याय कैसे दिलवायेंगे, उनकी जमा राशि को वापस कैसे दिलवायेंगे, क्रेडिट कोआपरेटिव के संचालक लोग हैं, या मण्डल के माफिया लोग हैं, उन पर आप अपनी लगाम कैसे कसोगे, आप उनकी कमर कैसे पकड़ोगे, यह बात बताएं।

श्री सभापति: धन्यवाद। थैंक यू।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आप लोगों की कार्यवाही से सैकड़ों गरीबों का बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी, आप रेस्पोंड कर रहे हैं? देखिये, सीनियर मंत्री कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, विषय गम्भीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार की जो सोसाइटी बनती है वह अपने लुभावने प्रचार-प्रसार के माध्यम से कामन आदमी से पैसा इकट्ठा करती है। हमारा विभाग तो तभी एक्शन में आता है जब कोई हमसे शिकायत करता है। उसके साथ कोई चीटिंग हो गई, उसके साथ कुछ हो गया, तब हमारा विभाग इसमें अपनी कार्यवाही शुरू करता है। हमारे पास आपकी शिकायत सर्वोदय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्रेडिट सोसाइटी की आई है, उसके अगेंस्ट में 9 मुकदमे दर्ज किये हैं। जहां-जहां भी हमको, 8.7.2014 को हमने आहौर में दर्ज किया; फिर 4.2.2015 को रानीवाड़ा में एक मुकदमा दर्ज किया 22 नम्बर का; फिर 113 का मुकदमा 7.6.2014 को फिर हमने रानीवाड़ा में दर्ज किया। फिर 125/41 फिर हमने रानीवाड़ा में दर्ज किया। ऐसे करके हमने सर्वोदय सोसाइटी है; जिसने इस प्रकार की चीटिंग की, उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज करके हमारी कार्यवाही कर रहे हैं।

इसी तरह से आपने उदयपुर का रेफरेंस का दिया, उसमें भी पुलिस ने कार्यवाही की और कार्यवाही करके उनको गिरफ्तार भी किया और उनकी प्रोपर्टी, जो सीज कर सकते हैं, वह भी सीज किया। लेकिन यहां अभी अनुसंधानधीन है। अभी एकदम इसमें नहीं है।

इसी तरह से आपने रिद्धि-सिद्धि क्रेडिट सोसाइटी के बारे में भी बताया। उस पर भी हम 65/15, 420, 406 और 120 का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं।

पुलिस निश्चित रूप से इन सारे मुकदमों की कार्यवाही करके, निश्चित रूप से जिनका दोष बनता है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे; उनकी प्रोपर्टी को सीज करने के लिए भी हमको जिस प्रोसेस से आगे बढ़ना है वह हम निश्चित रूप से करेंगे।

मैं सोचता हूं कि इसमें अधिक बात कोआपरेटिव मंत्री ही बता सकेंगे। मेरे पास जो शिकायतें आई हैं उनका मुकदमा दर्ज करके हमने कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सभापतिजी, अभी माननीय सदस्य ने जालौर जिले की सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव व रिद्धि-सिद्धि कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा कथित रूप से अनियमितता के सम्बन्ध में... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हालात ये हैं, वहां भी लोगों ने आत्महत्याएं कीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सभापतिजी, विषय गम्भीर है और विभाग के ध्यान में आने के बाद सर्वोदय कोआपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, जालौर के द्वारा

(श्री अजय सिंह)

इसमें जांच करवाई जा रही है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए 30 मार्च को ही विभाग ने आदेश दिये हैं और 9 निरीक्षकों को सिर्फ इसकी जांच के लिए, सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी की जांच के लिए लगाया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही नियत समय सीमा में इसकी पूरी जांच करा ली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वोदय क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी का संचालक मण्डल है, इन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा का ऋण प्राप्त करके बैंक को ओवर-ड्यू कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस 55 की जांच के साथ-साथ राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 99 और 100 के तहत, इन्होंने जो भी सम्पत्ति मोरगेज की है, जो भी गिरवी रखी है, हम उसका भी शीघ्र ही अटैचमेंट कर लेंगे, उसकी सम्पत्ति को हम कुर्क कर देंगे।

इसके बाद आपने बताया कि नई ब्रांच नहीं खुलें, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में जो भी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी होती है, अगर सरकार की उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती है तो सरकार उसमें अपने स्तर से प्रशासक, आदि नियुक्त नहीं कर पाती है। इसके लिए हमने समय-समय पर, हमारे जो भी आफिसेज हैं, उनमें समय-समय पर अख़बार के द्वारा भी हम जानकारी देते हैं कि जो भी आम जन हैं वे अपनी सम्पत्ति को जब भी बैंक में जमा कराएं, किसी की हिस्सेदारी उसमें रखें, सहकारी समिति में, तो खुद भी इसकी जांच कर लें कि यह समिति क्या इसके लिए लायक है, कि नहीं है, यह आगे कर पाएगी, कि आगे नहीं कर पाएगी।

आपने बताया है कि आगे ब्रांच नहीं खुलें, इसको मैं दिखवा लूंगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसके सम्बन्ध में सभी जिले-वाइज अलग -अलग टीमें गठित करके, अलग से भी हम इसकी जांच करवा लेंगे, इस तरह की सोसाइटीज की।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय में भी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी की वितीय अनियमितता के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया है। मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है।

हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की कोआपरेटिव सोसाइटी, जो भी उनके पास जमा पूंजी है, उसका फ्राड तरीके से मिस्यूज नहीं कर पाएं,

(श्री अजय सिंह)
इसके लिए विभाग, हम अच्छी तरह से जांच करवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दो महीने के अन्दर जांच करवाकर इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही कर लेंगे।

श्री सभापति: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: अब आप विराजिए, मैंने मंत्रीजी को काल कर लिया है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना संख्या: एफ. 12(14)वित्त/कर/2015-1 दिनांक 1.4.2015, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 के अध्याय-11 के समस्त उपबंध दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होंगे;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2015-2 दिनांक 1.4.2015, जिसके द्वारा राजस्थान अवसंरचना विकास उपकर नियम, 2015 विरचित किये गये हैं; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2015-3 दिनांक 1.4.2015, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 की धारा 56 के अन्तर्गत माल, व्यवहारियों एवं उनके द्वारा देय उपकर की दर का निर्धारण किया गया है।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री नरपत सिंहजी राजवी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा रोगों के उपचार की मान्यता

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में राजस्थान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पारित हुआ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सिर्फ ध्यान आकर्षित करो, फिर मैं अपना...

श्री सभापति: आप पहले ध्यान आकर्षित कर दीजिए, इनका उत्तर आ जाएगा, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए। यही परम्परा रही है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मुर्गा इतना बड़ा है, हो ही नहीं सकता। नीचे वाला हाथ तो रखने दें। ध्यान आकर्षित करूंगा और उस एक्ट का नाम नहीं लूंगा तो ध्यान आकर्षित होगा नहीं।

श्री सभापति: हां, तो आप थोड़ा-सा ही, दो लाइन में कर दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास होने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से जो चिकित्सा की जाती है, उस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, whether it is a part of it or not, covered by it?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, वैशाली नगर से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ पूरा आकर्षित होते हुए ...(व्यवधान) विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ पूरा आकर्षित होते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा। निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 3.6.2011 के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने आवश्यक विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह अनुशंसा की कि इलेक्ट्रोपैथी एक पूर्णरूपेण औषधि, वनस्पति पर आधारित विद्या है किन्तु समिति की सम्मति में यह सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति नहीं है।

(12.47 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 5 मई, 2010 में भी स्पष्ट अंकित किया कि भारत सरकार ने जो उच्च स्तरीय समिति बनाई है, वह यह अनुशंसा करती है कि इलेक्ट्रोपैथी एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। अतः इलेक्ट्रोपैथी को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता नहीं है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि इस विद्या में कार्यरत व्यक्ति डा. शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। सिलेबस का निर्माण कोर्स संचालन करने वाली किसी भी विधि सम्मत विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होना भी प्रदर्शित नहीं किया गया। अतः भारत सरकार द्वारा आज दिनांक तक उक्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसी अनुरूप राज्य सरकार ने 12 मार्च, 2012 को एक आदेश जारी किया था।

सभापति महोदय, इस इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, इसको मान्यता दिये जाने के बाबत इसी 2 अप्रैल को मेरी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रोपैथी की पद्धति को राज्य की चिकित्सा कार्य हेतु वैधानिकता प्रदान किये जाने हेतु गुण-अवगुण के आधार पर विचार-विमर्श करके औचित्यपूर्ण प्रस्ताव हेतु कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। इस बाबत आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को जारी भी कर दिये गये हैं। समिति इलेक्ट्रोपैथी से सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा जारी आदेश, भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन और विचाराधीन प्रस्ताव एवं पूर्व में जारी किये गये आदेश, आदि समस्त तथ्यों का अध्ययन करेगी। उक्त समिति आगामी चार माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिये जाने के बाबत निर्णय समिति की रिपोर्ट व भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के उपरांत सम्भव होगा। अतः प्रस्ताव आग्रह किये जाने लायक नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने डिपार्टमेंट का जो स्टैण्ड था वह तो बता दिया। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दो चीजें आप अपने डिपार्टमेंट से पूछें। आयुर्वेदिक एक्ट, राजस्थान देशीय चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 1953 में पारित हुआ, अधिनियम संख्या-5, 4 मार्च, 1953 । भारत सरकार ने इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन एक्ट, 1975, 22 वर्ष बाद में पारित किया। राजस्थान होम्यापैथी एक्ट राजस्थान स्टेट में 1958 में पारित किया गया। सेण्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी एक्ट, 1973, वह लगभग 15 वर्ष बाद में पारित हुआ। तो यह राज्य हमेशा अग्रणी रहा है, ऐसी प्रोग्रेसिव पद्धति के सम्बन्ध में एक्ट बनाकर उस पद्धति को किस तरह से वर्णित किया जाए।

अभी तो आपके सामने दो ही चीजें आएंगी। अधिनियम बने, कब बने, कैसे बने, वह रूपरेखा तो अलग है। लेकिन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बाद में, अगर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, बोर्ड गठित नहीं हुआ है, इसलिए वह क्लिनिकल पार्ट तो आयेगा नहीं और आपका हैल्थ इंस्पेक्टर जाकर वह प्रैक्टिस रोकना चाहेगा। कम से कम विभाग को एक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

चीज तो स्पष्ट करनी होगी, whether they are covered under this Act or not? If they are not covered, कोई चिन्ता नहीं है, जब अधिनियम आयेगा तब हो जाएगा। वरना अधरझूल में रखने पर, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देना कभी भी विधान सभा की मंशा नहीं रही है। रूल्स आपके बन रहे हैं। तो जब तक अधिनियम नहीं बने, तब तक कम से कम इन प्रैक्टिशनर्स को छेड़ा तो नहीं जाए।

यहां पर बी.ई.ई.एम.एस. साढ़े सात वर्ष का पाठ्यक्रम है; बी.डी.एम.ई.एच. दो वर्ष का पाठ्यक्रम है; बी.ई.एम.एच. एक वर्ष का पाठ्यक्रम है; सी.ई.एच.पी. एक महीने का पाठ्यक्रम है। तो यह कोई इंडिविजुअल सिर्फ राजस्थान में ही चल रहा हो, वह बात नहीं है। आप रोकना भी चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश के बाद में आप रोक लेंगे क्या? उसके लिए भी आपको अलग से एक्ट लाना पड़ेगा, रोकने के लिए।

तो कम से कम इस पद्धति का अध्ययन कर लें। मैं तो निवेदन यह भी करूंगा कि आपने जो समिति बनाई, उस समिति के सम्बन्ध में लीगल आस्पेक्ट्स देखने के लिए अलग समिति गठित कर दें, चाहे आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल को ले लें, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिप्रजेंट कर रहा है, उनको ले लें। क्योंकि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो हलफनामा दिया है, उसमें यह शब्दावली क्लीयर है— "Thus, it may be seen that the issue relating to alternative system of medicines has already been considered and disposed of by the Hon'ble Supreme Court in process and the process of legislation is in progress. Till such time, the education and practice of alternative system of medicines, other than those already recognized is not barred." यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के अनुसार आदेश पारित किये हैं। तो आप रोक लोगे क्या? कम से कम आपको यह तो तय करना होगा, इस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, यह परिधि में आता है या नहीं आता है। परिधि में तब आयेगा, जब यह बोर्ड गठित हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आरम्भ हो जाएगा और अपना एक्ट बन जाएगा।

तो कम से कम तब तक इस चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिस करने वाले को कोई छेड़खानी नहीं करें, कोई रोकथाम नहीं करें, इस तरह की व्यवस्था ठीक रहेगी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट मैं भी इस विषय में बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो।

श्री सभापति: विराज जाओ। विराज जाओ। फिलहाल विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने सुना यह कि आपने कहा कि इजाजत है।

श्री सभापति: फिलहाल विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ठीक है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के जिस शपथ पत्र का जिक्र किया, वह अभी जनवरी, 2015 के अन्दर ही, जब इस पैथी को मान्यता दी जाए या मान्यता नहीं दी जाए, इसके बारे में एक रिट सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी, तो भारत सरकार का शपथ पत्र आया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि उस शपथ-पत्र में यह कहा गया कि हमने इस इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की मेडिकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं।

यह भी सही है, सभापति महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट के अन्दर 1998 में एक मामला गया। इसी मामले पर वर्ष 2000 के अन्दर भी सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर मामला गया। उन दोनों मामलों में समान रूप से एक प्रकार का केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को इस सन्दर्भ में इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की मान्यता दी जाए, इसकी प्रैक्टिस से रोगियों के उपचार करने की इनके लिए अधिकारिता हो या नहीं, इसके लिए कहा कि आप कानून बनाएं, इसका परीक्षण करें।

सभापति महोदय, मैंने जब इस पूरी पद्धति को देखा तो इस पद्धति का जिस प्रकार नाम है, लोग समझते हैं कि इसके अन्दर निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का कहीं कोई इनग्रेडिएंट होगा। यह पद्धति 100 प्रतिशत हर्बल पर आधारित है, यह कम खर्चीली भी है और इसका कोई साइड-इफेक्ट, बैड-इफेक्ट भी नहीं है। यह 1885 के अन्दर इटली के काउण्ट सीजर मेट्टी ने इसकी खोज की थी। यह एक तरह से आयुर्वेदिक पद्धति की सहोदर, एक तरह से इसको सहयोगी मान सकते हैं। परन्तु, सभापति महोदय, अब वर्तमान के अन्दर भारत सरकार ने जिन चिकित्सा पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्रदान की है कि यह चिकित्सा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनमें आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है, सिद्धा है और एक सोवा-रिग्पा है। यह सिद्धा तो हैदराबाद और इसके इलाके में भस्म आदि से होती है और यह सोवा-रिग्पा, यह हिमाचल के पठार में जड़ी-बूटियों से लोगों का उपचार होता है। इनको मान्यता दे रखी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इसके लिए, आप इस पूरी पद्धति के लिये, क्योंकि मैं यह स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में हमारी कई देशी चिकित्सा पद्धतियां, जिनको हम-आप वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कह सकते हैं, इसके बारे में राजस्थान ने अन्य प्रदेशों से अगुआई करते हुए अपने खुद के कई एक्ट भी बनाये, मान्यता भी दी और कालान्तर के अन्दर इनको पूरे देश ने स्वीकार भी किया, भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। आपने जिनको उद्धृत किया, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं।

इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए हमने अभी जो एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी बनाई है, राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर के राधेश्यामजी, जो कुलपति हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाई है। उसमें गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर के जो कुलपति हैं, प्रोफेसर राजेश कोटेचा, उनको सदस्य बनाया है; यहां जो राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान है, उसके जो निदेशक हैं, प्रोफेसर महेन्द्र मीणा, उनको सदस्य बनाया गया है; इंडियन मेडिसिन बोर्ड में डा. रामावतार शर्मा, जो इसके रजिस्ट्रार हैं, उनको सदस्य बनाया है। इसमें हमने एक हमारे लॉ के विधि के जो विशेषाधिकारी हैं, आर.पी. केडिया, इनको शामिल किया है; भगवान सहाय कुमावत, जो हमारे सहायक विधि परामर्शी हैं, इनको शामिल किया है। अशोक कुमार शर्मा, जो सहायक शासन सचिव हैं, इनको शामिल किया है; डा. मनोहर पारीक हैं, जो विशेषाधिकारी हैं, ओ.एस.डी., उनको शामिल किया है। इस पूरी समिति के साथ, इसमें राजस्थान में एक प्रख्यात चिकित्सक हैं, जो इस पैथी के बारे में, उनका काफी लिटरेचर मैं पढ़ता रहता हूं, हेमन्त सेठिया, उनको भी विशेष आमंत्रित के रूप में हमने इसमें शामिल किया है।

आपने यह सुझाव दिया कि इस कमेटी के अलावा इसके लीगल आस्पेक्ट्स को जांचने के लिए एक और समिति बनाएं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनको स्वीकार करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल, राजस्थान, जो कानूनी पहलू है, उनकी एक समिति बनाने की घोषणा कर रहा हूं, जिसमें भारत सरकार के कोई असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल या किसी को भी शामिल करेंगे, क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी चला, भारत सरकार का भी इसमें एक स्टैण्ड है। इस समिति को बनाकर हम आने वाले तीन महीनों में इसके गुणावगुण...।

वर्तमान में यह इलेक्ट्रो-होम्योपैथी जो पद्धति है, इसके बारे में कई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बार भारत सरकार की तरफ से भी कई आदेश जारी किये हुए हैं। इसमें, सभापति महोदय, एक बात यह थी, इसमें एक बार यह जो हमारा आई.सी.एम.आर. है, भारत सरकार के महा निदेशक, भारतीय औषध अनुसंधान संस्थान, इसमें भी यह मामला गया था। इसने भी 2013 के अन्दर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भी इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी थी। अब इसके पश्चात् यहां राजस्थान के अन्दर एक समिति बनी। उस समिति ने भी यह कहा कि यह पैथी अभी चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और राज्य सरकार ने उस वक्त 12 मार्च, 2012 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के माध्यम से चिकित्सा का कार्य नहीं किया जा सकता।

निश्चित तौर पर यह सब चीजें देखते हुए, इस पूरे मामले का पुनः अध्ययन करने के लिए हमने एक कमेटी पहले भी बनाई थी, जो हमारे कुलपति हैं, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर की अध्यक्षता में, और एक लीगल आस्पेक्ट को देखने के लिए और एक कमेटी बनाने की मैं घोषणा करता हूं।

सभापति महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि इन दिनों में, और पिछले पांच वर्ष का अगर हम देखें तो यह नई-नई पद्धतियों के बारे में लोगों में जहां जिज्ञासा बढ़ी है, वहां इन पद्धतियों की तरफ लोग आकर्षित हुए हैं। क्योंकि

(13.00 बजे)

ज्यों-ज्यों विज्ञान प्रगति करता चला गया, चिकित्सा विज्ञान भी सोपान चढ़ता चला गया और इस चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ कई प्रकार के साइड-इफेक्ट्स भी आ गये। दूषित होते हुए पर्यावरण के अन्दर अब लोग प्रकृति द्वारा जो कुछ देय है, क्योंकि यह सारी हर्बल पर आधारित है, प्रकृति ने जो इस इलाज की पद्धति, कालांतर में ऋषि-मुनियों ने जिसको इस्तेमाल किया, उसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं।

इसके लिए मेरी भी मान्यता है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में हम इसका अध्ययन करवाएंगे, दोनों कमेटी बनाएंगे और अध्ययन करने के बाद मैं सदन को अवगत करवाऊंगा, जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तब।

श्री सभापति: श्री मोहनलालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो-होम्योपैथी पर आधारित ही कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जी।

श्री सभापति: पूछिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनसे यह पूछो कि ये पूछना क्यों चाहते हैं? इनके पास कोई अनुभव है? इन्होंने कभी उस पद्धति से इलाज लिया है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं इसी बात पर, बहुत अच्छी बात है, मैं इसी बात का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति: आपके अनुभवों पर इन्होंने ध्यान आकर्षित करने की बात कही है, तो आसन ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी है। इसलिए आप अपने मूल प्रश्न तक ही सीमित रहें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, विषय पर ही बोल रहा हूं। आज से कुछ चार-पांच वर्ष पूर्व इस विषय में एक गोष्ठी हुई थी, उसमें हमारे चिकित्सा मंत्री भी मौजूद थे और मैंने उस वक्त यही कहा था...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्या यह सही है कि आज से चार-पांच वर्ष पूर्व एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें चिकित्सा मंत्री भी उपस्थित थे?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, क्या यह सही है? सर, यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री सभापति: यह प्रश्न के माध्यम से ही पूछा जाएगा। प्रश्न जैसा ही है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): है, लेकिन प्रश्न काल नहीं है, सर।

श्री सभापति: प्रश्न काल नहीं है लेकिन प्रश्न के स्वरूप में ही पूछा जाएगा यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप आसन को चुनौती दे रहे हैं? आसन सर्वोपरि है, सर्व अधिकार प्राप्त है। आसन के मुख से निकले हुए वचन से, हमें भी उत्तर देना पड़ता है, तो आप उत्तर नहीं देंगे? नहीं, आप उत्तर दीजिए पहले।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हुकूम, हुकूम, विराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हुकूम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने माननीय मोहनलाल गुप्ता को..., वास्तव में नियम यही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मंत्री के जवाब के बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं और संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो उधर मुंह करके बात की है, उसका अर्थ आप समझ सकते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उस वक्त ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता।(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्योंकि मैंने इन लोगों को दिखवा ...(व्यवधान) मैंने बहुत...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह अनादि काल से रहा है। राजा-महाराजा युद्ध जीतते भी रहे हैं और पीठ भी दिखाते रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह तो कालांतर, समय की बात है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राव साहब, बहुत से मित्रों को मैंने देखा है, ऐसे ही करते हुए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उन मित्रों का अनुभव आप यहां बता सकते हैं सदन में? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने +++ कहा है मेरे को? माननीय सभापति महोदय, यह एक्सपंज करवाओ। माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बातों ही बातों में राजा भोज को उद्धृत करते हुए और मुझे +++ कहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं चाहूंगा कि इस कार्यवाही में अगर यह अंकित है तो उसको निकलवाओ।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, बोल तो आप रहे हैं, अंकित अपने आप हो रहा है। एक्सपंज कहां से होगा? इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह आसन तय करेगा कि कौन राजा भोज है और कौन +++ है। तब तक इसको लिखित नहीं किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं किया जाए, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, +++ का भी अपमान नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरी जाति का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बात, माननीय सभापति महोदय, शायद इनको मालूम नहीं कि राठौड़ +++ भी होते हैं। यह तो हमारा सौहार्द है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो अपना मान समझते हैं।

श्री सभापति: आपके और उनके स्पेलिंग में 'E' और 'A' का फर्क है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह जो इलेक्ट्रो-होम्योपैथी है या इलेक्ट्रोपैथी है, इसके विषय में एक क्रांफ्रेंस हुई थी और मैंने माननीय मंत्री महोदय से उस वक्त भी यह कहा था और इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी पद्धति है और उसको हम मान्यता देना चाहते हैं और मान्यता देने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कानून भी लाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि इस पद्धति के माध्यम से यदि किसी बड़े आदमी का इलाज हो जाए और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी अपना चश्मा हटाने का इलाज भी इस पद्धति के माध्यम से कर लें तो शायद यह एक्ट जल्दी आ जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी कर लो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और मैं भी करूंगा। यह एक ऐसी पद्धति है जो हमारी संजीवनी बूटी, जिसके द्वारा लक्ष्मणजी की मूर्छा टूटी, ऐसी बूटी, और उसके माध्यम से इलाज और...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मूर्छा टूट सकती है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मूर्छा टूटी है। यह हर्बल पद्धति के माध्यम से बाण लगे लक्ष्मण की मूर्छा टूट सकती है, उनमें जीवंतता आ सकती है, तो इस पद्धति के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों का सही ढंग से, वैज्ञानिक पद्धति से इलाज हो सकता है। लेकिन हमारा जो यह तंत्र है, ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह तो भाषण हो रहा है। प्रश्न कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अजी, दो मिनट मेरी बात भी सुन लो, साहब। आप तो सीनियर मोस्ट हो, प्रभु, नमस्कार, नमस्कार।

श्री सभापति: नमस्कार करने से आपका उद्धार नहीं होगा, प्रश्न पूछ लीजिए आप। आपके कथन को प्रश्न के रूप में पेश कर दीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो मैं यह कहता हूं कि यह जो हर्बल पद्धति है जिससे भगवान लक्ष्मणजी का उद्धार हुआ था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्या यह सही है कि यह हर्बल पद्धति है जिससे भगवान राम का, भगवान राम के समय लक्ष्मणजी का उद्धार हुआ था? पूछो न इसको आप। आप अपना व्याकरण सही कर लो न, अपना।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या यह सही है, माननीय मंत्री महोदय, यह इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, यह हर्बल पद्धति है और उसके द्वारा वैज्ञानिक ढंग से इलाज किया जाता है?

नम्बर-दो। क्या यह सही है कि इस पद्धति के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को फाइव ईयर्स, टू ईयर्स, थ्री ईयर्स और वन यीअर के कोर्सेज करवाये जाते हैं? क्या यह सही है कि हजारों विद्यार्थी इस काम में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं और उनके सिलेबस, इत्यादि हैं और उनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या यह सही है कि आप उस प्रैक्टिस को इस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं? यदि हां, तो आप यह भी बताइए कि आप क्यों रोक रहे हों? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय के माध्यम से पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि इस पद्धति से अभी जयपुर के अन्दर भी एक संस्थान कुछ विद्यार्थियों को अध्ययन करवा रही है और यह भी सही है कि इस पद्धति की 300 पुस्तकें, जिसमें इस पद्धति का जिक्र किया है, वे प्रकाशित हो चुकी हैं और यह भी सही है कि इस पद्धति के माध्यम से अब 200 ऐसी दवाइयां जो सिर्फ क्रीम और पाउडर के शेप में हैं, यह इस इलाज के लिए कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए हम इसका अध्ययन करवा रहे हैं।

इसमें एक जो सवाल आपने यह कहा कि रामायण काल के अन्दर इस पद्धति का जिक्र हुआ, इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इसका जवाब मैं नहीं देकर, मैं, अगर आप, मैं मेरी धर्मपत्नी से बात करूंगा क्योंकि वह उसका अध्ययन करती रहती हैं, धर्म ग्रंथों का। उसके बाद में, माननीय, जिज्ञासा को अलग से आकर शांत कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्रजी पारीक।

प्रदेश में अवैध रूप से निवासित बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी नागरिक

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के तहत प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानी नागरिकों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह विषय कई बार इस सदन में और अन्य प्रदेशों में भी इस विषय पर लगातार चर्चा होती रही है। इस विषय पर चिंतन भी हुआ और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास भी हुआ।

राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का निष्कासन निर्धारित एक प्रक्रिया के अनुसार पूछताछ कर पश्चिम बंगाल पुलिस व सीमा सुरक्षा बल, पश्चिम बंगाल के माध्यम से पुश-बैक कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। वर्ष 2009 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ. 14011,15, 55/2009, 23.11.2009 एवं 22.2.2011 द्वारा अवैध रूप से निवासित बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके निष्कासन के सम्बन्ध में नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। वर्तमान में उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त पत्र में जारी निर्देशों की अनुपालना में राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर इनकी पहचान व निष्कासन के कार्य में तीव्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सितम्बर, 2014 में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन के सम्बन्ध में दिनांक 21.10.2014 से दो सप्ताह के लिए राज्य में एक अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में कुल 86 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का विभिन्न जिलों में अवैध रूप से निवासरत होना पाया गया। वर्ष 2014 में कुल 149 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से निवास करते हुए पहचाने गये। इनमें से दिनांक 10.3.2015 तक कुल 100 बांग्लादेशी नागरिकों को पुश-बैक, निष्कासित किया गया। निष्कासित किये गये 142 व्यक्तियों में अभियान के दौरान पहचाने गये 86 बांग्लादेशी नागरिकों में से 79 व्यक्ति शामिल हैं। शेष 7 में से 6 बांग्लादेशी नागरिक विभिन्न मुकदमों में तथा 1 निष्कासित किये जाने हेतु ले जाते समय कोलकाता से फरार होने से निष्कासित नहीं हो पाया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जयपुर जिले में वर्तमान में कुल 287 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से निवासरत हैं। इसमें जयपुर शहर के पूर्व में 201 बांग्लादेशी नागरिक वर्ष 1995 से निवास कर रहे हैं। जयपुर शहर के दक्षिण में बक्शावाला में 66 व्यक्तियों का वर्ष 2005-06 से बगराना एवं झोटवाड़ा में बक्शावाला में पुनर्वास किया गया था। जिला जयपुर ग्रामीण में थाना प्रागपुरा में 2 परिवारों में 16 व्यक्ति, जो 2008 से कार्यवाही के पश्चात् अन्यत्र चले गये थे, वे जुलाई, 2009 में पुन: निवास करना पाये गये। इसमें से किसी को भी निष्कासित नहीं किया गया है।

उक्त में से जयपुर शहर (पूर्व) में 201 लोगों का नाम राशन कार्ड में अंकित है तथा इनमें से 14 लोगों के पास मतदान पहचान पत्र व एक व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जयपुर (दक्षिण) में 66 व्यक्तियों के पास 11 राशन कार्ड और 59 लोगों के नाम दर्ज हैं तथा 66 में से 13 लोगों ने मतदान पहचान पत्र व 2 ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखे हैं। जिला जयपुर ग्रामीण में थाना प्रागपुरा में 2 परिवारों के 16 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों के आधार कार्ड एवं 3 में से एक ने पैन कार्ड बनवा रखा है।

उपरोक्त दस्तावेजों की तस्दीक करके निष्कासित करवाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है एवं इनको निष्कासित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी समय-समय पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, उनका स्वदेश पुश-बैक, निष्कासन करने की कार्यवाही निरन्तर की जाती रही है।

इसी प्रकार, गत वर्ष में प्रदेश में कुल 237 पाकिस्तानी अवैध रूप से निवासरत थे, जिनमें से 213 जिला जोधपुर शहर में और 24 जिला अजमेर में निवासरत थे। उक्त अवैध रूप से निवास कर रहे पाक नागरिकों में से 67 पाक नागरिकों को अब तक निष्कासित किया जा चुका है। शेष रहे 170 पाक नागरिकों को निष्कासित करने का प्रकरण प्रक्रियाधीन चल रहा है।

इसी तरह से, अब तक जो कुछ भी कार्यवाही हुई है, कार्यवाही तो अपने हिसाब से कम है, इसमें कोई दोराय नहीं; संख्या गम्भीर है, अधिक है, रिकार्ड पर ठीक प्रकार से नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अब तक बांग्लादेशियों के बारे में जो किया है, 2003 में 149 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, इनमें से 126 को पुश-बैक किया था; 2004 में 125 लोग आइडेंटिफाई हुए, 125 को ही पुश-बैक कर दिया था;

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

2005 में 126 को आइडेंटिफाई किया था, इनमें से 116 को पुश-बैक किया था; 2006 में 89 आइडेंटिफाई हुए थे, 89 को ही पुश-बैक कर दिया था; 2007 में 91 आइडेंटिफाई हुए थे, 51 को पुश-बैक किया गया; 2008 में 291 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 291 को ही यहां से पुश-बैक किया गया; 2009 में 64 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 61 लोग पुश-बैक हुए; 2010 में 125 उसमें से 124 को पुश-बैक किया। 2011 में 82 में से 65 को पुश-बैक किया; 2012 में 102 लोगों में से 85 को पुश-बैक किया; और 2013 में 23 में से 22 लोगों को किया। 2014-15 का अब तक जो हुआ है, वह आपके सामने मैंने रखा है।

समस्या का जितना स्वरूप बढ़ा है, वास्तव में ये उतने आइडेंटिफाई नहीं हुए। उसके कई कारण हैं। एक तो यह बंगलादेश से जो सीमा से आता है, उसको रोकने का कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान से जो आता है, वह तो वीजा से उसकी देखभाल हो जाती है; ये कब आते हैं और कहां जाते हैं, ये कोई सीधे राजस्थान नहीं आये। कई लोग कई जगह घूमते-घामते कभी पांच साल पहले आसाम में एंटर हुए होंगे, फिर किसी दूसरे राज्य में रहे, फिर तीसरे में रहे और उन्होंने कई अपनी आइडेंटिटीफाई ऐसी बना ली है कि जब कभी भी इनसे पूछताछ होती है तो ये अपना पुराना एड्रेस बिहार का बताते हैं और बिहार पर पता करते हैं, तो हां, वहां कुछ उनके रहने का थोड़ा-बहुत एविडेंस मिल भी जाता है।

तो वास्तव में समस्या गम्भीर है, इसको मैं नहीं नकार रहा हूं लेकिन इस समस्या का सही पता करके इनको पुश-बैक करने में जरूर समस्या है। अब हमने प्रत्येक जिले में एक टास्क फोर्स बनाई है और वह लगातार इस बारे में कोशिश करेगी। दुर्भाग्य हमारा यह है कि इन लोगों ने अपने सब प्रकार के प्रमाण यहां अर्जित कर लिये हैं और वह किसी न किसी विभाग के थ्रू किये, किसी न किसी के द्वारा किये हैं। राशन कार्ड भी उनके बने हुए हैं, वोटर लिस्ट में भी उनके नाम हैं, पैन कार्ड भी उनके बने हैं। तो इसका मतलब, केवल एक नहीं, कई विभाग इसके साथ जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन सबके सम्मिलित प्रयास के बाद ही इनकी समस्या के कोई हल के नजदीक पहुंचेंगे; पूरा कर लेंगे, ऐसा अभिमान भी मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब, यह जो संख्या आ रही है, यह तो कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से अगर इसको ढूंढा जाए तो यह संख्या हजारों नहीं, लाखों तक भी जा सकती है। क्योंकि विभिन्न घरों में आज की तारीख में जो लोग काम कर रहे हैं, वे अधिकांश लोग वही हैं; होटलों में जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग वही हैं, लेकिन जब उनकी सारी पहचान करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें से कई चीजें ऐसी मिल जाती हैं, जिसके कारण से जो निर्णय हमको तुरन्त करना पड़ता है, वह निर्णय हम कर नहीं सकते।

मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य ने राजस्थान की और विशेषकर के मेरे विभाग के अपराधों में से जो कुछ भी मैं जयपुर में देखता हूं, उसमें अधिकांश अपराधी, और विशेषकर जो आपका वैशाली नगर का जो इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें यहां के ही लोग थे और राजस्थान के अपराधों में कई जगह जहां-जहां भी हम पकड़ पाये, उसमें इन लोगों की भी सहभागिता मिली है।

समस्या गम्भीर है, सरकार विचार कर रही है, केन्द्र की सरकार को भी ध्यान में इस समस्या को लाएंगे, लेकिन जो उन्होंने दो आदेश कर रखे हैं 2009 का और 2011 का, उसमें इस प्रकार की कुछ गाइडलाइन्स दी हुई हैं। तो उसको, जैसे पाकिस्तान का आदमी अगर यहां आता है तो वह वीजा लेकर आता है। तो उसका तो फिर भी पता किया जा सकता है कि 34 लोग वीजा लेकर आये और 12 ही वापस गये हैं, तो बाकी कहां हैं? उनको ढूंढो। लेकिन इनका कोई वीजा तो होता नहीं है। ये तो जैसे-तैसे करके सीमा में घुसकर, अपनी-अपनी जगह रहते हुए, घूमते-फिरते कहीं आ जाते हैं और रहते हैं। तो ढूंढने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ विभाग कर सकता है, वह निश्चित रूप से करेगा और उनको आइडेंटिफाई करके हम पुश-बैक करेंगे।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): सभापति महोदय, अभी आपने बताया कि मामला बड़ा गम्भीर है, गृह मंत्रीजी भी मान रहे हैं। इनका पूर्व में मई में एक स्टेटमेंट भी छपा था कि बांग्लादेश के निष्कासित मामले में कानून लचीला है, समस्या से राजस्थान ही नहीं पूरा पूर्वांचल दु:खी है। अकेले राजस्थान में लाखों बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां जो आंकड़े इन्होंने दिये, उसमें 200-400 लोगों का नाम कुल आया है कि इतने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई हुए हैं, बाकी बांग्लादेशी नहीं मिले। उसके बाद भी एक प्रकार का छोटा-सा अभियान दो सप्ताह का चले, और फिर वह बंद हो जाये, तो इससे तो ये पकड़ में नहीं आने वाले। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो इसका अभियान बड़ा चले ताकि जितने भी लोग आइडेंटिफाई हो सकें, वह हो।

दूसरा एक जवाब आया है कि कुछ लोगों को इन्होंने बगराना में

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

आवास दिला दिये। जिन लोगों को निष्कासित करना था, उनका पुनर्वास करने का क्या कारण रहा? यह मेरी समझ में नहीं आया कि जो आइडेंटिफाई हो गये थे, आइडेंटिफाई होने के बाद उनका निष्कासन होना था, निष्कासन के बजाय उनका पुनर्वास कर दिया गया। इसका भी कोई पता नहीं लगा।

तीसरा इनका जो जवाब इसमें आया है कि वर्ष 2006 में थार लिंक एक्सप्रेस शुरू होने के पश्चात् पाक नागरिकों के भूमिगत होने की जानकारी नहीं आई है। यह 2007 में राज्य में गुम हुए 588 पाकिस्तानी, इसका मनोज जी भट्ट, ए.डी.जी. (इंटेलीजेंस) का भी स्टेटमेंट है और माननीय मंत्री महोदय का भी 2007 का वक्तव्य है। यह सही है कि 588 पाक नागरिकों की वापसी सत्यापित नहीं हुई है, जिसके लिए सम्बन्धित चैक-पोस्ट से पत्राचार किया जा रहा है। कुछ लोगों के अटारी के रास्ते पाकिस्तान लौटने की जानकारी मिली है। अन्य पाक नागरिकों की तलाश की जा रही है। यह मनोजजी भट्ट का स्टेटमेंट है। दूसरा वक्तव्य माननीय मंत्रीजी का भी इसी प्रकार का है कि उनकी भी जांच हो जाएगी। तो यह जो आपने अभी कहा कि 2006 के बाद नहीं हुए, तो यह तो 2007 का वक्तव्य है माननीय मंत्रीजी का और इंटेलीजेंस का।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैंने किसी भी बात को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। जहां-जहां हमारी कमजोरी है, या जितनी हमको इसमें सफलता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पायी। जो कुछ मिला है 2003 से लेकर अब तक, वह मैंने आपको, आइडेंटिफाई हुए, उनको हमने पुश बैक किया, पर जिनके बारे में हमको पूरे तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं तब तक हम उनको पुश-बैक कर नहीं सकते। उसकी एक प्रक्रिया उन्होंने निर्धारित कर रखी है। उन सब चीजों को देखने के बाद जब यह तय हो जाता है कि ये वास्तव में बांग्लादेशी है तब फिर हम यहां से अपनी पुलिस को लगा करके फिर बार्डर तक ले जाते हैं और बार्डर पर ले जाकर फिर पुश-बैक। उसमें भी नियम इस तरह का है कि बांग्लादेश यह स्वीकार करे कि ये हमारे नागरिक हैं तब तो आप कर सकते हैं विधिवत उनका पुश बैक। हम जबरन करते हैं और जैसे ही जबरन करते हैं तो उनमें से कितने उधर रहते हैं और कितने इधर आ जाते हैं, इसके बारे में भी आप और मैं दोनों ही संदेह के घेरे में हैं।

वास्तव में इस समस्या का सही निदान अभी तक जो अपन चाहते हैं, वह नहीं हो पाया है। हम केन्द्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वह अपने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कानून में कोई इस प्रकार का परिवर्तन करे और सीमा पर भी फेंसिंग करे, क्योंकि यह समस्या हमारी ही नहीं है। आसाम में तो हालत ही बेहाल हो गयी है और उसके जो नजदीक के राज्य हैं उनमें जिस प्रकार का पापुलेशन का असंतुलन पैदा हुआ है, उनमें यह समस्या गम्भीर रूप से है, लेकिन उससे हम भी अछूते नहीं रहे हैं। हमें भी आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, ये हैं, इनको कोई हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में ये हैं, क्योंकि न इनके पास कोई रिकार्ड होता, न कोई कागज होता है। अगर कोई वीजा लेकर के आता है, नहीं आता है, तो अगर एक ही जगह से निकलता है तो उसको पकड़ा जा सकता है कि वह कहां से आया।

इस समस्या पर विभाग गम्भीरता से विचार कर रहा है और केन्द्र सरकार को भी, जो कुछ भी हमारा अनुभव है, उसके आधार पर हम उन्हें लिखेंगे और हम निश्चित रूप से आपकी भावना की कद्र करते हुए, सम्पूर्ण सदन और राजस्थान की भावना की भी कद्र है कि बांग्लादेशियों के ऊपर निश्चित रूप से कंट्रोल होना चाहिए और उन पर भी वही कानून और उसी प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए जैसे बाकी विदेशी लोग आकर हिन्दुस्तान में रहते हैं। तो उनके साथ जिस प्रक्रिया के आधार पर हम एक्शन करते हैं, उसी के आधार पर इस पर एक्शन किया जाए।

अभी ये जो दो सर्कुलर निकले हैं, उसके कारण से इसमें काफी गुंजाइश रह गयी, जिसके कारण से आइडेंटिफिकेशन में समय लगता है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः मूल जिनका ध्यान आकर्षण है, माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण है।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): सभापति महोदय, यह जो ट्रेन पाकिस्तान से बाड़मेर आ रही है, स्टेशन के ऊपर इनकी भी चैकिंग, जैसे एयरपोर्ट पर अपने वीजा की और पासपोर्ट की चैकिंग करते हैं, इसी प्रकार की चैकिंग व्यवस्था अगर सुरक्षा की दृष्टि से की जाए तो निश्चित रूप से इसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पाकिस्तान से आने वाले की चैकिंग इसलिए कि वे अपना पासपोर्ट और वीजा लेकर आ रहे हैं और वे उसी के आधार पर एन्टर होते हैं। वह रिकार्ड पर चढ़ जाता है। वे जब वापस नहीं लौटते हैं तो उनको ढूंढना है। वह तय रह जाता है कि भई, 113 आये और 8 ही

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निकले हैं, बाकी कहां गये? तो ढूंढने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इनका क्या है कि न तो कोई पासपोर्ट है, न कोई चीज है। ये तो जैसे ही घुस आये, जिधर से और घुस आये, तो सारे हिन्दुस्तान के सब राज्यों का घूम-घुमा करके, कौन कब जाकर के कहां आ जाता है और फिर वे इन बस्तियों में साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जिस तरह से कहा, आपने और हमने विधान सभा में प्रश्न लगाया, हमने एक अधिकृत बांग्लादेशी कालोनी यहां बनायी है। आपको और हमें, जयपुर वालों को अनुभव है न। जो रेलवे पर बसे हुए लोग थे, उनको हमने ले जाकर के बसाया है, हमने उसकी कालोनी बनायी है।

तो वास्तव में कुछ कमजोरी तो हम राजनेताओं की भी है। हम अपने वोट के चक्कर में इनकी मदद करके, इनके पासपोर्ट बनाने के लिए वेरिफिकेशन हम ही लोग करते हैं। हम करते हैं, या हमारे कोई साथी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से बिना वेरिफिकेशन से वह कार्ड नहीं बन सकता है।

इसका मतलब यह है कि इसमें इन्वाल्वमेंट किसी एक का नहीं है। कई लोगों के इन्वाल्वमेंट के कारण से इन लोगों को ढूंढने में हमको दिक्कत हो रही है।

हम कोशिश करेंगे कि आपकी भावना के अनुसार अपने विभाग को जितना एक्टिव कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को भी इस बात की समस्या का ध्यान में लाकर के जो कुछ किया जा सकता है, करेंगे।

श्री सभापति: I will allow one question at a time. श्री मोहन लालजी गुप्ता. Just one question.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): Only one, Sir.

श्री सभापति: There are about 5 people who want to ask.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, बांग्लादेशी नागरिकों के साथ-साथ एक वैध प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा स्वदेशी बंगाली नागरिक भी जयपुर शहर में निवास कर रहे हैं, काफी संख्या में, हजारों लोग ओर्नामेंट्स बना रहे हैं और उन लोगों को उन बांग्लादेशी नागरिकों के चक्कर में परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या यह सही है कि उनके मतदाता कार्ड नहीं बन रहे हैं? क्या यह सही है कि उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उन बंगाली कारीगरों के, ओर्नामेंटस मेकर्स के? हजारों लोग हैं वहां। पूरे जयपुर शहर में टैंट का व्यवसाय करने वाले, टैंट बनाने वाले, ओर्नामेंट्स बनाने वाले, ऐसे काफी लोग हैं

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जिनको यहां घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। उनके पास वैध कार्ड हैं। उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ, मतदाता परिचय पत्र नहीं बना हुआ और घूमने की उनको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी नागरिकों के कारण उनको पुलिस परेशान करती रहती है, जबकि वे वैध हैं और मेरे क्षेत्र में रहते हैं और पारीक साहब के क्षेत्र में भी रहते हैं और बहुत सारे लोग-बाग परेशान हैं। तो क्या उनको भी आप प्रोटेक्शन देंगे या नहीं देंगे?

श्री सभापति: मंत्री महोदय, एक बार ये अपना-अपना प्रश्न करें, फिर आप एक साथ उत्तर दे दीजिएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मोहन लालजी गुप्ता ने जो प्रश्न किया है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ओर्नामेंट्स के अलावा कारपेंटर्स हैं, बंगाल का इतना बढ़िया कारपेंटर है, आपको हिन्दुस्तान में कहीं का कारपेंटर नहीं मिलेगा। मैं सही कह रहा हूं। इतना बढ़िया बंगाल का कारपेंटर है, ओर्नामेंट मेकर्स हैं। बंगाल में उनके घर हैं, उनके पास जमीनें हैं, आपको स्वदेशी बंगालियों से बांग्लादेशियों का डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। वहां उनके मकान हैं। मेरी बहुत रिश्तेदारी है बंगाल के अन्दर और फार्च्यूनेटली मेरी शादी कोलकाता में हुई है। तो मुझे इस समस्या के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं।

माननीय मोहन लालजी ने जो बात कही है, इन सब बातों में कैसे भी इनका हैरेसमेंट रुके। जो जेन्यूइन लोग हैं, जिनके वहां मकान हैं, उनके पास वहां पर खेती की जमीनें हैं और नौकरी और रोजगार के सिलसिले में हिन्दुस्तान के हर प्रांत में यहां पर जा रहे हैं। उन बांग्लादेशियों की आड़ में इनका भी, किसी तरह से आपको इस प्रकार की बड़ी फाइन लाइन खींचनी पड़ेगी। माननीय मंत्री महोदय, अगर आपने ब्लैंकेट आडर्स दे दिये, जैसे पुलिस में छोटे, निचले स्तर के अधिकारी हैं, इनको भी परेशानी न हो, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। श्रीमान्, यही मेरा आपसे प्रश्न है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि इतने सालों में इतनी मेहनत करने के बाद भी हजार लोगों को पुश बैक कर पाये। इसका मतलब? वेरिफिकेशन तो हर चीज का किया, तभी तो जाकर के हमने किया।

मैं सोचता हूं कि जो बंगाल से यहां आये हैं, उनके पास एक नहीं, सात एविडेंस उनकी होंगी, उनकी पुश्तैनी एविडेंस उनके पास होगी। उनके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

परिवार का उनके पास होगा। वह सब पता करने के बाद ही करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ढाका से यहां आ जाएं और उनको भी वैसे ही करें कि बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा सोना बनाता है। यह इस देश के लिए हित में नहीं होगा। इतना हम नहीं कर सकते कि केवल वह अच्छा काम करता है, इसलिए उसको कुछ पूछे ही नहीं। यह नहीं हो सकता है। जो यहां के हैं, जिनकी एविडेंस यह मिल जाएगी, तो जो हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और उनके पुश्तैनी 50 साल से, 60 साल से रह रहे हैं उसको किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं, लेकिन जो पूछेंगे, उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। वह जो जानकारी हम करना चाहते हैं वह जानकारी उनसे हम जरूर लेंगे।

सदन के माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं कि जो हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले बंग्ला भाषा के जो लोग हैं और जो काम कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, पर उनको अपना आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा। हमारा आइडेंटिफिकेशन होने के बाद वे निश्चित रूप से रहें। इसके अलावा भी, अगर कोई बंगाल से इस प्रकार से शरणार्थी के रूप में आकर के यहां वर्षों से रहे रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भी विधिवत हिन्दुस्तान की नागरिकता के लिए जब उन्होंने एप्लाई किया है तो उसकी छानबीन करने के बाद उनको भी हमने नागरिकता दी है। लेकिन इस आड़ में ऐसा नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश से कोई भी आये और हिन्दुस्तान की धर्मशाला में चाहे जो रहे, ऐसा हम कभी भी अलाऊ नहीं करेंगे।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, जैसा मंत्रीजी ने कहा, मैं सहमत हूं कि वे वैलिड वीजा से आते हैं। बांग्लादेश में 1994 में एक पुश-बैक किया था, लगभग 400 लोग थे, पूरा वैगन भर कर गये थे। पुश बैक करके वहां पर पुलिस टीम वापस आयी है, उससे पहले उनके दलाल यहां पर पहुंच चुके थे वापस। सिर्फ एक दिन का डिले किया है गंगासागर में स्नान करने का और पहुंच चुके थे। अब वहां पर तो वह व्यवस्था है।

आसाम की और सिलिगुढी की स्थिति क्या है? आसाम में आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो बांग्लादेशी ही मुख्य मंत्री बनेगा, दूसरा बन नहीं सकता है।

तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। अगर प्रद्युम्न सिंहजी के चेयर ढंग से नहीं

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बने, वह बांग्लादेशी ही ढंग से बनायेगा, तो वहां से इम्पोर्ट कर लें, लेकिन यहां पर रहकर हमारे टैक्सपेयर के ऊपर एक बर्डन रहे, वह सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जिस किसी ने भी पहले राशन कार्ड बनाने के लिए सहमति दी है, चाहे वह पार्षद हो, चाहे वह विधायक हो, उनको इल्लीगल इम्मिग्रेशन एक्ट में आप क्यों नहीं लाते राजस्थान में? वह राष्ट्रपति महोदय से सैंक्शन हो जायेगा।

इल्लीगल आकर के, यहां पर ऐसा सैंसिटिव एरिया है, जहां पर 1,100 किलोमीटर का बार्डर है, गंगानगर में और बीकानेर में बांग्लादेशियों की कोई कमी नहीं है। यह संख्या में जितने आइडेंटिफाई हो पाये हैं, पीछे बैक-ट्रेस करके आइडेंटिफाई करेंगे तो ज्यादातर लोग बांग्लादेश के मिलेंगे।

यह तो राजनीतिक लाभ के कारण से, पता नहीं, कैसे इनको बगराना में बसा दिया। सरकार खुद आन करेगी कि हम बांग्लादेशियों को यहां रि-सेटल कर रहे हैं। वह तो आपने कर लिया इतने लोगों को आन रिकार्ड। उनको तो भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से ही पुश-बैक कर पायेंगे।

यहां से आप मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से पत्र लिखें और आप स्वयं पत्र लिखें, तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय के जितने लूपहोल्स हैं वे अपने आप दूर होंगे; अभी तो कम से कम निश्चित रूप से दूर होंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, आपके माध्यम से, जैसा मंत्रीजी ने बताया कि अब हम फ्यूचर में कैम्प्स भी लगायेंगे और जानकारी भी करेंगे, लेकिन जिन लोगों के बन चुके हैं, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में भी यह स्वीकार किया है कि राशन कार्ड इन लोगों के पास हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इन लोगों के पास हैं। मैं एसोशिएट करना चाहूंगी विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ, कि जिन लोगों ने भी इनकी सिफारिश की है, किसी भी लेवल पर की हो, आफिसर्स हों, जन-प्रतिनिधि हों, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने की सरकार कोई मंशा रखती है? यह जो आधार कार्ड बनाने वाले हैं या वोटर आई.डी. बनाने वाली जो कम्पनी हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स की जायेगी? जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जायेगी? फ्यूचर में तो आप कर ही रहे हैं लेकिन जो पहले हो चुके हैं, उनमें भी सुधार की कोई गुजांइश रहे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, मैं जिस सम्भाग से आता हूं, उस सम्भाग में, अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह सबसे ज्यादा गम्भीर है, विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में। वहां कुछ ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर आज दिन तक आपकी पुलिस गई नहीं है और जा भी नहीं सकती है। क्या उन स्थानों पर जाकर के हम इस बात की तहकीकात करने को तैयार हैं या या हम कर सकेंगे कि ऐसे गुप्त स्थान जिनमें पुलिस को प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वहां जा नहीं सकती है। ऐसे अनेक, जिनको हजारों की संख्या में कह सकते हैं, ऐसे लोग वहां रहते हैं। उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनकी ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे देश के हित में नहीं हैं। क्या सरकार ऐसे जो स्थान हैं, जिनमें प्रवेश वर्जित कर रखा है उन्होंने अपने हिसाब से, या शांति-व्यवस्था को लेकर, के और किन्हीं कारणों से पुलिस कोशिश करती है कि वहां नहीं जाएं; उन स्थानों का आइडेंटिफिकेशन करके उनमें जो लोग रह रहे हैं, उनका निरीक्षण कर, उनका वेरिफिकेशन करके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

इसके साथ ही दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह यह है कि जोधपुर सम्भाग में अलग से राशन कार्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो उनको अपने साथ मिला देते हैं। दो व्यक्ति जो हिन्दुस्तानी हैं, वे अपने परिवार के साथ 5 बांग्लादेशी हों या पाकिस्तानी हों, उनका राशन कार्ड बना देते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने वाला व्यक्ति जो है, चाहे वह किसी लेवल का अधिकारी है, जन-प्रतिनिधि है या आम नागरिक है, वह उसको देखकर के आइडेंटिफिकेशन करता है। उसमें 5 नाम साथ लिखे हुए हैं। यह एक विशेष तरह की समस्या है। इसी आधार पर वे राशन कार्ड बना लेते हैं, फिर बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, फिर पानी का कनेक्शन ले लेते हैं। इन सबको इकठ्ठा करने के बाद वे अपनी स्थानीय रहवास का सबूत दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस समस्या के समाधान के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना के सिवाय कार्य नहीं होने वाला है। आपने पिछले कार्यकाल के दौरान काफी प्रयास किये लेकिन इसका यथोचित परिणाम अभी नहीं मिला है। अब जोधपुर सम्भाग में इसका विशेष रूप से, मैंने जो आपके सामने समस्या रखी है, उसके बारे में समाधान का कोई विचार रखते हैं या नहीं?

श्री सभापति: आदरणीय मंत्री महोदय, दो और सदस्य हैं। अगर आप उचित समझें तो उनसे भी एक बार बुलवा लें।

निर्मलजी कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, आपने पूरा विषय विस्तार से बताया। अब जब भी सर्च आपरेशन चले, तो क्या डिपार्टमेंट की मंशा है कि केवल बड़े शहरों को ही न लेकर, छोटे शहर, कस्बे हैं, जहां ये थैलियां बीनने के बहाने आते हैं या कबाड़ खरीदने के बहाने आते हैं। कई तरह के गिरोह सक्रिय होते हैं। क्या उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे? विशेषकर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें भी कई तरह की लेबर बाहर से आती हैं। ये उन लोगों में भी एडजेस्ट हो जाते हैं। उनका हम इसमें वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, या नहीं करना चाहते हैं?

दूसरा, आपने कहा कि भारत सरकार को आप लिखेंगे। केवल लिखने से काम नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी समस्या है। यह तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में, अभी विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आसाम में और वहां क्या स्थिति है। क्यों नहीं इसको स्ट्रोंगली राजस्थान सरकार रिकमंड करे कि इसमें वीजा पद्धति लायें। आज वह स्थिति नहीं है, 1970-72 वाली बात नहीं है जब बांग्लादेश की क्या स्थिति थी। आज वे बहुत सक्षम लोग हैं। इसके लिए कोई नीतिगत पालिसी बने। इसके लिए आप स्वयं उनसे यह अनुरोध करें। इतनी स्ट्रोंगली इस बात को पहुंचायें।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मैं दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ये गांवों में सब्जी बोने के नाम पर आते हैं। उसके कारण से अपराध भी बढ़े हैं। मेरे क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 10-11 लड़कियों को वे ले गये। वे वापिस नहीं आये। ऐसे भी मामले हैं।

इसी प्रकार से यह आइडेंटिफिकेशन का जो मामला है, पहचान के रूप में जब हम करते हैं तो जो राशन कार्ड वाली बात है, आधार का तो अभी अख़बार में छपा है; जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको 400 रुपये दे दो, फिर बना देंगे। इससे तो और आइडेंटिफिकेशन हो गया उनका। हमेशा के लिए आइडेंटिफिकेशन हो गया।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर के क्षेत्रों में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जो गांव हैं, उनमें भी इस प्रकार की चैकिंग कराई जाये, उनकी पहचान कराई जाये, तो उसका लाभ मिलेगा।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार। There is one. अब I won't allow. Stop using your mike's push button.

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बारां जिले के किशनगंज में मेरे 4 गांव हैं, घट्टी, परानिया, नेहरूपुरा और नाटई, यहां बंगाली लोग 1976 से बसे हुए हैं। आज परानिया में और नाटई में तो 2 बंगाली समाज के जन-प्रतिनिधि, सरपंच भी हैं। उनको सरकार ने आवास और बी पी एल में भी ले रखा है। जमीनें भी दी हैं परन्तु उनका हर 6 महीने में और साल भर में पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। वहां सम्बन्धित थानों भंवरगढ़, कैलवाड़ा में उनका वेरिफिकेशन होता है। पुलिस द्वारा उनसे चौथ वसूली की जाती है। सरपंच द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कई बार। वह कई बार मेरे पास भी आते हैं, कलक्टर के पास भी जाते हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब वहां पर स्थापित होकर बसे हुए हैं, 40-50 साल से वहां खेती का अधिकार है, उनके नाम पर भूमि भी है, अनावश्यक उनसे चौथ वसूली हो रही है। इसमें कोई विशेष कार्यवाही या मंत्री जी इसको दिखाना चाहेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, सारे सदन की चिंता भी है, प्रदेश की भी है और देश की भी है। इस समस्या से कई प्रांत जूझ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। अपराध की दृष्टि से भी इसमें बढ़ोतरी है।

लेकिन पाकिस्तान के बार्डर पर तो लगभग फेंसिंग हो गई है, बांग्लादेश के बार्डर पर आज भी पूरी फेंसिंग नहीं है। जब तक पूरी फेंसिंग नहीं होगी, यह नये आदमी की एंट्री तो वहीं से बंद हो सकती है। लेकिन जो लोग वर्षों से आ गये हैं, आज वे बिहार में रह रहे हैं, या आसाम में रह रहे हैं, या बंगाल में रह रहे हैं, वे लोग जब आते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत कठिन होता है। उनके बारे में तुरन्त कोई निर्णय लेना भी बहुत कठिन रहता है। कोई 30 वर्ष से रह रहा है, कोई पिताजी के समय में आ गये थे और उसके बच्चे हैं।

मैं सोचता हूं कि जो गाइडलाइंस इन्होंने बनाई हैं, उसके आधार पर हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो कुछ भी हमको आवश्यक कार्यवाही करने के लिए केन्द्र सरकार को भी लिखना होगा, वह भी हम निश्चित रूप से लिखेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जोधपुर के बारे में जो बताया कि ऐसी कुछ बस्तियां हैं जिनमें कोई एंट्री ही नहीं हो सकती है, मैं सोचता हूं, ध्यान में लाये, प्रयास करते हैं, देखें, कैसे एंट्री होती है, नहीं होती है। यह तो समय पर ही बता पायेंगे कि एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अभी एकदम मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि किसी बेगुनाह को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, न हमारी कोई मंशा है। लेकिन हम यह जरूर कोशिश करेंगे कि अगर वह वास्तव में ढाका और जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, जबसे यह बांग्लादेश बना है, उसके बाद की जो एंट्री हैं, उनको तो हर हालत में वेरिफाई करेंगे, चाहे कोई नाराज हो, कोई राज़ी हो। अगर उसके पास कोई सबूत है तो वह बता दे, हम उसकी मदद करेंगे।

आप सब लोग कहते हैं कि अभियान करें, लेकिन हमारे पास जितनी फोर्स है, जितनी हमारे पास मैनपावर है, हम उसके अनुसार ही कर सकते हैं। कोई ऐसा तो हमारे पास है नहीं कि हम एक-एक गांव में, एक-एक आदमी लगाकर कर लेंगे, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है, साल में एक-आध महीने भर का यही अभियान चलाकर के उस थाना क्षेत्र में जहां भी, जो भी लोग इस प्रकार के रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। जिनके बारे में हमने सूची दी, उनका तो हमें पता लग गया, उन्होंने अपना आइडेंटिटीकार्ड बना लिया, वोटर लिस्ट में नाम लिख दिया। यह हमारे सर्वे के बाद जो आया है, उसके अलावा कितने होंगे, उसका तो कोई अता-पता अभी नहीं लग रहा है। तो जिनके बारे में रिकार्ड पर आ गया, निश्चित रूप से उनको बनाने वाला, जिस व्यक्ति ने भी उनका आइडेंटिफिकेशन किया, उन तक निश्चित रूप से पुलिस पहुंचेगी और उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगी जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है।

मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी अन्य प्रांतों से आए हुए बांग्ला-भाषी को परेशान करने की न कोई नीयत है, न कोई इच्छा है, लेकिन जो एक विदेशी के रूप में आकर यहां अपराध करते हैं, माननीय सदस्य भिण्डाजी ने जो इस प्रकार की बात कही, वास्तव में हम राजस्थान के अपराध के आंकड़ों को और विशेषकर जयपुर के आंकड़ों का जब एनालाइसिस करते हैं तो उसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा, इस प्रकार के लोग हैं जो पहले यहां पर रहते थे, अब कहां रह रहे हैं, उनका अता-पता ही नहीं लगता है। वे कभी चार महीने यहां रहते हैं, छह महीने वहां रहते हैं, फिर चले जाते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तो अभियान का कोई एक निश्चित समय तय करेंगे, बिना किसी घोषणा के, और कोशिश करेंगे कि जितनी हमको सफलता मिल सकती है, उतना हम जरूर प्रयास करेंगे।

श्री सभापति: मैं दो आखिरी सदस्यों को मौका दूंगा, लेकिन जो विषय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कह दिया, उसके अलावा आपके पास ऐसा कोई प्रश्न हो, तो ही पूछें। तरुण राय कागा। (व्यवधान) विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार ये बात बोल लें, फिर आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को एक बात और कहना चाहता हूं कि गौ-तस्करी जो हो रही है, वह बांग्लादेशी की बाउंडरी में जाने के बाद एक गाय वहां 25 हजार तक भी बिकती है। यह पूरा चैनल है पूरे इण्डिया में। दिल्ली की तरफ ले जाते हैं मेव, अपन सोचते हैं, कुछ मेव ऐसा करते हैं, ठप्पा लगकर के वहां जाती हैं। इस बात को भी इंगित करना चाहिए कि बांग्लादेशी बाउंडरी पर गायों की तस्करी होती है, यहां से वहां जाती हैं।

श्री सभापति: तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के वजूद पर है। हालांकि 'घुसपैठिया' शब्द बांग्लादेशियों पर लागू हो सकता है लेकिन वर्तमान परिदृश्य में पाकिस्तानी लोग जो हैं वे वैध वीजा से आते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए 'घुसपैठिया' शब्द न जोड़ा जाए। वैसे बांग्लादेशी हों, या कहीं भी, कई लोग जिस तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, बोर्डर के सारे क्षेत्र, जैसे चौहटन विधान सभा क्षेत्र, शिव विधान सभा क्षेत्र, मोहनगढ़, जैसलमेर, यहां तक कि बीकानेर में भी, यहां तक कि कुछ क्षेत्र हमारे भारतीयों के लिए भी प्रतिबंधित हैं, वहां से परमिशन लेनी पड़ती है सब-डिविजनल आफिसर से। लेकिन उस आड़ में जो घुसपैठिये आते हैं, कहीं गहना चमकाने की वजह से या कभी बिस्कुट सोने के बेचने की वजह से, लोगों को, वहां गरीब जो अनपढ़, अशिक्षित हैं उनको लूटने के लिए आते हैं, वह उसको घुसपैठिये कहते हैं, जिसके लिए अंकुश लगाना चाहिए।

पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, माननीय मंत्रीजी भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, वे वैध वीजा से आते हैं। उन लोगों के लिए, जिनके भारत में जज्बाती रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, अपने रिश्ते करने के लिए, बहन-बेटियों की शादी करने

(श्री तरुण राय कागा)

के लिए आते हैं। वहां धार्मिक उत्पीड़न से आते हैं। उनके जो हालात हैं उनको दूसरे तरीके से नहीं आंका जाए। वे इस तरह से परेशान होकर आते हैं। उनमें से कई-कई तो ऐसे मजबूर होते हैं कि पासपोर्ट-वीजा भी बिखेर देते हैं कि हमको तो चाहो मारो, या कत्ल करो, चाहे जो करो लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को हमको शरण देने की जरूरत है, ऐसे लोगों को हमें संरक्षण देने की जरूरत है, उनके लिए भारत सरकार से जो उचित हो सके, वह करके उनके लिए किया जाना चाहिए, उनके स्थायी वास के लिए, वीजा के लिए।

जो हमारा नेशनल हाइवे 15 नम्बर है, उससे आगे चलने के लिए, वीजा के लिए, हमारी राज्य सरकार इसमें होशियार रहे और राज्य सरकार सदन में इसके लिए आगे कार्यवाही करे। मंत्री महोदय ने भी उनके लिए कहा है, उनके लिए नागरिकता की व्यवस्था का, लेकिन उसमें भी कई पेचीदगियां हैं, परेशानियां हैं। उनके साथ-साथ उनका स्थायी हो...

श्री सभापति: श्री शैतान सिंहजी।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मैं जो कह रहा था उसमें कागाजी ने भी बहुत कुछ कह दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसमें पाकिस्तान से आ रहे हैं वे आइडेंटिफाइड हैं और दुर्भाग्य है कि इस देश में जो आइडेंटीफाइड लोग हैं, उनको तो दिक्कतें हैं और जो अवैध आते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों के लिए कुछ न कुछ सहानुभूति से देखें क्योंकि वे परिवार हमारे उस क्षेत्र में मेव और भील बहुतायत में लोग आते हैं। वे वहां अपनी इज्जत बचाकर आये हैं। उन लोगों के साथ कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएं। कई वर्षों से वे तरस रहे हैं। यही निवेदन है।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपकी इजाजत से यह निवेदन है कि अलवर जिले में भी बहुत ज्यादा संख्या में आये हुए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनको आप परेशान करें, या भगाया जाए, लेकिन उनका आइडेंटिफाइड होना अति आवश्यक है। वह आप चाहे वार्ड से या पंचायतों से, पंचायत समिति से, कहीं से भी कराएं, तो वह आसानी से उपलब्ध होना अतिआवश्यक है। ये आइडेंटिफाइड जरूर होने चाहिए। बहुत ज्यादा हैं उधर।

श्री सभापति: आप रिएक्ट करना चाहेंगे, माननीय मंत्रीजी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वैसे तो मैंने अपने पहले के जवाब में भी कहा है कि जो लोग वहां से घबरा कर यहां आ रहे हैं, उनके साथ राजस्थान की सीमा पर भी और बाकी जगह पर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण से जो कुछ भी हम कर सकते थे, किया है। यहां तक कि हमने अभियान चलाकर उनको नागरिक बनाने के लिए दो राउण्ड भी किये हैं जिसमें उनकी नागरिकता भी हमने दी है, लेकिन इस चक्कर में यह नहीं रहेंगे कि हम उनसे आइडेंटिफिकेशन की पूछताछ भी नहीं करें। पूछताछ करने के बाद ही इस पर विभाग विचार करेगा कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं।

मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जितना मैनपावर और जितनी मेरी क्षमता है, उसके अनुसार ही इस समस्या को काबू करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर दो माननीय सदस्यों की पर्चियां आई हैं। एक माननीय सदस्या सोना देवी की है। वह पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के दायरे में कवर नहीं होती है, इसलिए मैं उसको डिस्अलाउ करता हूं। (व्यवधान) पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर सदस्य संख्या 176 भी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बताना चाहूंगी...

श्री सभापति: वैसे आपका यह विषय है नहीं कि पाइंट आफ इन्फोर्मेशन हो लेकिन आप ध्यान आकर्षण करना चाहें तो कर लें।

सूचना

रायसिंहनगर बस अड्डे के अन्यत्र स्थानांतरण की निरस्ती

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): विषय क्यों नहीं है, सर? बस स्टैण्ड, बस स्टैण्ड, रायसिंहनगर का बस स्टैण्ड जो है, पिछले विधान सभा सत्र में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पी पी पी मोड के तहत मॉडल बस स्टैण्ड बनाया जाएगा, लेकिन अब क्या है, वहां पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा मिलीभगत करके गुपचुप तरीके से तीन किलोमीटर बाहर लेकर आ रहे हैं। मैं सरकार को अवगत करवाना चाह रही हूं कि उसको वहीं पर रखा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

जनता जल योजना के तहत विद्युत राशि के भुगतान का प्रबन्ध

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करना चाह रहा था कि पंचायत समितियों में जे जे वाई के जो कुएं थे, उनके कनेक्शन सभी काट दिये गये हैं, क्योंकि एक-एक गांव में चार-चार, पांच-पांच कुएं थे, उनके 18-18, 20-20 हजार रुपये बकाया हैं। पंचायत समितियों में पहले जो सरपंच थे उन्होंने जमा नहीं करवाये और अबकी बार मार्च में यह अभियान आया कि सबके कनेक्शन काट दो, सबके कनेक्शन काट दिये। अब मान लो, जिस गांव में दो कुएं थे, दोनों के कनेक्शन काट दिये। पैसा पंचायत जमा नहीं करवा रही और न पंचायत समिति जमा करवा रही है और न सरकार जमा करवा रही है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें सरकार को संवेदनशीलता से देखना चाहिए और पैसे जमा करवाने चाहिए। अब कह रहे हैं, पंचायतें जमा करवाएंगी। पंचायतों के पास फंड ही नहीं है। पहले वाले सरपंचों ने सारा खर्च कर दिया। पहले की सरकार ने एक योजना बनाई थी कि पंचायत समितियां जमा करवा देंगी और जे जे वाई का पैसा पंचायत समितियों में भेज देंगे। पंचायत समितियों के पैसे उन्होंने किस रूप में खर्च किये हैं, जमा नहीं करवाये, अब स्थिति यह है आज कि उन गांवों में पानी की भारी किल्लत है। न तो सरकार कोई व्यवस्था कर रही है और न पंचायत समितियां कर रही हैं।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्थिति में सरकार को देखना चाहिए और वह पैसा जमा करवाना चाहिए।

श्री सभापतिः श्री हनुमान बेनीवाल।

प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के समाप्ति के निर्णय की निरस्ती

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया था और 1 करोड़ रुपया इस बोर्ड को जारी भी कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले से इस बोर्ड को बंद करने की तैयारी चल रही है और मुख्य मंत्रीजी ने भी इसको हरी झण्डी दे दी, इस बोर्ड को बंद करने की।

एक तरफ तो पूरा देश, केन्द्र सरकार ने 21 जून को सभी राज्यों में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की है। अगर यह बोर्ड बंद हो जाता है तो 33 जिला मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में योग

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्राकृतिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, अलवर में योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोलना, इण्डियन मेडिसन बोर्ड, 5 वर्षीय नियमित बी एन वाई एसडिग्रीधारी डाक्टरों का पंजीकरण, सात सम्भाग मुख्यालयों पर एक ही छत के नीचे प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रोजेक्ट पर संकट आ सकता है।

सभापति महोदय, जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने के लिए हमेशा प्रधान मंत्री जी बात कहते रहते हैं और उनकी मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में मान लिया है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कल भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि प्राकृतिक चिकित्सा को, होम्योपैथिक पद्धति को, आयुर्वेदिक चिकित्सा को मजबूती से राजस्थान के अन्दर एक दिशा दी जाएगी।

श्री सभापति: पाइंट आफ इंफोर्मेशन पर आपकी जो इंफोर्मेशन है, वह अंकित कर ली गयी। I will not allow a debate or a detailed deliberation on this issue. It has now been taken on record. मैं अब आदरणीय सदस्य को कहूंगा कि आप विराज जायं, It has now been taken on record.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस बोर्ड को बंद न किया जाय।

श्री सभापति: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 । श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 । डा. रामप्रताप।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आज का दिन राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन की जो डिबेट इस बिल पर होगी, राजस्थान के इतिहास में याद भी की जाएगी। अनेक वर्षों से अनेक लोगों की एक ख्वाहिश थी कि हमारे राजस्थान में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिक पानी की वजह से तकलीफ है, तो कई हिस्सों में कम पानी की वजह से तकलीफ है। आज का जो विधेयक लाया गया है, यह उसकी ओर बढ़ता एक कदम है। जो नाम इसमें दिया गया है, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015, शायद इस समस्या के समाधान की ओर पहला और सशक्त कदम है।

इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री परम सम्माननीया वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने सुराज संकल्प पत्र में एक दृढ़ निश्चय किया था कि राजस्थान में जो हमारी भाषा में नदियों से नदियों को जोड़ने का विषय है, उसकी हम पालना करेंगे। जो सुराज संकल्प पत्र जारी किया गया था, उस सुराज संकल्प पत्र में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा था, जिसको मैं कोट करना चाहूंगा- ''राज्य में बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर पानी के पूर्ण उपयोग हेतु कार्ययोजना तैयार की जाएगी। डार्क जोन क्षेत्र का पुन: वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा।'' यह भी लिखा था- ''जालौर और बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में नर्मदा परियोजना, गुजरात का पानी निर्धारित मात्रा से कम उपलब्ध हो रहा है, जो शेष अपूर्ण नहरों के कार्य को शीघ्र पूरा करवाया जाकर सभी जगह सिंचाई

(श्री जोगाराम पटेल)

हेतु जल साधन उपलब्ध कराये जाएंगे।" दूसरे हिस्से के लिए भी लिखा था- "प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चम्बल, माही, कालीसिंध तथा पार्वती नदियों एवं नर्मदा नहर पर योजना को आपस में जोड़ते हुए पेयजल हेतु ग्रिड की स्थापना की कार्ययोजना तैयार की जाएगी जिससे पूरे प्रदेश में पेयजल योजना की सुचारु रूप से उपलब्धता की जा सके।"

अपने इस सुराज संकल्प के द्वारा भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति जाहिर की थी। उन्होंने तपती धूप के अन्दर यह देखा था कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी की वजह से दिनोंदिन भारी तकलीफ आ रही है। चाहे लूणी हो, चाहे सूकड़ी हो, चाहे बाण्डी हो, चाहे जोजरी हो, सारी की सारी नदियां सूख रही हैं। किसानों के साथ भारी अन्याय हो रहा है। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों और पशुधन के साथ भारी अन्याय हो रहा है और उनका उस क्षेत्र में रहना ही असम्भव हो रहा है।

इसी के आधार पर इस वर्ष का जो बजट उन्होंने पेश किया, उस बजट के आइटम नम्बर 46 में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा- "राज्य के सीमित जल संसाधनों के संदर्भ में राज्य के नदी बेसिनों में उपलब्ध जल का पूर्ण और समग्र विकास करना अति आवश्यक है। Four Water Concept आधारित योजना यथा वर्षा जल, सतही जल, भूजल तथा सोइल मोइश्चर, चारों प्रकार के जलों के एकीकृत प्रबंधन पर आधारित है। हमने राज्य के नदी बेसिन्स का विकास Four Water Concept पर करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के माध्यम से हम नदी तथा नालों को पुनर्जीवित करने और नदियों को जोड़ने का भी कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसानों और निवासियों की सक्रिय भागीदारी होगी। राज्य के रिवर बेसिन्स में उपलब्ध सरप्लस जल के उपयोग तथा एक बेसिन से दूसरे बेसिन में डायवर्जन से सम्बन्धित परियोजनाओं को लागू करने हेतु मैं राजस्थान रिवर बेसिन अथोरिटी के गठन की घोषणा करती हूं।"

उनकी बजट के आइटम नम्बर 46 में यह घोषणा थी। उस घोषणा का परिणाम है कि यह विधेयक माननीय मंत्रीजी यहां लेकर आये हैं। मैं मंत्रीजी का भी आभारी हूं कि इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी योजना बनाने का प्रयास किया है, एक एडवाइजरी कमेटी बनायी है, एक अथोरिटी बनायी है, उनको वित्तीय प्रबंधन दिया है। उनके स्टाफ के बारे में अभी निवेदन

(श्री जोगाराम पटेल)

करूंगा। इस अथोरिटी ने रियली में काम शुरू कर दिया और अपनी पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से व पूरी लगन से काम किया, तो आने वाले थोड़े दिनों के उपरान्त ही हमें यह देखने को मिलेगा कि लूणी नदी में पानी बह रहा है। हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं, पिछले 30 सालों से बराबर यह सुन रहा हूं कि यह काम करो, लूणी नदी सूखी है, इसको ठीक कर दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिला रहा हूं, मेरा स्वयं का अनुभव है, हमारे लूणी नदी के किनारे खेत थे, जब भी हम पानी पीने जाते थे तो मटका या और कुछ नहीं रखते थे, जब हमको प्यास लगती थी, जाते थे, धीरे से खोदकर पानी पीकर आते थे। वहां उस लूणी नदी, में या ऐसी अनेक नदियां होंगी, जिनमें आज कहीं भी पानी नहीं है। उसमें पाली या जोधपुर का दूषित पानी अवश्य आता है।

इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इस एक्ट का अध्ययन किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, यह पानी की कमी और नदियों के सूखने का विषय है, यह एक दिन का नहीं है, किसी एक राज्य का या एक सरकार का दोष नहीं है, यह लम्बे समय से प्रकृति के साथ खिलवाड़ का विषय है। अनेक पुराणों में इसका उल्लेख आया है, अनेक युगों में भी इसका उल्लेख आया है और यह कहा भी जा रहा है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ऐसे अनेक उदाहरण आपने सुने होंगे। इसी के आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी यह कंसेप्ट चला है और यह कहा जाता रहा है कि संसार में सर्वप्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई, वह पानी से ही हुई है। इसका महत्व जो बताया गया है, जल, पानी, वाटर, जो भी इसका नाम दें, इसके लिए हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है, पुराणों में भी कहा है कि अगर संसार में सबसे पहले किसी जीव की उत्पत्ति हुई, तो वह पानी के माध्यम से हुई है। उसके उपरान्त तो संसार इतना बड़ा हो गया है। इसलिए ऐसी महत्ता के विषय को, जिसके लिए हमारे रहीमदासजी ने कहा है, ''रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी बिना न उबरे, मानुष, मोती, चून।''

यह इतना अहम विधेयक है। मैं इस लिहाज से आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पहल करके इस सत्र में इस विधेयक को लाये हैं और इसके आधार पर आपकी यह मंशा स्पष्ट झलकती है कि आप वाकई राजस्थान को एक ऐसा कार्यक्रम देना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे और

(श्री जोगाराम पटेल)

जो भी सूखी नदियां हैं उनमें पानी बहे और जिन नदियों में अधिक पानी की वजह से जो तकलीफ हो रही है वह कम हो।

मानननीय सभापति महोदय, जल सभी विकासात्मक गतिविधियों के लिए मूलभूत आवश्यकता का आधार है। कोई भी संसार का, किसी भी देश का, प्रदेश का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, अगर विकास होगा तो उसमें जल का कहीं न कहीं महत्व अवश्य रहेगा। जन्म से लगाकर जब तक हम अंतिम स्थान पर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तब तक जल का सम्बन्ध रहता है।

(14.00 बजे)

अतः जल संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन, सुनियोजित विकास का अभिन्न अंग है। भारत जैसे विशाल देश में प्रत्येक प्रदेश की जलवायु, भूविज्ञान के कारण देश के विभिन्न भागों में जल संसाधनों का वितरण भी समान नहीं है। हम सब भली-भांति परिचित हैं कि हम पूर्वी भारत में जाएंगे तो अलग स्थिति मिलेगी, पश्चिमी भारत में जाएंगे तो अलग स्थिति मिलेगी। अगर राजस्थान प्रदेश को भी लें तो पश्चिमी राजस्थान में जाएं तो अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पूर्वी राजस्थान में जाएं तो अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, दक्षिणी राजस्थान में जाएं तो अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसी वजह से यह कहा भी गया है और वास्तविकता भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रांत है जिसका कुल क्षेत्रफल 342.53 लाख हैक्टेयर है और शायद हिन्दुस्तान का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें लगभग 257 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। इतना बड़ा क्षेत्र किसी प्रदेश के पास नहीं है जो कृषि योग्य हमारे पास उपलब्ध है और जिसको हम उपलब्ध कर पाये हैं। अगर हमारे पास जल संसाधन होते तो शायद यह आंकड़ा डबल हो सकता था।

मानननीय सभापति महोदय, हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है, वह प्रदेश की औसत का 11 प्रतिशत है। राज्य में पानी की उपलब्धता मात्र, प्रति व्यक्ति राज्य के स्तर का औसत 800 घनमीटर से भी कम है, जो देश में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत है। इस तरह हमारे पास 11 प्रतिशत तो क्षेत्रफल है और उसके लिए पानी जो हमारे पास है वह 1.16 प्रतिशत ही है। यह जो हमारी विडम्बना है, इस विडम्बना को ठीक करने के लिए यह एक्ट बहुत ही काम आएगा। राज्य में सतही जल स्रोतों की कुल उपलब्ध जल की मात्रा 16.05 बी सी एम आंकी गई है।

(श्री जोगाराम पटेल)

यह भी नहीं है। हमारी जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है वह राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है और दो भागों में विभक्त करने की वजह से हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला प्रदेश को दो भौगोलिक खण्डों में विभाजित करती है। पहला उत्तर-पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग है जिस भाग को हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं या मरु प्रदेश कहते हैं। इस अरावली की वजह से हम मरु प्रदेश की तरफ आ गये और एक दूसरा प्रदेश उधर रह जाता है जिसमें बहुत कम वर्षा होती है तथा प्राकृतिक जल की उपलब्धता अत्यन्त ही कम है। इस भाग में वर्षानुकूल मुख्य नदी लूणी तथा इसकी अन्य सहायक नदियां स्थित हैं जिसके दूसरे पूर्वी भाग में चम्बल मुख्य नदी है जो राजस्थान के थोड़े से हिस्से में ही बहती है तथा इसकी सहायक नदियां बनास, गम्भीरी, आदि हैं जो अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी में मिलती हैं। वह भाग हमारा अधिक जल वाला भाग है, हरा-भरा भाग है और वहां यह समस्या है कि अनेक बार वहां बाढ़ आ जाती है। तो एक भाग अरावली का मरु प्रदेश का भाग है जहां शायद लूणी सबसे बड़ी नदी है जो सूखी है, चाहे बांडी है, या चाहे सूखड़ी है, चाहे जोजरी है, या और कोई नदियां हैं, वे सूखी हैं और दूसरी तरफ वे नदियां हैं जो माही या चम्बल हैं, तो उनमें अधिक पानी होने से समस्या है। दक्षिणी भाग की इन नदियों को जिनकी सहायक नदियां हैं, सोम, बनास, जाखम, साबरमती है जो दक्षिणी भाग में बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। राजस्थान में वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना अति आवश्यक हो गया है जिससे सतही जल की उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ भूजल स्तर भी बढ़ सके। अतः उपलब्ध जल एवं वर्षा जल के उपयोग हेतु योजना बनाकर पानी का संरक्षण करते हुए सिंचाई सुविधा में विस्तार करना राज्य के विकास के लिए अपरिहार्य है। इसी के तहत, माननीय मंत्री महोदय, आप जो यह एक्ट लेकर आये, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में यह अभिनव प्रयोग हुआ; और भी हुए हैं। यह जो हमारी पहले राजस्थान नहर थी, फिर कालांतर में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हुआ, यह नहर भी उसका एक छोटा रूप ही है। यह जो नहर है, यह नहर भी कहीं से निकलकर आई है और इस नहर से पहले इसका भौगोलिक परीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रकृति की असीम विषमताओं से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला कर, मनुष्य श्रम का अदम्य साहस एवं संघर्ष का परिचय दे, पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरु भूमि, दूरस्थ हिमालय में स्थित रावी एवं व्यास, या गंगा-यमुना, या अन्य नदियों के जल से सिंचित होकर जीवित होगी; करोड़ों लोगों की लाखों हैक्टेयर भूमि में लहराती फसलें होंगी। माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान भी दिलाना चाहूंगा कि अगर यह सब होगा, भूमि में लहराती फसलें होंगी, उस वसुंधरा का अगर कोई प्रताप होगा तो वह प्रताप आपके मार्फत ही होगा। यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। कहा जाएगा कि जीवन आनंदमय होगा और वह जीवन जब आनंदमय होगा, जब वसुंधरा हरी-भरी होगी, तो राम का पूरा प्रताप हमारे ऊपर हो जाएगा। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस नहर का जो उद्‌गम हुआ, जिसके लिए मैंने कहा कि यह नदियां जोड़ने का एक छोटा-सा रूप है; इस नहर का जो उद्‌गम हुआ, यह पंजाब राज्य में स्थित हरिके बैराज से हुआ जहां से 200 किलोमीटर लम्बी फीडर नहर पंजाब, हरियाणा व 34 किलोमीटर राजस्थान में निकलती है। पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर है और राजस्थान में 34 किलोमीटर है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, जहां से आपका अधिक नजदीक का सम्बन्ध है। इंदिरा गांधी फीडर नहर के अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लम्बी इंदिरा गांधी नहर प्रारम्भ होती है जो गंगानगर व बीकानेर जिलों से निकलती हुई जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इस परियोजना हेतु रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 7.59 एम ए एफ पानी का प्रावधान निर्धारित किया गया है। यह जिस तरह से योजना बनी और इस योजना का जो कार्य हुआ, जिसका मीठा जल हम जोधपुरवासी भी पीते हैं, यह नदियां जोड़ने का अनुपम प्रयोग था। 450 किलोमीटर की नहर बनकर पानी जोधपुर में आ सकता है, या मोहनगढ़ और जैसलमेर जिले में, या हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में पेयजल उपलब्ध हो सकता है, या सिंचाई का उपलब्ध हो सकता है, और अन्य नदियों को यदि जोड़ा जाएगा तो इसी अनुरूप और इसी कार्ययोजना के तहत बड़े रूप में पानी हमें मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, नर्मदा परियोजना भी इसी का एक रूप है। कहां से नर्मदा प्रोजेक्ट बना, कहां नर्मदा नदी चलती थी। उसके ऊपर डैम बना,

(श्री जोगाराम पटेल)

डैम बनने के बाद कहां से पानी घूमता हुआ ठेठ हमारे राजस्थान में आया। उसका भी थोड़ा-सा, छोटा-सा अगर इतिहास देखेंगे तो आप पायेंगे कि वह भी नदियों को जोड़ने का एक छोटा रूप था। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि कितना हिस्सा है, कितना क्या है, हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फीट नर्मदा जल विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1997 में निर्धारित किया गया था। नर्मदा जल सरदार सरोवर बांध से 448 किलोमीटर लम्बी नहर का जल गुजरात राज्य में बहता हुआ राजस्थान के गांव चीलू, तहसील सांचौर, जिला जालोर में प्रवेश करता है। मैं पुनः राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि चीलू में अगर पानी लाने का जो सर्वप्रथम भागीरथी प्रयास किया था तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया था और उनके पूर्व के कार्यकाल में इसका उद्घाटन कर जो कार्ययोजना बाड़मेर जिले और जालौर जिले के कुछ गांवों के लिए, जिनमें गुढामालानी भी आता है, सांचौर भी आता है, वह जो कार्ययोजना बनी थी, अगर वह समय पर कार्ययोजना के अनुसार पूर्ण हो जाती, तो आज वह क्षेत्र हरा-भरा होता। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान वह योजना वहीं ठप रह गई और उसका कार्य नहीं हुआ और अब शायद कार्य प्रारम्भ हुआ है। वर्ष 1989-90 की दरों पर आधारित परियोजना की लागत, रुपये 567.5 करोड़ की योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी, परन्तु इसमें पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। मैसर्स वेबकोस द्वारा दिये गये सुझाव-अनुसार परियोजना को संशोधित किया गया तथा संशोधित लागत 1,541.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिनांक 16.9.2000 को जारी की गई। अब पुनः परियोजना की संशोधित लागत 2,481.91 करोड़ की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को पत्र द्वारा भेजी गई है। मैं इतना निवेदन करना चाहता था कि यह योजना भी नदियों को जोड़ने का एक छोटा-सा उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, यह नदियां जोड़ने की जो योजना और परिकल्पना है, उसका यदि सबसे अधिक श्रेय संसार में जाता है तो आदरणीय और लोकप्रिय, 'भारत रत्न' से सम्मानित, आदरणीय वाजपेयीजी को जाता है। उन्होंने ही 2002 में एन.डी.ए. के शासनकाल के दौरान इसकी परिकल्पना की थी। मैं उस विषय पर जाऊं उससे पहले आपसे कुछ निवेदन और भी करूंगा। इस विषय पर विभिन्न न्यायालयों में भी अनेक तरह की पी.आई.एल. लगी हैं और अनेक तरह के कार्य भी हुए हैं, निर्देश भी हुए हैं, परन्तु आदरणीय अटल

(श्री जोगाराम पटेल)

बिहारी वाजपेयीजी ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया था। उन्होंने जो सड़कें बनाने का कार्य किया था, उससे भी अधिक चुनौती के रूप में इसको लिया था और जो आज हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं आदरणीय प्रभुजी, उनको इसका एक अलग से प्रोजेक्ट बनाकर, उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर, इस योजना को पूर्ण करने का निर्देश भी दिया था, कार्ययोजना भी प्रारम्भ हुई थी। पर प्रकृति और भगवान को मंजूर नहीं था, शासन बदल गया और शासन बदलने के उपरांत वह कार्ययोजना पूरी नहीं हुई।

नदी जोड़ो परियोजना वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने एन.डी.ए. सरकार में प्रारम्भ की थी। जैसा मैंने निवेदन किया, आदरणीय सुरेशजी प्रभु को इसको मंत्री बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उस परियोजना की लागत तत्कालीन समय में पांच लाख करोड़ रुपये थी और इसकी अवधि सन् 2016 तक पूर्ण होने वाली थी, यह आने वाला सन् 2015 के बाद 2016 वाला; अब लेकिन इस योजना की जो लागत आयेगी, वह पता नहीं, कितने गुना आयेगी। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, वह अनुमान भी लगा सकते हैं और कब तक वह पूर्ण होगी, यह भी पता नहीं। इसमें यह निश्चित किया गया था, अनुमान लगाया गया था और यह निर्देश दिये गये थे कि इस अवधि के दौरान इसको पूर्ण करना है। सन् 2050 तक 16 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में, 2002 की जो योजना बनी थी, सन् 2050 तक 16 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने के प्रावधान थे और अगर वह तत्कालीन समय में प्रारम्भ हुई योजना आज दिन तक चलती, तो शायद हम 16 करोड़ पूरी तो नहीं, लेकिन उसका एक-तिहाई भाग तो हम आज तक सिंचित कर लेते। उसमें मुख्य उद्देश्य यह था कि बाढ़ की विभीषिका का इससे बचाव किया जाये; जहां बाढ़ आ रही है, उसे रोका जाये; जहां पानी की वजह से विभीषिकाएं आ रही हैं, वहां रोका जाये और जो सूखा प्रदेश है, उसमें पानी लाया जाये।

इतना ही नहीं, उस महती परियोजना का हमने दो बार, तीन बार अध्ययन किया, जिसमें यह भी है कि बिजली की जो समस्या है, हिन्दुस्तान में ही नहीं, राजस्थान प्रदेश में आज है। अगर वह योजना बन जाती, उसमें अपने आप ही ऐसी योजना बनाई गई और बिजली उत्पादन इतना होता कि शायद कई राज्यों को फ्री बिजली भी मिल जाती। अब वह योजना नहीं बन सकी, उसका एक अलग कारण हो सकता है। उस योजना को भी दो पार्ट में

(श्री जोगाराम पटेल)

बांटा गया था और उसके दो ग्रिड बनाये गये थे, उत्तरी ग्रिड और दक्षिणी ग्रिड। उत्तरी ग्रिड में, जिसका अलग हिमालय क्षेत्र है, उस हिमालय क्षेत्र में भारत और नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों पर बड़े जलाशय बनाना ताकि बारिश में अतिरिक्त पानी इकट्ठा किया जा सके, बाढ़ से बचाया जा सके, जल विद्युत का उत्पादन हो। कोसी-घग्घर, जिसका नाम हम हमेशा सुनते हैं। बरसात के दौरान इसमें बाढ़ आती है; कोसी-घघरा, कोसी-मेज, घघरा-यमुना, गडर-गंगा, यमुना राजस्थान, राजस्थान साबरमती, सागदा-यमुना, फरक्का-सुन्दरवन, ब्रह्मपुत्र-गंगा, सुरवर्णिका-महानदी और गंगा-दामोदर सुरवर्णिका नदियों को जोड़ने की यह कार्ययोजना उसमें थी। जो दक्षिणी ग्रिड था, जिसको दूसरों से अलग इसलिए बनाया गया, उस दक्षिणी ग्रिड में था, जिसको प्रायद्वीप के रूप में दिया गया था, उसमें माही नदी और गोदावरी को पोद्दार, कृष्णा, कावेरी से..., केरल और कनार्टक के पश्चिम की ओर बहती हैं, उसकी कार्ययोजना को अगर आप देखें, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियां और तापी और दक्षिणी भाग के बंबोई के उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ना, यमुना के दक्षिण की सहायक नदियों को आपस में मिलाना, ये दो पार्ट उसके करके, इन नदियों को एक में 14 नदी रखी गईं और एक में 16 नदी रखी गई थीं, और खाली नदियों को जोड़ना ही नहीं था, और भी कई कार्ययोजना उसमें थीं, परन्तु वह कार्ययोजना उस वक्त पूरी नहीं हो सकी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हिन्दुस्तान के अन्य माननीय उच्च न्यायालय भी इस सम्बन्ध में बहुत सीरियस हैं और उन्होंने भी समय-समय पर ऐसी पी आई एल पर अपने आदेश पारित किये हैं, अपने निर्णय पारित किये हैं। अभी जो ताजा निर्णय हुआ है फरवरी, 2012 में और फरवरी, 2012 में पूर्व में अनेक रिट याचिकाएं 2002 और 2000 से पहले से विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग थीं और उनमें से एक रिट याचिका संख्या जो पी आई एल के रूप में थी, 512/2002 और दूसरी थी 668/2002 । इन सबकी सुनवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के सामने जब आई तो माननीय कपाड़िया साहब, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, माननीय स्वतंत्र कुमारजी और माननीय एस.के. पाठक साहब ने एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है और केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि तुरन्त प्रभाव से इसकी कार्ययोजना अगर उनके पास है तो

(श्री जोगाराम पटेल)

उसको इम्प्लीमेंट किया जाये; अगर नहीं है, तो बनाई जाये। लेकिन इसमें जो इश्यू बना था, वह मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। तीन इश्यू बने थे। इसमें एक इश्यू तो इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इश्यु नम्बर बी और सी है, वह मैं आज आपके सामने कोट करना चाहूंगा, आपकी इजाजत से, ''Issue an appropriate writ order or direction, more particularly a writ in the nature of mandamus....'' Nature of mandamus is a direction to a particular authority and government कि आप यह काम करो पर्टिकुलर टाइम में ''....mandamus directing the respondent No. 1...'' Respondent No. 1 means Union of India. ''..respondent No. 1 to take appropriate steps/action to interlink the rivers in the southern peninsula viz., Ganga, Kaveri, Vaigai and Tambaravani.'' और दूसरा जो था,- ''Issue an appropriate writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to formulate a scheme whereby the water from the west flowing rivers...'' जो पश्चिम में जाती हैं और पूरब की तरफ से आती हुई बहती हैं;। नदियां साधारणत: पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं ''...water from the west flowing rivers could be canalized and equitably distributed.'' जो पानी फालतू जा रहा है, उसका इक्विल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए।

इसमें जो पैरा नम्बर-2 में आया था, that is the most relevant. "The above directions were sought by the petitioner against the Central government as well as against various State governments for effective management of the water resources in the country by nationalization and inter-linking of rivers from Ganga, Kaveri, Vaigai, Tambaravani up to Cape Comorin.

''According to him, as early as....'' मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, माननीय सभापतिजी की मार्फत, ''...as early as in 1834, Sir Arthur Cotton, who had constructed the Godavari and Krishna dams, suggested a plan....'' और प्लान का नाम जो उन्होंने दिया था ''Arthur Cotton Scheme.'' मैंने कई बार यह जो डैम है, इसका विजिट किया है। डैम में आज की तारीख में भी डैम की वाल पर, अब तो प्रोहिबिट कर दिया कम्पनी ने, वे डैम की वाल पर जाने नहीं देते हैं, लेकिन डैम की वाल पर खड़े होते हैं तो खड़े नहीं रह सकते, इतना जोर से पानी दीवार से टकराता है, इतनी जोर से उसकी आवाज होती है। वह जो 1834 में बनाया था, उस वक्त की उनकी परिकल्पना थी कि इसमें कावेरी और कृष्णा को ही हमको नहीं जोड़ना है, हिन्दुस्तान की सभी नदियों को हमको जोड़ना है। ''...Arthur Cotton Scheme to link the Ganga and Kaveri rivers.'' उस वक्त गंगा और कावेरी रिवर में 1930 में सर सी.पी. अय्यर also suggested and supported such a scheme.

(श्री जोगाराम पटेल)

और कई बार हुआ, चलते रहे, कई स्कीम चलीं, लेकिन लास्ट में आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आब्जर्वेशन किया, वह यह कि "Thereafter various political leaders of the country have supported the cause; but no such schemes have actually been implemented. It is the case of the petitioner that the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (for Short 'the Act') and the River Boards Act, 1956 were enacted by the Parliament under Article 262 read with Entry 56 of List – I of the VIIth Schedule to the Constitution of India, 1950. Due to reluctance of water-rich States, the National Water Development Agency has not been allowed to undertake detailed survey and it is argued that only by nationalization of the rivers by the government of India, this problem can be resolved to some extent."

और अंत में जाकर उन्होंने कुछ जो लास्ट में आब्जर्वेशन किये और बताये कि इतनी-इतनी और इस तरह से ये रिटें बार-बार चली हैं।

"We must notice, to put the record straight, that on 19th September, 1994, a Bench of this Court took suo motu notice." 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटू नोटिस देकर यह कहा कि इसको जोड़ने का काम करो। "...Suo motu notice of a write-up that had appeared in the Hindustan Times newspaper, dated 18th July, 1994 titled 'And quiet flows the maili Yamuna.' Notice was issued to the Central Pollution Control Board..."

करते-करते, उन्होंने यह सारा करने के बाद अंत में जो आर्डर दिया और आर्डर में उन्होंने यह कहा "...and taking of other water management measures. On 16th September, 2002 this Court, while considering the said I.A. directed that the application be treated as an independent writ petition and issued notice to the various State governments as well as the Attorney General for India and passed the following order:- 'Based on the speech of the President on the Independence Day, even relating to the need of networking of the rivers because of the paradoxical phenomenon of flood in one part of the country while some other parts face drought at the same time, the present application is filed. It will be more appropriate to treat it as independent Public Interest Litigation with the cause title...." फलां-फलां करके उन्होंने यह कहा है और उसके बाद माननीय प्रधान मंत्रीजी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वह सारा प्रोजेक्ट बनाया।

तो यह इसकी हिस्टरी है। कावेरी-सतलज का विवाद हो, कावेरी-कृष्णा पर बना हुआ डैम, कर्नाटक में बना हुआ डैम हो, उस डैम की वजह से नदियां जोड़ने का जो कार्यक्रम चला; तब से लगाकर आज दिन तक होते-होते यह बात आज यहां तक आई है और आज माननीय मंत्री महोदय ने इसका पहला सशक्त कदम उठाया है। यह पहला सशक्त कदम जो है, वह राजस्थान में,

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान के मरु प्रदेश में, राजस्थान के जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश में अगर लहराता हुआ पानी आ गया, मीठा पानी आ गया, तो इतिहास याद करेगा, आने वाली कई पीढ़ियां याद करेगी कि एक ऐसे हमारे आदरणीय 'प्रताप' मंत्री थे, उन्होंने अपना पूरा 'प्रताप' बताया। उनके ऊपर राम की कृपा थी और राम की कृपा से यह ऐतिहासिक बिल यहां लाये हैं। मैं आपको इसीलिए निवेदन भी करूंगा कि जितना शीघ्र हो सके, इसमें कार्यवाही की जाए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, दो-तीन बातें आपसे निवेदन भी इस एक्ट के बारे में करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने जल संसाधन सलाहकार परिषद और एक अथारिटी के इसमें जो प्रोविजंस दिये हैं उन प्रोविजंस की ओर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। यह जो आपकी एडवाइजरी काउंसिल और प्लानिंग अथारिटी दो मेन इसमें हैं। एक आपकी एडवाइजरी काउंसिल हैं और एक आपकी प्लानिंग अथोरिटी है। इन दोनों में जो प्रोविजन किये, वे ठीक हैं लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वह स्ट्रेंथ आपने इतनी ज्यादा कर दी है कि रियलिटी में जो आपका आब्जेक्ट है उस आब्जेक्ट को एचीव करने में तकलीफ देगी। क्योंकि एडवाइजरी कांउसिल में आनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं इसके चेयरमैन हैं और करीब-करीब दस-बारह मिनिस्टर हैं, बाकी आपका सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। मेरा इसमें निवेदन यह है, if it is possible आप प्लीज कंसिडर करें, एडवाइजरी काउंसिल जितनी छोटी होगी तो ज्यादा मीटिंग होंगी, एडवाइज के नतीजे पर पहुंचने में सहायता मिलेगी। अगर एडवाइजरी काउंसिल इतनी बड़ी हो गई, कोई न कोई मेम्बर किसी न किसी कारण से नहीं आ सका। एडजोर्न होती गई, तो इसकी वजह से जो एडवाइज लेने के लिए आपने एडवाइजरी काउंसिल के प्रोविजन चैप्टर-।। किया है, इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा।

दूसरा इसमें मेरा सुझाव यह है कि इसमें आपको फाइनेंस सेक्रेटरी को तो मेम्बर रखना ही चाहिए। फाइनेंस सेक्रेटरी ही आपको राज्य की वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के बारे में टाइम पर बता पाएगा। आपने हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इसमें रखा है लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारी, आपने चीफ सेक्रेटरी को रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी ही आपको तुरन्त राज्य की वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दे पाएगा। जब आप एडवाइज अथोरिटी को देंगे तो अगर आप...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसमें दे रखा है न, वित्त विभाग का सचिव।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मदनजी, बात सुनो, मैं एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूं। मदनजी ने बिना देखे बताया है। इसमें मेरा निवेदन यह था कि एडवाइजरी काउंसिल में फाइनेंस सेक्रेटरी मेम्बर नहीं है। तो मेरा निवेदन यही था, माननीय मंत्री महोदय, if it s possible.

एक मैं निवेदन यह कर रहा था, मैंने अमेंडमेंट भी दिया है, आपने जो "four persons having experience of at least 20 years..." मेरा यह सुझाव है कि 20 यीअर्स का पीरियड वाले एक्सपीरियंस-होल्डर्स शायद आपको कम मिलें। इसके टाइम को अगर आप थोड़ा रिड्यूज कर सके। इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट अगर है और उसका एक्सपीरियंस अगर आप 20 यीअर्स से कम करके, मैंने टेन यीअरर्स का सजेशन दिया है। अगर आप इसको देख सकें और प्रैक्टिकली पोसिबल हो, क्योंकि "four persons having experience of at least 20 years in the water resources sector, including experience as Chief Engineer in the Water Resources Department of the State Govt." और बीस साल का एक्सपीरियंस वाला वाटर रिसोर्स का चीफ इंजीनियर शायद ही मिल पाएगा; जहां तक मुझे अनुभव है, उस दौरान उसकी सेवानिवृत्ति की अवधि आ जाती है। ऐसी स्थिति में इस अवधि को भी अगर थोड़ा सा कम किया जाए। तो मेरा ऐसा सुझाव है। अगर पोसिबल हो तो इसको आप कंसिडर करें।

दूसरा, आपने जो प्लानिंग अथोरिटी बनाई है, यह सबसे महत्वपूर्ण बाडी है, जो सारी इस प्लान को करेंगी। इसमें एक चीज को आपने इंटेंशनली रखा है, या भूल से रखा है, या कोई कारण है, आप वह जरूर एक्सप्लेन करें। इसका जो चेयरमैन होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस फील्ड का होगा, इस बारे में आपने जान-बूझकर के इसको, जिसको हम हमारे लीगल टर्म में एम्बिग्यूटी कहते हैं, उसको आपने रखा है; या इसके पीछे कोई उद्देश्य है तो वह आप जरूर एक्सप्लेन करें।

साथ ही साथ इसमें तीन बातें और मिसिंग हैं। आपकी जो प्लानिंग अथोरिटी है यह चेप्टर-III में, इस प्लानिंग अथॉरिटी की जब भी मीटिंग होगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो इसका कोरम क्या होगा? क्या पर्टिकुलर एक आदमी आ गया तो चलेंगे? टू-थर्ड आ गये तो चलेंगे, वन थर्ड आ गए तो भी चलेंगे? इसलिए कोरम का भी कोई न कोई आपको इसमें डिसिजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज मीटिंग पूर्ण कैसे होगी? साथ ही, जो आपका डिसिजन लेने वाला है, ऐसे कौनसे डिसिजन होंगे जो बहुमत के आधार पर हो जाएंगे? ऐसे कौनसे डिसिजंस होंगे जिसमें टू थर्ड मैजोरिटी की आवश्यकता

(श्री जोगाराम पटेल)

होगी? या टू-थर्ड, वन-थर्ड मैजोरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है; एक या दो या पांच मेम्बर आ गये और उन्होंने जो डिसिजन ले लिया, वह इम्प्लीमेंट होगा? ये जो बातें थी कोरम के बारे में, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में, डिसिजन मेकिंग पावर जो दे रहे हैं उसमें कितने लोगों की प्रजेंस जरूरी है, जिसको हम कोरम बोलते हैं, उसके बारे में आपने इसमें कुछ नहीं बताया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप एक्सप्लेन अवश्य करें। हो सकता है, मेरे ज्ञान के अनुसार कहीं कमी रह गई हो।

अब आपने दो अथोरिटी बनाई हैं एक एडवाइजरी काउंसिल और प्लानिंग अथोरिटी, इसमें एडवाइजरी कमेटी की जो एडवाइज है क्या उसको मानने के लिए प्लानिंग अथोरिटी बाउण्ड है या उसकी किसी एडवाइज को बाइपास भी कर सकती है? यह इसमें कहीं पर भी प्रावधान नहीं बनाये हैं। अगर प्लानिंग अथोरिटी अपने स्वयं के विवेक से निर्णय ले और एडवाइजरी काउंसिल उसे डैफर करे तो उस परिस्थिति में क्या होगा? इसका निर्णय भी इसमें नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसमें भी करें कि एडवाइजरी काउंसिल का जो भी डिसिजन है या एडवाइजरी काउंसिल की जो भी एडवाइस है, वह एडवाइज किस समय कितनी एक्सटेंट तक प्लानिंग अथारिटी पर बाइंडिंग होगी और वह प्लानिंग अथारिटी जो है उस एडवाइस के अनुसार ही कार्य करेगी, या अपना सुओमोटो निर्णय भी ले सकेगी?

और लास्ट में मैं निवेदन करूंगा कि अगर चेयरमैन नहीं है तो आपने इसमें प्रोविजन बनाया है सेक्शन-5 के सब-क्लाज-4 में-"The Chairperson and expert members shall be nominated by the State Government. and the Chair-person and expert members shall hold office for five years.''

(14.27 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

तो ये जो एक्सपर्ट मेम्बर हैं उन एक्सपर्ट मेम्बर्स का नोमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? मुझे पसंद आ गया, ये बेस्ट हैं, इनको नोमिनेट कर दिया, या there are some guidelines, there is some bio-meter, there is some आधार जिसके आधार पर उस एक्सपर्ट मेम्बर को आप नोमिनेट कर सकेंगे? और सेम प्रोविजंस में सेम कहूंगा, चेयरमैन के लिए what is the bio-meter? What is the ground on which you can select an appropriate person for Chair-person as well as the expert persons? Please explain in your reply, why all these provisions were not been inserted in this Act?

मेरा अंत में निवेदन यह भी है, आपने इसमें प्रोविजन बनाया है कि चेयरपर्सन जो है वह हमेशा जब भी इसकी मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड-ओवर

(श्री जोगाराम पटेल)

करेगा और आपने इसमें यह भी प्रोविजन बनाया है कि अगर चेयरमैन नहीं आया है तो चेयरमैन जिसको नोमिनेट करेगा, वह उसकी मीटिंग करेगा। आप एक कल्पना करें, चेयरमैन साहब कहीं जा रहे हैं, अचानक ऐसे बीमार हो गये कि बोलने की स्थिति में नहीं हैं, चेयरमैन तो कोमा में चले गये, तो जो मीटिंग होगी, उसके लिए चेयरमैन साहब ने तो किसी को नोमिनेट किया नहीं। तो उसको प्रिसाइड-ओवर कौन करेगा? आज तक के जितने भी एक्ट हैं उस एक्ट में, चाहे नगरपालिका है, पंचायत है और को-आपेरिटव, वगैरह हैं, जितने भी एक्ट बने, उनमें यह है कि उस मीटिंग में जो मौजूद लोग हैं वे अपने में से एक आदमी को चेयरपर्सन बनाएंगे। इसमें आपने यह कर दिया कि चेयरपर्सन ही करेगा। और चेयरपर्सन नहीं कर पाया तो क्या होगा? इसको भी आप अपने जवाब में अवश्य क्लीयर करें। और अगर चेयरपर्सन मौजूद है और अनावश्यक रूप से आना ही नहीं चाहता और मुकर करके काम चला रहा है, तो उस परिस्थिति में भी क्या होगा? और सबसे ज्यादा जो हम लोग नेगेटिव माइंड पहले लेकर चलते हैं कि मैंने जो परिस्थिति बताई, एक्सिडेंट हो गया, कोई परिस्थिति हो गई, विदेश चले गये, उनकी मर्जी नहीं है, वह नोमिनेट किसी को करे ही नहीं। सब छोड़ दें, एक्सिडेंट नहीं हुआ, दुरुस्त है, सब कुछ है लेकिन उनकी मर्जी नहीं है, वह नोमिनेट ही नहीं करे किसी को, तो क्या मीटिंग थोड़े ही रुकेगी? चूंकि इतना इम्पोर्टेंट बिल है, इतनी इम्पोर्टेंट यह प्लानिंग ऑथोरिटी है, इसलिए इस बारे में भी आप अवश्य बतायें।

अंत में मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा...

श्री सभापति: अब आप अंत करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बस, एक मिनट में ही। आपका आदेश होते ही बंद।

श्री सभापति: आज की सूची बहुत लम्बी है, विधेयक भी बहुत लिये जाने हैं और इस पर भी बोलने वाले बहुत हैं। आप बहुत विद्वान हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने एक अनुभव किया है कि जब भी लेजिस्लेचर का कार्य आता है, बाकी सब विधायक कहते हैं कि हां, ठीक है, हो गया, हो गया, पास करो चलो।

श्री सभापति: मैं ऐसा नहीं कहता।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने आपको नहीं कहा। मैंने आपको इंडिकेट ही नहीं किया।

श्री सभापति: आप बहुत विद्वान हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मुझे मेरी विद्वता नहीं चाहिए। इस लेजिस्लेशन, इस हाउस में सब लोगों का मानस बनेगा, डिबेट होगी, तभी कोई न कोई विधेयक बनेगा, वह सही बनेगा। मेरे अकेले से या किसी और के अकेले से नहीं होगा। एक मिनट ही लूंगा।

श्री सभापतिः आप आसन से सहयोग करेंगे, यही मेरा आपसे कहना है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपका आसन का आदेश सर्वोपरि।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, ये महान् अधिवक्ता हैं, इनसे हमारा ज्ञानवर्द्धन होना चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आदेश आसन का चलता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप भी इनसे कम नहीं बोलोगे, उतना ही बोलोगे, फिर एक ही बिल पास होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आसन सर्वोपरि है। यह विक्रमादित्य का आसन है। इस आसन पर जो विराजते हैं वे महान् विक्रमादित्य से कम नहीं हैं। इस आसन को हम सलाम करते हैं। इस आसन का आदर होगा तो हमारा भी आदर होगा। इस आसन के पीछे हम सब कुछ हैं। इसलिए आपकी एडवाइस के लिए आपको धन्यवाद, लेकिन आदेश तो आसन का ही चलेगा।

मैं जो अंत में निवेदन कर रहा था, वह यह कि इस एक्ट के जो बाकी प्रावधान हैं, बजटीय प्रावधान हैं, फंक्शनिंग अथोरिटी है, मेम्बर्स हैं, सैलेरी है, मशीनरी है, एन्यूअल रिपोर्ट है, पावर है, इन सब के बारे में ठीक है, लेकिन एक विषय जो रहेगा, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, अल्टिमेटली व्होल कंट्रोल आफ्टर आल, यह सब एडवाइजरी काउंसिल और प्लानिंग अथोरिटी होने के बावजूद भी व्होल कंट्रोल वापस गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जब एडवाइजरी काउंसिल में चेयरपर्सन स्वयं चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसके पीछे सेक्शन 18 बनाने की जो आपकी मंशा रही होगी, कोई न कोई आपकी मंशा अवश्य रही होगी, उसको आप एक्सप्लेन अवश्य करें। क्योंकि अगर एडवाइजरी काउंसिल ने कोई एडवाइस दे दी, प्लानिंग अथोरिटी ने उसको मान लिया, प्लान बना लिया और उसके बाद में गवर्नमेंट को नहीं जंचा, तो फिर वह सारा फेल हो गया। इसलिए यह सेक्शन 18 बनाने के पीछे जो आपकी मंशा रही है, या आपका कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा, आपने बहुत ज्यादा एग्जामिन भी किया होगा, लॉ डिपार्टमेंट ने भी इसको बहुत ज्यादा एग्जामिन किया होगा, इसका वक्तव्य देकर आप अवश्य बतायें।

(श्री जोगाराम पटेल)

आप यह जो एक्ट लाये हैं, इसके लिए मैं आपको और विशेष तौर से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा जी राजे को धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा; राजस्थान की पूरी जनता आभार व्यक्त करेगी और हम पश्चिमी राजस्थान वाले तो विशेष आभार व्यक्त करेंगे और जो हम लूणी से प्रभावित हैं वे तो और भी आभार व्यक्त करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी लूणी नदी में एक मीठा बहता हुआ पानी बहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री शुभकरण जी चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 विचार के लिए आज सदन में पेश हुआ है। अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जब इस पर चर्चा कर रहे थे, व्यापक संदर्भों में उन्होंने इस एक्ट के बारे में चर्चा की है और उन्होंने यह कहा है कि आज का दिन राजस्थान के इतिहास में लिखा जाने वाला दिन होगा, जब हम एक इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस राजस्थान में पारित कर रहे हैं।

यह बात सच है, माननीय सभापति महोदय, इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में जो उल्लेख किया गया है कि राजस्थान जल की कमी वाला राज्य है; इसके पास देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत, मानव जनसंख्या 5.5 प्रतिशत, पशुधन 18.5 प्रतिशत और पानी जो सतही है वह 1.16 प्रतिशत है; और हमारे 243 खण्डों में से केवल 25 उपखण्ड हैं जो डार्क जोन में नहीं बचे हैं। इस पर पहले भी चर्चा हो गयी है। मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पानी केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, अन्तरराष्ट्रीय मुद्दा है और कई बार इस प्रकार के लेख सामान्यत: पढ़ने को मिलते हैं। प्रकृति बढ़ती हुई आबादी की मांगों और जरूरतों को पूरा करने के लिए दोहन का अधिकार देती है लेकिन दोहन जब शोषण की पराकाष्ठा पर चल जाता है तो प्रकृति स्वयं इसका विरोध करती है और इसीलिए कल्पना की गई है कि अगर दुनिया में कोई तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। आज इस राजस्थान में पानी के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो सरकार बिल लेकर आयी है, राजस्थान के व्यापक संदर्भों में राजस्थान की चिन्ता को, सरकार की चिन्ता को इससे समझा जा सकता है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, यह आज की आवश्यकता है और राजस्थान की भौगोलिक, पेयजल, सिंचाई जल और सारी समस्याओं के संदर्भ में देखें, तो परिस्थितियों के अनुकूल यह उठाया गया समसामयिक कदम है और इस बिल को लाने के पीछे जो उद्देश्य सरकार का रहा है प्रदेश की नदियों को जोड़ा जाए और केवल प्रदेश की नदियों को नहीं जोड़ा जाए, इस एक्ट में उल्लिखित किया है कि शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती की परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं पर भी काम किया जाए, दूरगामी सोच है, लेकिन यह जो एक्ट आया है, माननीय सभापति महोदय, इस तरह का एक्ट राजस्थान हिन्दुस्तान के तमाम प्रान्तों में सबसे पहले लाने वाला राज्य बन गया। यह जो एक्ट आया, हमारे राजस्थान का बड़ा भू-भाग रेगिस्तान है। ठीक इस प्रकार की परिस्थितियां आस्ट्रेलिया में हैं और आस्ट्रेलिया देश में एक मूर्य नाम की रिवर, जो सूखी नदी थी, वहां की गवर्नमेंट ने उस पर एक्सरसाइज की और मूर्य रिवर बेसिन अथोरिटी का गठन किया और व्यापक संदर्भ में जब उस पर काम किया तो सूखी नदी आज सदा-नीरा नदी की तरह प्रवाहित हो रही है। उसी को ध्यान में रखकर राजस्थान में यह बिल लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, एन डी ए की सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम नदियां जोड़ेंगे, बहुत व्यापक चर्चा की, लेकिन पिछले दस साल के कालखंड में जो यू पी ए की सरकार आयी, उन परियोजनाओं पर विराम लग गया। आज फिर से उन परियोजनाओं पर प्रधान मंत्रीजी ने जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी को काम करने का निर्देश दिया। अगर जो इस बिल में उल्लिखित परियोजना है शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती, माननीय सभापति महोदय, अगर ये परियोजनाएं पूरी होती हैं और राजस्थान इसमें अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी निभाने का प्रयास करता है, तो जो लक्ष्य निर्धारित है, राजस्थान की साढ़े सात लाख के लगभग हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी और पेयजल की दृष्टि से राजस्थान समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो इस आने वाले समय में राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित करेंगी, राजस्थान के किसान के जीवन को समृद्ध करेंगी, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ायेंगी, मैं समझता हूं कि अगर इस बिल के व्यापक संदर्भों में हम जाना चाहते हैं तो यह बिल अपने-आप में एक प्रगतिशील बिल है, महत्वाकांक्षी बिल है, एक ऐसा समसामयिक कदम है जो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान के इतिहास में एक मौलिक परिवर्तन लेकर आएगा, सारी परिस्थितियों के अन्दर।

इसीलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो बिल लेकर आई है इसमें कई सारे प्रोविजन किये हैं। अध्याय 1- नाम और परिभाषाएं, अध्याय 2-राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद और अध्याय 3 में राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन योजना प्राधिकरण का गठन। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह जो जल संसाधन सलाहकार परिषद बनी है, मुख्य मंत्री इसकी अध्यक्ष होंगी, 10 मंत्री इसके मेम्बर होंगे और 10 मंत्रियों के अतिरिक्त जो प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद जो आपने खाली छोड़ा है उसके पीछे मंशा क्या है? या तो विभाग का मंत्री उसका अध्यक्ष होता, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के सदस्य हो; या किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर सरकार उस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाना चाहती है। वह भी सलाहकार परिषद का सदस्य होगा। 10 मंत्री और मुख्य मंत्री, और जब उसके कर्तव्यों को हम पढ रहे हैं, ''राज्य सरकार को राज्य जल नीति के अनुरूप एकीकृत जल संसाधन प्रबंध नीति की सलाह देना और सिफारिश करना; राज्य सरकार को अन्तर-बेसिन और अन्तर उप-बेसिन जल अन्तरण की सिफारिश करना; एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना; माननीय सभापति महोदय, आप भी कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, जल संसाधन मंत्री जी स्वयं कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जिस परिषद में मुख्य मंत्री स्वयं हों, 10 कैबिनेट के मेम्बर हों, 10 कैबिनेट के मंत्री और मुख्य मंत्री मिलकर सर्कुलर से कैबिनेट मीमो तैयार हो जाता है, आर्डिनेंस लाया जा सकता है; जिसमें सारी की सारी सरकार मौजूद हो, जिससे कैबिनेट मीमो पास हो जाये, जिनके सर्कुलर से अध्यादेश पारित हो जाये, वह काउंसिल फिर कौनसी सरकार को सलाह देगी? यह महत्व का सवाल है।

इसके (ख) में लिखा है, प्राधिकरण के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण करना और उसे मानिटर करना, यह बात समझ में आती है; प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत राज्य की एकीकृत जल संसाधन योजना पर विचार करना और उसे उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित करना, यह भी बात समझ में आती है; प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जल संसाधन विकास परियोजनाओं पर विचार करना,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उसे उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित करना, जो प्राधिकरण सिफारिश कर रही है उसे स्वीकार करना, न करना, यह तो समझ में आता है; अच्छा होता, यह जो (क) क्लाज जोड़ा है, धारा 4 में (क), जल संसाधन की प्रबंध नीति की सलाह और सिफारिश राज्य सरकार को देना...। अब प्राधिकरण के (क) में भी आप आ जाइए, प्राधिकरण के जो 10 में कृत्य हैं, राज्य सरकार के जल संसाधन योजना विभाग द्वारा परिषद को प्रस्तावित की गयी एकीकृत राज्य जल संसाधन योजना की सिफारिश करना; वह प्राधिकरण को करेगी, उस परिषद को और परिषद राज्य सरकार को करेगी, इसकी मानिटरिंग करती कि प्राधिकरण द्वारा जो सिफारिश की गई है, उस पर निर्णय लेना, उसकी पालना सुनिश्चित करना, मैं समझता हूं, अगर इस प्रकार का क्लोज होता...; 10 कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट का मीमो पास करते हैं, आर्डिनेंस आ जाता है, कानून बन जाता है, और जिसमें मुख्य मंत्री अध्यक्ष हों, वह फिर किसको सलाह देंगे? यह मेरी समझ के बाहर का विषय है। इसीलिए इस पर बहुत ईमानदारी से एक बार विचार किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, जो प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य हैं, वाटरशेड का विकास, माननीय मंत्री महोदय, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वाटरशेड के बारे में, आप जाएं, इस राजस्थान की विधान सभा में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, यह वाटरशेड का महकमा, यह आपके अधीन काम नहीं करता, यह वाटरशेड का महकमा जिला परिषद के अधीन काम करता है और पिछले कई दशकों से काम करता हुआ चला आ रहा है। आज तक इस वाटरशेड महकमे में जल ग्रहण की जितनी योजनाएं बनीं, भारत सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया और अगर आप उसका भौतिक सत्यापन और सामाजिक मूल्यांकन करायेंगे, तो हजारों करोड़ों रुपये पर पानी फिर गया, कहीं खेतों में जल संरक्षण के काम के नाम पर। मैं कहूं कि यह वाटरशेड महकमा जो जिला परिषद के अधीन काम कर रहा है, यह वाटरशेड महकमा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने वाटरशेड कंसेप्ट पर काम करने का इर्रिगेशन में कंसिडरेशन किया, स्वीकार किया है। सबसे पहले आप वाटरशेड पर इर्रिगेशन के महकमे को नीतिगत तरीके से काम प्रारम्भ करने से पहले तय करें, पंचायत राज के अधीन काम करने वाला वाटरशेड का महकमा खतम होगा और भारत सरकार का जितना पैसा पंचायत राज के वाटरशेड महकमे को मिल रहा है वह सारा का सारा पैसा इर्रिगेशन को मिले, तो मैं दावे के साथ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कह सकता हूं कि जिस मंशा के साथ आप बिल को ला रहे हो, आंशिक रूप से उस पर सफलता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके आगे मैं कहना चाहता हूं, आपने नदियों की धाराओं पर बैराजों की श्रृंखला, सूक्ष्म और अल्प सिंचाई के टैंक, अप्रवाही रूप से बांधों का सन्निर्माण, माननीय सभापति महोदय, राज्य की 2010 की जल नीति में लिखा हुआ है, इस जल नीति का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध पानी की प्रत्येक बूंद-बूंद का संग्रहण करना...। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, पानी एक बड़ी समस्या है, आप लोग नदियां जोड़ना चाहते हों, एनिकट बनाना चाहते हों, बांध बनाना चाहते हों, मैं आपके माध्यम से आज माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैंने जब-जब मौका लगा इस सदन में इस बात को रखने का प्रयास किया; सभापति महोदय, अंग्रेजों के जमाने की एक नीति बनी हुई है, बी सी रेश्यो, बेनिफिट कास्ट; अंतर, लाभ और लागत; लाभ कितना होगा लागत के अनुपात में। आज राजस्थान की पिछले 50 सालों से दो दर्जन के लगभग मीडियम परियोजनाएं और 200 लघु सिंचाई परियोजनाएं लाभ-लागत अनुपात में फिट नहीं होने के कारण पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कम से कम 200 परियोजनाएं। आज आप सड़क बना रहे हो, पी डब्ल्यू डी में पैसा खर्च कर रहे हो, कोई लाभ-लागत का अनुपात नहीं, पी एच ई डी में कोई लाभ-लागत का अनुपात नहीं है, इस राजस्थान सरकार के तमाम डवलपमेंट की योजनाओं में किसी भी महकमे में लाभ-लागत अनुपात का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, और वह महकमा जो पानी का संरक्षण करके पानी, जो राष्ट्रीय जरूरत है, जीवन जल के बिना सम्भव नहीं हो सकता, उस पानी के संग्रहण में आप अंग्रेजों के जमाने की वह जल नीति, लागत-लाभ; अंग्रेजों ने तय किया, जहां मुनाफा होगा वहीं हम परियोजनाएं बनायेंगे, लेकिन जब देश आजाद हुआ और हमने भी जब जल संसाधन पर काम करना शुरू किया, एकदम हमारे पास 100-200 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं हो सकती थीं। उस समय देश में लोकतंत्र आने के बाद एक साथ 200 परियोजनाओं पर काम करते समय लाभ-लागत का अनुपात आपकी प्राथमिकता तय करने के लिए बन गया होगा कि हम 200 में से पहले किस पर काम करें जिसमें हमको लागत के अनुरूप लाभ मिल जायेगा। यह उस समय एक बात सामने हो सकती है लेकिन आज आजादी के 67 साल बाद एक के बाद एक स्टेट डार्क जोन होता चला जा रहा है। राजस्थान में जहां आज से 60 साल पहले 5 उपखण्ड भी डार्क जोन नहीं होंगे, आज ढाई सौ से ज्यादा उपखण्ड डार्क जोन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में चले गये और आपने लगातार इन 50 सालों में डार्क जोन से बचने के लिए जल नीति में कह दिया, एक-एक बूंद जल का संरक्षण करेंगे। मैं समझता हूं, इन 50 सालों में आपने अंग्रेजों के जमाने की नीति को स्वीकार करके 200 से ज्यादा लघु सिंचाई योजनाओं पर काम नहीं किया। आपकी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं दो दर्जन के लगभग केवल इस कानून के कारण अटकी हुई हैं। आप नदियां भी जोड़ लेंगे, नदी जोड़ने के बाद आप साढ़े 7 लाख हैक्टेयर पर काम करेंगे, सिंचाई करेंगे; आज राजस्थान में लाखों हैक्टेयर में फ्लड इर्रिगेशन हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी 2,00,057 हेक्टेयर जमीन जो कृषि योग्य है, इसमें से लाखों हेक्टेयर जमीन, आज भी किसान यह अपेक्षा कर रहा है कि सरकार की किसी योजना से सिंचाई के संसाधन खड़े हों, मेरे खेत के ऊपर भी।

सामान्यत: हमारे हाड़ौती में एक कहावत प्रचलित है, धरती वह ही रानी जिसके माथे पर पानी। शस्य श्यामला धरती बने, उसके प्रयास राजस्थान सरकार के हों। राजस्थान सरकार के ऐसे प्रयासों में, राजस्थान सरकार के द्वारा लाये हुए कानूनों में, राजस्थान की जनता को प्रतीत होने लगे कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चिंता की कि हम नदियां जोड़ेंगे और नदी जोड़ने की परियोजना लायेंगे, परियोजना ही नहीं लायेंगे देश की एक-एक इंच जमीन को हम निश्चित रूप से सिंचित करेंगे, मैं समझता हूं कि अगर इस दिशा में सरकार काम करेगी और बी सी रेश्यो को समाप्त करेगी और बी सी रेश्यो को समाप्त करने के साथ-साथ जो छोटी से छोटी परियोजनाएं हैं उन छोटी से छोटी परियोजनाओं पर काम करेगी, मैं समझता हूं, एक-एक बूंद के संरक्षण का उद्देश्य उसके बिना पूरा नहीं हो सकता।

(14.50 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

नदियों के बेसिन में काम करने का नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जगह से आता हूं, पठार का एक गांव है, कोटा के ऊपर पठार का एक गांव। हम जिंदगी भर इस बात का दंश झेलते रहे, सरकार के रिकार्ड में हम पठारी इलाके के लोग बने रहे और उस पठार के बीच में से जो दो नाले बनकर आते थे, बंधा और धर्मपुरा के बीच का नाला, धर्मपुरा और रामपुर के बीच का नाला, जब वे उफन कर आते थे तो सारे शहर में बाढ़ से तबाही मचा देते थे। उन नालों पर सरकार ने शहर को बचाने के लिए, पिछली सरकार

(श्री प्रहलाद गुंजल)
ने डायवर्जन तो बना दी लेकिन मैंने उस समय, दस साल पहले कहा था कि आप डायवर्जन बनाकर, खाई खोदकर, इस पानी को शहर के बचाने के उद्देश्य से चम्बल में डालना चाहते हो, यह पानी व्यर्थ चला जाएगा। आज शहर को बचाने के नाम पर डायवर्जन आपको सुन्दर नाम दिख रहा है, कल मेरे इलाके के लोगों के लिए मौत की खाई के रूप में नजर आएगा। आप चाहते हो तो बंधा में बांध बनाओ और उसका पानी रानपुर में डालो, रानपुर का आलनिया में डालो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान में ऐसे हजारों गांवों के अन्दर छोटे-छोटे नाले हो सकते हैं जिन पर ऐसे माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बन सकते हैं, जो वहां के लोगों के जीवन को बदल दें। माननीय सभापति महोदय, आज दूसरा फेज बन रहा है, दूसरा फेज डायवर्जन चैनल का, तो सरकार को वही आना पड़ा कि रानपुर के बांध में डालो नाले को, उसके बाद आलनिया में डालो। माननीय सभापति महोदय, अगर दस साल पहले सरकार नदी बेसिन एवं जल संसाधन विधेयक को लेकर आती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि डायवर्जन के माध्यम से जो व्यर्थ पानी जा रहा है, उस इलाके के लोगों के जीवन को बदलने में एक महत्वाकांक्षी भूमिका निभाता।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में जो स्कोप बचा है, इस राजस्थान में बाहर की नदियों के अतिरिक्त जो आंतरिक स्कोप बचा है, माही बेसिन के अतिरिक्त चम्बल में बचा और चम्बल बेसिन में इतना पानी है, मैं समझता हूं कि सरकार ने उस पर एक्ट लाने के पहले ही काम प्रारम्भ कर दिया कि हम कालीसिंध को राणा प्रताप सागर में लाकर बनास में डालेंगे; पार्वती को ठेठ ईसरदा से लेकर राम सागर, जयपुर के रामगढ़ बांध तक लाकर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली को लाभान्वित करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सारा काम तब होगा, जब हम नदियां जोड़ देंगे।

बाहर के इंटर-स्टेट समझौतों से नदियां जुड़ने के बाद हमको लाभ मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान का एक बड़ा भूखण्ड जहां पानी में, बाड़मेर में भी एक गांव डूब गया, अगर कभी पानी आया तो; अगर हम इन छोटे-छोटे नालों पर जहां कभी पानी नहीं आता था, एक गांव ही डूब गया, ऐसे छोटे-छोटे नालों पर हम माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट, छोटे-छोटे पानी के टैंक बनाकर, जब तक हम एक-एक इंच जल को संरक्षित नहीं करेंगे, इस एक्ट को लाने की मंशा ठीक है लेकिन इसके व्यापक अर्थ इस राजस्थान में तय नहीं कर पाएंगे और इसीलिए बी सी रेशो समाप्त करो; जहां छोटा टैंक भी बनाना है वहां बनाओ; वाटरशेड महकमा जो पंचायत राज के अधीन काम कर रहा है उस वाटरशेड

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महकमे को समाप्त करो। निश्चित रूप से इसके बाद अगर आप काम करेंगे तो एक प्रोगेसिव कदम राजस्थान की सरकार का, आम आदमी महसूस करेगा कि सरकार मेरे बारे में चिंतन कर रही है, सोच रही है; मेरी जरूरत के लिए जल का संरक्षण करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम सरकार ने बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। बिराजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद आपको। माननीय सचेतक महोदय, अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य बोलेंगे, पहले वक्ता को तो मैं टोकूंगा नहीं, लेकिन जन मत जानने के काफी माननीय सदस्य बोलेंगे, फिर प्रवर समिति का भी है। इसलिए समय सीमा तय करनी पड़ेगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि टू-दी-पाइंट और कुछ महत्वपूर्ण विषय बोलकर अगर माननीय सदस्य 10-15 मिनट में खतम करेंगे, तब तो हो जाएगा, वरना 27 लोगों की सूची है।

श्री सभापतिः जी। आप विराजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आसन से भी रिक्वेस्ट करें। मैं भी निवेदन कर रहा हूं सबसे।

श्री सभापतिः आप भी निवेदन करें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): दस-दस मिनट में।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, नियम यह है कि अपन जब जन मत जानने के लिए बोलते हैं तो विधेयकों में बहस के समय जो मुद्दे एक माननीय सदस्य बोल देते हैं, उन मुद्दों को बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको जो बात रखनी है, जरूर रखें, लेकिन रिपीटेशन नहीं हो। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

श्री सुखराम विश्नोई।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैंने तो प्रयास किया था।

श्री सभापतिः आपने बहुत अच्छा प्रयास किया; सराहनीय काम है आपका।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015, यह विधेयक लाया गया है। बूंद-बूंद पानी को बचाना, हर खेत, हर आदमी तक पानी पहुंचे, इस मंशा को लेकर सरकार यह विधेयक लाई है।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है, इस विधेयक में दो पैरेलल, एक राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद, एक राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन योजना प्राधिकरण, ये दो संगठन खड़े किए हैं। दोनों में पहला राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद है, उसमें मुख्य मंत्री सहित, मंत्री और उसके बाद तमाम, कुल 17 सदस्य हैं, 17 में से 10 मंत्री हैं, 4 आदमी अनुभव वाले सरकार नोमिनेट करेगी; खुद मुख्य मंत्री है। उसके बाद प्राधिकरण बना है, उस प्राधिकरण में कुल 16 सदस्य हैं, 16 में से 2 नोमिनेटेड हैं; 15 बाकायदा कौन-कौन हैं, उसमें कहा गया है। माननीय सभापति महोदय, प्राधिकरण समितियों का गठन भी करेगा। सदस्य उस समिति के भी बन सकते हैं, दूसरे सदस्य समिति में आ सकते हैं। इस विधेयक में समिति/कमेटियां ज्यादा हैं, वनिस्पत कुछ करने की मंशा कम है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्राधिकरण की जो शक्तियां हैं, आप पढ़ोगे तो....

श्री सभापति: मैंने पढ़ा है इसको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इसमें सिर्फ सिफारिश; किसको, सरकार को। सरकार किस पर बैठी है, सरकार बैठी है उस परिषद पर। प्राधिकरण परिषद को सिफारिश कर रहा है; परिषद प्राधिकरण को, प्राधिकरण परिषद को और दोनों मिलकर सरकार को कर रहे हैं। मतलब है, दोनों उसी कमेटी में। माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति: शशिना च निशा, निशया च शशि। शशिना निशया च विभाति नम:। चन्द्रमा से रात्रि की, रात्रि से चन्द्रमा की और चन्द्रमा व रात्रि दोनों मिलकर आकाश की शोभा होती है। इसलिए एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, इस तरह से केवल मात्र सिफारिश करने के लिए; सिफारिश किसकी, सिफारिश जल संसाधन योजना विभाग की। वह जो योजना तैयार करेगा, उसकी केवल मात्र सिफारिश करनी है। तो सरकार जहां बैठी है, वहीं सीधा अगर वह डाक्यूमेंट ले जाकर पेश कर दिया जाए कि यह हमारे जल संसाधन विभाग का है...। उसके वही अधिकारी हैं, जल संसाधन विभाग में वही अधिकारी हैं, प्राधिकरण में वही

(श्री सुखराम विश्नोई)

अधिकारी हैं, परिषद में वही अधिकारी हैं। कुल मिलाकर, जल संसाधान योजना विभाग बना है, अगर सीधी सिफारिश कर दी जाए, उस योजना की सिफारिश को माननीय मुख्य मंत्री मान लें, तो कुल मिलाकर ये जो दो कमेटियां बनी हैं, इन कमेटियों का कोई महत्व नहीं रहता है।

इसके अलावा, इस प्राधिकरण में अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, विशेषज्ञ सदस्य कौन होंगे, यह भी इसमें स्पष्ट किया हुआ नहीं है। अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाएं। वही है जो 16 सदस्य हैं; इन 16 में से बनेंगे या अलग से प्रस्तावित होंगे, इसका भी कोई प्रावधान इसमें नहीं है। विशेषज्ञ सदस्य किस क्षेत्र के होने चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वह भी इसमें स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं होने से, केवल मात्र सरकार की मोनोपोली इसमें चलेगी। किसी को भी मंत्रीजी नोमिनेट करवा देंगे, चाहे जानकार हों या जानकार नहीं हों। इसका भी इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक लाया गया है इस विधेयक में शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती, इस तरह से जोड़ने की एक कार्ययोजना बनाई गई है। जहां तक शारदा का प्रश्न है, शारदा नेपाल से निकलती है, हिमालय में से, नेपाल से; नेपाल से गंगा में और गंगा से फिर उसको यमुना को जोड़ेंगे, यमुना को साबरमती से जोड़ेंगे। शारदा नदी है वह गंगा में समाहित हो जाती है, उसका आगे अस्तित्व नहीं रहता है। यमुना, माननीय सभापति महोदय, आप गर्मियों में जब कभी दिल्ली और आगरा गये होंगे, नर्मदा और यमुना में पानी नहीं चलता है। दिल्ली का गंदा पानी है, वह भी यमुना में मिलेगा। आगरा में कभी आप ताजमहल पधारे हों, तो आगरा में तो यमुना का पानी एकदम काला और गंदा दिखता है। माननीय सभापति, मैं आपसे निवेदन करूंगा...

(15.00 बजे)

श्री सभापति: यमुना का रंग काला ही है।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): सभापतिजी आगरा कम जाते हैं।

श्री सभापति: यमुना का रंग काला है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, शारदा, यमुना, केवल मात्र इस एक्ट में लिख देने से कि हम जोड़ देंगे और जोड़ने का प्रयास करेंगे, कम से कम इन नदियों को जोड़ने की थोड़ी-बहुत इसके अन्दर

(श्री सुखराम विश्नोई)

भूमिका होनी चाहिए थी कि इसमें शारदा वहां से निकलती है, इतना खर्चा आयेगा, यह आयेगा। इस तरह की कार्ययोजना इसमें दी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पास पश्चिमी राजस्थान के अन्दर लूणी नदी चलती है, लूणी चलती है, सूकड़ी चलती है, जवाई चलती है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा इस लूणी पर आज से पचास साल पहले निर्भर था। कई गांव बसे हुए थे। माननीय सभापति महोदय, आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वह लूणी नदी नहीं आये। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि बालोतरा और पाली, और जहां रंगाई-सफाई की मशीनें, प्लांट लगे हुए हैं, उनसे जो गंदा पानी निकलता है; आप पाली शहर में चले जाओ, आप बालोतरा पधारो और आप गाड़ी के कांच बंद कर दो, ए.सी. चल रहा है, फिर भी गंध आयेगी, इतनी गंदगी है वहां। इतना गंदा पानी पड़ा है। आज से 15 साल पहले यह लूणी नदी आई थी, चार-चार फीट पानी उस लूणी नदी में आया था। वह लूणी नदी का पानी, हमारे बालोतरा से आगे, जो भी एरिया कच्छ-रण तक लगता है, उस एरिये तक... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पाली में जेड.एल.डी. हो गया, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो कहीं अब कोई प्रदूषण आने वाला नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, ये मेरे विद्वान दोस्त सुमेरपुर से आते हैं; मेरे से थोड़े सीनियर हैं परन्तु मैं इनको आगाह करना चाहता हूं...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, उम्र में तो आपसे सीनियर नहीं हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): उम्र में नहीं हैं परन्तु थोड़े, एक-दो बार पहले एम.एल.ए. रहे हुए हैं। (व्यवधान) यह तो मैंने मेरे बाल काले किये थे। एक्चुअल में इन्होंने काले करवा रखे हैं। सदन में असत्य बोल रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैंने कभी भी बाल काले नहीं करवाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इतने काले हो ही नहीं सकते।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरे ख्याल से हम बराबर ही होंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, यह जांच का विषय है।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): राजनीति में बाल काले करवाना कोई अपराध नहीं है। मुंह काला नहीं होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन उपयुक्त समझता है तो एक कमीशन बैठाया जा सकता है। उसकी सदारत मैं करने को तैयार हूं।

श्री सभापति: यह काले-गोरे की ज्यादा चिंता और चर्चा मत करो। ये भूरे भी होते हैं, काले होते हैं, सफेद होते हैं। होते ही रहते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, बाल का तो राज होता है, राज ही रहने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जो न काले हों, न गोरे हों, फिर उनका क्या होगा?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्यों को सफेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वर्ण छोड़िये, वर्ण तो और भी हैं और आपसे ज्यादा इन वर्णों के बारे में...(व्यवधान)

श्री सभापति: शत वर्ण, सौ वर्ण हैं। अभी मैं आसन पर हूं, इसलिए इस पर व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। बाद में करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, पाली की बात कर रहे हैं, पाली में एक भी ट्रीटमेंट प्लांट आज की तारीख में चालू नहीं है। पाली के किसानों की जो संघर्ष समिति बनी हुई है, उसने उस पानी की जांच कराई। जो ट्रीटमेंट प्लांट पहले चालू था, आज बंद है। वह जो उसके मानक हैं, वह पानी खेती में डालने के काबिल नहीं है, पीने की बात तो अलग है। खेती में नहीं डाल सकते, इस तरह का गंदा पानी है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हो करके पाली की बात कर रहे हैं। परसों मेरे साथ चलना, आप बता देना कि कौनसा पानी सही है। पहले आप पी लेना, मुझे बाद में पिलाना; नदी में पड़ा पानी। तैयार हैं आप इस बात पर?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, आज ठीक है। (व्यवधान) हमने यह तय किया है...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, नहीं। आप इस बात पर तैयार हों? पाली में पानी पड़ा है, उस पानी को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में विवाद नहीं करें, माननीय सदस्य। आप विराज जाएं। आप अपनी बात कहें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट के अन्दर वाटरशेड को ले करके और पानी को किस तरह से संचित किया जाए, किस तरह से पानी का उपयोग किया जाए, उस पर बहुत सारी बातें कही हुई हैं। जहां तक वाटरशेड का सवाल है, वाटरशेड, बाड़मेर जिले और जालौर जिले में हर खेत में जल संग्रहण के लिए टांके बने हुए हैं, परन्तु उन टांकों के ऊपर कोई दरवाजे लगे हुए नहीं हैं। मतलब, सीमेंट से किये हुए खुले हुए टांके हैं। आप कल्पना करेंगे, बाड़मेर जैसा डेजर्ट जिला जहां पानी देखने को नहीं था, परन्तु उन वाटरशेड के जो टांके खेतों में बनाए, उन पर ढक्कन न होने की वजह से मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा मलेरिया की बीमारी बाड़मेर में, डेजर्ट जिले में हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जो वाटरशेड का मामला है, वाटरशेड, जिस तरह से प्रत्येक घर में, मकान में मीठे पानी का टांका बने, प्रत्येक खेत में पानी के लिये टांका बने, तो काफी कुछ समस्याएं वाटरशेड के मार्फत हल हो सकती हैं, परन्तु टांकों का काण्ड हुआ बाड़मेर जिले के अन्दर। कई लोग जेल के अन्दर गये। हर जगह, जिस तरह कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जिला परिषद के अण्डर में होते हैं, स्वतंत्र काम नहीं कर सकते। अख़बार में भी आया था कि इतने टांके खोदे गये, जितनी जमीन नहीं है। इतने टांके खोदे गये, जमीन से ज्यादा टांके खोदे गये। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर सख्ती की जाए, या इस जल संसाधन के अण्डर में टांकों को किया जाए ताकि टांके मिल जाएं।

इसके साथ में सूक्ष्म अन्य लघु सिंचाई टैंक का मामला है। जहां हमारी अरावली पहाड़ियां आई हुई हैं, बहुत लम्बे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में आई हुई हैं; इन पहाड़ों के नीचे, जहां पहाड़ खतम होता है और जमीन आती है, वहां ऐसे टैंक खोदे जाएं, जैसे ही पानी पहाड़ से नीचे उतरे और वे टैंक भर जाएं, और वे टैंक, आसपास के खेतों में बूंद-बूंद सिंचाई की जाए, उसमें वह काम आ सकता है, परन्तु आज की तारीख में इस तरह की एक भी व्यवस्था नहीं की हुई है। जो छोटी नदियां हैं, उन छोटी नदियों पर बांध बनाये जाएं, बांध नहीं बनाये जा करके, इस तरह के एनिकट बनाये जाएं, इसमें पक्के एनिकट बनाए जाएं। जैसे ही नदी में पानी भर जाए, 10-15 किलोमीटर पीछे पानी चला जाए, ऊपर से एनिकट से पानी चला जाए। इस तरह की व्यवस्था की जाए। इससे पानी रुक सकता है और पानी काम आ सकता है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि राजस्थान में आज की तारीख में सिर्फ चम्बल के अलावा कोई बारहमासी नदी नहीं है। जहां तक माही का प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में बिलकुल थोड़ा-थोड़ा पानी चलता है। केवल चम्बल के अलावा कोई बारहमासी नदी नहीं है। साबरमती बंद हो गई; हमारी जवाई चलती थी पहले, वह जवाई बंद हो गई; सूकड़ी बंद हो गई।

श्री सभापति: उनको चालू करने के लिए तो यह बिल है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं उसमें ही निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आप सही बात फरमा रहे हैं, उसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु एनिकट न बना करके, उन नदियों पर बांध बना दिये। तो आगे पानी जाता ही नहीं है। तो बांध नहीं बना करके, उसमें सीमेंटेड चार-चार, तीन-तीन फीट के एनिकट बनाये जाएं ताकि उसके ऊपर से हो करके पानी गुजर जाए। सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा चलती है और नर्मदा के अन्दर बूंद-बूंद से सिंचाई करने का प्रयोग, पहली बार राजस्थान के अन्दर नर्मदा परियोजना के तहत सांचौर और धोरीमन्ना, वह गुढ़ामलानी विधान सभा क्षेत्र है, वहां बूंद-बूंद सिंचाई से प्रयोग किया गया। आप देख करके ताज्जुब करेंगे, इतना सफल प्रयोग हुआ कि किसानों के खेती होती है, जो पहले पानी खाले में जा करके कम सिंचाई होती थी खेतों में, वह बूंद-बूंद सिंचाई से काफी कुछ भाग नर्मदा ने कंट्रोल किया है; नर्मदा के एरिये में, कमाण्ड एरिये में घोषित किया है। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, इस बूंद-बूंद सिंचाई को राजस्थान, नर्मदा, इन्दिरा गांधी जो नहर हैं उनमें लागू किया जाए, चम्बल पर लागू किया जाए, ताकि बूंद-बूंद सिंचाई स्कीम लागू होने से बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला, जो अभी जालौर जिला बाकी पड़ा है, उस जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी मिल सकता है; वरना खालों से पानी जाने से पानी ज्यादा व्यय होता है, पानी ज्यादा खराब होता है। इसलिए इस पूरी इन्दिरा गांधी नहर पर बूंद-बूंद सिंचाई स्कीम लागू की जाए ताकि बरसात में पानी मिल जाए।

श्री सभापति: आप इसको सिंचाई विभाग में मत ले जाइये। यह सिंचाई विभाग का नहीं है, यह नदी बेसिन का मामला है। इसको थोड़ा नियंत्रित करिये। सिंचाई विभाग पर बहस हो चुकी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से आग्रह है कि आज जिस तरह से गर्मियों के दिनों के अन्दर

(श्री सुखराम विश्नोई)

पानी की समस्या आती है, तो अगर उस समस्या के अन्दर एनिकट बंधे हुए हों, पहाड़ों के नीचे टैंक खुदे हुए हों और क्लस्टर के तहत टांके खुदे हों, तो लोगों को काफी कुछ सहायता मिल सकती है।

अंत के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक में जो दो कमेटियां बनी हुई हैं, उन दोनों कमेटियों को एक में समाहित कर दिया जाए जिससे ज्यादा खर्चा भी नहीं आयेगा और बिना मतलब की एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। इन दोनों कमेटियों की कब मीटिंग होगी और कब दोनों की सलाह मान करके सरकार आगे कार्यवाही करेगी। इसलिए एक ही कमेटी, और वह भी 17-17, 16-16 लोगों की नहीं हो करके, 5-6 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाए ताकि उसमें ठोस कदम उठाये जा सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजिये। श्री शंकरसिंह राजपुरोहितजी। अब माननीय सदस्य मौलिक बातें कहेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015, नदियों का पूरा विस्तार से नाम, वगैरह, जो माननीय सदस्यों ने बताया, उसको नहीं दोहराऊंगा, जैसा आपने फरमाया।

श्री सभापति: नहीं, कोई छूट गया हो तो बताएं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक प्राधिकरण जो आप बनाने जा रहे हैं, दो-तीन बातें उसमें हैं। मंत्री महोदय का ध्यान खाली उन बातों पर ले जाऊंगा।

मैं उससे पहले, माननीय सभापति महोदय, इस देश में विश्व की सबसे कम बरसात का क्षेत्र भी है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र भी, जो चेरापूंजी है, वह भी इस देश में है। जब सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा, इसकी कनेक्टिविटी कहीं न कहीं नदियों के माध्यम से हो, या बरसात के पानी के माध्यम से कर दी जाए, तो शायद सबके साथ न्याय हो जाएगा। यह बात बहुत पहले आ जानी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, राज-सत्ता की इच्छाशक्ति कमजोर और जैसा मंत्री महोदय भी बता रहे थे कि वास्तव में इस देश पर, आप सिंचाई की जो मांग थी, उस पर भी बोले कि इंटर-स्टेट जो वाटर मैटर था, किसी ने उसको इच्छाशक्ति से उठाया तक नहीं, यह बात आपने बहुत जोरदार बताई और मैं तो उससे आगे और जाता हूं कि इस देश का

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दुर्भाग्य रहा है, उत्तर भारत से नदियां निकलती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं। न जाने कश्मीर और दिल्ली के उस समय के राज-सत्ता पर बैठे हुए, उनका किस तरह का मोह था, चाहे नेहरू खानदान या फारूक अब्दुल्ला खानदान को ले लीजिए, मतलब, उस मोह के अन्दर इस देश में कहां-कहां क्या-क्या करना चाहिए, इस बात की चिंता तक नहीं की। यह बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ।

माननीय सभापति महोदय, आज अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो इस विषय को उठाया, जो लिया और आज नरेन्द्र भाई मोदी के द्वारा इसको परिणति में लाने के लिए, और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह जो संशोधन लाया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपको भी कि आपकी भी बहुत लम्बी सोच है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं, आपके माध्यम से, यह प्राधिकरण जो बनाएंगे आप, उसमें एक 'ज' के अन्दर है- 'अभियांत्रिकी, योजना, अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान' को तो आपने जोड़ दिया, उसके साथ में पोल्यूशन को नहीं जोड़ा। पर्यावरण जो पहलू है, वह भी इसमें कहीं न कहीं हो; नहीं तो बाद में यह अड़चन आएगी। यह जोड़ना चाहिए।

'ड' में- एक चार जल ऐसी संकल्पना की हैं- वर्षा जल, सतह जल, भूगर्भ जल और मुद्रा नमी के प्रभावी उपयोग को जो आपने किया है, उसमें रिसाइकिल करने का, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको नहीं जोड़ा है। मुद्रा जल के अन्दर वह रिसाइकिल वाला जो विषय है, आज जैसा गुजरात में तीन-चार गांवों को मिलाकर, मतलब, एक व्यक्ति पानी जो उपयोग करता है, उसका 80 प्रतिशत बाहर जाता है।

श्री सभापति: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 'मुद्रा' जल नहीं है, 'मृदा' जल है। 'मुद्रा' नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जी।

श्री सभापति: आजकल मुद्रा पर ज्यादा है। मृदा माने मिट्टी होती है और मुद्रा माने ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बिलकुल, सर। तो इस योजना को भी कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह जो नान-पोटेबल पानी है, इसका कहीं न कहीं उपयोग, जैसा गुजरात के पैटर्न में, तीन-चार गांवों को मिलाकर ऐसा

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

किया है, उसको भी कहीं न कहीं जोड़कर, बागबानी, या अन्य जो भी है, केमिकल प्रोसेस में या कहीं न कहीं लगा दिया जा सकता है।

और एक, आपने पोर्ट परिवहन जो है, उनको इसमें लिया है, मत्स्य पालन को लिया है और साथ में बूंद-बूंद सिंचाई को भी लिया है, ड्रिप इर्रिगेशन, वगैरह को भी लिया है। इसके साथ में हाइडल प्रोजेक्ट जो है, पन बिजली, क्योंकि आखिर आप नदी बेसिन की परिकल्पना जब करोगे, कई डैम बनेंगे, कई एनिकट बनेंगे, तो नदियों के माध्यम से कहीं न कहीं पन बिजली भी उत्पादित होगी, तो उसका भी उत्पादन इस प्राधिकरण में कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में एक चीज है कि हम जहां की मांग उठती है, वहां पर बड़े जोर-शोर से कर लेते हैं। बीसलपुर से जयपुर के लिए पानी देना चाहिए लेकिन एन रूट जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनका भी आप..., जिस समय बीसलपुर की योजना बनाई, उस समय अगर टोंक को जोड़ दिया होता तो आज यह आवाज नहीं उठती। या जो भी इसके, मतलब, योजना आप जो बनाते हैं, उसके एन रूट आने वाले, उनकी भी योजना साथ-साथ में कोई न कोई बन जानी चाहिए; वे भी साथ में आ जाएं जिससे पूरे इलाके का भला हो जाएगा।

और, एक पी.एच.ई.डी. और इर्रिगेशन, इस पूरे नदी बेसिन में यह दो विभाग प्रभावित होंगे। माननीय सभापति महोदय, इन दोनों का सामंजस्य कहीं न कहीं बराबर बना हुआ रहे, नहीं तो एक किसी जगह डैम बना है तो पी.एच.ई.डी. अपने हिसाब से सोचेगा और इर्रिगेशन अपने हिसाब से सोचेगा। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे बने और उस पानी की उपयोगिता कैसे हो, उसकी ये बातें भी आनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे इस पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग, जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, उसे सबसे बड़ा इस नदी बेसिन वाले विषय में नदियों से नदियों को जोड़ने का फायदा मिलेगा। क्योंकि इस देश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो जैसलमेर है, तो फायदा मिलेगा तो उसको मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो 1966 में समझौता हुआ नाथूराम जी मिर्धा की अध्यक्षता में, उस समझौते में यह था कि माही का पानी जो गुजरात के कड़ाणा में जाता है, कड़ाणा का ओवर-फ्लो होकर गुजरात में जाता है... (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से मैंने कहा कि आज सब लोग इसको सिंचाई पर और उस पर न लें। यह बेसिन का है, उस पर केंद्रित करें। हां, करें; बोलें-बोलें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि जो पानी जा रहा है, जो समझौता जैसा हुआ था, उस पानी के उपयोग को, इस पश्चिमी राजस्थान में कैसे लाएं, उसकी व्यवस्था के लिए आपने, मंत्री महोदय, कहीं न कहीं उसको, नर्मदा का पानी गुजरात में पहुंच गया। अब यह पानी का हक, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जालौर का हक है, तो जालौर, सिरोही, बाड़मेर के इस हक को आप लाएं और अपनी प्लानिंग में लें। यह मेरा एक कहना है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, यह जो पांच लेवल और सूकड़ी नदी एक चलती है जवाई के पैरेलल, उसके पांच लेवल पर एक एनिकट बना दिया, वहां के अलग-अलग तालाब भर रहे हैं और वह आगे जाकर जवाई और सूकड़ी सायला से वापस जवाई में मिलती है। ऐसे के ऐसे एक सिपू बांध से बेसाला और बेसाला से 35-40 किलोमीटर पर राजस्थान की सीमा है और वह जालौर के जावाल से, सूकड़ी नदी से, जवाई नदी और जवाई नदी के बाद में आपके तीनों डिस्ट्रिक्ट- जालौर, सिरोही और बाड़मेर, ये उसके एकदम फ्लो में आते हैं, और वहां पर बहुत बड़ा भला होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री महोदय को, आपकी जैसी इच्छाशक्ति है और जैसा पूर्व में सरकारों ने एक कुठाराघात इस राजस्थान की धरती पर और पश्चिमी राजस्थान पर किया है, उसका भला सोचते हुए इस नदी बेसिन में जो दो-तीन मैंने कुछ करेक्शन और जोड़ने वाले बताये हैं, उनको अपन जोड़ते हुए, आखिर कहीं न कहीं आपको, एक प्राधिकरण आपने बनाया, आपकी कमेटी बन जाएगी, लेकिन लोकल लेवल पर एक ऐसी उप-समिति और उस उप-समिति के माध्यम से कुछ सुझाव, माननीय सभापति महोदय, जन-प्रतिनिधि आपको सुझाव लोगों के माध्यम से, वहां की जनता के माध्यम से ऐसे दे सकते हैं जो आपके उपयोगी हो सकते हैं। तो जो योजना जिस जिले में से गुजरती है, आपकी उसमें कम से कम उस प्राधिकरण के साथ एक उप-समिति ऐसी आप बनाएं, उसमें आपके लोकल वहां के जन-प्रतिनिधि को जोड़ें, तो आपकी योजना में एक अच्छी स्पीड हो जाएगी।

बस, आपसे, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय बहुत ही डायनेमिक और बहुत ऊंची सोच रखने वाले हैं। नदी बेसिन की इस योजना से

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
राजस्थान का कल्याण होगा और यह राजस्थान हिन्दुस्तान के मानचित्र में एकदम कृषि के मामले में और हर मामले में सर्वोच्च होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद आपको भी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन मैंने दिया है, उसको, आपकी अनुमति से, वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति: जी। डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से नदी बेसिन वाला जो अधिनियम है, उस पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

ईश्वर ने मानव जाति के लिए दो वस्तुएं ऐसी दी हैं, जो निःशुल्क दी हैं, जल और हवा। सारे विश्व में विज्ञान के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, औद्योगीकरण के नाम पर, पानी और हवा जितनी दूषित की गयी हैं, कोई चीज उतनी दूषित नहीं की गयी। मनुष्य ने अपनी खुद की कब्र खोदी है। जैसे आज ही यह उठा था कि एक ही गांव में 65 लोग कैंसर से मर गये। उसका केवल मात्र कारण था कि पंजाब से जो पानी आता है गंदा, उसको पीने के लिए मजबूर है।

मेरी ऐसी मान्यता है, माननीय सभापति महोदय, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में संख्या रहती है कि इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़। कहां से लाएंगे, वर्ल्ड बैंक से लाएंगे, वहां से लाएंगे, वहां से लाएंगे, वरना जो इंश्योरेंस कटता है, उससे ले लेंगे। हमने मनुष्य को केन्द्र-बिन्दु बनाकर कभी भी योजना नहीं बनाई। यह इंडिया का ड्राबैक है। भारत की सबसे ज्यादा त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है कि कभी भी मानव को आधार बनाकर हमने कोई प्लानिंग नहीं की। हुआ था प्रयास। 1948 के पहले प्लान बना गांधीजी के इशारे पर, उसमें कुछ बातें थीं, जिनको स्वीकार ही नहीं किया, पंडित ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया, जबकि अच्छी चीजें थीं, जिनको अब हमने स्वीकार किया है। 1948 में औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद जी ने बनाई, उसको 1956 में नष्ट किया और उन्हीं के उत्तराधिकारी प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव जी बने, तब वे उसको वापस ले आये। उसको लाना पड़ा, जिनको मुखर्जी कर गये थे। आज भी हमारी जो प्लानिंग है, इसको हम खण्ड-खण्ड विचार करते हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आज सबसे ज्यादा संकट पानी का है। आज फ्लोराइड की बात आती है। यह कभी विचार ही नहीं करते कि जो नेचुरल वाटर है, वह रिचार्ज होकर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसकी चिन्ता ही नहीं की किसी प्लानिंग में। जबकि हकीकत यह है कि पहले जब कुओं से सिंचाई करते थे बैलों से, तो उसी वर्ष पानी रि-चार्ज हो जाता था। जितना फाल्गुन में घटता था, वह आषाढ़ में बराबर हो जाता था। अब तो लाखों वर्षों से जो चट्टानों में पानी भरा है, चौथी परत, पांचवीं परत तक चले गये। हम 900 फीट, 1000 फीट तक चले गये। वहां तो चट्टानों में पानी भरा है, वह तो फ्लोराइड ही है। आपको उसको सहन करना ही पड़ेगा। हवा को दूषित कर दिया।

इस कारण से मेरा निवेदन यह है कि अब एक ही बात बची है कि जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है, चाहे वह कहीं उपलब्ध है, अब जैसे इसमें कहा गया, शारदा, फिर यमुना, फिर राजस्थान, फिर साबरमती; यह प्लान तो पहले से होना चाहिये। हर वर्ष दिल्ली यमुना के खतरे के निशान पर, हर वर्ष, और राजस्थान तरसता रहता है। कितनी प्लानिंग, कितने किलोमीटर लाना है? नारनौल तक तो आया हुआ है, भरतपुर तक आया हुआ है। उधर डिमांड रहती है, हमेशा चूरू तक लाने की डिमांड रहती है। अब यह डिमांड-डिमांड से नहीं, राजस्थान का पूरा खाका बने, राजस्थान में पानी किस तरह से लाया जाये।

मैंने खुद ने ही नक्शा देखकर, मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है, नक्शा देखकर मैंने सबसे उपयुक्त जो बताई, उसको मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। यमुना के पानी को, सरफेस वाटर को, जो वर्षा का पानी है, उसको नारनौल तक तो नहर बनी हुई है, असुविधा भी नहीं होगी, और चौड़ी कर लें। प्रलय आयेगी तो आ जायेगी। उसके बाद में अगर आपके जिले में ले आते हैं, चाहे हम बूचारा बांध को भरें, चाहे मण्डूसिया को भरें, चाहे जो गढ़ टकनेत है, वहां लाकर 18-19 बीघा में नाले ही नाले पड़े हैं, वहां कोई मिट्टी की डाट लगाकर उस पूरे को भर दो। उसके बाद में तीन दिशाओं में, वह ऐसा स्थान है जहां से तीन तरफ नदियां निकलती हैं; और स्थान नहीं है राजस्थान में कहीं भी। वहां से एक निकलता है बूचारा बांध, बूचारा बांध ओवर-फ्लो होकर कहां जाएगा, सोता नाले में जाएगा और ठेठ धारूहेड़ा तक चला जाएगा। उसी मण्डूसिया के ढेर में गिरते हुए पानी से त्रिवेणी बहने लग जाएगी, तो वह पानी किधर से जाएगा? वापस आकर, सवा सौ किलोमीटर बहने के बाद, वापस उसी धारूहेड़ा के पास मिल जाएगा। और कहां तक जाएगा वह? पूरे अलवर जिले को

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पार करके भरतपुर जाएगा, स्वतः जाएगा, प्राकृतिक फ्लो से जाएगा। दूसरा ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः खड़े होकर बोलिये, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इससे बढ़िया एक्सपर्ट राय नहीं हो सकती। समझो उनकी बात को। सरकार को समझाओ।

श्री सभापतिः सरकार सुन रही है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह स्थान आपका देखा हुआ है। अजीतगढ़ से टर्न करते हैं, तो मानगढ़ होता हुआ अमरसर, और आगे बंधा तो टूट चुका है, उसके बाद जमवारामगढ़ के बंधे में जाएगा। अब हम बात तो करें कि वहां से ले आओ लिफ्ट करके, जहां से अभी ला रहे हैं जयपुर के लिए। यह तो पानी वहां लाकर छोड़ देंगे, तो यह भी 200 नहीं, 250 किलोमीटर जाएगा। यह पूरा दौसा जिला पार करते हुए धौलपुर में जाकर गिरेगा, वापस चम्बल में गिरेगा वह।

तीसरा, आपके पास से निकलेगा। यह जो रींगस वाली नदी है, दिवराला की नदी है, रींगस की नदी है और महरौली की नदी, यह या तो जाएगा जो हमारी झील है नमक की, नमक का ज्यादा उत्पादन हो जाएगा और वरना उसके साइड से निकलता है तो फिर लूणी में मिलता है और फिर ठेठ बाड़मेर जाएगा। इससे बढ़िया और स्थिति नहीं हो सकती, प्राकृतिक रूप से।

श्री सभापतिः यह जो दो विशेषज्ञ रखे हैं, माननीय मंत्रीजी, विशेषज्ञों का जो प्रावधान है, तो आप लोग यह राय जरूर लेना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): तीनों तरफ जब पानी जाएगा, तो उसमें कहीं खर्चा नहीं है।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): सभापति महोदय, प्रोफेसर रहे हुए हैं, अनुभव बहुत ज्यादा है।

श्री सभापतिः विराजिये, डाक्टर साहब, विराजिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): नहीं, चैम्बर में बुलाकर पूरा...(व्यवधान)

श्री सभापतिः ये भी डाक्टर है, डाक्टर साहब।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, अच्छी सलाह तो किसी की भी हो सकती है।

श्री सभापतिः हां जी, बिलकुल सुनिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अब तो नहीं है, अपने जो पूर्व मुख्य सचिव थे मेहता जी, एक बार कालेज में मैंने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा, तुम इकोनोमिक्स के विद्यार्थी हो, तुम मुझे गाइड करो। क्या कर सकते हो? बढ़ी जनसंख्या को तो अनाज देना पड़ेगा। स्केअर्सिटी आ गयी। यू.पी. में आ गयी, बिहार में आ गयी, बंगाल में आ गयी। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा था, मैंने कहा, साहब, गंगा का पानी जमुना में डालो, जमुना का पानी राजस्थान में डालो; फिर कुछ मत करो, बहते जाने दो। वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। सबको पानी मिल जाएगा मीठा, रिचार्ज होने वाला। ये जो बोतलें बिकती हैं, यह तो, सभापतिजी, उसमें यह कहते हैं खनिजयुक्त पानी। तो बरसात का पानी तो अपने आप ही खनिजयुक्त है, उसको साफ ही तो करना है केवल। उससे बढ़िया पानी नहीं हो सकता मानव जाति के लिए, जो बरसात का पानी है।

हमारी इच्छा थी, पूरा मारवाड़ जिंदा रहा, लाखों-लाखों वर्षों से जिंदा रहा, अपने खुद के सोर्स के कारण से। आज उसको नष्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जो गटर का पानी है, उससे बाग़-बगीचे में पानी देते हैं। क्या आल्टरनेट नहीं हो सकते?

हम कभी 100 डिग्गी की बात करते हैं, 200 डिग्गी की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं, हर घर में, 2010-11 का बजट देख लीजिये, 1,060 करोड़ रुपये आये थे, 900-कुछ करोड़ रुपये वापस चले गये दिल्ली। आप हर किसान को बुलाकर देते, 10 हजार रुपये लो और डिग्गी खोदो; बरसात का पानी रोकने के लिए खोदो। पूरा देश निहाल हो जाता। केवल मनुष्य ही नहीं, वह पानी पशुओं को भी तो पिला सकते हैं। हम भी साफ करके पी सकते हैं।

इस कारण से जो वाटर मैनेजमेंट है, सिंचाई तो अपने आप हो जाएगी, इसके परिणाम भी आते हैं।

आपको तो ध्यान होगा, यह एनिकट की जो थ्योरी आई है, एक साधु के कारण से आई है वह। खेतड़ी चलते हैं तो रास्ते में एक छोटा-सा मंदिर आता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहीं वह साधु आप तो नहीं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ये गृहस्थ हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह साधु शब्द है, यह त्याग का प्रतीक है और त्याग की पराकाष्ठा है। भर्तृहरिजी, नहीं, वकील साहब, भर्तृहरिजी ने क्या कहा, कि मन नहीं मानता; जो नहीं करना चाहिये, वह नहीं करना चाहिये। क्या किया संन्यासी बनने के लिए? जाओ, अपनी पत्नी को मां कहो। हैं क्या ऐसे उदाहरण दुनिया में? इसलिए पूजते हैं। साधु तो त्याग-तपस्या का प्रतीक है। यह देश जिंदा इसीलिए है, त्याग के लिए।

जब समर्थ गुरु रामदासजी गये ना, शिवाजी महाराज के पास में, तो शिवाजी महाराज ने यह कहा, उनको चिन्ता हुई कि गुरु आ रहे हैं और मैं क्या दूंगा? यह राज्य तो मेरे अकेले का है नहीं। तो उन्होंने कह दिया, आपके चरणों में राज्य पेश है। गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु ने क्या उदाहरण दिया, कि आज से मेरी आज्ञा से शासन चलाओगे। उसका नाम साधु है। देश को बचा लिया उन्होंने।

श्री सभापति: यह चुनौती स्वीकार करो, जो उन्होंने बताई है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पद की जो बात थी, हिन्दू राज्य था ही नहीं कोई, शिवाजी ने उसी दम पर 284 किले जीते। (व्यवधान) हां, प्राधिकरण पर ही आ रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप संक्षिप्त करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं वह खेतड़ी की बात इसलिए कह रहा था कि वहां साधु का हैण्डपम्प था, लगा हुआ। अब वह सूख गया, तो किसी ने यूं बैठे-बैठे कहा...

श्री सभापति: पढ़े-लिखे हैं। यह कहावत पता नहीं है क्या आपको?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में सबसे अधिक डिग्रियां हैं तो वे फूलचन्दजी के पास में हैं।

श्री सभापति: नहीं, इनके पास भी हैं और एक मंजू जी हैं, उनके पास भी हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उन्होंने एक कच्ची डोली बनाई बरसात के पानी के लिए, वह पानी भरा रहा और हैण्डपम्प में वापस पानी आ गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने कराया, आपकी सरकार थी, इनकी सरकार नहीं थी और उसके बाद एनिकट की थ्योरी चली, जो बहुत ज्यादा बन गये। हालांकि यह जो दुष्परिणाम है, हाई कोर्ट कहता है कि रामगढ़ के कैचमेंट एरिये को खाली कराओ।...

श्री सभापति: अब थोड़ा संक्षिप्त कर लें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, संक्षिप्त ही कर रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के लिए प्लान बने और प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो। 1956 में नेहरू जी जब राजस्थान में आये थे, तब यह घोषणा की थी कि यह नहर गड़रा रोड तक जाएगी। उसको बदल दिया। ऐसा नहीं। जो तय हो, पूरे राजस्थान का खाका बने वह। कहां गयी वह गड़रा रोड? अभी तक नहीं गयी वहां। उसको गड़रा रोड तक जाना था। और इतना ही नहीं, राजस्थान नहर जिसको साढ़े 12 लाख हेक्टेयर में पानी पिलाना था, उसमें से ज्यादातर पीने लग गयी, लेकिन 50 लाख से ज्यादा कभी एड नहीं दी। कभी एड नहीं दी 50 लाख से ज्यादा आपकी सरकार ने। और इसलिए इतने लम्बे समय तक चली, जबकि विशेष एड देनी चाहिये थी। आपका शासन था दोनों जगह।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग बनाकर, फिर भारत सरकार को कहें। हम एक जो यह प्राधिकरण, वगैरह बना रहे हैं, इनमें भी संतुलित किया जाये। एक में तो 10 मंत्री हैं और एक में 15 ब्यूरोक्रेट हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मानते हैं आपकी विद्वता को। कान पकड़ते हैं आपकी विद्वता के आगे।

श्री सभापति: कान पकड़ो तो आप दोनों पकड़ो। एक नहीं पकड़ो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ अध्ययन दल बनें...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज दोनों भी पकड़वा के छोड़ेंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कुछ अध्ययन दल बनें और उनके आधार पर पूरा राज्य का खाका बने; फिर जितने साधन आएंगे, उतना बनाते चले जाएंगे, लेकिन यह आवश्यक लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(15.30 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 राजस्थान की विधान सभा में आया है। मैं इसका तहे दिल से हार्दिक आभार

(श्री केसाराम चौधरी)

और स्वागत करता हूं। राजस्थान एक मरु प्रदेश है जिसमें अगर किसी बात की कमी है तो पानी की कमी है। उस पानी की कमी को देखते हुए यह बिल जो राजस्थान की विधान सभा में आया है, इससे कुछ न कुछ हमारे प्रदेश के इस सर्वोच्च सदन में जो बात उभर कर आएगी, इससे इस प्रदेश की जनता को यह विश्वास होगा कि निश्चित रूप से अगर राजस्थान का चहुंमुखी विकास कोई होगा तो इस पानी के आधार पर ही हो सकता है। इस बिल के माध्यम से जो पहल की गयी है, मैं यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा जी और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहते हैं किसी समय भागीरथ इस धरती पर गंगा को उतारकर लाये, तो इस जमाने का अगर कोई भागीरथ होगा और राणा प्रताप की तरह दूसरा प्रताप अगर कोई होगा, तो डाक्टर राम प्रताप होगा। इसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद का गठन करके जो दस मंत्री डाले गये हैं, उसमें सभी मंत्रियों को डाला है मगर एक राजस्व मंत्रीजी का भी इसमें स्थान होता तो ठीक रहता। क्योंकि जिन नदियों का अतिक्रमण हो रहा है, नदियों के बहाव में रुकावट पैदा की जा रही है, नदी बेसिन जो क्षेत्र हैं, अगर उनमें से कहीं से भी नदी निकालनी है, नहर निकालनी है, उनका अधिग्रहण करना है, तो उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। तो इसके एक सदस्य के रूप में राजस्व मंत्री को भी डालना चाहिए था, यह जो परिषद बनी है, उसको सलाह देने का जो काम करेंगे।

निश्चित रूप से अपनी विभिन्न योजनाएं इस क्षेत्र में पहले चलायी गयीं, उन योजनाओं में जो पैसा खर्च हो रहा है, जैसे नदियों में से वाटरशैड की योजना, वृक्षारोपण की योजना, अगर वृक्षारोपण का आज पूरा गणित जोड़ा जाए और जितना बजट उस पर खर्च हुआ है उस बजट की गणित को जोड़ा जाए, तो इतने रुपये खर्च हो गये कि पूरे राजस्थान में वृक्ष ही दिखाई देते। इसकी जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए जो भी बजट रखा जाता है इस सारे बजटों को, राजस्थान की यह जो योजना बनी है, यह जो विधेयक आया है, उसमें यह जो प्राधिकरण बना रहे हैं, उस प्राधिकरण के माध्यम से ये कार्य करवाये जाएं। भू-संरक्षण और जितना भी पैसा बरबाद हुआ है, अभी जिस तरह से माननीय सदस्यों ने बताया, उस पैसे को इस प्राधिकरण के माध्यम से खर्च करके, जो नदियों से वितरिकाएं निकालनी हैं, कहीं से वितरिकाएं निकालनी हैं, जैसे माननीय मंत्रीजी के एरिये में सेम की समस्या है और वहां

(श्री केसाराम चौधरी)

पर पानी रिसाव होता है, उस पानी को किस तरह से निकाल करके, वितरिकाओं के माध्यम से या किसी तरह से वहां से हो, वहां पर तो जमीन खराब कर रहा है और दूसरी तरफ जनता पानी के अभाव में दु:खी है। उस पानी का भी उपयोग किया जा सकता है।

उसी तरह से जो भी नदियां हैं उन नदियों में से, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि नदियों में तो पानी सूख गया है, बरसात के दिनों में जो अत्यधिक पानी आता है हमें तो, राजस्थान को वह भी मिल जाए, उस बरसात के सीजन में हम अगर उस पानी को भी लेकर के आ जाएंगे, तो हमारी जो नदियां सूखी पड़ी हैं, उन नदियों में उस पानी को बरसात के सीजन में बहा कर भी हम रिचार्ज कर देंगे, तो भी हमारे इस राजस्थान का भला हो जाएगा।

मैंने देखा है कि जब छोटे थे तो हमारे जोजावर और अरावली के क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, गुलाद, वगैरह, वे करीबन दीपावली तक बहती थीं और अब बारिश की कमी के कारण से वे नदियां बह नहीं पा रही हैं। बारिश के समय जहां अत्यधिक बारिश हो रही है और फ्लड आ रही है, उस पानी का उपयोग करने की जो मंशा इस विधेयक के माध्यम से लायी गयी है, मैं सोचता हूं कि इस बिल के माध्यम से राजस्थान का कायाकल्प होगा। राजस्थान खनिज से परिपूर्ण है मगर पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चर के हिसाब से पिछड़ा हुआ है और वह तभी सम्भव हो सकता है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है और समतल जमीन अगर कहीं है तो राजस्थान में है और उस समतल जमीन के लिए यह जो भागीरथी प्रयास जो किया जा रहा है, इसकी मैं पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं।

निवेदन करना चाहता हूं कि किसी माध्यम से जो बजट खर्च किया जा रहा है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, एक समस्या है। समस्या बड़ी है और वह समाधान आपसे ही होगा। माननीय केसाराम जी ने अभी कहा भागीरथ डा. रामप्रताप जी को। भागीरथ बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या करने के लिए साधु बनना पड़ता है और साधु के लिए अभी डा. फूलचन्द जी भिण्डा ने कहा कि अपनी पत्नी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मां कहकर। तो अब इस समस्या में रामप्रताप जी को क्या रास्ता अपनाना चाहिए, वह आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं।

श्री सभापति: आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं, या उनको यथावत रख रहे हैं?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि भागीरथ के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मैं बता दूं, इस राजस्थान के लिए सच्ची तपस्या यह ही होगी कि इस चार साल के पीरियड में, जो अपना शासन है इस पीरियड में एक भी नदी अगर हम जोड़ कर करें, जिस तरह से वसुन्धरा जी ने साबित कर दिया कि नर्मदा नदी का पानी अपने सांचौर में लाकर डाल दिया, उसी तरह से आपने एक भी भागीरथ प्रयास कर दिया, पानी लाकर के एक नदी से जोड़ करके भी आपने काम शुरू कर दिया...। नरेगा को इससे जोड़ना चाहिए, नरेगा का पैसा फालतू जा रहा है। जिन लोगों को मजदूरी करनी है, आप दूसरे बजट सारे रोक दो मगर इन नदियों को जोड़ने के लिए पूरे राजस्थान का बजट भी अगर पांच साल के लिए लगा दिया जाए, तो यह राजस्थान, आज जो माननीय सदस्य घनश्याम जी ने कहा है, उसकी सार्थकता साबित हो जाएगी और इस राजस्थान को पानी मिल गया तो पूरे देश को अनाज देने की अगर क्षमता कोई बनेगी तो पहली राजस्थान की बनेगी।

इसलिए यह जो प्राधिकरण बना है, वह प्राधिकरण अपने अधिकार में जो काम करेगा, उसमें सतही जल के सर्वोत्तम और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, नदियों को परस्पर जोड़े जाने सहित, अधिक जल वाले बेसिनों को अभावग्रस्त बेसिनों के अन्तर-बेसिन जल अन्तरण के लिए परिषद को सिफारिश करना है। सिफारिश करने के साथ ही इसमें बजट का इतना प्रावधान भी किया जाए कि यह जो सतही जल भी है, वर्षा के दिनों में जो सतही जल बह करके समुद्र में गिरता है, उस पानी को भी रोका जाए और सतही जल का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से यह जो बिल लाये हैं इसकी मैं सराहना करता हूं। मैंने जो जन मत जानने के लिए परिचालित करने का मेरा प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेता हूं और इस बिल की पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015, यह जो कई माननीय सदस्यों ने भी बताया कि यह वास्तव में भागीरथी प्रयास है, यह बात बिलकुल सही है। यह नवाचार है और ऐतिहासिक काम है।

(श्री मदन राठौड़)

जब देश आजाद हुआ था तो हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमण्डल में एक मंत्री थे के.एल. राव, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान में कई स्थान ऐसे हैं जहां नदियां बहुत बहती हैं और कई स्थान सूखे हैं, तो इनको आपस में जोड़ा जाना चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा था कि यह के.एल. राव पागल हो गया है। यह ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है। नदियां भी कभी जुड़ती हैं क्या? यह सम्भव ही नहीं है। इस प्रकार की बात उस समय में कही गयी थी, लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे कि चाइना ने नदियों को जोड़ दिया।

माननीय सभापति महोदय, अपने यहां तो हमारी श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह प्रयास किया है, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। जो प्रयास पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था कि ब्रह्मपुत्र को गंगा से, गंगा को यमुना से और यमुना को नर्मदा, साबरमती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सभी नदियों को आपस में जोड़कर के, नहरें निकालकर के, हिन्दुस्तान की हर इंच जमीन को पानी पिलाया जाना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया था।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में कांग्रेस का शासन आया। कांग्रेस के शासन में भी देश में UPA Government had formed a Group of Ministers (GoM) on river interlinking under Pranab Mukherjee; प्रणव मुखर्जी को इसका मुखिया बनाया था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रणव मुखर्जी ने, यानी यह जो GoM बनाया था 'Group of Ministers' का, वह एक मीटिंग भी पूरे कार्यकाल में उन्होंने नहीं की। उस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। यह कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप लिख लो माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य।

एक माननीय सदस्य: युवराज के समझ में नहीं आई थी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह काम अभी तक हो गया होता, लेकिन उन्होंने बिलकुल नहीं किया इस मामले में।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी आपसे बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के माननीय राष्ट्रपति थे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, उन्होंने भी अक्टूबर 2002 में इस प्रकार की बात कही थी कि हिन्दुस्तान की नदियों को जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ समय पहले इस प्रकार के निर्देश दिये कि हिन्दुस्तान में नदियों को जोड़ने की दिशा में प्रयास करने चाहिए; जो

(श्री मदन राठौड़)

प्रयास नहीं हो रहे हैं, उनको बल मिलना चाहिए। इस प्रकार का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जो योजना बनी, उस योजना में जो नदियां आपस में जुड़ने वाली थीं, वह जैसे घाघरा-यमुना लिंक इसमें फीजिबिलिटी स्टडी कम्पलीट हो चुकी। शारदा-यमुना लिंक इसकी भी फीजिबिलिटी स्टेडी कम्प्लीट हो चुकी थी; यमुना-राजस्थान लिंक इसकी भी हो चुकी; राजस्थान-साबरमती लिंक इसकी भी फीजिबिलिटी स्टैडी हो चुकी थी। कोसी-घाघरा लिंक, कोसी-मेछी लिंक, मानस-तीस्ता-गंगा लिंक, जोगीगोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक, गंगा-दामोदर और स्वर्णरेखा लिंक, स्वर्णरेखा-महानदी लिंक, फरक्का- स्वर्णरेखा लिंक, गंडक-गंगा लिंक, चुनार-सोनारबारां लिंक, सोनेर डैम, ये सारे जो हैं, ये योजनाएं बन चुकी थीं। माननीय सभापति महोदय, ये योजनाएं बनने के बावजूद इस दिशा में यू पी ए ने कोई काम नहीं किया।

अब सौभाग्य से हिन्दुस्तान पर एन डी ए का शासन आया और प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी बने। उन्होंने जो गुजरात में करके दिखाया, किस प्रकार से सुजलाम-सुफलाम योजना उन्होंने तैयार की, किस प्रकार से उन्होंने नदियों को जोड़कर के नहरों का जाल बिछा दिया, कि गुजरात आज हरा-भरा है और सारे किसान खुश हैं। यही कारण है कि कई पटेल भी नाराज हुए थे उनसे पहले-पहले, जो नेता थे, लेकिन आज सारे पटेल भी उनसे खुश हैं, उनके भक्त बन चुके हैं।

श्री सभापति: सुजलाम-सुफलाम में क्या हुआ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नदियों को जोड़कर के नहरों का जाल बिछाया। उसका नाम उन्होंने दिया सुजलाम-सुफलाम योजना।

श्री सभापति: आपको यह मालूम है कि सुजलाम-सुफलाम में माही का पानी है, कड़ाणा के माध्यम से?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, बिलकुल सही कह रहे हैं आप।

श्री सभापति: जब माही की ट्रीटी हुई थी तो कड़ाणा का पानी लेने का अधिकार गुजरात को नहीं था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह ठीक बात है। यह जो सुजलाम-सुफलाम योजना बनी, ठीक इसी प्रकार से, इसी तर्ज पर, जो प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने योजना बनाई थी। वे नदियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

(श्री मदन राठौड़)

मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान के आदरणीय जल संसाधन मंत्रीजी को कि वास्तव में आप यह जो बिल ला रहे हैं, यह हिन्दुस्तान में पहला है। इससे पहले किसी प्रांत ने ऐसा प्रयास नहीं किया। प्रांतों में तो सबसे पहला प्रयास है। माननीय सदस्य मारवाड़ जंक्शन ने जो कहा है कि यह भागीरथी प्रयास है, तो यह निश्चित रूप से भागीरथी प्रयास ही है।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो मालूम होगा कि इसमें एक ऐसा भी प्रावधान है इनलैंड नेविगेशन का। यह जो इनलैंड नेविगेशन का प्रावधान है, उसके बारे में तो हम सब समझ सकते हैं, यानी समुद्र लायेंगे यह सांचौर में। अब वह, पता नहीं, कहां चले गये सांचौर वाले, वे दुःखी हो रहे थे कि मेरे यहां प्रदूषित पानी आयेगा। समुद्र की बड़ी नहर निकलेगी और वह नहर सांचौर में आयेगी। वहां ड्राई पोर्ट नहीं, यह है आपका 'नौ परिवहन'; इसका मतलब है कि नावों से परिवहन होगा। इसमें दिया है, 10 (f) में है, "to endeavour to develop navigational facilities for inland water transport in major rivers and canals;" यह प्रावधान भी इन्होंने इसमें लिया है। मैं तो सोचता हूं कि इससे बड़ा तो भागीरथ और क्या होगा?

यह बहुत पहले जब हमारे राजस्थान में मुख्य मंत्री थे भैरोंसिंह जी शेखावत, तब भी उन्होंने यह बात कही थी कि हम समुद्र लाना चाहते हैं सांचौर में। तब भी हमारे विपक्षी भाइयों ने तो मजाक उड़ाया था कि यह कभी सम्भव है क्या? यह कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन अब यह सम्भव है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): बांकासर में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बांकासर। इसके लिए तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। वे इसीलिए नाराज हो रहे थे कि सांचौर नहीं आ रहा था। बिलकुल ठीक बात है।

सभापति महोदय, यह इतना बढ़िया प्रयास आदरणीय मंत्रीजी और आदरणीया वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने किया है। इसमें पालिटिकल विल चाहिए, जो पूर्व की सरकार में नहीं थी। यदि वह पालिटिकल विल दिखाती तो इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता था। कमिटमेंट के साथ में हमारी आदरणीया वसुंधरा जी और आदरणीय रामप्रताप जी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। डवलपमेंट की कैपेसिटी भी है; एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था भी ये कर रहे हैं; फाइनेंशल

(श्री मदन राठौड़)

स्टेबिलिटी भी ये ध्यान में रख रहे हैं। इस प्रकार के यह प्रयास जिसमें सभी को पानी मिले, इसका लाभ सबको मिले, इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझ रहा हूं, आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप चाहेंगे कि मैं इसमें जल्दी करूं।

श्री सभापतिः नहीं, आप पूरा समय लीजिये। अभी तो समुद्र ही आया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह जो नदियों को जोड़ने की योजना है, इसके अलावा भी कई क्षेत्रों का पानी बहकर के गुजरात या और आसपास के प्रदेशों में जा रहा है। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि पहले भी ऐसा एक प्रयास हुआ था। उदयपुर में सेही बांध, जो बात मैंने पहले भी कही थी, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, सेही बांध का पानी बहकर के गुजरात जाता था। वहां गुजरात सरकार ने एक टावर लगा रखा था, जहां गुजरात सरकार का एक कर्मचारी बैठता था। वह कर्मचारी गुजरात सरकार को सूचना देता था कि इतना पानी यहां से निकल रहा है, गांव खाली कराओ। जब हमने यह महसूस किया कि वह पानी गुजरात के लिए अभिशाप हो सकता है लेकिन हमारे लिए वरदान हो सकता है। पूर्व में जब 2003 से 2008 तक जब हमारी सरकार थी तो आदरणीया वसुंधरा जी से यह निवेदन किया। सांवरलाल जी जाट उस समय सिंचाई मंत्री थे। वसुंधरा जी ने वह योजना स्वीकार की। उस बांध की दीवार को हमने ऊंचा उठाया। जो टनल पौने-7 किलोमीटर की है, उसको साफ करवाकर उसका पानी नाणा नदी में डाला और उससे जवाई बांध में पानी डाला। यही कारण है कि आज पूरा पाली जिला जो पानी पी रहा है, वह सेही बांध का जो अपवर्तित पानी है, उसी को पी रहा है।

इस बार भी हमने फिर से निवेदन किया कि साबरमती बेसिन का जो पानी है, जैसे देवास-फर्स्ट, देवास-सेकंड की योजना बन चुकी, उसकी डी पी आर भी बनने के लिए चली गयी है, अभी पी एच ई डी मंत्री यहां नहीं हैं, उन्होंने यह प्रयास करवाया था। देवास-थर्ड का पानी राजसमन्द में लेने की योजना बनाई है। उसकी डी पी आर भी बन रही है; उसके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। वह काम भी होगा, लगभग 1,000 एम सी एफ टी पानी राजसमन्द में जाएगा।

अब माननीय सभापति महोदय, आपको यह बताना चाहूंगा कि इसमें और भी पानी प्रचुर मात्रा में वहां पर है। 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का साबरमती बेसिन राजस्थान के हिस्से में है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले के

(श्री मदन राठौड़)

कोटड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र में है, जहां से वह पानी बहकर गुजरात जा रहा है। बरसात का समय होता है, पानी बहकर जाता है, तो गुजरात प्रभावित होता है, पीड़ित होता है। यह बात मैं बिलकुल सही निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, साबरमती सूखी है। आज जब यह बात आई थी तो कुछ सदस्यों ने कहा कि साबरमती तो सूखी पड़ी है, उसको जोड़कर क्या ले लेंगे? लेकिन जब बरसात होती है, बारिश होती है, मानसून होता है, उस समय बहुत अधिक मात्रा में पानी बहकर जाता है, जो उस क्षेत्र के लिए अभिशाप है। उस पानी को रोकने के लिए, कहीं उनको एतराज भी नहीं है क्योंकि हमारे राजस्थान में 3,500 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन बाकी का क्षेत्र गुजरात में है, जहां से वह साबरमती बनेगी, साबरमती चलेगी भी और व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, वह व्यवस्था उनके लिए चलेगी, लेकिन यह जो हमारा क्षेत्र है जिसमें देवास फर्स्ट से फोर्थ तक का पानी मैं नहीं मांग रहा लेकिन जो साबरमती बेसिन का पानी है, जिसमें से यह सारा पानी निकालने के बाद भी 9,448.6 एम सी एफ टी पानी बचता है और वह जो पानी बचेगा उसके लिए हमने एक अभी मांग की थी मंत्रीजी से और माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी कि यह पानी, वहां पर कोटड़ा में एक डैम बना है और डैम बनाकर के तीन टनल बनेंगी; आजकल टनल बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी चट्टानें हैं उन चट्टानों को और उसमें से टनल खोदना, आजकल कई मशीनरी, सब प्रकार की आ गई है, और तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बनेंगी तो आसानी से बन भी जाएगी और वह पानी जवाई बांध में लाने की योजना है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय रामप्रताप जी को और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने यह घोषणा भी कर दी कि यह पानी जवाई बांध पुनर्भरण के लिए उपयोग में आएगा। जब जवाई बांध पुनर्भरण के लिए उपयोग में आएगा, तो जवाई बांध का खुद का जो कैचमेंट है, फिर सेही बांध का जो कैचमेंट है, वह पानी भी इसमें अपवर्तित होगा और उसके बाद में जो जवाई नदी चलेगी, तो निश्चित रूप से आपके जालौर को फायदा मिलेगा, बाड़मेर को फायदा मिलेगा और यह जो चिंता कर रहे थे सांचौर के माननीय सदस्य, उनके लिए भी यह वरदान साबित हो सकता है। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयासों को और इसकी सराहना की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से जो एक ब्राह्मणी बनास, इसको जोड़ने की...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कम बोलेंगे तो आपके नम्बर कम नहीं होंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नम्बर तो देखो, आपके देने से तो मेरे नम्बर कटेंगे। इसलिए आप तो कृपया शांत ही रहो।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि ब्राह्मणी बनास को चम्बल से और चम्बल का जो पानी जयपुर में आए, अजमेर जाए और निश्चित रूप से नागौर को भी मिलने वाला है। (व्यवधान) तो यह जो प्रयास होगा, यह भी एक वरदान साबित होने वाला है।

ठीक इसी प्रकार से, जो पहले योजना बनी थी, उस योजना का एक प्रारूप भी मेरे पास में है लेकिन अब समय की सीमा है, मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा कि वह योजना जो बन रही थी, उसमें हमारे जैतारण के पास में, पहले तो अजमेर का आनासागर बांध, फिर जैतारण के पास में कुड़की, वह जंक्शन बनने वाला था और फिर पिचियाक और हरिपुर डैम से जो लूणी नदी निकलती है, उस लूणी नदी को जोड़ने का यह प्रावधान पहले था, जब प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने योजना बनाई थी। वह योजना कोई यूं ही कोई कपोल कल्पित नहीं बना दी थी। उसका भी सारा बनाकर, डी पी आर, वगैरह, उसके हिसाब से जी टी शीट्स पर सारा समुद्र तल से ऊंचाई, कहां किस प्रकार से लिफ्टिंग करना पड़ेगा, यह सारा ध्यान रखकर, नेचुरल ग्रेविटी से कहां आएगा, कहां पर लिफ्टिंग करना पड़ेगा, वह सारी योजना बनाकर हमने तैयार की थी। लूणी नदी यदि बहेगी तो केवल पाली जिला ही नहीं, बाड़मेर और सारा क्षेत्र भी लाभांवित होने वाला है। इसलिए मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो योजना लेकर आये हैं, यह वास्तव में भागीरथी प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें दो तीन निवेदन और करना चाहूंगा; यदि आप इजाजत दें तो मैं करना चाहूंगा। जैसे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जो राजस्थान जल संसाधन सलाहकार परिषद है, यह सुप्रीमो है; यह यदि सुप्रीमो रहे तो मैं सोचता हूं कि प्राधिकरण जो बनेगा, प्राधिकरण को सलाह, यदि सी एम जिसकी अध्यक्ष हैं, सलाहकार परिषद की, उसकी अध्यक्ष तो मुख्य मंत्री हैं, और इसमें निश्चित रूप से किसी अन्य को मौका मिलेगा, जो प्राधिकरण का अध्यक्ष बनेगा; तो मुख्य मंत्रीजी जिसकी अध्यक्ष हैं, वह सलाह देंगे प्राधिकरण को, तो मैं सोचता हूं कि निर्देश होना चाहिए। बस इतनी-सी बात कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा।

(श्री मदन राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, जो मैंने जन मत जानने के लिए प्रस्ताव किया था, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मैं वापस ले सकूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज जो विधेयक सरकार लेकर आई है, पढ़ने में और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और जब हम खुद चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि नदियों को जोड़ेंगे; सिंचाई की, पानी की व्यवस्था करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 60-70 वर्ष बाद भी, अभी भी देश के अन्दर जो पानी 1.16 प्रतिशत और राजस्थान में 1 प्रतिशत है, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पानी की हमेशा कमी रही है। राजस्थान वह प्रदेश है और विशेषकर मारवाड़, जहां से हम लोग आते हैं, वहां हमेशा अकाल पड़ते रहे हैं और पानी को बहुत संजो कर, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सारा इलाका, पानी की बहुत बड़ी कीमत यहां पहले भी हुआ करती थी और आज भी मारवाड़ के अन्दर, हमारे गांवों के अन्दर बहुत बड़े तालाब हैं जहां पर लोग पानी को संचय करके रखते हैं। वह पानी बाद में उसमें फ्लोराइड भी नहीं होता और शुद्ध जल के रूप में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, मारवाड़ के अन्दर पीने के पानी के रूप में काम में लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में हर साल 30 सेंटीमीटर भू-जल घटता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आने वाले समय में जल के लिए भीषण संघर्ष होने की बात कही है। वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड वाच इंस्टिट्यूट ने भी देश को भावी जल संकट के प्रति सचेत करते हुए चेतावनी दी है कि भारत में 2020 के बाद गम्भीर पेयजल संकट पैदा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा अगर साफ हो तो जल संकट की स्थिति से निपटा जा सकता है। जयपुर में, जो हमारी राजधानी है और जहां सरकार बैठती है, सारे अधिकारी बैठते हैं और सारा शासन यहां से चलता है, यहां कनिष्ठ अभियंताओं के दो-तिहाई पद रिक्त हैं, जयपुर के अन्दर।

पूर्ववर्ती सरकार के समय भी पीने के पानी से जयपुर में मौतें हुईं और उस समय बयान भी आया था, शायद कोई मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में इस तरह का बयान देना गलत था।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्रदेश में कनिष्ठ अभियंताओं के 1,136 पद स्वीकृत हैं, 300 ही अभी कार्यरत हैं और बाकी अभी खाली पड़े हैं।

पेयजल के मामले में राज्य सरकार ने जो जल नीति बनाई है, उसमें एक नीति, नदियों को परस्पर जोड़कर अंत:बेसिन जल अंतरण करना, ऐसा करने से आधिक्य वाले, जो विधेयक लेकर आ रहे हैं वह यही विधेयक है, आधिक्य वाले बेसिन के जल को अभावग्रस्त बेसिन में अंतरण किया जा सकेगा। साबरमती नदी, जिसकी चर्चा हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी, साबरमती नदी कोटड़ा, जो समुद्र तल से 360 किलोमीटर ऊंचाई पर है, इसमें बरसात के अन्दर पानी को रोककर, यहां डैम बनाकर और इसको जवाई बांध के अन्दर, जो नेचुरल फ्लो से पानी आएगा, जो 335 मीटर ऊंचा है, अगर इसको जवाई बांध में डाला जाए तो जवाई बांध से मारवाड़ के जालौर, बाड़मेर, पाली तक इसको पहुंचाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में एक ही नदी है जो बारह महीने चलती है, बाकी तो ज्यादातर सूखी नदियां हैं। हमारे इलाके से कई नदियां गुजरती हैं लेकिन उनमें पानी हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि बरसात ही नहीं होती है। लेकिन जो नदी हमेशा चलती है, वह है चम्बल, और चम्बल के अन्दर जब ज्यादा बरसात होती है तो चम्बल का पानी चला जाता है बहकर।

(16.00 बजे)

इसको रोककर चम्बल के पानी को लिफ्ट कर बीसलपुर बांध के अन्दर डाला जाय। दो तरीके से इस पानी को ले जाया जा सकता है। दो क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा, करौली, रामगढ़ बांध के अन्दर इसको लाया जाय। रामगढ़ बांध से बाणगंगा के माध्यम से भरतपुर व आसपास के क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इसी पानी को ढूंढ नदी, मोरेल व बनास के माध्यम से सवाई माधोपुर, दौसा तक भेजा जा सकता है। बीसलपुर का दूसरे हिस्से में अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा तक पानी भेजा जा सकता है। चम्बल का पानी यमुना में बेकार चला जाता है। इसे रोककर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, हम अख़बार के माध्यम से पढ़ते हैं, जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो दिल्ली, अपने देश की राजधानी, डूब जाती है। यमुना के अन्दर पानी भर जाता है। सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के जरिये पानी झुंझुनूं, चूरू, सीकर में लाया जा सकता है। हरियाणा सरकार से एम ओ यू करके धारूहेड़ा के पास अगर कैनाल बनायी जाय, तो धारूहेड़ा से इसको

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जमवारामगढ़ बांध में लाकर इस पानी को भरतपुर, दौसा इलाके में लाया जा सकता है और इसी पानी को रूपारेल नदी के माध्यम से अलवर में लाया जा सकता है।

सभापति महोदय, सरकार सतही पानी की योजनाएं बनाकर नदियों को जोड़ने की बात कह रही है, लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य है। यह विधेयक कोई प्रभावशाली नहीं है। सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए विधेयक लाती है। प्राधिकरण बने, जयपुर प्राधिकरण, जोधपुर प्राधिकरण; क्या हो रहा है प्राधिकरणों के अन्दर, आप देख रहे हों। राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण बनाया, झील संरक्षण का प्राधिकरण बनाया, लेकिन आप इस योजना को कैसे लागू करोगे, किस तरह किसानों की सहमति लोगे, कैसे आप नहरें बनाओगे, कैसे बांध बनाओगे, इसके अन्दर पूरा स्पष्ट नहीं है।

प्रदेश में 243 जो पूरे ब्लाक हैं उनमें से 25 ब्लाक में ही पानी है, बाकी डार्क जोन घोषित हैं। आज मेरा इलाका, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे इलाके के नजदीकी जो इलाके हैं वहां 400 फीट का वाटर लेवल है, लेकिन वहां डार्क जोन नहीं और मेरे इलाके में डार्क जोन है। इसका भी रि सर्वे होना चाहिए। जो भूजल बोर्ड है, मैंने पहले भी मामला उठाया था और पूर्ववर्ती सरकार के टाइम मंत्री ने सदन के अन्दर घोषणा की थी कि पुनः सर्वे कराएंगे नागौर की तीन-चार पंचायत समितियों का। अगर उसमें वाटर लेवल नीचे नहीं जा रहा है तो वहां हमें पीने के पानी के साथ-साथ सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। किसानों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। हमारे इलाके में नदी-नाले नहीं हैं, नहर नहीं आती। जो रोजगार का साधन है वह खेती है। डार्क जोन के मामले का पुनः सर्वे कराकर, जो डार्क जोन के अन्दर नहीं आते, उन्हें हटाया जाना चाहिए। खाली कागजों के अन्दर कि यहां डार्क जोन हो गया, हाई कोर्ट ने कह दिया, भूजल बोर्ड ने कह दिया, लेकिन हकीकत के अन्दर जहां आवश्यकता है, जहां पानी ज्यादा गहरा नीचे नहीं गया, उन इलाकों का पुनः सर्वे कराकर उस इलाके से हटाना चाहिए।

प्रदेश में 4,965 एम एल डी पानी की मांग की तुलना में सिर्फ 3,679 एम एल डी पानी उपलब्ध है। सभापति महोदय, जिस राज्य का पानी पर कब्जा है, बी बी एम बी बोर्ड बना हुआ है, हमारी सरकार के प्रतिनिधि रोज वहां जाते हैं; अभी पंजाब के मुख्य मंत्री का बयान था कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। जिस राज्य का पानी पर कब्जा है, वह राज्य दूसरे राज्य को पानी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

नहीं देगा। पंजाब में आपकी सहयोगी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप पानी लाइये, लाकर दिखाइये। जो आने वाली लड़ाई है, वह पानी के ऊपर ही होगी।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम भी, मैं उसकी चर्चा करूंगा तो कई लोग नाराज हो जाएंगे, 2003 से 2008 तक पानी को लेकर राजस्थान में गोलियां चलीं, सोहेला, टोंक में पानी की मांग कर रहे लोगों ने सीने पर गोलियां खायीं। घड़साना, रावला के अन्दर गोलियां चलीं, जो अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहे थे।

सभापति महोदय, सिंचाई मंत्रीजी उसी हनुमानगढ़ इलाके से आते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी राजस्थान को मिले, इस दिशा में प्रयास पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम चाहते हैं कि जो बाकी बचा हुआ राजस्थान है, वहां कैसे स्थिति ठीक हो?

जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, तब यह मामला चला कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेंगे और प्रमुख नदियों को जोड़कर हम सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाएंगे। सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी शायद पेश हुई होगी, बहुत बड़ा खाका तैयार किया, लेकिन उसमें अभी तक काम चालू नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में सरकार लेकर आयी। इस विधेयक के आने से आपका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। आप कौनसा कर लोगे? विधेयक तो कई लेकर आये, कौन से विधेयक के हिसाब से काम राजस्थान के अन्दर हो गया? हकीकत के अन्दर राजस्थान के लोगों को अभी तो पीने का पानी तो उपलब्ध कराओ। नागौर लिफ्ट कैनाल योजना मेरे वहां चल रही है। करोड़ों रुपये वहां खर्च हो गये, लेकिन अभी भी 10-20 गांवों के अन्दर ही नागौर में पानी आया है। 12-13 साल उसको चलते हुए हो गये। आज भी हमारे जायल के अन्दर मातासुख चली, करोड़ों रुपये बरबाद कर दिये और वह पानी जब पीने के लिए भेजा, तो वहां आदमियों के साथ-साथ पशु बीमार हो गये। उस योजना को सरकार को बंद करना पड़ा। तो पहले ऐसी योजना लेकर ही क्यों आते हो?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो यह राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 ये लेकर आये हैं, अच्छा तो यह होता कि पूरे राजस्थान के जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भी जन-प्रतिनिधि हैं, इनके साथ आप बात करते; किसानों के जो प्रतिनिधि-मण्डल हैं, जो पानी के लिए हमेशा आंदोलित रहते हैं, उन सबसे बात करते। कहां से किस इलाके से आप नदियों को जोड़ोगे, कौनसी नदियां हैं, कैसे क्या करोगे, पूरा खाका तैयार करते, तब इस विधेयक को लेकर आते, तब तो ठीक होता। अब आपको तो विधेयक पास कराना है। एक दिन में रात को देखते हैं दो और सुबह पढ़ते हैं तो तीसरा आ जाता है, चौथा ले आते हो। अब दो दिन यही करोगे आप। जो हमारा अधिकार है बोलने का, वह तो आपने पूरा छीन लिया। आप तो फिर भी यहां विराजे हैं, हमें देते हैं बोलने का, बाकी सुबह-सुबह 12 बजे तक ऐसा लगता है कि मामला ठीक नहीं है और 12 बजे बाद ठीक होता है, हमारी बात को सुना जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जन मत जानने के लिए एक बार परिचालित किया जाय और पूरे राजस्थान के जन-प्रतिनिधियों की, पंचायत से लेकर सांसद, विधायक, प्रधान, प्रमुख तक, सबकी राय ली जाय और जो मुख्य किसान हैं, इसके अन्दर कई लोग पुराने इतने कारीगर हैं बिना पढ़े-लिखे, जे ईएन, एक्स ईएन से ज्यादा उनका दिमाग चलता है, ऐसे लोगों को भी जोड़कर इसके अन्दर शामिल किया जाय।

इसके अलावा, जो आपने इसका बनाया है, इसमें हमारे राजस्व मंत्री जी का नाम नहीं दिख रहा है, राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद। इनके बिना तो जमीन कैसे लोगे? आप बताओ। हर जगह जमीन की आवश्यकता है। आप किसान के बेटे का ध्यान रखो। आपने इनको छोड़ दिया। एक तो यह करो, इनको लाओ और जो भी इसके अन्दर कमियां हैं उनको पूरी करके इस विधेयक को पारित करो। पारित तो आप करा लोगे, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है और इधर संख्या कम है, पारित तो होगा, लेकिन होने से पहले इसमें ढंग से राय ली जाय, राजस्थान की जनता की राय ली जाय, प्रतिनिधियों की राय ली जाय। इसके अन्दर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी भी राय लेकर अगर फिर विधान सभा में लाते, तो ज्यादा अच्छा है।

मैं जन मत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे भी मुंह से 'अध्यक्ष महोदय' ही निकल रहा है। सभापति महोदय, आज हम राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने इस विधेयक को जन मत जानने के लिए भेजने का आग्रह किया है।

हमारे सत्ता पक्ष के माननीय साथियों के विचार सुनने को मिले। एक माननीय सदस्य जो लूणी से आते हैं, वे तो इतना भावुक हो गये थे कि आज का दिन पूरे राजस्थान में आज तक सबसे महत्वपूर्ण दिन है; यहां तक कह डाला कि माता वसुन्धरा की कृपा हो गयी, रामजी का प्रताप हो गया और धन्य भाग्य हमारे, हम तो निहाल हो गये। मैं सुन रहा था। माननीय सदस्य मदन जी राठौड़ ने भी बहुत ही भावुक अंदाज में कहा, पता नहीं, क्या राजस्थान के विकास में नींव का पत्थर रख रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इतना कर रहे हैं कि इस विधेयक के माध्यम से हम राजस्थान राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद के गठन का अधिकार ले रहे हैं और हम राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण स्थापित करने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। प्राधिकरण पहले भी बने हैं, बना है जयपुर विकास प्राधिकरण। इसी सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं, यह नरक परिषद है। नरक, जिसको कहते हैं, ना-स्वर्ग, और नरक। (व्यवधान) अभी इसी सदन में, चौदहवीं विधान सभा में यह कहा गया। एक बात कर लेना, बीच में बोलो तो आज के बाद कभी नहीं बोल पाओगे आप।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्राधिकरण क्यों बना रहे हैं? क्या हो जाएगा इस प्राधिकरण से? जुड़ जाएंगी नदियां?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, आप धमकी दे रहे हो कि आगे से नहीं बोल पाओगे। तो आपके जाने का रास्ता भी वही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बात तो सही है। माफी चाहता हूं।

श्री सभापति: बाई-पास भी तो निकल गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बाई-पास पर भी इन्होंने टोल लगा रखा है। वहां बाई-पास पर लठैत खड़े रहते हैं, और इधर से भी नहीं जा सकते हम।

श्री सभापति: आप अजीतगढ़ होकर आ जाना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो फिर भी एक रास्ता बचता है लेकिन फिर आपकी अनुमति चाहिएगी, उधर से जाऊंगा, शाहपुरा होते हुए, तो।

श्री सभापति: ऐसा कोई खतरा मेरे यहां नहीं है आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो, मेहरबानी है, साहब। कम से कम बच्चों में तो चले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह प्राधिकरण बन रहा है, कहां से संसाधन आएंगे? एक हमारा जल संसाधन विभाग है, उसके तो आपने दो टुकड़े कर रखे हैं। एक पी.एच.ई.डी. अलग माहेश्वरी जी को दे रखा है; एक आदरणीय रामप्रताप जी को दे रखा है, जिसमें कोई ज्यादा काम नहीं है। माल-ताल नहीं है, वह इनको दे रखा है। एक विभाग के दो टुकड़े कर रखे हैं और सरकार पूरे संसाधन होते हुए भी संभाल नहीं रही है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं माफी चाहूंगा कि इंटरवीन कर रहा हूं। आप काफी सीनियर सदस्य हैं, माल-ताल से आप क्या कहना चाहते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह थोड़ी लम्बी है न इंदिरा गांधी नहर परियोजना।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): थोड़ा लेवल को ऊंचा रखो। इतना नीचे लेवल मत ले जाओ आप। माल-ताल से, यह क्या तरीका है? मैं आपका स्टेटस बढ़ा रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो, बढ़ा लेते हैं। धन्यवाद।

निश्चित रूप से एक मंत्री से विभाग नहीं संभल रहा है और सरकार को दो मंत्री बनाने पड़े, और प्राधिकरण बनाकर ये नदियों को जोड़ देंगे। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि हम गंगा की सफाई कर देंगे, अभी तक तो एक जे सी बी कचरा उठाने के लिए पहुंची नहीं। उसके बाद में नदियों को जोड़ने की, अभी हमारे माननीय सदस्य केसाराम जी कह रहे थे कि मेहरबानी करके सरकार से कह दीजिये कि एक नदी को तो कहीं न कहीं जुड़वा दीजिये ताकि हम तीन-चार साल बाद में जब फील्ड में जाएं तो यह कह तो दें।

सभापति महोदय, इन्होंने बहुत बड़े वादे किये थे, 15 लाख को रोजगार दे देंगे, नदियों को जोड़ देंगे, पता नहीं, क्या-क्या कर देंगे। इसलिए इनको यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता पड़ गई। प्राधिकरण से कोई भला नहीं होने वाला है। प्राधिकरण में, जिस प्रकार से जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार की आये दिन शिकायतें हैं, जिस प्रकार से वहां पर डेपुटेशन पर अधिकारियों, कर्मचारियों को लाया जाता है, कोई अधिकारी, कर्मचारी नहीं है, उसी तरीके से इस प्राधिकरण में लाने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत से अधिक हमारी कृषि भूमि वर्षा के ऊपर निर्भर है। हमारे एक तरफ तो सूखा है जिसमें बाड़मेर, सीकर, झुन्झुनूं, बीकानेर जिले हैं जहां बिल्कुल सूखा है और एक तरफ नदी-नाले बहुत हैं, इस प्रकार दो भागों में हमारा प्रदेश बंटा हुआ है। मैं जहां से आता हूं वो मरुस्थल क्षेत्र है, वहां पर नदी-नालों का कोई योग नहीं है। एक जो बीकानेर साइड तक है, गंगानगर में जहां से मंत्री जी आते हैं वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। हमें सदन में बार-बार सुनने को मिलता है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया तो यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना आरएसएस की लाई हुई है या पहले जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की या बसपा की लाई हुई है? यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना कांग्रेस की सरकार की लाई हुई है। गंगासिंह जी लाये लेकिन इसको आगे तो हम ही बढ़ा रहे हैं न। वे गंगनहर लाये थे। वो है लेकिन वो तो थोड़ा सा सीमित एरिया था और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आगे से आगे बाड़मेर, जैसलमेर तक बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, जिससे आज किसान को सिंचाई मिल रही है, हम लोगों को पानी मिल रहा है। आज जो हम पानी की परियोजना बना रहे हैं, चाहे सुजानगढ़ की हो, लक्ष्मणगढ़ की हो, फतेहपुर की हो, झुन्झुनूं की हो, वे सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं वे हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर टिकी हुई हैं।

सभापति महोदय, हमारे इस मरुस्थलीय एरिया में सबसे पहले 1990-91 में जो बरसात का पानी आता है उसको संग्रहित करने के लिए जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की स्थापना हुई और 19.6.2003 को इस विभाग का नियंत्रण पंचायती राज विभाग को दे दिया। उसके बाद में वाटरशेड के माध्यम से भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं से पैसा आ रहा है और जो बरसात का पानी है उसको रोककर हम पीने का पानी काम में लेते हैं। मैं समझता हूं कि उससे छोटे-मोटे पेड़-पौधे लगाने का काम भी हम कर सकते हैं आज जो बीकानेर, सीकर, झुन्झुनूं, बाड़मेर, जैसलमेर में फ्लोराइड का एरिया है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वहां वाटरशेड के माध्यम से इतने जल कुण्डों का निर्माण हुआ है कि वहां के लोगों की कायाकल्प होने लग गई है। इस प्राधिकरण से नहीं हो रही है, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, ये ग्रामीण विकास की योजनायें आईं, डी डी पी, डी पी ए पी, आई डब्ल्यू डी पी, हरियाली के माध्यम से भारत सरकार की जो मार्गदर्शिका आई और 1.4.2008 को आई डब्ल्यू एम पी, एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम आया जिसमें 90 परसेंट भारत सरकार का पैसा होता है और 10 परसेंट पैसा राज्य सरकार का होता है, यह इतनी शानदार योजना है कि जो मरुस्थलीय एरिया है उसका कायाकल्प हो सकता है अगर इसमें ढंग से पैसा लगाया जाए और इसका हम प्रबन्धन कर लें। प्राधिकरण की हमें जरूरत ही नहीं है। हम जो काम नदियां जोड़ने का कर रहे हैं, उसमें तो अरबों-खरबों, पता नहीं, कितने रुपये चाहिए। आपने एक ट्यूबवेल डेढ़ साल में कहीं नहीं खोदा; सभापति महोदय, एक हैण्डपम्प कहीं नहीं लगाया। मेरे अकेले जिले में 15 करोड़ कनेक्शन करने के लिए डिमाण्ड नोट के बकाया पड़े हैं। अभी माननीय श्रवण जी कह रहे थे कि ट्यूबवैल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पी.एच.ई.डी. बिजली बोर्ड को पैसा नहीं दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इन वाटरशेड की और भारत सरकार की जो योजना है, उसको हम कैसे ठीक करें, उसके माध्यम से किस प्रकार से बरसात का जो पानी आ रहा है, उसका हमारे प्रदेश के मरुस्थलीय एरिये में रहने वाले लोगों का किस प्रकार से हम कर सकते हैं। उस वाटरशेड की जो हम सबने दुर्गति बना रखी है, हमारी सरकारों ने, चाहे वह कोई सी भी सरकार आई हो, उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2009 से 2013-14 तक 33 जिलों की 311 पंचायत समितियों में 884 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिसका क्षेत्रफल 49.75 लाख हैक्टेयर है, और जो राशि स्वीकृत हुई वह 6,852.19 करोड़ रुपये हुई। सभापति महोदय, इसका जो बजट है वह बजट कितना हम खर्च कर पा रहे हैं, वह बजट है 30-32 परसेंट, जो खर्च कर पा रहे हैं। कितना पैसा भारत सरकार दे रही है। यहां के लोगों की कायाकल्प हो सकती है, उनको नया जीवनदान मिल सकता है, मीठा पानी जो अमृत है बरसात का पानी, वह मिल सकता है। उस बात में जो पैसा भारत सरकार दे रही है, उसका हम 25-30 परसेंट, 32 परसेंट से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वह पैसा इसलिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहता हूं कि हमारा जो वाटरशेड डिपार्टमेंट है, मंत्री महोदय, इसकी जो स्थिति है, उसमें निदेशालय स्तर पर जो पद हैं वे 127 हैं और उनमें से 41 पद खाली हैं। जो जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर कुल पद स्वीकृत हैं, वह आंकड़ा हैरान करने वाला है, इतनी बड़ी योजना भारत सरकार की है, उसमें 1,523 स्वीकृत पद हैं और उनमें 1,046 खाली हैं। यह स्थिति हमारी वाटरशेड की है जिसमें, सभापति महोदय, 90 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का है और 10 परसेंट पैसा राज्य सरकार का है।

हम कहां ले जाना चाह रहे हैं? कौनसा प्राधिकरण बना रहे हैं? कौनसी नदियां हम जोड़ रहे हैं? नरेगा का हाल हम देख ही रहे हैं कि कितना परसेंट पैसा लग रहा है, कितना प्रतिशत पैसा खर्च कर पा रहे हैं। अभी माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी साहब ने काफी प्रयास किये लेकिन राज राज ही होता है, नहीं परमिशन दी। कितना पैसा बैंकों में हमारी योजनाओं का पड़ा है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का और वित्त विभाग कहता है कि कोई बजट नहीं है। नो, नो करके उन फाइलों को लौटा रहा है। आप लीजिए ना। कौन कह रहा है? 25-30 प्रतिशत ही पैसा यूज कर पा रहे हैं, बाकी यूज नहीं कर रहे हैं। तो प्राधिकरण बनते ही कोई ऐसा बटन लग जाएगा क्या कि इस बटन को दबाते ही पूरा पैसा लग जाएगा, पूरा कायाकल्प हो जाएगा।

सलाहकार परिषद सलाह दे देगी। मुख्य मंत्रीजी को अध्यक्ष रखकर सलाहकार परिषद बनाने की आवश्यकता क्या है? मुख्य मंत्रीजी तो मुख्य मंत्री हैं। पूरे प्रदेश की जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी पैसा जाएगा, वह मुख्य मंत्रीजी की स्वीकृति से ही जाएगा। हम सब बजट दे देते हैं, उसके बाद में तो मुख्य मंत्रीजी स्वीकृत करके ही योजनाएं लाती हैं। जो मंत्रिपरिषद इनका बना हुआ है, उसमें से पांच-चार मंत्रियों को चूज करके एक अलग से कोर कमेटी बनाने की, मैं समझता हूं, सभापित महोदय, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें जो करना चाहिए, हमारे पास बजट नहीं होगा, हम केन्द्र सरकार की ओर देखेंगे इस एक्ट को बनाने के बाद में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन मंत्रीजी से और करना चाहता हूं। आप थोड़ा इसको और अध्ययन कर लीजिए। कहीं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिनियम का हुआ और हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राजस्थान की सरकार लेकर आई थी और प्रवर समिति ने यहां रिपोर्ट दी है, उसका जो हाल हो रहा है, वह हाल आपके इस एक्ट का नहीं हो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जाए। इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा। सुबह से शाम चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं। कोई पत्नी को माता बनाने का दे रहा है, कोई किसी को माता बता रहा है, कोई किसी को रामजी का प्रताप बता रहा है। बढ़िया बात है, बताना चाहिए लेकिन हम ऐसा एक्ट बनाएं...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य, ये क्या बोल रहे हैं? कैसे-कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रामजी का प्रताप नहीं है क्या, यह एक्ट जो आया है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, आप क्या बोल रहे हों?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, आपने ही तो कहा, रामजी का प्रताप है। तो मैं नहीं कहूंगा क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं सही कह रहा हूं। आपने कहा, आदरणीया वसुन्धरा जी की मेहरबानी से और रामजी के प्रताप से मंत्रीजी लेकर आये। मैं यही तो कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं? मैं नहीं कह सकता क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, वह ठीक है, आप शब्द प्रयोग ढंग से करो। आप लक्ष्मणगढ़ से आये हों। वहां की जनता शर्म खाएगी ऐसे बोलोगे तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने नहीं कहा कि रामजी के प्रताप से? वह तो आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने शर्म खाई है, 11,000 वोटों से निपटा है। इसलिए रहने दो आप।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्ट हम लेकर आ रहे हैं, उसके माध्यम से जो प्राधिकरण बनेगा, वह प्राधिकरण किसी सूरत में सक्षम नहीं होगा, इतना बड़ा काम करने के लिए। राजस्थान की सरकार के पास में संसाधन हैं, स्टाफ है, जितने संसाधन चाहिए वे सारे पर्याप्त हैं; नहीं हैं तो उनको और ले लिया जाए, लेकिन प्राधिकरण में उसको सीमित करके, इस काम को केवल वाहवाही लूटने के लिए कि हमने चुनावों में घोषणा की थी कि हम नदियों को जोड़ देंगे, तो कल को जाकर यह तो कहें, नदियों को तो नहीं जोड़ पाए लेकिन नदियों को जोड़ने वाला प्राधिकरण हमने बना दिया। केवल मात्र अपने अहम् की संतुष्टि, अपनी थोथी घोषणा की संतुष्टि के लिए इस प्रकार के बिल लाने की, मैं समझता हूं, कतई आवश्यकता नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज जो व्यवस्था है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जो नहरें टूटी-फूटी हैं, उनको ठीक कराने की आवश्यकता है। जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है, किसान बैठा है, वह पानी के लिए तरस रहा है, उसको पानी देने की जरूरत है। आज हमारे डार्क जोन में लोग ट्यूबवेल नहीं खोद पा रहे हैं, उनको पानी देने की आवश्यकता है। जहां फ्लोराइड का पानी है, वहां पर पानी देने की आवश्यकता है।

मेरे लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र और फतेहपुर के 283 गांवों में फ्लोराइड का पानी है, जहर है और उस जहर को पी रहे थे। माननीय अशोकजी गहलोत, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मेहरबानी की और 832 करोड़ रुपये की योजना हमें दी, 700-800 करोड़ रुपये की योजना सुजानगढ़ को दी और 2,500-3,000 करोड़ रुपये के लगभग नीमकाथाना और खेतड़ी, खण्डेला के लिए पानी देने की योजना बनाई। आज जो स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को; पी एच ई डी मंत्री होती तो और ज्यादा बढ़िया होता क्योंकि यह उनके विभाग से सम्बन्धित है, ये तो नहरों के मंत्री हैं, नहर हमारे यहां हैं नहीं; आपणी योजना का सेकण्ड फेज हमारे यहां आ रहा है, छह पैकेज बने थे, छहों के टेण्डर हो गये, 2016 में वह काम पूरा होना है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि उसका 24-25 प्रतिशत काम ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब से यह सरकार बनी है, जहां टंकी-ओवरहैड बन रहा था, वहां रोक दिया गया है। पाइपलाइन पूरी पड़ी नहीं है, स्टोरेज बन नहीं रहे हैं, काम बिलकुल धीमी गति से चल रहा है और मैं समझता हूं, इस सरकार के समय में वह परियोजना पूरी होकर वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। जिस गति से आपने यह काम चालू करवा रखा है, वह काम नहीं होगा। इसलिए उन योजनाओं को आप चालू कीजिए; जो स्वीकृति हमने दी थी, उनको आप आगे बढ़ाइये, जो काम नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, एक मोहल्ले में आप एक ट्यूबवेल स्थापित कर दो और किसी के कहने से कर दो। उसके बाद में उसके साइड वाले मोहल्ले का आदमी अगर उससे पाइपलाइन डालकर पानी लेना चाहेगा, तो वह उसको पानी नहीं लेने देगा। वह यह कहेगा, मैंने मेरे विधायक से या मेरे आका से कहकर ट्यूबवेल लगवाया है। इसलिए हम जो 10-20 लोग हैं, यह इनके लिए पानी है। आपको हम पानी नहीं ले जाने देंगे। पाइप से पाइप नहीं जोड़ने देते हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ट्यूबवेल से पानी नहीं लेने देते हैं और आप गुजरात से नदियां आ रही हैं, पता नहीं, कहां से आ रही हैं, गंगानगर से आ रही हैं।

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, हमारी मुख्य मंत्रीजी गईं, हमारे प्रधान मंत्रीजी मौजूद थे और वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि यह पंजाब के मुख्य मंत्री बैठे हैं, जहरीला पानी, प्रदूषित पानी पंजाब का हमारे यहां आ रहा है और हमारे यहां प्रदूषण फैल रहा है; मेहरबानी करके, प्रधान मंत्रीजी, इनको कहिए, यह जहरीला पानी इस राजस्थान प्रदेश में आने से रोकें। वह तो आपसे नहीं रुका और आप नदियां जोड़-जाड़कर सब पूरे देश का और पूरे प्रदेश का कल्याण कर दोगे। नहीं होने वाला है कल्याण। केवल मात्र आपके अहम की संतुष्टि है और जो सुराज संकल्प यात्रा में थोथी घोषणाएं आप करके आए थे वोट बटोरने के लिए। उस अहम की संतुष्टि के लिए केवल मात्र यह है कि हमसे पारित करवा रहे हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं करने वाले। न बजट है, न स्टाफ है, न कोई सिस्टम है, न नियम है, न कोई उपनियम है। केवल मात्र अहम् की संतुष्टि है। हमारे प्रधान मंत्रीजी तो यह कहते हैं कि 1,700 कानून बहुत गलत बन गये, इनको हम खत्म करेंगे और आप वह कानून बना-बनाकर प्राधिकरण बना रहे हो।

मैं समझता हूं, पूरे प्रदेश की जो सम्पदा है, उसका यहां का प्रत्येक नागरिक मालिक है। हम केवल ट्रस्टी के रूप में आते हैं और वह ट्रस्टी के रूप में आकर, इस प्रकार का कृत्य करके, यह प्राधिकरण बना-बना करके, अपने लोगों को ओब्लाइज करके, अगर इन परिसम्पत्तियों का एक तरीके से बेचने का काम कर देंगे, मैं कहूंगा कि यह बहुत गलत हो जाएगा हमारे प्रदेश की जनता के साथ में। इसलिए अभी भी समय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं चल रही हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग प्यासे हैं, उनको पानी पिलाने की आवश्यकता है। जो आपका सिस्टम बिखरा पड़ा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, उसको ठीक कीजिए।

जब हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी पैसा दे दें नदियां जोड़ने का, तब आप चाहे जितने प्राधिकरण बना देना, नदियों को जोड़ देना। अगर आप एक भी नदी जोड़ पाए तो हम यहां इसी सदन में आपकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा भी करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे। (व्यवधान) जुड़ गया क्या? जुड़ गया ना? अच्छा बिल आ गया; आपको पता है क्या, अच्छा बिल आ गया?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जिस प्रधान मंत्री की बात कर रहे हो, 18 महीने में गुजरात की 23 नदियां जोड़ी हैं उन्होंने और वही पानी चालू हो रहा है उसी के तहत। ध्यान रखो थोड़ा-सा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): यह तो इतना बढ़िया विधेयक लेकर आये हैं। तो आज ही प्रशंसा कर दो, डोटासराजी, आप तो। प्रशंसा ही कर दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो कुछ दिन पहले ही मांग कर रहे थे, आपके मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे थे और मंत्रीजी जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे कि... पैसा खर्च करने के लिए सरकार के विभाग के पास में नहीं है, इसलिए आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। जब पैसा ही नहीं है और आप कह रहे हो कि आप तो प्रशंसा कर दो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बेनीवाल साहब, आपके और हमारे तो वहां 1999 से लेकर आज तक 14 गांव वंचित हैं, वे नहीं जुड़ रहे हैं। उन 14 गांवों को पानी नहीं पिला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा सदन में।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं मेरी बात को संक्षिप्त करते हुए समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजिए। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि 22 आदमियों के नाम हैं और जितना समय एक-एक सदस्य ले रहा है, आसन किसी भी सदस्य को बोलने के बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहता, लेकिन आसन आपसे यह निवेदन करता है कि जिस विधेयक पर आप चर्चा कर रहे हैं, उस विधेयक के सार्थक सीमित रहिये। हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे कोई मांग पर कर रहे हैं। यह आपका अधिकार है, इसलिए आसन व्यवधान नहीं डाल रहा है लेकिन सदन में भी समय की सीमा है। इस सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखकर आप अपनी बात को अभिव्यक्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगा और मैंने बिलकुल सारगर्भित, जो भारत सरकार की योजना है, जो वाटरशेड है, जिसके आधार पर पानी ठीक पिया जा सकता है; बाकी तो पता नहीं, कितनी बातें किस तरह की कही गईं जिनका कोई सार नहीं था, फिर भी हमने ध्यान-मग्न होकर के सुना।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप राम जी के प्रताप हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपका जैसा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, राम जी का प्रताप जिसको हो जाता है वह भाग्यशाली होता है, तो इसको मेहरबानी करके इस प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में आप दुबारा जन मत जानने के लिए परिचालित कीजिए; इसको पास मत कराइए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना 2015 का जो विधेयक आया है, उस पर मुझे अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक कहावत है, जल ही जीवन है, जल है तो जहां है और जिस दिन जल इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए जल संरक्षण करना हमारा पहला धर्म है, पहला हमारा कर्तव्य है।

सभापति महोदय, आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह वास्तव में एक ऐतिहासिक विधेयक है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य खाली थोथी बातें करते हैं। हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी का जो सपना था, उस सपने को साकार करते-करते उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और उसने उसको ठण्डे बस्ते में रख दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।...

(16.33 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

इस देश की जनता को जिसने पुनः इस योजना को गति देने के लिए पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया और पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री के रूप में नरेन्द्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधान मंत्री बने और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का सपना संजोया। उसी के अन्तर्गत मैं हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसी के अनुरूप आज यह विधेयक लाया गया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ हमारे मंत्रीजी को भी, जिनके विधेयक के बारे में हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं।

(श्री हरिसिंह रावत)

आज जिस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के अनुरूप उसी के अनुपात में हमें खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ती है और खाद्य सामग्री तभी पैदा होगी जब जल होगा। जल होने पर ही सभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। सभापति महोदय, आज पानी की मैं बात करता हूं तो हमारी सरकार की जो योजना है, उस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में हमारी क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान राज्य में जल की कमी सबसे विकट समस्या है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहां केवल 1.16 परसेंट ही, केवल, पानी है। उसी के अनुरूप अगर हमने पानी का संचय या कोई योजना नहीं बनाई तो राजस्थान की आने वाली समस्या बहुत भयंकर होने वाली है।

सभापति महोदय, इसके लिए हमारी जल ग्रहण योजना बनाई और यूरोपीय कमीशन के अनुदानित राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के जल क्षेत्र में नीति आधारित सुधार हेतु योजना बनी और जल ग्रहण का एक कार्यक्रम लागू किया गया। इसके अन्तर्गत यूरोपीय कमीशन द्वारा 450 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया और मार्च 2014 तक 219.74 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं और वर्ष 2014-15 में परियोजना पर 80 करोड़ का संशोधित प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2014 तक 28.13 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन, सभापति महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव है। जो योजना यह ग्रामीण पंचायतों द्वारा चलाई जाती है, वे इस योजना में चलाने में सक्षम नहीं हैं। अगर यह योजना सिंचाई विभाग को दे दी जाए तो मैं समझता हूं कि इसकी सही ढंग से मानिटरिंग होगी और सही ढंग से इसका उपयोग होगा और वास्तव में जो हमारा पेयजल का सपना है वह साकार हो सकेगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मेवाड़ पेयजल की या सिंचाई की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो बहुत ही बुरी हालत हमारे क्षेत्र की है। हमारे यहां पर पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है जिसकी वजह से हमारा पेयजल का स्थायी समाधान हो सके या कृषि को हम प्रोत्साहित कर सकें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारा माही, जाखम का पानी ओवर-फ्लो होकर पूरा गुजरात में जाता है, या खंभात या सूरत पूरा समुंदर में जाकर मिलता है, अगर इसी के ऊपर ओवर-फ्लो पानी को संचित करके और उस पानी को

(श्री हरिसिंह रावत)

डायवर्ट करें और डायवर्ट करके वापस, जैसे हमारे जयसमंद और जयसमंद के साथ-साथ ही हमारे राजसमंद तक पानी लाया जा सकता है, इसके लिए योजना बनायें; अगर यह योजना हमारे वहां लागू हो जाती है तो मैं समझता हूं कि हमारा मेवाड़ क्षेत्र एक अमन-चैन का हो जाएगा और कृषि के रूप में एक हरित क्रांति पैदा हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार चंबल का पानी, उसका भी पानी पूरा ओवर-फ्लो होता है और उसी को नहरों द्वारा, जिस प्रकार गंग नहर पंजाब और उधर आई और हरित क्रांति पैदा हुई, मैं भी यही सोच रखता हूं कि अगर चंबल के पानी को डायवर्ट करके हमारे मेवाड़ सम्भाग के अन्दर लाएं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है। उस क्षेत्र के पास में पड़ने वाली जितनी भी जमीन है, भीलवाड़ा समझो आप या हमारा क्षेत्र समझें, चित्तौड़ है, यहां भी काफी अच्छा पानी का एक स्रोत मिल सकता है।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा एक निवेदन है कि सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई, जो कच्छ से जैसलमेर बाड़मेर होते हुए पाकिस्तान चली गई, उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को बहुत अच्छा एक विचार आया; उसको साकार करने के लिए एक योजना बनाई है कि वापस इस सरस्वती नदी का कैसे उद्‌गम किया जाए। यह पानी अगर वापस हमें मिल जाए, या इस नदी का वापस उद्‌गम हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो हम किताबों में पढ़ा करते थे, यह भी साकार हो सकता है। तो इसकी भी एक योजना बनाई जाए।

इसके साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई की योजना बनाई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो पहले सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बहुत कम कर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि सब्सिडी जो कम की है, उसे पुनः पूरी स्थिति में लायें, ताकि किसानों को इसका कम पानी में कैसे हम ज्यादा उपयोग ले सकते हैं, इसका कृषकों को फायदा मिलेगा।

इसके अलावा दूसरा, मेरे क्षेत्र में पानी की काफी कमी है। इस कमी को ध्यान में रखते हुए मेरे क्षेत्र में पालियास-टाटीवाड़ एक ऐसा नाका है, अगर उस नाके पर बांध बन जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे मगरा क्षेत्र का भी अच्छा विकास हो सकता है।

साथ ही साथ, अंत में, मेरा एक और सुझाव है कि समुद्र का पानी

(श्री हरिसिंह रावत)

जिस प्रकार यूरोप और अरब कंट्रीज में एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में फिल्टर प्लांट के माध्यम से, जो अरब कंट्रीज होती हैं, या यूरोप की ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मीठा पानी अवेलेवल होता नहीं है, वहां बड़े-बड़े प्लांट लगाये जाते हैं, सभापति महोदय और उन प्लांट्स के माध्यम से वहां खेती भी होती है और पेयजल की समस्या का भी समाधान होता है। तो क्यों नहीं हमारे देश में भी समुद्र जहां हैं, वहां पर फिल्टर प्लांट्स बनायें? और उन फिल्टर प्लांट्स से पेयजल और पेयजल के साथ-साथ ही कृषि कार्य के लिए भी हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस योजना पर भी विचार किया जाए। अगर यह हमारा प्लांट सक्सेस हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारा पूरा देश न कभी बाढ़ से, न कभी अकाल से, जूझेगा और हमेशा हरित क्रांति का हमारा देश बनेगा।

इसी के साथ में, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ये प्रस्ताव आप कायम रखेंगे, या वापस ले रहे हैं?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैंने जन मत जानने हेतु विधेयक को परिचालित किये जाने का प्रस्ताव किया था, मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हीरा लाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने इस राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 पर अपना मत व्यक्त करने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश के जल का 1.16 प्रतिशत मात्र उपलब्ध है। इस तरह की विषम परिस्थितियों में हमारी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा जी ने जो यह विधेयक तैयार करवाया और इसके द्वारा राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें इस तरह की अथोरिटी का गठन करके और इसको हम तैयार कर रहे हैं; आज इस पर यहां चर्चा कर रहे हैं। इस प्रदेश के लिए इस तरह की नदियां जोड़ने की योजना बना करके, यह हमारी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है।

(श्री हीरालाल नागर)

आज जैसी स्थिति हमारे यहां इस प्रदेश में पानी की है, चाहे वह हमारा मरु प्रदेश रेगिस्तान का क्षेत्र हो, वहां पर पानी की अत्यधिक आवश्यकताएं हैं और वहां की समतल भूमि में अगर पानी मिल जाए, तो निश्चित रूप से हम पूरे देश को अन्न उपलब्ध करवा सकते हैं। इतनी वह उपजाऊ भूमि है। वहां से हमारी इस भूमि के लिए निश्चित रूप से इस तरह की परियोजनाएं बनेंगी। दूसरा हमारा भूभाग ऐसा है जहां अपार नदियां हैं। उनका पानी बह करके और वर्षा ऋतु में व्यर्थ में बहकर के जो जाता है, हमें एक-एक बूंद पानी का संचय करके उसका उपयोग करने की आज आवश्यकता है। मैं अत्यधिक नदियों के क्षेत्र हाड़ौती से आता हूं और वहां की चाहे चम्बल हो, कालीसिंध हो, परवन, पार्वती से लेकर के उसकी सहायक नदियां हों, इतना पानी वर्षा ऋतु में जाता है कि उसका उपयोग हम रोक करके और इसको इस ओर मोड़ कर इसका उपयोग किया जाए, तो हम पूरे राजस्थान में हमारी पेयजल की जो समस्या है उसका भी हम समाधान कर सकते हैं और सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा सकता है।

तो निश्चित रूप से इस मायने में यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी मुख्य मंत्रीजी की पहल पर राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और राज्य के चहुंमुखी विकास में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में जो परिषद का गठन किया जाएगा, उसमें निश्चित रूप से प्रभावी निर्णय किये जा सकेंगे और उन निर्णयों के माध्यम से हमारे प्रदेश में ये आज नदियां जुड़ेंगी और पेयजल की हमारी समस्याएं हैं, उनका इसके माध्यम से एक समाधान होगा। यह निश्चित है कि हमारे प्रदेश में आज अपार भूसम्पदा है, यहां पर पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। अगर पानी हमारे को उपलब्ध हो जाए और प्रचुर मात्रा में इसकी निश्चित रूप से उपलब्धता हो जाए, तो यह हमारा प्रदेश पूरे देश में एक मिसाल कायम कर सकता है और विकास की इन नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

इस ओर जो यह प्रयास किया जा रहा है, इस बिल के माध्यम से, निश्चित रूप से उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का, सिंचाई मंत्रीजी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रयास किया और हमारी जो नदियां हैं वे सदा नीरा रहें, बारह महीने हमारी नदियों में पानी रहे, इसका उद्देश्य इस बिल में है कि किस तरह से हम हमारी नदियों को एक-दूसरे से जोड़ करके और

(श्री हीरालाल नागर)

उनमें बारह महीने पानी रख करके और उन नदियों का प्रयोग इस तरह से करें कि उन नदियों को हम एक-दूसरे से जोड़कर, जिस योजना को हम आज लेकर के आये हैं आस्ट्रेलिया और इजराइल की तर्ज पर, जिस तरह की प्रसिद्धियां वहां हैं, वहां का जिस तरह का भूभाग है, रेगिस्तानी एरिया है, चाहे वह इजराइल हो, आस्ट्रेलिया की जो स्थिति है, उसके कंसेप्ट पर इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं। तो निश्चित है कि हमारे से भी छोटा प्रदेश आस्ट्रेलिया हो, या इजराइल हो, आज जितनी प्रगति उन्होंने की है, राजस्थान में भी अपार सम्भावनाएं हैं और उसके माध्यम से इस नदी-जोड़ो बेसिन की जो हमारी परियोजनाएं हैं, उससे इस राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी उम्मीद हम सबको है और यह निश्चित रूप से आगे जाकर के इसमें एक मील का पत्थर साबित होगी।

आज पूरे रिवर बेसिन की प्लानिंग एक साथ की जाएगी, इंट्रीग्रेटेड प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के माध्यम से सारी नदियों का एक सर्वे होकर के और जहां पानी कम है, वहां पहुंचाने के लिए, जहां अधिक पानी है वहां से पहुंचाने के लिए, जो योजना बनेगी, तो निश्चित रूप से जो पानी के मामले में हमारा पूरा क्षेत्र, कई जिले हमारे डार्क जोन हो गये हैं, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इस नदी बेसिन के माध्यम से पूरी इंटीग्रेटेड प्लानिंग बनाकर के और पूरे राजस्थान के विकास का जो सपना देखा है हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, उसको पूरा करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ी हमें आशा है।

इस आशा को पहली बार हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी की भी यह महती परियोजना है कि नदियां जोड़ी जाएं और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी राजस्थान प्रदेश में पहला प्रयास किया है तो निश्चित है कि इन योजनाओं के माध्यम से आने वाले समय में हमारे राजस्थान का नक्शा बदलेगा और ये यहां पर जिस तरह की, चाहे वह पेट्रोलियम पदार्थ हों, चाहे वह यहां की भू-खनिज सम्पदा हो, इनके माध्यम से राजस्थान में अपार संभावनाओं के साथ पानी की जो संभावनाएं बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में भी अग्रणी होगा और आने वाले समय में जो हमारी कृषि का उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और यह अग्रणी रूप से कृषि उत्पादित प्रदेशों में शामिल होगा।

आज जो इंटरलिंकिंग आफ रिवर के प्रस्तावों को गति मिलेगी,

(श्री हीरालाल नागर)

निश्चित रूप से और इंटर-बेसिन ट्रांसफर वाटर अर्थात् जिस बेसिन में अधिक पानी है उससे कम उपलब्धता वाले रीवर बेसिन में लाकर उसका उपयोग किया जाएगा, नदियों में व्यर्थ भरे पानी का उपयोग होगा और इसके द्वारा उन नदियों में हम एक इस तरह की परिवहन व्यवस्था भी विकसित कर सकेंगे जिससे आने वाले समय में वे सदा नीरा रहें और उसमें परिवहन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह परिवहन व्यवस्था भी हमारी विकसित हो सके। इसके पीछे यह भी एक कारण है, यह भी एक उद्देश्य है इस बिल का।

इसमें फोर-वाटर कंसेप्ट के तहत छोटे-छोटे बांध भी बनाये जाएंगे जो चैक डैम होंगे और उनका पानी उनमें सदुपयोग हो सकेगा। चाहे माही हो, चम्बल का बेसिन हो, जो शुरू किये जा चुके हैं, इनका पायलट प्रोजेक्ट के तहत रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुके हैं, जो सर्वाधिक उत्साहजनक हैं। तो निश्चित है कि इसके माध्यम से जो अब ये बड़ी परियोजनाएं हाथ में लेने जा रहे हैं और यह जो फोर वाटर कंसेप्ट के तहत छोटे-छोटे बांध बना करके और नदी-नालों को भी हम ट्रैप करके उनको रोकेंगे, और उस पानी का उपयोग हम हर-सम्भव चाहे पेयजल हो, चाहे खेती के लिए हो, चाहे उद्योग के लिए हो, जब यह उपयोग होगा, तो निश्चित है, यह हमारे प्रदेश के लिए काफी बड़ी सम्भावनाएं बनेंगी।

आज वाटरशेड का कार्य भी इसमें लिया गया है, अर्थात् कैचमेंट एरिये का ट्रीटमेंट भी और कमांड एरिये का ट्रीटमेंट, दोनों कार्य एक साथ होंगे। तो निश्चित है कि ये बड़ी योजनाएं बनेंगी और इन योजनाओं के माध्यम से आज जो वाटरशेड है उसमें जो कार्य किये जा रहे हैं, वे भी इस महती योजना के तहत इसमें आ जायेंगे। तो आज जो चंबल कमांड हो, या दूसरा कमांड एरिया हो, वहां भी जो ट्रीटमेंट होगा, उसमें भी यह कार्य सम्मिलित है।

माइक्रो-हाइड्रोलोजिक स्कीम्स भी इस बिल के तहत बनाई जायेंगी, जिसमें विद्युत भी उपयोग हो सकेगा और विद्युत परियोजनाएं भी बनेंगी। इन विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से भी आने वाले समय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे कम लागत पर उत्पादन होता है, ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश में जो बिजली की स्थिति है और जितनी हमारी लागत आ रही है, कोयला से उत्पादन हो, गैस से हो, या अन्य परियोजनाओं से हो, उसमें इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के द्वारा जो बिजली का उत्पादन होगा, उससे हमारे विद्युत निगम को भी और यहां के उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा और उससे उबरने में भी निश्चित रूप से इसके माध्यम से सम्भावनाएं हैं।

(श्री हीरालाल नागर)

अन्तर-देशीय परिवहन भी होगा। इंटरनेशनल नेगोशिएशन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। अंतर-देशीय परिवहन के माध्यम से, नदी जोड़ो योजनाओं के माध्यम से जो परिवहन होगा, वह भी हमारे प्रदेश के लिए लाभकारी होगा।

इसी के साथ-साथ जो परियोजनाएं आज लम्बित पड़ी हैं, उनका पानी, एक-एक बूंद पानी बहकर व्यर्थ जा रहा है। उन परियोजनाओं को भी स्वीकृत करने की आवश्यकता है। चाहे वह हाड़ौती की बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना हो, यहां की कालीसिंध की परियोजना हो, चाहे वह परवन की परियोजना हो, इन परियोजनाओं के प्रोजेक्ट बने हुए हैं और वे तैयार हो चुके हैं। परवन सिंचाई परियोजनाओं पर पिछली 2003 से 2008 की सरकार थी और जो सपना उस समय वसुंधरा जी ने देखा था, उन्होंने उसका प्रोजेक्ट तैयार करके केन्द्र को भेजा था। आज उन परियोजनाओं को इतने साल बाद भी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। उस समय पूरे पांच साल कांग्रेस का शासन रहा, तब उसका मात्र जल्दबाजी में शिलान्यास करके उन परियोजनाओं को इस तरह से किया गया कि पूरे पांच साल कोई काम नहीं हुआ। आज उन परियोजनाओं पर, चाहे वह वन विभाग की हो, चाहे अन्य की क्लीयरेंस बाकी है, उन सबको क्लीयर करके आवश्यकता इस बात की है कि उन परियोजनाओं की अन्तिम स्वीकृति जारी की जायं। तो उन परियोजनाओं से आज पूरे हाड़ौती के हमारे 313 गांव, चाहे वह झालावाड हो, बारां हो, कोटा जिले के हों, इनकी 1,31,400 हेक्टेयर में सिंचाई उसके माध्यम से की जा सकेगी और 820 गांवों को उसके माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, छबड़ा या कवाई के थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, उनको भी उससे 79 मिलियन घन मीटर और वन्य जीवों के लिए 16 घन मीटर पानी उपलब्ध होगा। वर्तमान परियोजना की लागत 2435 करोड़ रुपये है। अगर इसको शीघ्र स्वीकृत नहीं करके चालू नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस परियोजना की लागत बढ़ने की सम्भावना है। अगर लागत बढ़ेगी और दुबारा परियोजना केन्द्र में जाती है तो इसमें जो समस्या होती है बी सी रेश्यो की, उस बी सी रेश्यो की वजह से कई परियोजनाएं हमारी लम्बित पड़ी हुई हैं। बी सी रेश्यो के कारण जो समस्या है हमारे प्रदेश से इस बी सी रेश्यो को हटाये जाने का प्रस्ताव भी पास किया जाना चाहिये कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पूरे देश का 1.16 परसेंट पानी है, वहां इस बी सी रेश्यो की

(श्री हीरालाल नागर)

जो सीमा है इसको समाप्त किया जाय। क्योंकि हमारी उपयोगिता, हमारी समस्या ज्यादा है और उसके लिए यह समाप्त किया जाता है। कई सारी परियोजनाएं जो केन्द्र में लम्बित पडी हैं, उन पर स्वीकृति जारी हो सकेंगी और उसकी वजह से हमारे प्रदेश की पेयजल योजना हो, चाहे वे सिंचाई की योजनाएं हों, चाहे औद्योगिक पानी के लिए योजनाएं हो, उनकी स्वीकृति जारी होती है, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का नक्शा बदलेगा। इसलिए इस तरह के जो हर्डल लगे हुए हैं, उन पर इस सदन को निर्णय करके प्रस्ताव पारित करना चाहिये। निश्चित रूप से जो अंग्रेजों के टाइम के कानून हैं उनको खतम करके इस बात की आवश्यकता है कि बी सी रेश्यो का जो हमारे पर राइडर है यह खतम हो और इसके माध्यम से आने वाली परियोजनाएं स्वीकृत की जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही हाड़ौती की कालीसिंध की परियोजनाएं भी लम्बित पड़ी हुई हैं। उसमें भी पूरा बांध बन कर तैयार हो चुका है, प्रथम चरण पूरा हो गया, मात्र 3.25 मीटर के गेट बढ़ाने बाकी हैं। उसमें वन विभाग की, पर्यावरण की स्वीकृति बाकी है। उससे निकलने वाले पानी का थर्मल में उपयोग होगा, उद्योगों के लिए उपयोग होगा और करीब 50 से 60 गांवों की 14,500 हेक्टेयर जमीन को उससे सिंचित किया जा सकेगा। उसके लिए लागत की और बी सी रेश्यो की समस्या भी नहीं है। लेकिन उन परियोजनाओं में भी शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता है, उसकी भी स्वीकृति जारी होनी चाहिये ताकि आने वाले समय में उनकी लागत नहीं बढ़े।

अगर हमारी सिंचाई परियोजनाएं बनेंगी, आज हम विद्युत के माध्यम से खेती कर रहे हैं, निगम द्वारा छूट देकर बिजली का जो भार पड़ता है विद्युत निगम पर, अगर हमारी ये परियोजनाएं बनती हैं तो इसमें इस बात को भी देखा जाये कि उससे कितनी विद्युत बचेगी, उसके द्वारा विद्युत निगम को कितना फायदा होगा और उससे किसान को कितना फायदा होगा। इस तरह के अप्रत्यक्ष खर्चे हैं वे भी इन परियोजनाओं के माध्यम से, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा, उससे हमारी उपयोगिताएं बढ़ेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान एक विशिष्ट राजस्थान कहलायेगा।

इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूं और मैंने जो जन मत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की, माननीय सभापति महोदय, आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति: सदन का समय सदन में प्रस्तावित किये गये बिल के पारित होने तक बढाया जाता है।

श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)।

सदन का समय कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री रमेश।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को जन मत जानने के लिए मैंने अनुरोध किया था। इस बिल पर आज चर्चा हो रही है और मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। (व्यवधान) मुख्य सचेतक जी दो मिनट पहले पधार चुके हैं। कोई बात नहीं, अब तो बढा दिया समय।

आज देश में 1.16 परसेंट पानी है और राजस्थान में लगभग 1 परसेंट पानी की मात्रा है। आज प्रदेश में पानी की स्थिति 237 ब्लाक में से 25 ब्लाक में ही पानी है। स्थिति बड़ी भयावह है।

आज राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन योजना विधेयक द्वारा नदियों को जोड़ना और सतही पानी, वर्षा का पानी, मृदा जल, भूगर्भ जल का सदुपयोग करने की बात हो रही है। इसके माध्यम से नदियों को जोड़ने की जो चर्चा हो रही है, हमारे प्रदेश में केवल दो ही नदियां हैं जो बारह मासी बहती हैं, चंबल और माही; उनमें भी माही की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हम किस प्रकार सतही वाटर को रोकें और जो बारिश का पानी है, बारिश के समय हमारे राज्य से बहकर अन्य राज्यों में चला जाता है, उस पानी को जहां हमारी चंबल और माही हमारी सीमा में बहती है उस पानी का कैसे सदुपयोग हो और उसको कैसे रोका जाये और हमारा जल स्तर रिचार्ज कैसे किया जाये, इस विषय पर एक व्यवस्था आप लोगों ने बिल के माध्यम से रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम इस पानी को जो बाहर जा रहा है, रेन वाटर हो, चाहे सतही वाटर हो, चाहे नदियों के माध्यम से निकल रहा है, एनिकट्स,

(17.00 बजे)

(श्री रमेश)

डैम के माध्यम से इसको रोकना होगा। हम किस प्रकार इसको आगे बढ़ाएं नदियों के माध्यम से, एक डैम से दूसरे डैम में डालें, नहरों के माध्यम से नदियों में डालें, यह व्यवस्था करनी होगी।

आज आप राज्य में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम, बेसिन आधारित सिस्टम लाये हैं, इसमें आप एक प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं। पहले ही प्रदेश में दो प्राधिकरण बने हुए हैं, जयपुर और जोधपुर। उसका भी आपको अनुभव है कि इनकी साख कैसी है, इन्होंने कैसा काम किया है, लोगों में उसका कैसा नाम है। यह भी आपको पता है कि कितना भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। राज्य सरकार नये प्रावधान लाकर, नियम बनाकर, नये प्राधिकरण बनाने जा रही है। इससे पहले झील विकास प्राधिकरण बनाया, उसके बाद आपने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाया। आप प्राधिकरण बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस प्राधिकरण में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इस बिल में इसका भी प्रावधान हो। इस प्रकार की व्यवस्था बिल में होनी चाहिए।

इस बिल के माध्यम से आप सतही पानी को इकट्ठा करके नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। जहां पानी की अधिकता ज्यादा है, उस पानी को आप कम पानी वाली जगह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में आपको एक बात भी अपने विचार में, दिमाग में रखनी होगी कि प्रकृति के साथ अगर हमने छेड़खानी की, कहीं उलटा न पड़ जाए। कि राज्य के लिए हम भला करने जा रहे हैं और उल्टा घातक सिद्ध हो। तो इस बारे में भी आपको विचार करना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जहां पानी बहुत अधिक था, वहां पर सूखा पड़ जाए, अभावग्रस्त हो जाए। तो इस बारे में भी आपको ध्यान देना होगा।

आज हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में भी आप सभी जानते हैं। हमारा ज्यादा हिस्सा रेगिस्तानी है। आज रेगिस्तानी हिस्सा है, वह पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके बारे में भी विचार करना होगा। पूर्व की तरफ रेगिस्तान आ रहा है उसको रोकना होगा, उसकी व्यवस्था करनी होगी। रेगिस्तान को हम हरा-भरा कैसे बनाएं, रेगिस्तान की जगह हम हरा-भरा बना पाएं, वहां पानी की व्यवस्था कैसे हो, उसके बारे में भी विचार करना होगा। आप जो व्यवस्था नदियों के माध्यम से कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। रेगिस्तान पूर्व की तरफ बढ़ता गया तो जो योजना बना रहे हैं नदी

(श्री रमेश)

बेसिन आधारित योजना, नदियों को जोड़ने की, वह योजना धरी की धरी रह जाएगी। रेगिस्तान का बढ़ता हुआ क्षेत्र है, उसको आपको रोकना होगा।

इस प्राधिकरण के बनाने के स्थान पर आप एक बार जल संसाधन विभाग के माध्यम से, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से, एक नया प्रोजेक्ट, नई योजना, एक प्रैक्टिकल के रूप में, छोटी नदियों को जोड़ने की बात होती, किसी नहर के माध्यम से, या कोई अन्य रास्ते के माध्यम से, तो इसमें यह तय हो जाता कि हम जो पानी ले जा रहे हैं, वह सही ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस पर भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाता, अध्ययन हो जाता कि प्रकृति हमारा साथ देगी या नहीं देगी। इसकी धार, प्रकृति का पानी, नीचे फ्लो किधर है, हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह प्राधिकरण लाने से पहले इसके स्थान पर प्रैक्टिकल के रूप में इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करें और इस पर अध्ययन करें तो हमारा पैसा भी कम खर्च होगा। आप इस योजना के माध्यम से अरबों रुपये खर्च करेंगे, तो वह पैसा भी बचेगा।

तीसरा मेरा बिन्दु है कि हमारी सरकार, अन्य राज्यों से जल का विवाद है, उस समझौते पर भी विचार करना चाहिए। उनसे भी इसका समाधान होना चाहिए। भारत सरकार के सहयोग से यह विवाद है वह निपटे, तो हमें भी हमारे राज्य के हिस्से का पानी मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी को भी पानी नहीं देंगे। पानी हमारे लिए ही उपलब्ध है। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार में सहयोगी पंजाब सरकार है, तो उससे भी इस बारे में बात करें।

मेरे कुछ बिन्दु ऐसे हैं कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, पुरातत्व तालाब हैं, संरक्षण की उनको जरूरत है। तालाब हैं, बावड़ियां हैं, ऐसे जल ग्रहण क्षेत्र हैं जिनका पानी कभी नहीं टूटता। एग्जाम्पल के तौर पर जयगढ़ जैसे किलों की जल संग्रहण व्यवस्था। हमारे ऐसे जल संग्रहण केन्द्र सदियों से स्थित हैं। राज्य के नदी बेसिन को जोड़ने और इस पर अरबों रुपये खर्च करने से पहले यदि इन स्थानों का संरक्षण और इनके केचमेंट एरिया को साफ किया जाए, इनका एन्क्रोचमेंट हटाया जाए, तो आपको इस योजना से भी फायदा मिल सकता है।

मेरी आपसे अपील है कि प्राधिकरण बनाने से पहले, प्राधिकरण

(श्री रमेश)

भ्रष्टाचार का गढ़ बन जाएगा। उसे रोकने से पहले, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप जो योजना बना रहे हो, सिर्फ कागजों में होगी। आपकी प्लानिंग तो बन जाएगी, आपकी सरकार इस योजना को ढोती रहेगी। बाद में कहा, हमने प्राधिकरण का गठन कर दिया।

हमारे प्रधान मंत्रीजी की सोच है कि नदियों को जोड़ेंगे और देश में पानी लाएंगे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि गंगा जी की तो अभी सफाई नहीं हो पाई है। अभी प्रधान मंत्री के लिए कहना अच्छी बात नहीं है लेकिन लोग वाट्सएप पर, फेसबुक पर देखते हैं कि प्रधान मंत्री को लोग क्या कहते हैं +++

तो यह अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो काम कहे, वह उसको करके दिखाये। तो हमें भी अच्छा लगेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने उसी रूप में कहा है, ऐसे नहीं कहा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजिये। मेरा व्यवस्था का...

श्री रमेश (सपोटरा): मैं प्रधान मंत्री के लिए नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग कहते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं इस बात को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजिये। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, भारत के प्रधान मंत्री के बारे में या किसी अन्य सदन के सदस्य के बारे में अपमानजनक और...

श्री रमेश (सपोटरा): अपमानजनक नहीं कहा है, माननीय सदस्य। ऐसा कुछ नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजें। (व्यवधान) मेरी सुनिए।

श्री सभापति: यह अंकित नहीं हो। माननीय प्रधान मंत्री के लिए जो टिप्पणी की है, अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्योंकि अब हमारी बात को सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश में जल की भयावह स्थिति है। जिस बिल पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आपने बिन्दु नम्बर तीन पर, राजस्थान जल संसाधन सलाहकार परिषद की बैठक में, बैठक 6 माह में एक बार रखी

(श्री रमेश)

जाने का प्रावधान किया है, जबकि आप इस परियोजना को ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। जब तक आप इसका मासिक निरीक्षण और बैठक नहीं करेंगे, तब तक यह प्रोजेक्ट अधिकारियों के लिए मनमानी से चलेगा। यह प्राधिकरण केवल कानून बनाने तक ही सीमित रह जाएगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

अध्याय-तीन में आपने इसके लिए, जो प्राधिकरण बनाया, उसके अध्यक्ष और विशेषज्ञ- सदस्य नाम निर्देशित होंगे। यह तो पक्का है कि अध्यक्ष आपके लेवल से लगभग पालिटिकल होगा। उसका प्रोटोकाल क्या होगा, अध्यक्ष कौन होगा, यह तो आपके मंत्री उत्तर में बताएं, लेकिन दूसरा जो सदस्य होगा, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, वह इंजीनियर होगा और वह एप्रोचेबल, ऊंची पहुंच का कह सकते हैं; मैं कहना चाहता हूं कि इस प्राधिकरण में दोनों ही स्पेशलिस्ट हो, इंजीनियर हों, इस प्रकार के कार्य का उनको अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो। चाहे उनको हमें किसी अदर स्टेट से हायर करना पड़े तो कर लीजिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा सकें। इसी प्राधिकरण का आयुक्त भी आपने जे डी ए के समान सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को ही बनाया है।

एक बात, बिन्दु 8 में आपने प्रावधान किया है कि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि होने से कोई कार्य अविधिमान्य नहीं होगा। इस प्रकार का प्रावधान कर क्या राज्य सरकार अनियमितता करने की खुली छूट देने जा रही है? इस प्रकार जो व्यक्ति इस पद की अर्हता पूर्ण नहीं करता है, या किसी न किसी प्रकार उस पद के योग्य नहीं है, किन्तु प्रशासनिक त्रुटि या राजनीति के वशीभूत होकर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है और वह व्यक्ति इस पद का दुरुपयोग करता है और फिर उसको बाद में आप हटा देते हो, लेकिन उसके द्वारा की गई अनियमितता की कार्यवाही, आपने कहा है, अविधिमान्य नहीं होगी। तो इस पर भी आपको विचार करना होगा। इसको इस बिंदु संख्या 8 में आपको चेंज करना चाहिए।

आपने बिन्दु संख्या 20 में सेज बिल के समान, सद्‌भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण के क्रम में, परिषद या प्राधिकरण या उनके अध्यक्षों या सदस्यों या इनके अधिकारियों या कर्मचारियों को गुड-फेथ में की गई किसी भी कार्यवाही के लिये बचाव का जो प्रावधान किया है, प्राधिकरणों में घोर भ्रष्टाचार की स्थिति को देखते हुए, यह प्रावधान, यह बढ़ाने वाला, अधिकारियों/कर्मचारियों को एक तरह से निरंकुश बना देगा। तो इस पर भी कोई प्रोविजन होना चाहिए।

(श्री रमेश)

आपने इस प्राधिकरण की स्थापना और कार्य करने के लिए अनावर्ती और आवर्ती व्यय क्रमशः 28 लाख और 240 लाख का वार्षिक प्रावधान किया है, जो प्रति वर्ष बढ़ेगा। ऐसे में आप इस प्राधिकरण के स्थान पर राज्य के पुरा महत्व के जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण पर ध्यान दें, तो बहुत कम राशि से ही आपका मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

मैं कहना चाहता हूं, दुबारा, पुनः, अब कुछ लोग नाराज भी हो रहे थे, कुछ लोगों ने बड़ी तेज आवाज में मुझे डांटने का प्रयास किया। माननीय सदस्य, यहां दंगल नहीं है। किसी को लड़ने, और कोई बात है, ताकत है, तो बाहर आ जाएं। इस तरह का नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप आसन ...(व्यवधान) पर कुछ कहना, यहां देखकर बोलना।...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): जो आवाज, जिस प्रकार दबाने का, यहां हमारा अधिकार है हमें बोलने का। जिस प्रकार हमने बात की है, सदन में बिल की बात की है। सरकार की कमियां हैं, उनको हम यहां पर बोल रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश जो कोई भी सदस्य कर रहा है, वह ठीक नहीं है, अशोभनीय है। यह गलत बात है।

मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आज जो बिल आप लेने जा रहे हो, यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। एक-सवा साल तो निकल गया, पौने चार साल और निकल जाएंगे। यह जरूर कहेंगे कि हम सरकार में थे, प्राधिकरण लाये थे।

तो इस बिल को, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को दो माह के लिए जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापतिः श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसकी विषय-वस्तु पर काफी प्रकाश डाला है। उन सब बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा।

निश्चित रूप से सरकार को, माननीया मुख्य मंत्रीजी और हमारे माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी और हमारे प्रधान मंत्री माननीय

(श्री मान सिंह)

नरेन्द्रजी मोदी के, जो उनका जज्बा और जो उनका दृढ़ निश्चय है कि देश में और प्रदेश में नदियों को जोड़ करके पानी का सदुपयोग किस प्रकार से हो; सभापति महोदय, जिस प्रकार हम देखते हैं कि चेरापूंजी, जहां सर्वाधिक बरसात हुआ करती थी, आज वहां भी पीने के पानी का संकट है; तो राजस्थान का जिस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र, हमारे पास में जो भू-भाग है और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से एक भागीरथी प्रयास है। राजस्थान में, देश में राजस्थान अपने आप में पहला प्रदेश होने जा रहा है, जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए पुनः माननीया मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार से नदियों को जोड़ने की बात हो रही है और इसकी विषय-वस्तु पर जो बात आई है, उसमें मेरी ओर से मैं एक सुझाव दूंगा। इस बिल में जो सलाहकार परिषद और योजना प्राधिकरण बनाने का प्रावधान रखा गया है, यह सही है और इसमें मैं चाहूंगा, मैं भी इसका समर्थन करूंगा कि जो हमारे राजस्व मंत्री हैं या राजस्व विभाग है, उसको भी इसमें रखा जाए। क्योंकि कई जगह इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी जब उनको आपस में कोरस्पोंडेंस करने में समय लगेगा। अगर वह प्राधिकरण का हिस्सा होगा तो निश्चित रूप से वह निर्णय तुरन्त हो जाएगा कि कहां किस प्रकार का होना है और उसमें ज्यादा समय नहीं लग करके, योजना की कार्यान्विति में समय की बचत होगी। ऐसा मेरा मानना है।

इसी के साथ-साथ, अधिनियम के अध्याय-दो, खण्ड-4 में परिषद की शक्तियों और कृत्यों का उल्लेख है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्य राज्यों से जो हमारे जल समझौते हुए हैं, जैसे पंजाब से इन्दिरा गांधी नहर में पानी लाने का और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से यमुना जल समझौता हुआ है, वह पूरी मात्रा में प्रदेश को पानी नहीं मिल पा रहा है। यमुना जल को राजस्थान में लाने के पूरे संसाधन भी हमारे पास में नहीं हैं। हरियाणा में पानी चोरी होता है। इन सबकी रोकथाम और जल समझौते में उल्लिखित मात्रा में पानी राजस्थान को कैसे मिले, इसके ठोस प्रावधान होने चाहिए। इसके लिए भी जल संसाधन विभाग के अन्दर एक सैल की स्थापना की जानी चाहिए, जिस पर एक उच्चाधिकारी, चाहे वह मुख्य अभियंता स्तर का हो, पर वह पद आथोराइज्ड होना चाहिए। क्योंकि अन्तरराज्यीय जल समझौते की पालना को सुनिश्चित करना और राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद और उसके कृत्यों

(श्री मान सिंह)

के साथ-साथ में इस क्लाज को जोड़ करके अगर हम इसको (छ) सम्बन्धित विवरण को रखेंगे तो अन्तरराज्यीय जल समझौते से आने वाले पानी की पूरी मात्रा को प्राप्त करने में, दिशा-निर्देश जारी करना और पालना करने का समय, इसमें व्यवस्था हो सकेगी।

तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत भागीरथी प्रयास है और इसमें इस अन्तरराज्यीय जल संसाधन, हमारे जो जल समझौते हैं, उसका पानी भी राजस्थान को मिले, उस क्लाज को भी इसके साथ में जोड़ करके एक सैल का गठन इसी के साथ में कर दिया जाये, जिससे कि पूरा का पूरा...; और एक जो ग्रामीण स्तर पर हमारी जल ग्रहण योजना है, इस जल ग्रहण योजना को भी पंचायत राज से हटा करके इसको भी जल संसाधन में ही रखा जाना चाहिए, जिससे एक ही विभाग के माध्यम से इन सबका संचालन हो सके।

मैं यही कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में आप बताएं। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखा था। आपसे यह अनुमति चाहूंगा कि सदन के माध्यम से मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाए।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 के जन मत जानने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से बहुत समय पहले बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगासिंहजी ने हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है, यहां, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह पूरा रेगिस्तानी और मरुस्थलीय क्षेत्र था। यहां पानी, सिंचाई तो दूर की बात थी, पेयजल के लिए यहां पानी उपलब्ध नहीं था। उस समय उनकी दूरगामी सोच की वजह से वह गंग नहर ले करके आये। उस गंग नहर से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला पूरी तरह से सिंचित हुआ। वहां हरियाली हुई, वहां के इलाके में खुशहाली आई। देश की आजादी के

(श्री भंवरसिंह)

बाद में तत्कालीन प्रधान मंत्री और राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्रियों, सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में महाराजा गंगासिंहजी के नहर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और इस मरुस्थलीय, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार खेती हो सके, किस प्रकार से लोग खुशहाल हो सकें, उसके लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई। सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर आजादी के बाद में इन चार जिलों में आई और इन्दिरा गांधी नहर आने के बाद में यह पूरा क्षेत्र सिंचित हुआ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर को हमारे पश्चिमी राजस्थान की लाइफ-लाइन कहा जाता है, लेकिन नदियों को जोड़ने का जो यह प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से सराहनीय भी है और लंबे समय से यह बात चल रही है कि देश की सभी नदियों को जोड़ा जाए जिससे कि हमारे देश का जो क्षेत्र आज तक सिंचित नहीं हो सका है, वह नदियों को जोड़ने से सिंचित हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस नहर की आज जो स्थिति है, वह बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गयी है। इसकी जो फीडर नहर है मसीतां वाली, हरिके पत्तन से लेकर मसीतां वाली हैड तक यह फीडर नहर की स्थिति आज बहुत ही ज्यादा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और यह फीडर नहर, जो नहर का आगे का प्रेशर है, दबाव है, वह दबाव सहन करने की स्थिति में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्माननीय नहर मंत्रीजी यहां पर विराजे हुए हैं और आप स्वयं भी इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस फीडर नहर को और इस नहर के आगे की जो मुख्य नहर है, उस नहर के समस्त, पूरे क्षेत्र की मरम्मत करवाई जाए क्योंकि आज किसानों के सामने जो सिंचाई, आज से कई साल पहले नहर से हमें जितना पानी मिलता था सिंचाई के लिए, आज वह पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी पिछले सीजन में ही कम पानी होने की वजह से, किसानों को कम पानी मिलने की वजह से, हमारे सेकण्ड फेज के जो किसान हैं उनको सिंचाई, 50 प्रतिशत तक फसलें कम पानी मिलने की वजह से खराब हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 13.10.2000 को एक वाटर अलाउंस तय किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें प्रथम और द्वितीय चरण के पानी का बंटवारा किया गया था। प्रथम चरण के किसानों को, प्रथम चरण के जो क्षेत्र हैं, उसमें 3.5 क्यूसेक्स प्रति एक हजार हेक्टेयर; द्वितीय चरण में 3 क्यूसेक्स प्रति एक हजार हेक्टेयर और जो लिफ्टों

(श्री भंवरसिंह)

का क्षेत्र है उसमें 2 क्यूसेक्स प्रति एक हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया। इसमें साहवा लिफ्ट जिसमें 1.25 क्यूसेक्स प्रति एक हजार हेक्टेयर 2000 से पहले पानी मिलता था, उसको भी बढ़ा 2 क्यूसेक्स प्रति एक हजार हेक्टेयर देने का निर्णय किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2000 के उस निर्णय की आज तक पालना नहीं हुई है; वह निर्णय लागू नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ साहवा लिफ्ट को 1.25 से बढ़ा कर 2 क्यूसेक्स प्रति एक हजार हेक्टेयर का जो आदेश था, उसको लागू किया गया और बाकी जो प्रथम और द्वितीय चरण का जो आदेश था, जो निर्णय सरकार के द्वारा हुआ था, वह आज तक लागू नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र का बीकानेर जिले का और जैसलमेर जिले का बहुत बड़ा भू-भाग, यदि उस निर्णय को सरकार लागू कर देती है तो आज जो वंचित भू-भाग है, जहां पर नहरें बननी थीं, या जहां पर नहरें बन चुकी हैं और वहां आज सिंचाई का पानी वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है तो मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से माननीय नहर मंत्रीजी से कि 13.10.2000 को जो निर्णय राजस्थान की सरकार के द्वारा पारित किया गया, उस निर्णय को लागू किया जाए जिससे कि बीकानेर जिले और जैसलमेर जिले के लाखों हेक्टेयर के जो वंचित किसान हैं उनको भी सिंचाई का फायदा मिल सके।

इसके अलावा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2014 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन के माध्यम से पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र का जो लिफ्टों का क्षेत्र है, उन लिफ्टों के क्षेत्र में, पूरे तमाम क्षेत्र में स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की जाएगी और वहां का जो किसान है, जो वर्षों से इन्तजार कर रहा है सिंचाई का, उसको स्प्रिंकलर के माध्यम से, फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने के लिए सरकार के द्वारा विशेष बजट दिया जाएगा; माननीय सभापति महोदय, आज एक साल हो गया, दूसरा बजट भी आ गया, लेकिन उस दिशा में नहर विभाग और सरकार एक कदम भी नहीं बढ़ी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि न सिर्फ आपके चुनाव घोषणा पत्र में, बल्कि आपने बजट में भी घोषणा की है कि नहरी क्षेत्र के और इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के लिफ्ट क्षेत्र के जो किसान हैं उनको स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को अपना किया हुआ वादा और अपनी घोषणा पर कायम रहना चाहिए।

(श्री भंवरसिंह)

इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मरुस्थलीय जिलों में, विशेषकर- बीकानेर, जैसलमेर, आदि में, जो पारम्परिक जल स्रोत हैं, उनमें कुएं, तालाब, जोहड़ और बावड़ियां आदि हैं, तो हमारे इस क्षेत्र में सदियों से पानी नहीं था और हमारे पूर्वज हमारे इन पारम्परिक जल स्रोतों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करते थे, अपने पशु धन का पालन-पोषण करते थे, अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे और सारी पेयजल की जो कमी है, वह पारम्परिक जल स्रोतों के माध्यम से दूर की जाती थी। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज के समय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अधिकांश जो तालाब हैं, या जो बावड़िया हैं, पारमपरिक कुएं हैं, उनके जो आगोर हैं, जो कैचमेंट एरिया है, जहां पर पानी आने का जो एक आगोर जिसे हम कहते हैं, उन कैचमेंट एरिया पर अधिकांश क्षेत्र में अतिक्रमण हो गया है। विशेषकर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बहुत बड़ा कपिल सरोवर है और उस कपिल सरोवर में आस-पास के सैकड़ों गांवों के लोग पेयजल की, अपनी प्यास बुझाने की पूर्ति करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि वहां पर अवैध खनन की वजह से और जगह-जगह खड्डे खोद देने की वजह से कपिल सरोवर जो एक धार्मिक स्थान के रूप में भी जाना जाता है, उसका स्वरूप बिलकुल बिगड़ चुका है और आज बरसात के समय वहां पर पानी बिलकुल भी नहीं आता है। मेरा निवेदन रहेगा कि पारंपरिक जल स्रोतों का भी इसमें ध्यान रखा जाए और इनके माध्यम से किस प्रकार से लोगों को पेयजल प्राप्त हो सके, उसके बारे में भी सरकार को कार्ययोजना बनानी चाहिए।

इसके अलावा, मैं जल ग्रहण योजनाओं के बारे में, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, निश्चित रूप से आई.डब्ल्यू.एम.पी. के माध्यम से केन्द्र सरकार के द्वारा जो पैसा आता है, वह जल ग्रहण योजनाओं के माध्यम से, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के माध्यम से गांव तक पहुंचता है। उसमें मेरा निवेदन रहेगा कि जल ग्रहण योजनाओं में अधिकतम पैसा गांव में जल कुंड बनाने के लिए, गांव के पारम्परिक जल स्रोत हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए उस पैसे का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि गांव में, खेत में बैठे हुए किसान बरसात के समय वह अपने पानी का संग्रहण कर लें और पूरे साल भर उस पानी से अपने परिवार का, पशु-पालन का गुजारा कर सकें।

इसके अलावा, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहकर, यही निवेदन करना

(श्री भंवरसिंह)

चाहूंगा कि जो यह अधिनियम लाया गया है, निश्चित रूप से इसमें अभी भी, इसकी सोच ठीक हो सकती है, लेकिन नदियों को जोड़ने के लिए और इसमें कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए और राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, राजस्थान का सिंचाई से वंचित क्षेत्र है, वहां के किसानों को फायदा देने के लिए वास्तव में सरकार यदि कोई मंशा रखती है तो पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के जो वंचित किसान हैं, उन किसानों को अपने हिस्से का पानी दिया जाए, जिससे कि वहां का क्षेत्र भी सिंचित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने इस बिल पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बंशीधर।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 पर जो आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान दो भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की बहुतायत है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखा रेगिस्तान है। वहां पर पानी की हमेशा कमी रही है। और वैसे 'जल ही जीवन है' और पानी का बहुत बड़ा उपयोग है। यह भी कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा।

पानी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जैसा जिला है, वहां पर पानी की हमेशा कमी रही है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें नदियों से नदियां जोड़ने की योजना बनाई थी उन्होंने 2002 के अन्दर और उन्होंने पांच लाख करोड़ रुपये की उस समय योजना बनाई। योजना बनाने के बाद में उन्होंने यह भी लक्ष्य रखा कि 2016 तक पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर नदियों से नदियां जोड़ दी जाएंगी। नदियों से नदियां जोड़ने का, दुर्भाग्य से, दुबारा से सत्ता नहीं आई और उसकी वजह से जो कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल तक यह योजना ठंडे बस्ते में रही, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश को यह फायदा नहीं हो सका। जो पानी की समस्या थी, वह आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है।

(श्री कैलाश चौधरी)

अभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग कुछ बोल रहे थे, यह ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे पूरे राजस्थान को एक उम्मीद है और उसका ये विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक बार इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने भी यह वक्तव्य दिया था, राहुल गांधीजी ने, कि अगर नदियों से नदियां जोड़ दी गयीं तो हिन्दुस्तान का पर्यावरण खराब हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नदियों से नदियों जोड़नी चाहिए; हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने भी यह कहा कि नदियों से नदियां जुड़नी चाहिये; अटल बिहारी जी वाजपेयी की सोच थी, उनका सपना था कि नदियों से नदियां जुड़नी चाहिए। जब उनका नेतृत्व करने वाला कहता है कि अगर नदियां से नदियां जुड़ गयीं तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, इनके नीचे जो सदस्य हैं वे निश्चित रूप से अपनी बात को वही कहेंगे, जो उनके नेता कहेंगे।

मेरा यही कहना है कि यह जो बिल लाया गया है, इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं, हमारी मुख्य मंत्रीजी की और हमारे मंत्रीजी की।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर जैसा क्षेत्र है, यहां पर नदियां बहती हैं, लूणी नदी है, जोजरी नदी एक समय में चला करती थी। लूणी नदी का भी हमारे यहां पर जो पानी था, किसानों को एक उम्मीद थी, जब वह साल के अन्दर लगभग तीन-चार महीना चला करती थी, जिससे पानी का जल स्तर ऊपर आता था और किसान उसका इन्तजार करते थे कि जब बारिश होगी तो नदी आएगी और जो लूणी नदी है, अजमेर की पहाड़ियों से इसका उद्‌गम स्थल है और यहां से जब वह नदी शुरू होती है तो बीच में जितने भी गांव या जो आते हैं, वहां का जल स्तर ऊपर उठ जाता था। लेकिन अभी जो एनिकट वगैरह बने, उनकी वजह से कई बार तो जैसे 10-10 साल तक वह नदी नहीं आती, इसकी वजह से हमारे यहां का जल स्तर नीचे चला गया है और पानी की बिलकुल ही कमी हो गयी है। किसानों को और वहां के क्षेत्र जो लोग हैं उनको एक उम्मीद है कि अगर नदियां से नदियां जुड़ जाएंगी जिस दिन, उस दिन निश्चित रूप से हमारे यहां पर खुशहाली होगी, हमारा हरा-भरा क्षेत्र होगा।

दूसरा, हमारे वहां पर पचपदरा है, वहां पर जोजरी नदी के नाम से भी एक नदी पहले चला करती थी। पचपदरा, जो पचभद्रा, जहां से हमारे राजस्व मंत्रीजी आते हैं, पंचभद्रा का नाम है, पांच नदियों का संगम, नदी को संस्कृत में कहते हैं। तो वह पांच नदियों का संगम पंचभद्रा के अन्दर हुआ करता था।

(श्री कैलाश चौधरी)

बाद में उसका नाम पचपदरा रख दिया। लेकिन पंचभद्रा, इसी की वजह से उसका नाम था। जो जोजरी नदी वहां पर आया करती थी और उस समय सभापति महोदय, एक समय ऐसा था जब पचपदरा या बालोतरा या जोधपुर या जैसलमेर का कुछ क्षेत्र ऐसा था, वहां पर गन्ने की खेती हुआ करती थी। वहां पर नदी चला करती थी, नदी आती थी और उसकी वजह से गन्ने की खेती हुआ करती थी। लेकिन उस समय एक घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से हमारी उस नदी का पानी रुक गया।

जोधपुर के एक महाराजा थे। वहां पर, एक लक्खी बंजारे का नाम सभी माननीय सदस्यों ने सुना होगा, लक्खी बंजारा हुआ करता था। उसके एक लाख बैल हुआ करते थे। वह एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर हुआ करता था, व्यापारी हुआ करता था। क्योंकि पहले साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय बैलों से या ऊंटगाड़ी से वे सारा ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। लक्खी बंजारा जब वहां से सामान लाया करता था और ट्रांसपोर्ट का काम करता था, तो जोधपुर के उस समय जो राजा था, उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद में वह लक्खी बंजारा नाराज हो गया। वह नाराज होने के बाद में वापस वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद में जो वहां पर नदी आया करती थी जोजरी नदी, उस नदी का जो मुख्य स्थान था, जहां से वह शुरू होती थी; उसके पास में एक लाख से ऊपर बैल हुआ करते थे, तो वह एक लाख बैलों को लेकर वहां पर गया और वहां पर पत्थर, मिट्टी और जो भी उसके पास साधन थे, वह सारा, जिस साइड से वह नदी आती थी, वहां पर ले-जाकर उसने उसका बांध बना दिया। उस बांध की वजह से वहां पानी आना बंद हो गया। इससे नदी का जो मूवमेंट था, वह पाकिस्तान, मुल्तान की ओर हो गया और पानी उधर चला गया। इसकी वजह से फिर बाद में जब पानी नहीं आया, अगले दो-तीन साल के बाद में राजा ने कहा कि पानी नहीं आ रहा है। जहां गन्ने की खेती हुआ करती थी, पानी क्यों नहीं आया? बरसात तो खूब हुई है। तब लक्खी बंजारे की जो पत्नी थी, उससे पूछा कि क्या कारण है? तब उसने कहा था कि 'जोजरी जरका करे, जमजी तू समझे नहीं, मेहंदी का रंग कहां गया, वो पानी मुल्तान गया।' तो वह पानी मुल्तान चला गया।

इसकी वजह से आज भी वह पानी पाकिस्तान के अन्दर जा रहा है। अगर वह पानी हमारी तरफ डाइवर्ट करके, उस नदी के अन्दर वापस यूं डाइवर्ट करके और नदी से नदी जोड़ने का काम हो; उसमें करने की भी कोई

(श्री कैलाश चौधरी)

आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस पानी को जो पुरानी नदी है, उसके अन्दर मूवमेंट करने की आवश्यकता है। कोई भी बांध उसके ऊपर बनाने की, कोई नहर बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और वह पानी सीधा जोजरी में आएगा। जोधपुर और जो बाड़मेर क्षेत्र है, वहां पर वह सारे पानी की जो समस्या है, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा।

दूसरा, पानी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सरस्वती नदी भी बहा करती थी। एक समय ऐसा था। आज वह विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वह नदी निश्चित रूप से आज भी चल रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो पानी आज कृषि का वहां पर है, वहां नीचे जो पानी है वह सरस्वती नदी का है। वह विलुप्त हो गयी, जमीन के ऊपर नहीं चल रही है, लेकिन नीचे वह पानी चल रहा है। अगर उस पानी को अपन ऊपर लाकर किसानों को दिया जाए तो निश्चित रूप से जो पूरा जोधपुर सम्भाग है और बीकानेर का जो क्षेत्र है, उसके अन्दर भी किसानों के यहां हरियाली होगी।

पानी की बहुत बड़ी कीमत है। जो यह बिल लाया गया है, मैं इसकी वास्तव में तारीफ करूंगा। पानी की कद्र तो बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि पानी की जो कीमत है, वास्तव में एक लोटा, हमारे वहां पर ऐसे किसान हैं, ऐसे लोग हैं कि वे एक लोटे पानी से नहा भी लेते थे। ऐसे दिन भी वहां पर देखे हैं। आज भी वहां पर पानी की कमी है।

मैं यही कहना चाहता हूं, वहां की एक समय की एक और घटना बताऊं। वहां एक बार पति-पत्नी कहीं जा रहे थे और उन पति-पत्नी के पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा था। वह ऐसी जगह चले गये जहां पानी नहीं था। पति-पत्नी ने आपस में पानी के लिए कहा कि तू पानी पी, फिर पति ने पत्नी को कहा कि तू पानी पी। दोनों आखिर पानी पी नहीं पाये और वे आपस में कहते ही रहे। 'जल थोड़ा, ने घणो, तू पी, तू पी, करते-करते दोनों ने तज दिये प्राण।' तू पी, तू पी, करते-करते दोनों ने प्राण तज दिये। पानी की इतनी बड़ी महत्ता है।

इस पानी के लिए जो नदियों से नदियां जोड़ने का बिल लाये हैं, उसके अन्दर जो लूणी नदी है उसको यमुना नदी से अगर जोड़ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से पानी के लिए हमें तरसना नहीं पड़ेगा। अगर नदी से नदी नहीं जोड़ी गयी, तो आने वाले समय में, जैसे इन्होंने प्राण तज दिये, वैसे ही हमारे ऐसा नहीं हो, आने वाले समय में प्राण को तजने पड़ें। वास्तव में पानी के

(श्री कैलाश चौधरी)

लिए हम बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों के लिए नदी से नदी जोड़ने का जो बिल लाये हैं, वह इतना सराहनीय और इतनी तारीफ के काबिल है। हम तो इस बिल का इन्तजार कर रहे थे।

लेकिन मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित अपन कर सकें। अधिकारियों को इसके लिए वहां पर निर्देशित करके उसका बजट के अन्दर पैसा लेकर, नदी से नदी को जोड़ने को क्रियान्वित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे वहां पर पानी की जो समस्या है, उसका समाधान होगा। योजना को जल्दी से जल्दी आप क्रियान्वित करावें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

जो यह जन मत जानने के लिए मैंने निवेदन किया था, उसको मैं वापस लेता हूं।

इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।

श्री सभापतिः श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 जो लाये हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं।

वाकई में नदियों को जोड़ने का यह बिल हमारे भारत के पूर्व प्रधान मंत्रीजी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। पूरे भारत में नदियों से नदियों को जोड़ने की 2002 में यह बात, उनके मन में एक विचार आया। हमारा देश, पूरा भारत नदियों का देश है। पूरे उत्तरी भारत में सम्पूर्ण, चाहे वह हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिमी बंगाल हो और राजस्थान का कुछ पूर्वी और दक्षिण का भाग है, इसमें जब नदियां उफान पर होती हैं तो पूरा क्षेत्र तबाही-तबाही हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्री जी यह 2015 का जो बिल लाये हैं, यह नदियों से नदियों को जोड़ने वाला बिल है; यह बिल वाटरशेड, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को बनाने वाला बिल है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वह माही नदी है और माही नदी की सहायक नदियां, जाखम है, सोम है, गोमती है, टीडी नदी है; इसी तरह चम्बल की जो सहायक नदियां हैं, चाहे वह चम्बल नदी हो, कालीसिंध हो; बनास नदी हो, जवाई नदी हो, सरस्वती, लूणी हो, इन सारी नदियों को, अगर राजस्थान की सभी छोटी-मोटी

(श्री अमृतलाल)

नदियों को आपस में जोड़ा जाए, तो सम्पूर्ण राजस्थान हरा-भरा रहेगा, पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, शुद्ध पानी मिलेगा और वाटर लेवल भी ऊपर आएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी इन नदी से नदियों का पानी आपस में जोड़ करके, हमारे राजस्थान का बहुत-सा भूभाग रेगिस्तान में है, माननीय विधायक महोदय कैलाश जी ने कहा था कि पानी की असली परख पश्चिमी राजस्थान ही जानता है जहां पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी के बड़े-बड़े हौद बनाये जाते हैं और कोसों दूर से पानी लाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इस बिल के माध्यम से निवेदन है कि हमारे राजस्थान में छोटी-मोटी बहुत बड़ी-बड़ी झीलें हैं, जयसमन्द की झील है, राजसमन्द की झील है, बीसलपुर की झील है, जवाई की झील है और अगर इन झीलों में भी नदियों द्वारा पानी डाला जाए, तो कभी पानी की समस्या नहीं आएगी। यह मेरा विचार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, जो पूर्व में सभी सदस्यों ने कहा कि पूरे राजस्थान में एक परसेंट पानी है, जल ही जीवन है और इस योजना से राज्य में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। राज्य में बहकर के जो व्यर्थ पानी खम्भात की खाड़ी में जाता है, उस पानी को रोक करके, नदियों द्वारा आपस में मिला करके, उपयोग में आएगा जिससे राज्य का भू-जल भी बढ़ेगा, राज्य के असिंचित क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी, निरन्तर बढ़ रहे रेगिस्तान में कमी आएगी और राज्य में हरा क्षेत्र बढ़ेगा। पानी की उपलब्धता बढ़ने से हरियाली भी अधिक होगी, राज्य के पुरातन जल ग्रहण क्षेत्रों में महत्व बढ़ेगा; तालाब, झीलों, बावड़ियों में और कुओं में जल स्तर बढ़ेगा; जमीन का भी जल स्तर बढ़ेगा।

यह नदियों को जोड़ने वाला बिल प्रेरणादायक होगा। राज्य का विकास ही नहीं, बल्कि अन्य राज्य इससे प्रेरणा लेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है।

इस बिल में दोनों तरफ से, हमारी मुख्य मंत्रीजी इसकी अध्यक्ष हैं, आठ-दस हमारे केबिनेट मंत्री इसके सदस्य हैं और इधर अधिकारी लेवल के भी सभी विभागों के सेक्रेटरी इस प्राधिकरण के सदस्य हैं।

सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, विधेयक पर करीब साढ़े तीन घंटे से चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय अटल बिहारी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के सन् 2002 के बहुत रेफरेंसेज आये हैं। निश्चित रूप से नदियों को जोड़ने की कल्पना और विचार, और विचार को मूर्त रूप देने का काम माननीय अटल बिहारी जी के भाषणों से, जब वे प्रधान मंत्री थे, तब हुआ। उसके बाद 2004 में चूंकि यू.पी.ए. की सरकार आ गयी, वह काम वहीं रुक गया। अब यह काम, देश का प्रथम प्रांत राजस्थान होगा जिसमें यह नदियों को जोड़ने का एक प्रस्ताव, एक विधेयक और एक सोच इस विधान सभा के सामने है।

सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने राजस्थान की अनेक नदियों की बात कही। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बीकानेर जिले से, हमारे यहां नदियां नहीं हैं। कहा जाता है सरस्वती को हम रिवाइव कर दें। माननीय पेयजल मंत्रीजी ने, पी एच ई डी मंत्रीजी ने इस बात को यहां कहा है। वह बात बहुत स्वागत योग्य है कि सरस्वती को रिवाइव किया जाये।

इस बिल के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्रीजी ने शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती को जोड़ने की बात कही है। उसके साथ नदियों को, जिनके भी आदेश धारा 10 में कहा गया है कि, 'और अन्य मुख्य नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं को परस्पर जोड़ने के ऐसे प्रयास करना, जैसा कि परिषद या राज्य सरकार निदेश दें।'

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के द्वारा एक सलाहकार परिषद मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई जा रही है। एक प्राधिकरण का गठन धारा 5 के अन्दर किया जा रहा है। जहां तक धारा 3 में सलाहकार परिषद का सवाल है, मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि कम से कम सलाहकार परिषद को केबिनेट मीटिंग का दूसरा रूप न दें। क्योंकि जहां मुख्य मंत्री जी हैं और वहां आप चाहें तो 7-8 को रखें। आपने तो इसमें मुख्य मंत्रीजी के अलावा 11 मेम्बर रखे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजस्व मंत्रीजी को भी रखिये। मेरे जैसा आदमी कह देगा कि हमारे जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर वह क्यों बाहर रहें? यह केबिनेट मीटिंग नहीं है। इसमें आप चाहें तो सबको रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें 7 मंत्री हों तो भी काफी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जिन 4 एक्सपर्ट्स को नियुक्त

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करना है, जिनको 20 साल का अनुभव है और जो चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं, मेरा सुझाव है, माननीय मंत्रीजी, इन 4 विशेषज्ञों की परमानेंट व्होल-टाइम वर्किंग बनाइये, यदि कोई उपलब्धि करनी है, तो। वे मीटिंग में आये और चले गये, इससे कोई बड़ी उपलब्धि होने वाली नहीं है। चाहे आप मुख्य मंत्रीजी की इस सलाहकार परिषद में रखें, चाहे प्राधिकरण में रखें, इन 4 महानुभावों को जिनको आप नोमिनेट करेंगे, इनको प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ परमानेंट रखें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, इतने वरिष्ठतम सदस्य बोल रहे हैं, इतने अच्छे सुझाव दे रहे हैं। माननीय सदस्य वहां पर इतना हल्ला कर रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है।

एक माननीय सदस्य: अपनी-अपनी जगहों पर जाओ। मंत्रीजी कह रहे हैं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): House must be in order.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बात नहीं करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): I am obliged, sir.

मैं निवेदन कर रहा था कि हमें इस प्राधिकरण से यदि बड़ा रिजल्ट लेना है तो निश्चित रूप से जहां मुख्य मंत्री जी हैं, वहां सब मंत्रियों की उपस्थिति, आप सारी कैबिनेट रखें तो भी हमें आपत्ति नहीं है, सलाहकार परिषद में सारी कैबिनेट आ जाये, लेकिन जिन 4 महानुभावों को, 20 साल के अनुभव वाले, चीफ इंजीनियर रहे हुए, रखना चाहते हैं, उनकी परमानेंट वर्किंग होनी चाहिए, चाहे सलाहकार परिषद के नीचे हो, चाहे प्राधिकरण के नीचे हो।

जिस तरह से प्राधिकरण के अध्यक्ष का कंसेप्ट है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष व्होल टाइम होगा, चाहे आपने न लिखा होगा लेकिन यह तो मैं मानता हूं कि वह तो व्होल टाइम होना ही होना है। चूंकि प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं, उसके नीचे चीफ सेक्रेटरी भी मेम्बर हैं। चीफ सेक्रेटरी उसमें अध्यक्ष नहीं हैं, चीफ सेक्रेटरी मेम्बर है धारा 5 में और अध्यक्ष, अध्यक्ष है। प्राधिकरण के एक अध्यक्ष और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी है, उसके नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी है। आप सबको रखें, किसी को रखें। माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि उद्योग विभाग का क्या काम है वहां? शिक्षा मंत्रीजी का भी क्या काम है? वे हैं भी नहीं इसमें, लेकिन उद्योग विभाग भी क्या करेगा? आपको प्राधिकरण में नदियों से नदियां जोड़नी हैं और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अधिक पानी वाले बेसिन से कम पानी वाले बेसिन में पानी का अंतरण करना है। इसमें फोर्मेलिटी और औपचारिकता आवश्यक नहीं है।

इसमें भी आपने जो लिखा है कि जल संसाधन अभियांत्रिकी क्षेत्र से 2 विशेषज्ञ, फिर जल संसाधन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पर्यावरण वालों को भी लीजिये। खैर, आपको देखना यह है कि रिजल्ट कौन देगा, जिनको भी आप ले रहे हैं, चाहे इनको रखें परमानेंट होल-टाइम वर्क में, चाहे उनको रखें जो सलाहकार परिषद में आये हैं, जो भी वरिष्ठ लगें, जो भी ज्यादा उपयोगी लगें, अधिक बेसिन से कम बेसिन के मामलों में अंतरण करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम कोई ढांचा बना रहे हैं तो उसका परमानेंट काम करने वाले विशेषज्ञ उसमें 24 घंटे काम करें, इस बात को देखा जाना चाहिए। बाकी सलाहकार परिषद में आप 6 महीने में एक बार मिलेंगे, इस प्राधिकरण में 3 महीने में एक बार मिलेंगे। वे सब बातें अपनी जगह ठीक हैं। आपने उनको अधिकार दिया भी है कि जब चाहें, मीटिंग बुला सकते हैं। यह सब डिटेल की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि आपने यह धारा 5 में जो प्राधिकरण बनाया है, उसके धारा 10 में कर्तव्य बनाये हैं। इनकी शक्तियां क्या हैं? इनके कृत्य क्या हैं? माननीय मंत्री महोदय, 'क' में 'राज्य सरकार के जल संसाधन योजना विभाग द्वारा परिषद को प्रस्तावित की गयी एकीकृत राज्य जल संसाधन योजना की सिफारिश करना'; इनका काम आपके जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना की सिफारिश ही करना है। आप प्राधिकरण को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। मैं समझा हूं जहां तक, हम उसको एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं कि जो काम राजस्थान का जल संसाधन विभाग आज तक नहीं कर सका, वह काम प्राधिकरण के माध्यम से होगा। इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि जो भी योजना आयेगी, आपको जो पेश की जायेगी, उसको उपांतरणों सहित या बिना उपांतरण के, यदि वह कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ उसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो यह रबर स्टांप थोड़े ही है प्राधिकरण, जो जल संसाधन विभाग ने योजना भेज दी, उसको सिर्फ सिफारिश करना है।

इसी तरह 'ख' को देखें, इसमें तो एकीकृत जल संसाधन योजना को करना है और उसमें राज्य सरकार के समक्ष जो परिषद को बेसिन और उप बेसिन के अनुसार योजनाओं के आधार पर राज्य सरकार के जल संसाधन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

योजना विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी जल संसाधन परियोजनाओं की सिफारिश करनी है। कई उपांतरण के सहित और उपांतरण के बिना, इतना अधिकार तो आप दीजिए इस प्राधिकरण को। इसको रबड़ स्टांप नहीं बनाइये जल संसाधन विभाग का।

यदि जल संसाधन विभाग ही सारी पालिसी ठीक बना सकता है तो प्राधिकरण की आवश्यकता क्या है? आप अपना विचार तय करिये कि जल संसाधन विभाग को प्रमुख रखना है, या इस प्राधिकरण के माध्यम से जो उद्देश्य आपने इस विधेयक में घोषित किये हैं, उनकी प्राप्ति करना है। तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा वाइडर क्षेत्र हमें देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रवर समिति का जो प्रस्ताव रखा है वह इसी दृष्टि से रखा है कि इसकी भाषा में और इसके थोड़े-बहुत विचारों में फर्क किया जाये।

अब आप 'ग' को पढ़िये, मैं अर्ज करता हूं कि यदि 'क' और 'ख' में सिर्फ सिफारिश ही करनी है, जो योजना जल संसाधन विभाग ने भेज दी है; फिर हम कह रहे हैं, 'आर्थिक, हाइड्रोलोजिकल और पर्यावरणीय विविधता के अनुरूप हैं; यानी 'जल संसाधन परियोजनाएं, जल संसाधन योजना आर्थिक, हाइड्रोलोजिकल और पर्यावरणीय विविधता के अनुरूप हैं और जहां सुसंगत हो, वहां अन्तरराज्यीय करारों और जल विवाद अधिकरणों के अधिनिर्णयों के अधीन राज्य की बाध्यताओं के अनुरूप हैं।'

यदि इनको 'क' और 'ख' में उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अधिकार दिया जाता है, तब तो निश्चित रूप से यह अपना दायित्व 'ग' में जो आपने लिखा है कि 'आर्थिक, हाइड्रोलोजिकल और पर्यावरणीय विविधता के अनुरूप' हमारी जल संसाधन नीति और जल संसाधन परियोजनाएं बनीं या नहीं, इसको देख सकते हैं।

(18.00 बजे)

मेरा निवेदन यह है कि इसको थोड़ा वाइडर अधिकार दें। इसमें कोई खास बात नहीं है कि जल संसाधन विभाग ने जो कह दिया, उसको आंख मींचकर सिफारिश करना है और आंख मींचकर सिफारिश करना है तो इस प्राधिकरण को बनाने की आवश्यकता भी क्या है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम इस प्राधिकरण का आपने 'ग' में लिखा है, 'क, ख, ग, घ', 'सतही जल के सर्वोत्तम और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। नदियों के परस्पर जोड़े जाने सहित अधिक जल वाले बेसिनों से अभावग्रस्त बेसिनों को अंत:बेसिन जल अंतरण के लिए परिषद को सिफारिश।' यह ठीक है; यह इसकी सिफारिश करे और इसकी न सिर्फ सिफारिश करे, बल्कि वह एक तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाये। यह काम भी आप इनको दीजिए कि यह इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी देखरेख में बनवाये।

आगे आपने 'छ' में निम्नलिखित गतिविधियों का जिम्मा लेते हुए नदियों और इनकी धाराओं की बारहमासी या अधिकांशत: बारहमासी बनाने के लिए कार्ययोजना निश्चित करना, वाटरशेड का विकास, सूक्ष्म या अन्य सिंचाई टैंकों का संनिर्माण। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाटरशेड चाहे पंचायती राज विभाग के नीचे हो, बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है कि वाटरशेड में पिछले दस-पन्द्रह साल में जितना रुपया खर्च हुआ, वह वाटरशेड क्या मौके पर मौजूद है? क्या वह वाटरशेड सिर्फ कागजों में है? विधायकों को अनुभव है, मेरे क्षेत्र का मुझे है, तो आपके अन्य क्षेत्रों का, जो यहां विराजे हैं, उन सबको है कि वाटरशेड से ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार किसी भी काम में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना धन पंचायतीराज के नीचे वाटरशेड में उपलब्ध है, चाहे पंचायती राज मंत्रीजी देखें उसको अलग से, या आप उसको देखें, और उसके सदुपयोग के लिए सारे विधायकों का सहयोग लें, सदन का सहयोग लें और सदन का सहयोग लेकर इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद में इस वाटरशेड के पैसे का, ग्राम पंचायतों तक को आप खड़खड़ाइये कि इसका सही उपयोग हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तान के हमारे जो 11 जिले हैं, इनमें तो छोटी-मोटी कोई खेती में क्रांति होनी है। जो हमारा, यानी जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म किसान हैं और यह छोटा किसान है और जिसके पास एक हेक्टेयर, दो हैक्टेयर की जमीन है, उसके खेत में कभी नहर नहीं आने वाली है, उसके खेत में तो एक छोटा टांका, खेत की आवश्यकता को देखते हुए, लाख लीटर का टांका यदि रेगिस्तान के खेत में बनेगा, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, तो उसको तो उस लाख लीटर के टांके से, जो आज की बेमौसम बरसात में साल में छह बार भरेगा, उससे उसको जो लाभ होना है, वह लाभ हो सकता है कि अन्य किसी भी प्रकार से न हो।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्योंकि हम नहर हर जगह नहीं ला सकते, नदियां भी सभी नदियां खैर, जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है, नदियों को जोड़ने की, जितना-सा हम नदियों को जोड़ेंगे और शारदा से यमुना जुड़े तो चमत्कार होगा। 15 लाख क्यूसेक्स से ज्यादा पानी अनेक बार शारदा में आता है और वह यदि यमुना में आये और यमुना से राजस्थान में आये और राजस्थान से साबरमती में जाये, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। वह कायाकल्प करिये, लेकिन इस वाटरशेड के माध्यम से कायाकल्प संभव है। रेगिस्तान के इलाकों में जहां नहर नहीं है और नदी भी नहीं है और किसी नदी के आने सम्भावना भी नहीं है, उस नदी के आने की जहां सम्भावना नहीं है वहां वाटरशेड ही सब कुछ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि राजस्थान की बारानी खेती में जल का उपयोग बढ़ाने के लिए और उसे छोटे से खेत में, एक हेक्टेयर, दो हेक्टेयर के खेत में, अपनी आजीविका को सही ढंग से सम्पन्नता से चलाने के लिए यह वाटरशेड के माध्यम से आप जल उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम, उसको अंजाम देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें आपने चाहे अध्यक्ष की क्वालिफिकेशंस नहीं लिखीं कि इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें आपने सलाहकार परिषद में डिफाइन किया है कि चार व्यक्ति ऐसे होंगे जो चीफ इंजीनियर की रैंक के रहे हुए हैं, 20 साल का अनुभव हो, वह भी शामिल है। कोई हर्ज नहीं है, जहां सरकार है और जहां आप बैठे हैं, हमारा भरोसा है, सदन का भी भरोसा है कि उपयुक्त व्यक्ति को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा और वह भी निश्चित रूप से कोई 20 साल, 15 साल या चीफ इंजीनियर रहा हुआ हो, या न रहा हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि वह चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं 20 साल, उनसे भी योग्य हो। प्राधिकरण के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशंस के बारे में चिंता नहीं है पर जो भी होंगे मेरा निवेदन है कि आप उनके नीचे तीन या चार या सरकार चाहे तो पांच या छह जैसी भी हों, हालांकि आपने कमेटियां बनाने का प्रावधान किया है, वे कमेटियां आप बनाइए। मेरा निवेदन है कि डाइरेक्टली प्राधिकरण के नीचे यह सारा काम और उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी चाहिए। चूंकि इसमें प्रावधान है कि बजट बनेगा, आगामी वर्ष के खर्च का बजट बनाया जाएगा और जो गया हुआ वर्ष है, 30 सितम्बर तक उसमें क्या क्रियाकलाप हुआ है उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट सरकार को आएगी और सरकार विधान सभा में रखेगी, विधान मण्डल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में रखेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिए इसको एक सेल्फ-कंटेंड, सेल्फ-सफिशिएंट, एक्सपर्ट बाडी प्राधिकरण को बनाने का काम आप करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव रखा था, उसका एक कारण यह भी है कि धारा 14 में, धारा 11 में, 11(3) को देखें; माननीय मंत्रीजी, 11(3) में आपने लिखा है प्राधिकरण की निधि के बारे में कि ऐसे खातों का संचालन प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसके विनियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाए। माननीय सभापति महोदय, 11(3) में रूल्स बनेंगे, आपने जो रूल्स का चार्ट दिया है पीछे कि यह अधिनियमित हो जाएगा तो किस-किस पर रूल्स बनेंगे, उसमें 11(3) कहीं नहीं है, गौर से देखें, उसमें 11(3) कहीं नहीं है। ठीक है, चाहे आपसे मिस हुआ है। तो प्रवर समिति के सामने भेजने का मतलब ही यह है कि जितनी कोई छोटी-मोटी, जिसको अपन कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग में या जिसको और छोटी बात कहें कि क्लेरिकल एरर भी रह गई...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 11(3) है इसमें पेज 20 पर।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, है। कोई बात नहीं। मेरा निवेदन है कि उसके जो मूल कृत्य हैं, खाली सिफारिश करने के और तीसरे में यह देखने के कि वह जो भी योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं में आर्थिक, हाइड्रोलोजिकल, पर्यावरणीय विविधता के अनुरूप हैं, यह तभी देख पाएंगे जब हम 'क और ख' को अमेंड करें और 'क और ख' को अमेंड करने की बात मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं।

इसी निवेदन के साथ मैं मेरी बात को, चूंकि साढ़े तीन घण्टे बहस चल चुकी है, मैं अधिक लम्बा नहीं करना चाहता; मेरा निवेदन यही है, अंत में मैं आपका ध्यान, चूंकि फोर-वाटर कंसेप्ट है, फोर-वाटर कंसेप्ट में सतही जल शामिल है, वर्षा जल शामिल है, वर्षा जल की बात मैंने अभी कही है और भू-गर्भ जल है और मृदा नमी का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग हो।

माननीय सभापति महोदय, जहां नदियां आने की सम्भावना नहीं हैं और जहां सिर्फ इन्दिरा गांधी नहर है, इस नहर का एरिया फर्स्ट स्टेज और सेकण्ड स्टेज का 19.63 लाख हेक्टेयर था, किन्हीं भी कारणों से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यदि वर्ष 2005 में उसके एरिया को 16.17 लाख हेक्टेयर तक सीमित कर दिया और सीमित करने का तो, आपको मालूम है, 1.83 लाख हेक्टेयर बनना था गंग नहर का, भारत सरकार जिद कर रही थी कि आप

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इसकी कम्प्लीशन रिपोर्ट दो कि इन्दिरा गांधी नहर कम्प्लीट हो गई और चूंकि उसमें 7 लाख हेक्टेयर बनना था, इसमें 3.23 लाख हेक्टेयर लिफ्ट कैनाल्स, जो कोलायत में हैं, उसके सेकण्ड फेज के और आगे हैं, उनका एरिया बाकी था 3.23 लाख हेक्टेयर। मेरा आपसे निवेदन होगा कि यदि गंग नहर में 50 साल बाद, बल्कि 60-70 साल बाद, 1928 में बनी और 1928 में बनने के बाद 2005 में, 2005 के बाद वह प्रक्रिया शुरू हुई और आज भी पूरी नहीं हुई है। 1 लाख 83 हजार में, मेरे माननीय मित्र टीटी साहब ने मुझे अवगत कराया है कि अभी तक तो 40 परसेंट खाले बने हैं, 60 परसेंट बाकी हैं। मैं अर्ज करता हूं कि जब गंग नहर तक में खालों की आवश्यकता पड़ गयी, तो इस सेकण्ड फेज में जो खाले बनने थे, 3.23 लाख हेक्टेयर में, उन खालों के निर्माण पर, चूंकि आप उस एरिया से खूब भिज्ञ हैं और हमारे इंदिरा गांधी परियोजना के अध्यक्ष भी रहे हैं और सैकड़ों, हजारों गांवों में आपको जाने का अवसर भी मिला है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भागीरथ कह दो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): भागीरथ तो कह दिया दूसरे लोगों ने। हम डा. रामप्रताप जी को रामप्रताप ही रखना चाहते हैं और उनके नाम से ही उनको प्रसिद्धि मिले और व्यक्तित्व मिले, उसी से संतुष्ट हैं। इसलिए न तो भागीरथ कहेंगे और न यह कहेंगे कि अब तो राजस्थान में सब कुछ हो गया। हम बहुत बारीकी से इस बात को देखेंगे कि इस प्राधिकरण के बाद राजस्थान में कितनी प्रगति होती है और कितनी नदियां जुड़ती हैं और जितनी नदियां जुड़ सकती हैं, मैं मानता हूं कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार का यदि मन बनेगा तो सरकार कहीं से साधनों की व्यवस्था करेगी जिसमें विश्व बैंक भी शामिल है, अनेक सोर्सेज, वित्तीय संसाधन शामिल हैं। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आगामी जो साढ़े तीन साल हैं इसमें ऐसी प्रगति हो कि लोग दांतों तले अंगुली चबाये कि कोई सरकार ऐसा भी कर सकती है।

इसी निवेदन के साथ, सभापति जी, मैं मेरे उस प्रस्ताव को वापस लेता हूं क्योंकि बात मंत्रीजी समझ गये हैं और जो करना होगा, करेंगे।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान) सैकण्ड में बोल लें। काल कर दिया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था आपको, मेरा नम्बर था।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय,

(डा. रामप्रताप)

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 पर सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत ही बेशकीमती सुझाव दिये। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मैं लगातार दो-तीन दिन से देख रहा था, आज बहुत कम ऐसे माननीय सदस्य थे जिन्होंने इसको एक डिमाण्ड बनाया। बल्कि इसको बिल के रूप में रखा जा रहा था और बहुत ही अच्छे सुझाव दिये।

माननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कोस्ट बेनिफिट रेश्यो की। राजस्थान में अलग-अलग तरीके से, कोई तो कहते हैं, एग्रीकल्चर 52 परसेंट है, कोई कहते हैं 60 परसेंट है और जी डी पी में कांट्रिब्यूशन है 19 परसेंट। 52 परसेंट पापुलेशन अगर मान लें और उसका अगर जी डी पी में कांट्रिब्यूशन सिर्फ 19 परसेंट है, तो उसकी स्थिति कितनी दयनीय है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह 19 व 52 का जो डिफरेंस आ रहा है, यह सोश्यो-इकोनोमिक इम्बैलेंस इतना भारी है, यह अल्टिमेटली अपने पूरे सिस्टम को ही कोलेप्स कर देगा। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोस्ट-बेनिफिट रेश्यो वाली बात है, अपने सोशल स्टेट्स के मोर्टगेज नहीं रख सकते। यह बात भी सही है, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनमें यह कोस्ट-बेनिफिट रेश्यो नहीं आता। इसी के अन्दर क्यों आता है? जबकि एक-एक बूंद पानी है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सोना सस्ता है, पानी महंगा है। जब बार-बार विद्वान लोग कहते हैं कि अगला जो युद्ध होगा, वह पानी के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज सदन में कई तरह की चर्चाएं आयीं। विशेष तौर से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य घनश्याम जी भाई साहब ने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने इतनी ज्यादा मेरी तारीफ कर दी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे यहां बैठने में दिक्कत आने लगी। दिक्कत इसलिए आने लगी कि आज वाले बिल के अन्दर मेरा कोई रोल नहीं है। यह सारा किया-धरा है माननीय मुख्य मंत्री महोदया का। The sole credit goes to that Lady.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह कहा गया है कि ''घी सुधारे खिचड़ी, नाम बहु को होय।''

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, थोड़ी-

(डा. रामप्रताप)

सी मैं भी लिबर्टी ले रहा हूं। एक तो मैं यहां, चूंकि यह विषय ही इस किस्म का है, इसलिए मैं महाराजा गंगासिंह जी को यहां याद करना भूल जाऊंगा तो एक बहुत बड़ी बेइमानी हो जाएगी।

इसी तरीके से जोधपुर का उम्मेद भवन बना था। अगर कोस्ट-बेनिफिट रेश्यो होता तो वहां की पापुलेशन उस समय, मेरे खयाल से, अकाल की वजह से खतम हो जाती।

वही स्थिति आज किसान की हो चुकी है। आज उसने फसल तैयार करके रखी है, कल सुबह वह यह सोच रहा था कि काटकर इसको परसों निकालकर बाजार में ले जाकर बेचूंगा। रात को ओलावृष्टि हुई और उसको तहस-नहस करके रख दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी और लिबर्टी ले रहा हूं, चूरू जिले की बात है, किसान बैठा था, ऐसे ही अकाल की बात चल पड़ी। गुरुदास मान का पंजाबी में एक गीत है, उसने गुरुदास मान वाली गाली निकाली, बहुत बड़ी; किसको, भगवान को। उसने कहा कि उसको मैं क्या समझता हूं। मेरे खेत के अन्दर इतनी खेजड़ी है, उसका इतना तो लूंग हो जाता है। लूंग पशुओं के लिए चारा होता है और महंगे भाव पर बिकता है। उसके बाद जो लकड़ी छांगने से बचती है उसको बाजार में बेच देता हूं और लूंग कुछ मेरे पशुओं को खिला देता हूं और बाकी मैं बेचकर अनाज ले आता हूं। मैं उसके भरोसे थोड़े ही बैठा हूं।

ईमानदारी से इस बात को चरितार्थ करता है यहां पर। वह तो अपने दम पर बैठा है। वह ऊपर वाले से मरता तो है नहीं, जिंदा पूरा है नहीं। उस आदमी के लिए जो चीज हम आज कर रहे हैं, उसमें हम कास्ट-बेनिफिट रेश्यो को आगे लाकर रख देते हैं।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी, उस बात को मैं शत-प्रतिशत सही मानता हूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने महाराजा गंगासिंह की तरह हाथ में भीख का कटोरा नहीं लिया, लोगों के सामने जाकर रोयी नहीं। हमेशा हम एक ही गीत गाते हैं कि हमारे पास एक परसेंट पानी है, 1.16 परसेंट पानी है। इस चीज को हम कब तक रोते रहेंगे? इसी बात को ध्यान में रखते हुए नदियों से जोड़ने की बात शुरू हुई।

माननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने

(डा. रामप्रताप)

एक बात और भी कही थी कि साउथ आस्ट्रेलिया के अन्दर दो नदियां हैं, उन नदियों में, जैसे हमारी नदियों की स्थिति हो रही है, वैसी की वैसी स्थिति थी। एक नदी का नाम है मर्रे और दूसरी का नाम है डार्लिंग। उन्होंने Murray-Darling Basin Authority का निर्माण किया और उसके बाद में जो मैनेजमेंट उन्होंने किया, आज की तारीख में वे दोनों नदियां बिलकुल जिन्दा हैं, रिवाइव्ड हैं और पूरे वर्ल्ड के अन्दर अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): डार्लिंग ने मरे को जिंदा कर दिया वहां।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): हां, मरे को जिंदा कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से कई बातें को-इंसिडेंस से, अपने आप ही कोई चीज होनी होती है, उस हिसाब से पैदा होती है।

माननीय सभापति महोदय, एक कैप्टन दस्तूर थे, वे हवाईजहाज चला रहे थे। तो चलाते-चलाते जब आदमी नीचे देखता है तो उनको साउथर्न साइड में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बड़ी-बड़ी नदियों का जाल दिखायी दिया। तो उस आदमी के मन में आया कि इन नदियों को जोड़ा जा सकता है। कोई लेख लिखा और वह लेख लोगों के सामने आया।

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, केन्द्र सरकार में डा. के.एल. राव, बेसिकली वे इंजीनियर थे, ...उन्होंने भी हिमालय साइड की जितनी नदियां थीं, उनको जोड़ने के लिए उनके मन में यह खयाल आया। उसके बाद में नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया।

माननीय सभापित महोदय, ये बातें चल रही थीं। उसके बाद में नदियों को जोड़ने की बात को जो अंजाम दिया, या अंजाम देने की स्थिति जो पैदा की, उस बात से सभी माननीय सदस्य वाकिफ हैं कि अटल जी के वक्त में हुआ और आज की तारीख में जो हमारे रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, ये उस टास्क फोर्स के चेयरमैन थे। कोई इस बात को अन्यथा न लें, मैं पूरे हिन्दुस्तान की बदकिस्मती इसको मानता हूं कि वह बात बीच में रह गई, अन्यथा आज की स्थिति दूसरी होती।

माननीय सभापति महोदय, इन तमाम बातों को, मेरे खयाल से, आगे बढ़ाने का काम अगर हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट में शुरू हुआ है तो वह राजस्थान में हुआ है और राजस्थान में माननीय सदस्यों को कोई शंकाएं हैं वे बिलकुल वाजिब हैं, क्योंकि पानी हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए हमारे

(डा. रामप्रताप)

दिमाग में यह चीज बैठ ही नहीं सकती कि हम ऐसा कर सकते हैं, चाहे वह फोर-वाटर कंसेप्ट हो, चाहे नदियों को नदियों से जोड़ने का मामला हो। लेकिन हकीकत में, माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र में भी काम शुरू हो चुका है। उदाहरण के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, आहू नदी है, ट्रिब्यूटरी है कालीसिंध की, उसके बेसिन में और दूसरा शुरू किया था माही नदी के बेसिन में बुनाड़ नदी है, वहां। ये दोनों काम पूरे हो गये हैं और उनके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, और 127.87 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से, इसी बात से उत्साहित होकर हमने दूसरे बेसिन, लूणी का बेसिन है, वैस्ट-बनास बेसिन है, साबरमती का बेसिन है, इन बेसिन में भी 287 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं तथा 140 चैक डैम, जिनकी कुल लागत 1,115.88 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां हमने जारी कर दीं। माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई मूर्ख आदमी नहीं होगा कि 1,185 करोड़ रुपये यों मिट्टी में मिलायेगा। जब नतीजे आ रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कमी निकालने के लिए आदमी में कितनी ही कमी निकाल दो, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वह धरातल पर कर रहे हैं। अभी सरस्वती नदी की बात आई, मेरे से पूर्व बाड़मेर से आने वाले सदस्य बोल रहे थे, सरस्वती नदी, इसका पेलियो चैनल है उसका हमने पता लगा लिया है। पेलियो चैनल का मतलब यह होता है कि नदी जैसे ऊपर चलती है तो जमीन के पेटे, नीचे भी चलती है। उसका हमने अध्ययन भी करवा लिया है। यह आपके कार्बन डेटिंग भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर से करवाया है जिसमें इस पानी की उम्र 3,500 साल पुरानी निकली है, और उस पानी का भी हम उपयोग करेंगे।

कहने का भाव एक ही है कि चाहे रेन वाटर हो, चाहे सरफेस वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, उन सबका हम उपयोग करेंगे और एक-एक बूंद का उपयोग करेंगे।

इसके अलावा, माननीय सदस्यों से मैं थोड़ा-सा निवेदन और करना चाहूंगा, जो इस विषय से थोड़ा हटकर है। चूंकि आहोर से आने वाले माननीय सदस्य अभी हैं नहीं, उन्होंने नदियों का एक जिक्र किया था, जो है तो हिन्दुस्तान के क्षेत्र में और जाती है पाकिस्तान के क्षेत्र में। माननीय सभापति

(डा. रामप्रताप)

महोदय, मैं अकेला बैठकर कई दफा सोचता हूं और जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इससे बड़ा कोई अन्याय हो नहीं सकता, इससे बड़ी कोई राजनैतिक भूल नहीं हो सकती, जो उस वक्त में नदियों के पानी के बंटवारे में की गई थी। माननीय सभापति महोदय, दो भाई आपस में अलग होते हैं, कोई चीज या जायदाद बांटते हैं तो वह आधी-आधी बांटते होंगे, या बड़ा होता है उसको थोड़ी कम दे देते हैं और छोटे वाले को थोड़ी ज्यादा दे देते होंगे, लेकिन 1 और 21 का फर्क तो नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, सिंधु नदी, चेनाब और झेलम, जिनका पानी कुल मिलाकर 136 एम.ए.एफ., माननीय सभापति महोदय, इसको आप ध्यान से सुनना, 136 एम.ए.एफ., वह तो पाकिस्तान लेकर गया और हिन्दुस्तान को मिला सारा 35 एम.ए.एफ.। वे नदियां डेढ़ सौ से दो सौ किलोमीटर तक हिन्दुस्तान की टेरिटरी में से जाती हैं।

आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। एक दफे स्थिति ऐसी बनी थी, बोर्डर के ऊपर टेंशन इतना हो गया था कि सुबह लड़ाई हो सकती है, शाम को लड़ाई हो सकती है। उस वक्त में अखबारों में यह चीज आई थी और जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने यह मांग की थी कि जो ये नदियां हमारी टेरिटरी में से जा रही हैं, इनको इधर मोड़ा जाए। यह जो झेलम नदी है इसको तो हम झेल रहे हैं, 23 एम.ए.एफ. की नदी। एक दफा त्रासदी झेली जिसमें हजारों करोड़ रुपये लग गये और सुनने में आया कि पिछले दिनों फिर उसमें बाढ़ आ गई। तो इसको झेलना पड़ रहा है। चिनाब या झेलम, दोनों में से मुझे पता नहीं है, उनकी टनल, जो माननीय सदस्य फरमा रहे थे न कि हमने किया, फलां ने किया, इसकी टनल की डी.पी.आर. बनकर तैयार हो चुकी थी, आई.जी.एन.पी. की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी थी। इसीलिए उस आदमी को याद करना पड़ता है, और उस चीज को हमने आगे बढ़ाया।

अभी बीच में फव्वारा सिस्टम की बात आई। माननीय सभापति महोदय, जिस टाइम इस फव्वारा सिस्टम को लागू किया गया था, उस वक्त मेरे पास में आई.जी.एन.पी. की चेयरमैनशिप का दायित्व था। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदया ने जब निर्देशित किया कि 10 परसैंट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिफ्ट सिस्टम में से सिंचाई करनी है इससे, तब मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया कि जब तक डेडिकेटेड पावर लाइन नहीं होगी, यह काम पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि डेडिकेटेड पावर लाइन के

(डा. रामप्रताप)

बिना किसान के कपड़े बिक जाएंगे, उसकी जमीन गिरवी चली जाएगी। वह वहां सुनसान जगह में कहां से डीजल लेकर आएगा? कौन उसको पैसे देगा? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वह बात जब मैं कहता हूं तो मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं होता है कि अगले आदमी के जंचेगी या नहीं जंचेगी; दुबारा मुझे यह नहीं कहा कि इतने पैसे कहां से आयेंगे; डेडिकेटेड पावर लाइन दी और 10 परसेंट वह काम हुआ। उस वक्त में Rajathan was the pioneer state in drip irrigation system throughout India. जैसे ही राज बदला, जो चीज जहां पड़ी थी, वैसी की वैसी पड़ी रही और आज वह स्प्रिंकलर सिस्टम उसी कंडिशन में पड़ा है। आज की तारीख में पायोनीयर स्टेट राजस्थान नहीं, गुजरात है। कहने का भाव एक ही है कि काम करने वाले की, घाव तो बैरी के भी सराहने चाहिए। इसमें क्या बुराई की बात है?

अभी मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता महोदय बैठे हैं, मैं आपसे माफी चाहते हुए निवेदन करना चाहता हूं, अभी बीच में एक सवाल आया था, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल पर्ची के माध्यम से सिद्धमुख प्रोजेक्ट में 14 गांवों को शामिल करने का जिक्र किया था। अब उसका जवाब मैं पर्ची पर दे दूं, मेरा माथा खराब है क्या? मेरे पास में पानी कितना है, कितनी 14 गांवों की जमीन होगी, कितना उस जमीन का वाटर अलाउंस है, मैं यों ही खड़ा होकर कह दूं कि मैं पानी दे दूंगा? वह बात आज अभी कोट की है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, जो चीज करेंगे वह ही आपको कहेंगे और भगवान से डरकर कहता हूं, यह जो काम हाथ में लिया है, इसको करेंगे। यह मैं उस राजस्थान के किसान की बहबूदी के लिए कह रहा हूं।

इसमें माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, विशेष तौर से लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जोगाराम जी ने बताया, 10 साल का आपने फरमाया है, तो 10 साल बहुत कम होते हैं। चीफ इंजीनियर बनने में मेरे खयाल से 20-25 साल लग जाते हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस हुए बिना, 10 साल का पीरियड बहुत कम है।

दूसरे जितने भी सुझाव हैं, यह एक्ट है, माननीय सुराणा जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, इन सभी को इन्कार्पोरेट करके जब रूल्स बनेंगे, तो सब बातों का ध्यान रखा जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, डाक्टर फूलचन्द भिण्डा, श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, श्री हरिसिंह रावत, श्री हीरालाल नागर, श्री मानसिंह, श्री कैलाश चौधरी, श्री अमृतलाल, श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य ने राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने एवं प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने वाले एवं प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 25 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 25 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

डाक्टर रामप्रताप, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह बात आज यहां कहने में मुझे बिलकुल संकोच नहीं है, जैसे माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि मुझे स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह जी को याद करना चाहिए, उसी प्रकार मैं कहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां आज के दिन को, इस बिल को निश्चित रूप से आने वाले इतिहास में याद करेंगी। इस बात को हमको सबको ध्यान रखना है।

माननीय सभापति महोदय, पानी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, अब सरस्वती नदी की चर्चा की, माननीय मानिकजी ने भी की; आपने भी की; ये पूजा कराने वाले लोग बहुत बरसों से जो पहला मंत्र बोलते हैं, वह है कि ''सरस्वती तू पंचनद आहा''; सभी पंच नदियां। पंच नदियां कौनसी हैं, पांच नदियां, आप पंजाब के हैं, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम और उसमें सरस्वती का नाम सबसे पहले है। सरस्वती नदी के यथार्थ पर पहला, आजकल हम ज्यादातर चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लेकिन उसको 5,000 साल पहले अंग्रेज मानते हैं और उन्होंने लिखा है, लेकिन एक पुस्तक अभी और आई है जिसमें सरस्वती वैली सभ्यता के बारे में उन्होंने 20,000 साल पुरानी हमारी इसको माना है। उसके किनारे वेदों की रचना हुई, वेदों का गान हुआ। सरस्वती फिर नीचे समाहित हो गई।

इसके बाद वी.एस. वाकणकरजी एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने सरस्वती नदी की खोज प्रारम्भ की। उन्होंने उसका रास्ता खोजा और रास्ता खोजने के बाद में, अब वैज्ञानिक ढंग से हम यह मान गये हैं कि सरस्वती नदी का पानी 3,500 से 5,000 साल पहले का हमारे नीचे उसका प्रवाह है और वह प्रवाह हमारे काम आएगा। यह आपको सोचना है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो आपने कई बात ऐसी उठा दीं जिन बातों पर हमको यहां चर्चा करनी आवश्यक है। राजस्थान में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है, जिसकी हमको आवश्यकता है, तो वह जल है और उस जल में किन-किन लोगों ने सहायता की और किन-किन लोगों ने बाधा पैदा की, यह बहुत सोचने की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी स्थिति क्या है, आज 8 बिलियन घन मीटर पानी का अंतर है हमारे बीच में। वर्ष 2015 तक यह बढ़कर 9 बिलियन घन मीटर हो जाएगा। अन्तरराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार प्रति वर्ष जल की आवश्यकता प्रति व्यक्ति 1,000 घन मीटर है। राजस्थान में 750 घन मीटर जल उपलब्ध है और 2050 तक यह घटकर 450 घन मीटर हो जायेगा। इसका मतलब, वर्ल्ड वार दुनिया में कब होगा पानी के लिए, लेकिन राजस्थान में हो जाएगा। इसलिए इस बिल की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अब जब ये बात कर रहे थे कि पानी के लिए विश्व युद्ध होगा, पानी के लिए विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दक्षिणी अफ्रीका का अगर हम सुनेंगे, सोमालिया का और उसके आसपास के देशों का, तो पिछले दिनों एक घटना की जानकारी आई थी कि एक कुएं से दूसरे गांव के लोगों के द्वारा पानी भरकर ले जाने के बाद में आतंकवादियों ने जाकर 250 लोगों के हाथ काट दिये कि हमारे कुएं से तुम पानी कैसे भरकर लाये। ये शुरू हो गया है साउथ अफ्रीका में।

इसलिए जो पानी के बारे में आज विचार कर रहे हैं, वह बहुत बड़ी बात है और पानी पर विचार करना, आज उसी प्रकार से है, जिस प्रकार गंगा जल पर विचार करना आवश्यक है।

राजस्थान की अगर स्थिति को देखें तो माननीय गंगासिंहजी को हमको धन्यवाद देना पड़ेगा जिनके कारण से हमको यह लूणी बेसिन में, इंडस बेसिन मानकर हमको पानी मिला, लेकिन उसके पहले मैं जो स्थिति है, वह थोड़ी-सी स्पष्ट करना चाहूंगा।

राजस्थान स्टेट में 15 डिफाइन्ड रिवर बेसिन हैं। भारत सरकार ने जो रिवर बेसिन को डिफाइन किया है, राजस्थान में 15 हैं। इनमें सबसे छोटा, पाली वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, सूकली नदी का सबसे छोटा रिवर बेसिन है। आप विराज रहे हैं। सबसे बड़ा लूणी नदी का बेसिन है। ये दो बेसिन हैं। इनके अलावा हमको इन्टरस्टेट मैटर से भी पानी उपलब्ध होता है। उसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमको नोर्थ आफ आउटसाइड बेसिन्स स्कीम्स हैं, इसमें भाखरा, गंग, नोहर, सिद्धमुख, आई जी एन पी (इन्दिरा गांधी नहर), घग्घर, गुड़गांव, भरतपुर कैनाल, यमुना में जो हमारा बेसिन का पानी है, वह, चम्बल रिवर से हमको पानी प्राप्त होता है, माही से और नर्मदा से, ये पानी हमको प्राप्त होते हैं, जो इन्टरस्टेट मैटर के कारण से प्राप्त होते हैं।

अब जो हमारे यहां पानी के जोन बने हुए हैं, उन सारे जोन्स में आज पानी की कमी आ गई। एक पहला जोन भूगर्भवेत्ताओं ने कर रखा है, वह शेखावाटी का जोन है। उस शेखावाटी के जोन में जितनी नदियां थीं, अधिकांश नदियों में पानी का बहना बंद हो गया। उसमें सात जिले आते हैं। अजमेर का 10 प्रतिशत हिस्सा आता है, अलवर का 5 प्रतिशत आता है, चूरू का 11 प्रतिशत आता है, जयपुर का 20 प्रतिशत आता है, झुंझुनूं का 18 प्रतिशत आता है, नागौर का 14 प्रतिशत आता है और सीकर का 30 प्रतिशत आता है। इन सारे में जितनी नदियां बहने वाली थीं, वे सारी नदियां छह से आठ महीने तक बहती थीं, उन नदियों का प्रवाह बंद हो चुका है। वे नदियां अब नहीं बह रही हैं। रींगस में पहले हम बस से आते थे बचपन में, रींगस वाली नदी, ढोढ़सर वाली नदी, ये सारी नदियां बहती थीं। आज वे नदियां नहीं बहतीं। उन नदियों का बहना बंद हो गया।

दूसरा आता है, रूपारेल बेसिन, यह नदी हमारे जो अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर बहती थी और इसके कारण से वहां इंडस सिस्टम से वाटर रिचार्ज था, वह सारा का सारा बंद हो गया। सारे वे तोड़ दिये गये और आज वह रूपारेल नदी का बेसिन भी सूखा हो गया है।

इसके आगे चलते हैं तो बाणगंगा बेसिन आता है। जो बाणगंगा नदी बहकर जाती थी, वह बाणगंगा अलवर में, भरतपुर में, दौसा में, जयपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में बहकर जाती थी। आज बाणगंगा का जो सारा बेसिन है, वह सारा बेसिन भी आज ध्वस्त होकर पानी के बिना है।

फिर गम्भीर बेसिन है। गम्भीर बेसिन भी भरतपुर, दौसा, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर में था। उसका भी सारा का सारा आज बेसिन ड्राई जोन में चला गया है।

इसके बाद प्रभाती बेसिन आता है और प्रभाती बेसिन भी भरतपुर, धौलपुर और करौली में है। वह भी सारा समाप्ति पर है।

साबी बेसिन, साबी नदी का जो बेसिन है अलवर जिले में था। साबी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बांध बना हरियाणा में। वह बांध बनने के बाद में आज तक हम सब बस से आते हुए देखते हैं, एक बूंद भी उस साबी नदी में नहीं आई और साबी का पानी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है।

इसी प्रकार से दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिन हमारा है वह आज बनास का बेसिन है। बनास में अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, जयपुर है, करौली है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, उदयपुर है। यह हमारा बेसिन है बनास नदी का।

इसी प्रकार चंबल का बेसिन आता है दूसरा बड़ा। चंबल बेसिन में हमारे बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक। यह हमारा इस चंबल का बेसिन है।

फिर माही का बेसिन है जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ हैं। साबरमती का जो बेसिन है उसमें डूंगरपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर का इलाका है। फिर लूणी बेसिन है।

ये जो तीन बेसिन बीच में हैं, इनमें अभी पानी है। चंबल के बेसिन में पानी है, माही के बेसिन में पानी है और बनास के बेसिन में पानी है। फिर लूणी बेसिन आई बड़ी, इसमें पानी नहीं है। वैस्ट बनास बेसिन में थोड़ा-बहुत पानी है और सूकली नदी में बिलकुल पानी नहीं है।

यह कुल मिलाकर हमारा जो सारा काम है, जितने पन्द्रह हमारे जो बेसिन हैं, उनमें चार बेसिन को छोड़कर सारे बेसिन का पानी करीब-करीब जो है, इस प्रकार की स्थिति में चला गया है कि वह पानी हमको उपलब्ध नहीं है।

माननीय सदस्य अभी आलोचना कर रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ इस बिल के प्रिएम्बल में लिखा है, और जिसके उद्देश्यों और कारणों में लिखा है, यह वही लिखा है, जो राज्य जल नीति फरवरी, 2010 में कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी। फरवरी, 2010 में जो कांग्रेस पार्टी ने नीति जारी की, वह नीति ही आज हमारे मंत्रीजी यहां लेकर आये हैं। इसमें कहां बात आ गई? इतनी बड़ी बात को कहां प्राधिकरण पर ले गये; कौन उसका अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी; मुख्य मंत्री इसमें हैं तो वह किसमें जाएगा; ये बातें इसकी भावना के अनुरूप नहीं हैं, इनमें सुधार किया जा सकता है और इस बार हो भी सकता है, लेकिन जो हमारे साथ सबसे बड़ी चोट की गई थी, मैं आपको याद दिला दूं कि सतलज, झेलम, सिंधु नदी, तीनों नदियों को पाकिस्तान को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देने का पाप अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। तीनों नदियों को 1960 में अय्यूब खान जी के साथ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने समझौता करके विश्व बैंक की मध्यस्थता में...

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 60 करोड़ पोण्ड मुआवजा और दिया साथ में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ रहा हूं मैं, डाक्टर साहब।

इसलिए कुछ बातें तो समाज और राष्ट्र के साथ गड़बड़ हुई हैं, कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं। जिन बातों को हम कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, हम कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल आपने चालू की, कहते हैं चंबल का प्रोजेक्ट चालू किया, बड़ाई है, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए लेकिन धन्यवाद देना चाहिए महाराजा गंगासिंह जी को, उन्होंने 4.9.1920 को ब्रिटिश सरकार एवं नवाब भावलपुर के बीच में अनुबंध कराकर 1.11 एम ए एफ पानी राजस्थान को दिलाया, जिसके कारण से लूणी नदी को इंडस वाटर सिस्टम में माना गया और हमको वह पानी मिला।

फिर भी एक और चोट की हमारे ऊपर, वह चोट की आपने। शिवचरण जी माथुर साहब जब मुख्य मंत्री थे, इराड़ी कमीशन हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था लेकिन राजीव लोंगोवाल अवार्ड हुआ और 0.6 एम ए एफ पानी हमारा छोड़कर आये। जिस पंजाब को 4 एम ए एफ पानी मिलता था, उसको 5.5 एम ए एफ पानी मिलने लगा। यह सबसे बड़ी चोट दूसरी आपने की।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 0.6 एम ए एफ पानी रफली अगर आप कैलकुलेट करें तो करीबन 800 क्यूसेक्स के बराबर बनता है। आप 800 क्यूसेक्स पानी, और हिन्दुस्तान में किसी भी इंजीनियर से जाकर के पूछ लेना, राजस्थान जैसी जगह दो मुट्ठ मिटी में एक क्यूसेक पानी अगर एक साल तक मिलता है तो एक करोड़ रुपये की पैदा देता है। यानी कि 800 करोड़ रुपये सालाना का घाटा 1982 से लेकर के आज तक करने वाले लोग, और वे आज यहां आकर के इस तरीके से बिहेव करते हैं। यह मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक क्यूसेक पानी 365 दिन मिले किसी किसान को, तो एक करोड़ रुपये से कम की फसल हो जाए, तो मेरे नाक और कान, दोनों काट लेना।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, 82 से लेकर...(व्यवधान)

(श्री गिर्राज सिंह)

हमने बिगाड़ा, कांग्रेस ने, तो उसके बाद में तो इनकी सरकार बीच-बीच में तीन बार रह गई। भैरोंसिंह जी रह गये, दो बार महारानी साहिबा आ गई। तो इस बीच में आपने सुधार क्यों नहीं किया?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह आपके समझ की बाहर की बात है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बीच-बीच में तो आपको करना चाहिए था ना। क्यों नहीं किया?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह आपके समझ के बाहर की बात है। यह आपके समझ में आने वाला नहीं है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय, यहां भाषण देने से कुछ नहीं होगा। अभी पहले आप कुछ करके दिखाओ, तब हम देखेंगे कि आपने क्या करके दिखाया। पहले कुछ करके तो दिखाओ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 0.6 एम ए एफ पर जो साइन करके आये थे, वह राजस्थान का चीफ मिनिस्टर था। कोई चपरासी नहीं था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बाप का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): वो साइन करके आये थे, एम ओ यू था, एग्रीमेंट था, उसकी हमने कद्र की है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन बात को नहीं तोड़ेंगे, जबान को नहीं तोड़ेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अभी दो बिल और हैं। इनको थोड़ा बंद करके हाउस चलाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, फ्लोर माननीय सदस्य के पजेशन में है। इनको बात अपनी पूरी करने दें ना। फ्लोर इनके पजेशन में है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके समझ के बाहर की बात है, आप बैठ जाओ।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री भंवरसिंह)

चाहूंगा कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, हिन्दुस्तान में आपकी सरकार है। तो मंत्री महोदय पंजाब सरकार से राजस्थान के हिस्से का पानी कब लाएंगे? पन्द्रह महीने हो गये हैं आपकी सरकार बने हुए और आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। इनको क्या करना है, ये कर लेंगे। आप विराजें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): कि राजस्थान के हिस्से का हम पानी लाएंगे। आपकी पंजाब में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, लेकिन...

श्री सभापति: सरकार को क्या करना है, सरकार कर लेगी। आप विराजें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आज भी राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब ले रहा है। पंजाब से मंत्री महोदय पानी लाने की यदि ताकत रखते हैं तो हम मानेंगे कि राजस्थान में राजस्थान के नहर मंत्री बने हैं और ये राजस्थान के किसानों का कोई भला करना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अगर इस पर चर्चा करनी हो ना, नियमों में आ जाना और मैं भी बोलता रहूंगा और आप भी बोलना और एक बात का जवाब देकर के चले जाना, 0.17 एम ए एफ जो भादरा को पानी नहीं मिलता, वह पानी आपकी वजह से नहीं मिल रहा है। पानी हमारा है, 0.6 एम ए एफ पानी हमारा है, वह हमें नहीं मिलता है। कहने से क्या होता है? आन रिकार्ड है मेरे पास। मैं अभी दिखा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रिकार्ड है तो दिखाओ ना। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): आप तो बैठ जाओ। जिसकी उस समय उत्पत्ति ही नहीं हुई, वह क्या बात करेगा? 125 क्यूसेक्स पानी आप देकर के आ गये दिल्ली को। यह सारे रिकार्ड में है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) यह आज बिल पारित करवा रहे हों, क्या इससे नदियां जुड़ जाएंगी? आप नदी जोड़ देंगे इन तीन साल में?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह सारे रिकार्ड में है। यह लक्ष्मणगढ़ नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, आन ओथ कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक नदी जुड़ जाए ना, तो इसी सदन में..., एक नदी भी अगर आप तीन साल के इस बाकी समय में जोड़ दो तो आप कहो सो कर लें। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, राजस्थान के हिस्से का पानी आप दिलवायें।

श्री सभापति: इनका अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): राजस्थान का आदमी नदियां जुड़ें, इसकी प्रार्थना करेगा, या नहीं जुड़ें, इसकी प्रार्थना करेगा? यह पूछ तो लो इनसे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजो ना। कृपया सुनो आप। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था।

माननीय सभापति महोदय, किसका कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, यह राजस्थान की जनता का कनेक्शन कट रहा है। यह सारा समझौता हुआ, उसके बाद पंजाब में सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब के पक्ष में प्रस्ताव पास किया और आज हम जब राजस्थान के हित की यहां वकालत करते हैं तो हमारे मित्रों को सहयोग करना चाहिए कि हम सब मिलकर राजस्थान के हिस्से का पानी लेकर आयें। मैं यह प्रस्ताव इसलिए रख रहा हूं यहां पर ...(व्यवधान) आप विराजें। इसलिए यहां जो हमारा मतभेद है, हम उस मतभेद को यहां राजस्थान की जनता के साथ जोड़ें। स्वयं उन्होंने, वे स्वर्गीय हो गये हैं, उन्होंने हमको कहा था कि मेरी बात का विरोध करो आप लोग और हमने विरोध किया था। हम राष्ट्रपतिजी के पास गये थे अस्सी आदमी और राष्ट्रपति के पास जाकर दस्तख्त करके देकर आये थे इराडी कमीशन के बारे में। इसलिए उस बात को समझना चाहिए।

सभापति महोदय, यह जो फैसला हुआ था, वह विश्व बैंक की मध्यस्थता में फैसला हुआ था और एन.डी. गुलाटी ने भारत की ओर से पैरवी की थी। उस पैरवी में हमको जो पानी मिला, वह राजस्थान की लूणी नदी को इंडस बेसिन का हिस्सा मानने के कारण से हमको मिला। जो तीन नदियों का पानी मिला हिन्दुस्तान को, सतलज, रावी और व्यास का, उसमें राजस्थान के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारण से हिस्सा मिला और राजस्थान का हिस्सा रहा। लेकिन राजस्थान के हिस्से को विवादास्पद किसने बनाया? फिर पंजाब का विभाजन हुआ, राजस्थान का विभाजन नहीं हुआ, पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी का विवाद था; राजस्थान के बीच में नहीं था। राजस्थान को जबरदस्ती पार्टी बनाया गया और उसके कारण से हमको नुकसान हुआ। हम सबको मिलकर, मैं भी कहना चाहूंगा कि हम सबको मिल कर आज प्रयत्न करना चाहिए कि राजस्थान के हिस्से का जो पानी है वह पानी हमको प्राप्त हो और उस पानी को प्राप्त करके हम राजस्थान के रेगिस्तान की रक्षा कर सकें। मैं, सभापति महोदय, आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सारा का सारा राजस्थान है, इस सारे राजस्थान का पानी आज बाहर है।

अब इन सारी नदियों को जोड़ने के काम का जो आप बिल लेकर आये हैं, इसमें जो अथोरिटी कायम हो रही है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम तय किया था, उस समय की जो रिपोर्ट आयी थी दुनिया भर की, वह अगर लागू होती तो एक हजार साल तक हिन्दुस्तान में पानी की समस्या पैदा नहीं होती। इसके साथ उन्होंने काम को चालू किया था। मजबूरी थी यू पी ए सरकार की, उसमें जो क्षेत्रीय दल शामिल थे, वे नहीं चाहते थे कि ये किसी न किसी प्रकार से जुड़ें। ये जुड़ने का प्रोग्राम था, ब्रह्मपुत्र और गंगा को मिलाने का प्रोग्राम था।

माननीय सभापति महोदय, ब्रह्मपुत्र, मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में सारी जो नदियां हैं उनका स्त्रीलिंग है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, सब है। हम कहते हैं, 'गंगे च यमुने चवे, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जले अस्मिन सन्निधिंकुरु।' सुबह-सुबह ही कहते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को इसलिए नहीं बोलते कि ब्रह्मपुत्र नग है बाकी सब नदियां हैं और वह नग है, उसमें इतना ज्यादा पानी है जितना हिन्दुस्तान की चार नदियों में मिलकर नहीं है।

इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने की बात थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाद में राजस्थान का, पूरा नोर्थ ही जब जुड़ता, तो राजस्थान का जो सारा क्षेत्र आज है, वह राजस्थान का सारा क्षेत्र उससे सिंचित होता। 2016 तक वह काम पूरा होना था। अगर 2016 तक वह काम पूरा होता तो अन्नपूर्णा राजस्थान हो जाता। राजस्थान अन्नपूर्णा हो सकता था।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं, शकुन्तलाजी, बताना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा नाम कैसे पड़ा। अन्नपूर्णा नाम पड़ा पार्वती और शंकर के कारण से। शंकरजी ब्याह करने गये थे, तो उनके ससुर थे हिमालय, तो उन्होंने कहा कि कंवर साहब, थोड़ी देर बाद में खाना मिलेगा, थोड़ा ज्यादा खायेंगे। तो शंकर उनको प्रसन्न करने के लिए खाने लगे, कि कम खाऊंगा तो ससुर नाराज हो जाएंगे, पर शंकर जी जब खाने लगे तो इतना खाने लगे कि वह सारा माल ही समाप्त होने लगा। तो फिर पार्वतीजी आईं और उसने अपने हाथ से प्रेम से उनको एक ग्रास खिला दिया। शंकरजी ने ज्यों ही पार्वतीजी के हाथ से ग्रास खाया तो शंकरजी का पेट भर गया। तो तब से पार्वती का नाम अन्नपूर्णा हो गया।

तो अगर यह सारा पार्वती बेसिन हमारा सारा पानी आ जाता, वहां से हिमालय का, तो राजस्थान अन्नपूर्णा बन जाता। अन्नपूर्णा भण्डार बनकर सारे देश में गोरस का, सारी चीजों की बात करके, वह अन्नपूर्णा करता। हम बोलते हैं, 'अन्नपूर्णा सद्पूर्णा शंकर: प्राणवल्लभी, ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम्, भिक्षाम् देहीमे पार्वती', हम आज जो भी खाते हैं वह पार्वती माता के कारण से खाते हैं। तो यह राजस्थान को अन्नपूर्णा भण्डार और भारत माता को अन्नपूर्णा बनाने का जो कार्यक्रम था, वह श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयजीजी ने शुरू किया था, वह रुका। अब भी मैं चाहता हूं कि राजस्थान अकेला प्रदेश, कितना बड़ा क्षेत्र हमारा सूखा पड़ा है, उसमें अगर पानी आता है तो राजस्थान अकेला हिन्दुस्तान की प्यास बुझा सकता है, अन्नपूर्णा बन सकता है; अनाज का भण्डार बन सकता है; सारा भण्डार भर सकता है।

इसलिए नदियों की जोड़ने की योजना आवश्यक है। हमारा तो यह सौभाग्य होना चाहिए कि पहला कानून हम लेकर आये हैं इस देश में और ये कानून लेकर आ रहे हैं, हम अथोरिटी बना रहे हैं। इस कानून के साथ-साथ हमको यह भी करना चाहिए कि हमको जो और मिलने वाला पानी है, मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने तय किया हुआ है कि नरौरा के पास हरिद्वार के आगे कट लगाकर गंगा के फ्लड वाटर को एस वाई एल में डाल कर चक्रवर्ती और जवाहर कैनाल, जो हरियाणा में हैं, जो राजस्थान के झुंझुनूं के पास, ये पिलानी वाले और हमारे सुन्दर लालजी बैठे हैं, इनके पास दस्तक देती हैं, वह बहना बंद हो गया। पानी नीचे जा रहा है। स्वर्गीय शीशरामजी भी कहा करते थे, जब तक जवाहर कैनाल और चक्रवर्ती कैनाल से सतलज-यमुना लिंक कैनाल में इसका गंगा का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पानी डालकर शेखावाटी के क्षेत्र में नहीं लाएंगे, तब तक सारा शेखावाटी का इलाका, जो वीर पैदा करता है, वह अन्न भी पैदा करेगा, सेना के जवान भी पैदा करेगा और उद्योगपतियों का भी निर्माण करेगा। आज वह पानी के बिना सूखा है। यह एक्ट उस तरफ हमको लेकर जाएगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये ढूंढाढ़ का जो प्रदेश था, वह हरा-भरा प्रदेश था। आज जयपुर के आस-पास सूखा हो गया। आज रामगढ़ का बांध सूखा है; सारे बांध सूखे हैं। स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे, तब ताजेवाला और ओखला के हैडवर्क्स से यह यमुना का जो हमारा हिस्सा था, वह हिस्सा आने वाला था, वह यमुना का हमारा हिस्सा रुक गया। वह यमुना का जो हमारा हिस्सा था, वह आएगा ताजेवाला, गोरधन ड्रेन से, ताजेवाला और ओखला के हैडवर्क्स से। तो ये अलवर जिला, भरतपुर जिला, जयपुर जिले का हिस्सा और चूरू और झुंझुनूं के कुछ हिस्से में यमुना का पानी भी आएगा। तो यमुना के बेसिन में भी हमारा अधिकार है क्योंकि चम्बल जो हमारी नदियों में जाकर मिलती है, तो दो थ्योरी चलती थी दुनिया में, राइपेरियन थ्योरी और बेसिन थ्योरी। राइपेरियन थ्योरी का अर्थ था कि जिसमें जहां बहती है। आप देखिये, झेलम नदी जिसने तबाही मचाई है अभी कश्मीर में, अब कश्मीर में तबाही मचाई, वह तबाही तो हमारे यहां मचाती है और सारा का सारा पानी पाकिस्तान में जाता है। सिन्धु के दर्शन करने के लिए लद्दाख के अन्दर जाकर हम खड़े होते हैं और सिन्धु की पूजा करते हैं कि यह सिन्धु जिसके नाम से हिन्दू नाम बना, वह सिन्धु नदी का सारा का सारा पानी पाकिस्तान चला जाता है।

तो हम इतनी बड़ी ऐतिहासिक भूल कर गये। अब उन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का एक समय है।

इसलिए हमको समय को याद करना चाहिए, इस बिल का समर्थन करना चाहिए और राजस्थान के पन्द्रह क्षेत्र हैं इनको करना चाहिए।

आज का यह दिन, अभी चर्चा कर रहे थे, भागीरथ की चर्चा, इन्होंने की थी हमारे केसारामजी ने। मैं तुलना नहीं करता किसी की। मजाक में हमने कह दिया होगा। रामप्रतापजी हैं, राम के प्रताप सब हैं। हम भी सब राम के ही प्रताप से हैं। इसलिए कोई ज्यादा आपकी बड़ाई नहीं की है। लेकिन वह अपनी कहावत मैंने कही थी कि 'घी सुधारे खीचड़ी और नाम बहु को होये।' तो मुख्य मंत्रीजी ने काम किया होगा तो घी तो वे होंगी, लेकिन पेश आप कर रहे हैं, तो बहू आप हैं। तो बहू का भी नाम तो होगा ही न। इसलिए बिल पेश करने वाले का हमने नाम किया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हमको यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमको यमुना का पानी मिले; हमको गंगा का फ्लड वाटर प्राप्त हो; हमको सतलज, रावी, व्यास में हमारा जो पानी बचा है वह प्राप्त हो; हमको नर्मदा से जो पानी मिल रहा है वह पूरा पानी मिले; वह जालौर और बाड़मेर तक जाये, हमारा वह काम पूरा हो; चम्बल के कैचमेंट में जो-जो बांध मध्य प्रदेश ने बनाये हैं उस पानी को भी हम लाने का प्रयत्न करें और चम्बल का हमको पूरा पानी मिले। इस प्रकार से इन सारी बाहर की नदियों का पानी, फिर हमारा जो वाटर संरक्षण यहां का है, इन नदियों के जो-जो ये क्षेत्र हैं पन्द्रह, इनमें जो नदियां बहती थीं, उन नदियों का पूरा सर्वे कराया जाना चाहिए। हमने झील संरक्षण का बिल अभी पास किया है, उन सारी नदियों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और वे नदियां किस कारण से रुकी हैं, वो रोके हुए कारण को समाप्त करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए।

हमारे सामने दस वर्ष ज्यादा नहीं हैं, गोविन्द सिंहजी। दस वर्ष ऐसे कामों में लगते हैं। भागीरथ को तपस्या करके गंगा लाने में बहुत समय लगा था। उस समय ही लग गया था, आज कम लगेगा, लेकिन 10 साल लगें, 5 साल

(19.00 बजे)

साल लगें, बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत से सारे राजस्थान को हम शस्य श्यामला बना सकें, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करने चाहिये और पूरे सदन को इसका समर्थन करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ): घनश्यामजी ने बात कही...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठे दो मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जब से सदन आहूत हुआ है, 100 से अधिक माननीय सदस्यों ने अलग-अलग नियमों के माध्यम से अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों की बात यहां उठाई। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात को लेकर दो-तीन बार बहिर्गमन भी किया। हमारी मुख्य मंत्रीजी लगातार केन्द्रीय सरकार के सम्पर्क में हैं। अभी-अभी माननीय आपदा राहत मंत्री महोदय को केन्द्रीय सरकार ने जो एस डी आर के नोर्म्स में कुछ बदलाव किया है, उसकी सूचना मिली है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं चाहूंगा कि अगर आपकी अनुमति हो, और मैं आपसे भी कहूंगा कि अच्छा रहे, सदन को सूचित कर दें, क्योंकि आपके लम्बे समय की मेहनत रंग लाई है और राजस्थान के किसानों को एक राहत और सुकून का ऐसा मौका मिला। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस बात को सदन के माध्यम से राजस्थान की अवाम को कह दें।

श्री सभापति: माननीय राहत मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

आपदा राहत नियमों में परिवर्तन

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मुझे आज यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी है कि एक लम्बे समय की इंतजारी के बाद आपदा राहत के नार्म्स में राजस्थान की इस आपदा के कारण, 28 फरवरी, 1 और 2 को जो आफत आई, उसके बाद 14, 15, 16 को जिस प्रकार की ओलावृष्टि और बारिश हुई और अभी और, इस महीने के अंत में और पहली तारीख को हुई, उसको लेकर सदन में आप सभी सदस्यों ने बार-बार इस विषय को उठाया कि राजस्थान का किसान बरबाद हो गया और इस कारण से जो नोर्म्स अब तक बने हुए हैं, उनके आधार पर जो कुछ मदद भी मिलेगी, उससे शायद किसान की पूर्ति नहीं हो पायेगी।

मैंने बार-बार इस बात को कहा, पहले दिन जब मैंने जवाब दिया तो मैंने कहा कि 15 दिन में मैं गिरदावरी पूरी कर लूंगा। उसके बाद जब सैकंड खराबा हुआ तो मैंने कहा कि मैं 28 तारीख तक राजस्थान की सारी गिरदावरी पूरी करूंगा। मुख्य मंत्रीजी के लगातार प्रयास के कारण से हमने मेमोरेंडम बनाकर 31 तारीख को, यहां से मेमोरेंडम बनाकर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली के वित मंत्री स्वयं यहां आ गये, गृह मंत्री यहां आये, कृषि मंत्री यहां आये, उनकी टीमें आईं, फील्ड को देखा।

हमने उसके आधार पर अपने नोर्म्स में, जो आप सब लोगों की बराबर मांग होती थी कि इस नोर्म्स को बदला जाये, जिसके कारण से किसान को वास्तव में राहत मिल सके। सबसे बड़ा बदलाव, अगर मैं कह सकता हूं, जो 50 परसेंट से अधिक खराबे पर राहत मिलती थी, वह अब केवल 33 परसेंट से अधिक पर मिलेगी। हम लोगों ने मांग 25 प्रतिशत से अधिक की की थी लेकिन 25 से नहीं होकर 33 प्रतिशत से अधिक जिस किसान का भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

खराबा हुआ, उस किसान को मदद मिलेगी। मैं सोचता हूं कि इतनी लम्बी इंतजारी के बाद और इतनी लम्बी मेहनत करने के बाद, मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से और हमारे मेमोरेंडम के आधार पर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के आपदा राहत के नियमों में जो परिवर्तन हुआ, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजस्थान के इन एफर्ट्स को जाता है जिसके कारण से 33 प्रतिशत से अधिक खराबा जिस किसान का भी हुआ, उसको आपदा राहत के तहत यह मदद मिलेगी।

मुझे एक बात और कहते हुए प्रसन्नता है कि सामान्यत: जब कभी भी कोई निर्णय होता है तो आगे की तारीख से होता है, अप्रैल से होता। हमारे आग्रह को मानकर उन्होंने फरवरी और मार्च में भी जो नुकसान हुआ है, उसको भी इसके तहत उन्होंने समाहित कर दिया और इसके कारण से राजस्थान के सभी किसानों को मदद मिल सकेगी।

इसके साथ ही, हमारे यहां जो नोर्म्स थे 4,500 रुपया प्रति हैक्टेयर असिंचित जमीन का, उसकी जगह अब 6,800 रुपये मिलेगा। जो सिंचित क्षेत्र है उसमें पहले 9,000 रुपया प्रति हैक्टेयर था, उसकी जगह 13,500 रुपये प्रति हैक्टेयर मिलेगा। जिनमें डीजल पम्प से सिंचाई होती है उसमें जो 12,000 रुपये प्रति हैक्टेयर था, उसकी जगह 18,000 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मिलेगा।

यही नहीं, बार-बार जो एक मांग उठती थी कि यह लघु और सीमांत कृषक नहीं, सम्पूर्ण किसान को जो पहले एक हैक्टेयर था, अब कोई लघु, सीमांत, कोई अलग-अलग श्रेणी नहीं; दो हैक्टेयर तक प्रत्येक किसान को मदद मिलेगी।

मानव क्षति की दृष्टि से यद्यपि मुख्य मंत्रीजी ने अपने सहयोग के आधार पर पहले हमें आपदा राहत में जो 1.5 मिलता था, उसको उन्होंने अपनी तरफ से मिलाकर 3 लाख किया। अब इस आपदा राहत में ही मानव क्षति को 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के रूप में मिलेगा।

पहले जिनको शारीरिक क्षति 40 से 80 परसेंट होती थी उसमें 43,500 था। अब केवल 40 से लेकर 60 प्रतिशत भी अगर किसी मानव को किसी अंग का नुकसान हुआ है तो उसको 59,100 रुपया प्रति व्यक्ति मिलेगा। 80 प्रतिशत से अधिक जिनकी क्षति हुई थी उनको पहले नोर्म्स था 62 हजार का, अब उसको 2 लाख रुपये मिलेगा। यह भी 60 प्रतिशत और उससे ऊपर वाले, सबको मिलेगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जीवन यापन के लिए जो हम मदद करते थे 40 रुपया बड़े व्यक्ति को और 30 रुपया छोटे व्यक्ति को, इसको भी उन्होंने बढ़ाकर, वयस्क को 40 से बढाकर 60 रुपये और छोटे को 45 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मदद की जा सकेगी।

पशु क्षति की दृष्टि से पहले जो दुधारू पशु था उसमें 16,400 था, अब इसकी जगह एक पशु का 30 हजार रुपया प्रति पशु के हिसाब से किया। पहले एक पशु को ही मिलता था, अब तीन दुधारू पशु तक एक किसान को मिलेगा।

जो छोटे पशु थे भेड़ और ये, जिनको केवल 1,650 रुपया प्रति पशु मिलता था और अधिकतम चार भेड़ें थीं, उसकी जगह 3,000 रुपया प्रति छोटे पशु और 30 पशु तक इसमें राहत मिलेगी।

यह ऊंट और बाकी जो जानवर हैं, उनमें जो बड़ा है उसको पहले 15 हजार मिलता था, अब 25 हजार रुपया और तीन पशु तक का मिलेगा।

दूसरे छोटे पशु गधे और बाकी हैं, उनको पहले 10 हजार रुपया मिलता था और वह केवल 2 पशु का था, अब 6 पशु तक का उसको मिल सकेगा।

सबसे बड़ा गौशाला, गौशाला के लिए आपने भाषण तो खूब दिये और हमारे को जितना कोसना था वह कोस डाला, लेकिन हमने प्रयत्न करने में कोई कमी नहीं रखी। मैंने पहले दिन से आपको आश्वस्त किया कि हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोडेंगे, प्रयत्न करेंगे। आपके अब तक के पचास साल के राज में गौशालाओं का अनुदान 50 रुपया प्रति बड़े पशु का था, अब बड़े पशु को 70 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गौशाला को मिलेगा। छोटे पशु को जो 25 रुपये मिलता था, उसकी जगह 35 रुपये प्रतिदिन मिलेगा।

जिसके पक्के मकान का नुकसान हुआ है उसको 70 हजार रुपये देते थे, अब उसको 95 हजार एक सौ रुपया प्रति मकान के हिसाब से मिलेगा। जो कच्चा मकान है, जिसमें पूर्ण क्षति हुई है, उसका पहले 17,600 था, अब उसको भी 95 हजार एक सौ रुपया मिलेगा। कच्चे और पक्के में कोई फर्क नहीं रखा। आंशिक क्षति जिसके मकान में हुई है, पहले पक्के मकान को 3,800 मिलता था, अब 5,200 मिलेगा। कच्चे मकान में पहले 2,300 मिलता था, अब 3,200 रुपया मिलेगा। इसके अलावा भी कई और परिवर्तन इसमें हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से, केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि पहली बार इतने वर्षों में राजस्थान का किसान जिस बात

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के लिए आशा लगाकर बैठा था ...(व्यवधान) मैं सोचता हूं कि यह शायद 50-60 साल की पहली उपलब्धि होगी कि कोई नुकसान किसान का हो जाये और उसका एक महीने के अन्दर-अन्दर, सारे नोर्म्स में परिवर्तन होकर, उस किसान को मदद करने की कोई घोषणा करे। शायद यह चमत्कार पहली बार हुआ होगा कि इतने कम समय में इतना अधिक किसान को देने का केन्द्र सरकार ने हमारे नोर्म्स में बदलाव किया।

मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं कि जिनको हमने पहले 50 प्रतिशत से अधिक खराबे के हिसाब से पैसा बांट दिया, अब वह 33 परसेंट से अधिक का, यह जो नये नोर्म्स आये हैं, उनको अगर हमने पहले 4,500 दे दिया तो अब जो रेट आई है उस रेट से उसकी जो कमी खामी रही है, उसकी हम पूर्ति करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने जो पैकेज दिया है, मंत्री महोदय ने घोषणा की है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं है। यह तो सूचना थी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम इसका स्वागत करते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह सूचना है।(व्यवधान) सदन में सूचना के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केन्द्र सरकार ने दिया है ... (व्यवधान) क्या हम धन्यवाद नहीं दे सकते?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सरकार द्वारा दी गई सूचना पर कोई बहस नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान के हित में जो चीज कही गयी है, आप बात ही नहीं सुन सकते। ऐसा क्या हो गया? इतना क्या घमण्ड हो गया? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम यह कहना चाह रहे हैं, हमारी भी बात सुनें। (व्यवधान) हमारा प्रतिपक्ष भी, जो भी माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा है, केन्द्र सरकार ने, प्रधान मंत्रीजी ने किसान को इस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आफत में रिलीफ दी है, उसका हम सब भी स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं; किसान के आंसू पोछने का आपका और हमारा, दोनों का दायित्व था, लेकिन मैं निवेदन करूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आ गई ना, लेकिन क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर केन्द्र सरकार राज्य सरकार को विशेष पैकेज देती...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पाइंट आफ इन्फोर्मेशन ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो इसमें कवर नहीं है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन को सूचना दे दी, लेकिन काहे का...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हुआ। (व्यवधान) श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं एक बात भूल गया। 90 दिन की जो हमारी सीमा थी, विशेषकर पशु शिविरों के बारे में, उसको सीमा बढ़ाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को अधिकृत कर दिया है। जितना उनको टोटल पैसा मिलेगा, उसका 25 प्रतिशत पैसा उन गौशालाओं के लिए, उनको अनुदान के लिए सरकार खर्च कर सकेगी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 1 अप्रैल से छूट करने का था...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह तो हमने कर दिया, वह तो हमने आदेश ही जारी कर दिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): शुरू नहीं हुए अभी तक। आप इसको शुरू कराओ ना। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: जोगारामजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमने राज्य सरकार के भरोसे भी, यह तो हमें मिल गया, नहीं मिलता तो भी हमने 1 अप्रैल से कैम्प वहां पर लगाने की ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): शुरू नहीं हुए। शुरू कराओ, साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): शुरू तो वे करेंगे। मैं थोड़े करूंगा यहां से जाकर।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अभी तक फील्ड में शुरू नहीं हुए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, एक प्रस्ताव ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक प्रस्ताव आज केन्द्र सरकार को, आदरणीय प्रधान मंत्रीजी को इस सदन की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। (व्यवधान) सबकी ओर से एक धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासराजी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सुन लें

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सुन लें (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। कल मैंने मार्केटिंग बिल पर चर्चा करते समय एक मांग की थी कि गेहूं का दाना बदरंग हो गया और फेयर एवरेज क्वालिटी का बहाना लगाकर एफ सी आई नहीं खरीद रहा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)
आज मैंने अख़बार में पढ़ा है। प्रधान मंत्रीजी ने चार राज्यों के प्रपोजल्स पर नोर्म्स में छूट दे दी और राजस्थान से प्रपोजल मांगा है। जल्दी भेजें। यह भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो गई।

श्री सभापतिः श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बैठो। बैठो। कटारिया साहब, विराजो। कटारिया साहब, मंत्री महोदय।

श्री सभापतिः माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपनी बात कहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। जिस तरीके से आपदा मंत्री ने, राजस्थान में भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी किसान के सामने, इस भयंकर ओलावृष्टि की वजह से, भयंकर बरसात की वजह से, किसान की फसलें बिलकुल चौपट हो गईं। मैंने कल ही निवेदन किया था कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर, आपने दो हैक्टेयर का फरमाया यह बहुत अच्छी बात है। दो हैक्टेयर का, उनका जितना नुकसान हुआ है, उसको कहीं न कहीं भरपाई होगी। लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान में, चाहे बीकानेर सम्भाग की बात करो, चाहे जोधपुर सम्भाग की बात करो, इसमें ज्यादा है। हमारे बीकानेर के अन्दर 50 हजार ट्यूबवैल हैं, उसमें करीब दो लाख परिवार उन ट्यूबवैल पर पलते हैं। अभी पीछे पहले हफ्ते में जो बरसात और ओलावृष्टि हुई, मैं उस इलाके में दो-तीन दिन, 20-20 दिन पहले जो बरसात हुई उस इलाके में नुकसान कम हुआ था, उसमें मेरा यह निवेदन है कि पिछले वीक में अति भयंकर ओलावृष्टि की वजह से पूरा का पूरा चोपट हो गया। आज गेंहू की फसल भी नहीं बची। मैथी, जीरा, ईसबगोल, चना, सरसों का पूरा का पूरा नुकसान हो गया। एक ट्यूबवैल पर कम से कम 30-35 बीघा जमीन, हैक्टेयर की अपन करें तो करीब 8-9 हैक्टेयर के करीब जमीन जोती हुई है। अब कोई आधा किलो दाना भी उसमें नहीं निकला।

उसमें मेरा निवेदन यह है कि आपने लघु, सीमांत वह राइडर हटा दिया, लेकिन उस दो हैक्टेयर के हिसाब से अपन उसको मुआवजा देंगे तो दो हैक्टेयर के अन्दर करीब 15 हजार रुपये के हिसाब से, साढ़े बारह सिंचित इलाके का है,

(19.15 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

उसमें 15-17 हजार रूपये के हिसाब से भी अपन करें...(व्यवधान)...साढ़े तेरह हजार रूपये के हिसाब से करें तो करीब एक लाख रूपये उसका मुआवजा होता

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

है। उसके एक कुएं पर, एक ट्यूबवैल पर एवरेज करें तो एक किसान की 10 लाख रुपये की फसल नष्ट हुई है। (व्यवधान)

मेरा उसमें यह निवेदन है कि उसमें और, अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान को स्पेशल पैकेज, जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर में दिया गया था, उसी हिसाब से राजस्थान को एक स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है। मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार में यह निवेदन किया जाए कि राजस्थान को स्पेशल पैकेज देकर उस किसान को उचित मुआवजा दिया जाए।

श्री सभापतिः श्रीमान् राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, दो परिवार सम्मिलित हैं। उनके खाते अलग-अलग नहीं हैं। उनका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कहां अंधेरे में हो? (व्यवधान) क्या बैठ जाओ? आपके खेत तो नहीं हैं। जबरदस्ती कर रहे हो। जानते कुछ हो नहीं, बैठ जाओ। हम खेती करने वाले हैं। ज्वाइंट खाता जिनका ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपसे मेरे ज्यादा ही हैं...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो छोटे किसान हैं, उनको मिलेगा। बड़े किसान को एक पैसा नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): और नुकसान भी ज्यादा हुआ है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो हैक्टेयर के 27 हजार रुपये मिलेंगे। (व्यवधान) जिनके खाते सीर में हैं उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सपना है, सपना दो-चार दिन में दिखा देंगे। सबको मालूम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापतिः श्री राव राजेन्द्र सिंहजी। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपका कोई प्रमोशन हो रहा है? (व्यवधान) किसान के बारे में कुछ जानते हो नहीं।

श्री सभापतिः विराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सही बात कह रहा हूं, कहने नहीं दे रहे

(श्री श्रवण कुमार)

हों। अभी घनश्यामजी ने बताया था, नदियों को जोड़ेंगे। जोड़ो ना। कहां से जोड़ेंगे? सब लुप्त हो गईं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। आपस में चर्चा नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बातें करते रहते हैं।

श्री सभापति: विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नदियों को कहां से जोड़ेंगे? सब लुप्त हो गईं। आपने कह दिया, ब्रह्मपुत्र। कहां हैं नदियां? नदियां सारी लुप्त हो गईं। किसको जोड़ेंगे? 100 साल में नहीं...(व्यवधान) 15 लाख आदमियों की भर्ती ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो। कोशिश करेंगे। आप विराजो। (व्यवधान) श्रीमान राव साहब। सुनिए अब।

विधेयक का पारण

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस नामजद अलंकरण से यह बिल पेश हुआ है, उसको हम वाटर रिसोर्स प्लानिंग की बात कहते हैं। आदरणीय, मैं स्मरण कराना चाहूंगा, क्या कारण है कि बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशंस, हम मोहनजोदडो ले लें, हडप्पा ले लें, रोमन एम्पायर ले लें, ये सिविलाइजेशंस क्रेश क्यों हुई? यह सिविलाइजेशंस खतम क्यों हुई? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स में एक सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स था, जो जीव को जीवनी देता था, उन्होंने अपना वाटर मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं किया। आज जब आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया वाले इस प्रकार की सिविलाइजेशन और सिटीज का एक्सकवेशन करते हैं, तो उनको मिलता है, एक रास्ते, एक स्ट्रीट में, एक दर्जन कुएं खुदे हुए हैं। ओवर एक्सप्लायटेशन आफ जब नेचुरल रिसोर्स होगा तो सिविलाइजेशन के अस्तित्व का खतरा पैदा होता है। यह एक मात्र कारण है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के अन्दर हर जीव, वनस्पति, जीव में मैं पक्षी और जानवर तक को सम्मिलित कर रहा हूं, हमने कहीं न कहीं उसको प्रोटेक्शन दिया है, उसको संरक्षण दिया है।

आज राजस्थान के इस प्रदेश में, यह आपका और हमारा सौभाग्य है कि जिस नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता होती है, जीवन के यापन को अग्रेहित

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करने के लिए, अगर धरा नहीं हो तो जल भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जल ही काम कर रहा होता, तो समुद्र में भी प्रोडक्शन होता। जल अपने आप में माध्यम हो सकता है, लेकिन धरा का होना अति आवश्यक है। यह राजस्थान का सौभाग्य है कि भारत राष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा धरा है तो वह राजस्थान प्रदेश में है।

इसी वजह से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर पूरे के पूरे राष्ट्र में, भारत राष्ट्र में जब पानी बरसता है और पानी जब बरसता है तो पानी की संख्या और तादाद कितनी होती है। मैं नेशनल वाटर ग्रिड की उस स्टेटिस्टिक्स का उल्लेख करना चाहूंगा। आदरणीय, भारत की धरा पर, भारत राष्ट्र की धरा पर, 1,869 स्कवायर किलोमीटर पानी नदियों से बहता है। मीटर की बात नहीं कर रहा, 1,869 क्यूबिक किलोमीटर पानी नदियों से बहता है। आज इस 21वीं शताब्दी के इनोवेटिव सांइटिफिक दशक में हम कितना पानी टैप कर रहे हैं, 550 क्यूबिक किलोमीटर। यानी 1,200 क्यूबिक किलोमीटर पानी या तो खारा बन जाता है, किसी न किसी समुद्र में जाकर। यह जब पानी जाता है तो कई जगहों को तबाह करता हुआ जाता है।

मैंने धरा की बात इसलिए की कि धरा नहीं होगी, तो उपज कहां से आएगी।

आदरणीय, पिछली बार भी जब बजट सैशन का समापन हो रहा था तो मैंने एक छोटा-सा आंकड़ा पेश किया था। हमारा पड़ोसी देश है चाइना। आप ब्रह्मपुत्र की बात करवा रहे थे, इस ब्रह्मपुत्र को रोकने का भी वह षड्यंत्र कर रहा है। जो ठीक ऊपर वह डैम्स बना रहा है, चाइना ने तकरीबन 1.3 मिलियन पीपल की पापुलेशन को उस एरिया से बाहर किया है। उसका यह कार्य न तो राइपेरियन राइट्स से रुकेगा और न ही वह आपके ह्यूमन राइट्स को कहीं तवज्जोह देगा।

इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि उनकी तुलना में हमारा पर-कैपिटा कंजम्प्शन आज की तारीख में क्या है। आने वाले वर्षों में, 2050 तक हमें किस प्रकार के पर-कैपिटा कंजम्प्शन के लिए फूड ग्रेन की आवश्यकता होगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारा पर-कैपिटा कंजम्प्शन चाइना की तुलना में 500 ग्राम है, चाइना एक हजार ग्राम पर है। अगर इसको हम बढ़ा कर 800 ग्राम कर देते हैं, मैं पूरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूं, 800 ग्राम कर देते हैं, तो आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उस जमीन की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आवश्यकता पड़ेगी जिस जमीन का उपयोग करके आप उस पर फसल उगाकर खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर सकें। आदरणीय, अगर इसको 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम ले जाएंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, 130 मिलियन हेक्टेयर की। 130 मिलियन हैक्टेयर भूमि की और आवश्यकता पड़ेगी। वह भूमि जहां उपलब्ध है, उसका नाम है राजस्थान।

आज जब हम बात करते हैं कि पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी की आवश्यकता के साथ-साथ अगर हमने पानी का आदर नहीं किया, तो यह पानी भी एक दिन आपके और हमारे लिए अभिशाप के रूप में होगा। आज, जहां खेती होती थी, जहां फसलें लहलहाती थीं, आज आपका वह जोन एरिड जोन में आ गया। आपके इसरो ने यह बात कह दी कि धीरे-धीरे जो रेगिस्तान है, वह जयपुर की तरफ खिसक रहा है। इस रेगिस्तान को अगर हमें रोकना है तो रेगिस्तान में पेयजल की व्यवस्था करने के साथ-साथ रेगिस्तान को उत्पादन की शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और एक मात्र अगर वह शक्ति है तो वह जल की है।

इसलिए यह बात, जो आपने भी फरमाई और जिस बात का संकोच हमारे प्रतिद्वंदी और हमारे प्रतिपक्षी कर रहे थे, आदरणीय, यह बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन, मंत्री महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो इस बात का उल्लेख कर लूं? हमने 2015 से लगाकर 2019 का प्लान तैयार कर लिया, सरस्वती बेसिन का, और 6,887 करोड़ का यह प्लान है, जिसका स्वरूप तैयार होकर लागू होने के कगार पर है। इस प्लान की अगर कोई कापी देखना चाहे तो निओ सैटेलाइट से इसका जी.पी.आर.एस. से लेकर, सर्वे लेकर, जो पेलियो चैनल, उस तक कर लिया। जब मैं कल बात कर रहा था कि कच्छ के रण से अरेबियन सागर को सांचौर से लेते हुए हम बाड़मेर, जैसलमेर तक ला सकते हैं, तो पेलियो चैनल से जब सरस्वती को आप जीवित कर देंगे तो यही सरस्वती वापस अरब सागर में चली जाएगी। यह आपके राजस्थान की लाइफलाइन नहीं, इस भारत की लाइफलाइन बन जाएगी। किसी जमाने में जब स्वेज कैनाल की बात करते थे, तो जब स्वेज कैनाल के अन्दर नेविगेशन चालू हुआ तो वहां की पूरी इकोनोमिक्स बदल गयी। वहां के पूरे के पूरे सिविलाइजेशन की इकोनोमिक्स बदल गयी।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कतर एक छोटा-सा देश है, कतर के अन्दर औसत रेन-फाल 72 एम.एम. है। उसकी तुलना में ब्राजील देश है,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

औसत रेन-फाल 1,537 एम.एम. है। कतर, जिस वक्त आयल नहीं हुआ था, कतर की पापुलेशन 17 हजार थी, आज कतर की पापुलेशन 1.7 मिलियन है। कतर कर क्या रहा है; अपने तेल के दोहन से तेल वहां नहीं खर्च करता, वह समुद्र के खारे पानी को सूर्य की किरण से..., डिसेलिनाइज करने वाले जो फिल्टर प्लांट हैं, उसको डीजल और आयल से नहीं चलाता जिससे आपकी और हमारी मोटर गाड़ियां चलती हैं। उनके थर्मल प्लांट नहीं चलते हैं; वह सौर ऊर्जा से खारे पानी को फिल्टर करके अपने लोगों को पिलाता है। आपको मालूम है, वहां का पर-कैपिटा पानी का कंजम्प्शन क्या है? 432 एल.पी.डी. पर -कैपिटा, पर-इंडिविजुअल, संसार में सबसे ज्यादा कंजम्प्शन। यह परिवर्तन सिर्फ 1936 से लगाकर 2005 के बीच में हुआ। कतर जैसा देश, जिसके पास में अपनी सिविलाइजेशन के नाम पर जनजातियों को नोमेड्स के नाम से मानते थे, वहां हर जाति की एक अलग लिंग्विस्टिक डाइलेक्ट है। क्योंकि वे एक जगह रहते ही नहीं थे, जहां पानी मिला, वहां चले जाते थे। उनके डाइलेक्ट में ही फर्क था।

इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला लूणी से आने वाले माननीय सदस्य दे रहे थे, आदरणीय, 2009 में मार्कण्डेय काटजू जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने उस वक्त की केन्द्र की सरकार, यू.पी.ए. सरकार के उस एफिडेविट को ठुकरा दिया था। यह टसल तो थी, वह केस तो उड़ीसा और आंध्र के बीच का था, लेकिन जब उड़ीसा और आंध्र के बीच के वाटर डिस्प्यूट का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उन्होंने कहा, यह किसी एक प्रदेश या दो प्रदेशों का मामला नहीं है। जब पानी का, पेयजल का मामला आता है, तो यह हमारे फंडामेंटल राइट्स पर केन्द्रित होता है। Right to life, and confirming the right to life, गवर्नमेंट आफ इंडिया के मोरल कांस्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। इसलिये उन्होंने यह कहा था कि हम यह चाहते हैं कि आर्य भट्ट के देश में साइंटिफिक इनोवेशन से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? जब उस जमाने में यह सम्भव था, तो आज इतने संसाधन होने के बाद में भी क्यों नहीं हो सकता? जब हाई पावर कमेटी की बात पर एफिडेविट पेश हुआ कि जल संसाधन के मंत्री महोदय उसको चेयर करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया और यह कहा कि जल संसाधन के ही मंत्री नहीं होंगे, साइंस एंड टेक्नोलाजी के मंत्री भी होंगे और हर दो महीने बाद, अगले महीने की 20 तारीख को इस चीज की मानिटरिंग होगी कि आपने इसके बारे में क्या किया। तब जाकर इन्होंने उस एन.डी.ए. की फाइल, जो उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री के समय रिवर्स को

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लिंक करने की बात कही थी, उस फाइल को मजबूरन उनको इस वजह से निकालना पड़ा। इसके बाद तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया।

लेकिन मैं यह फिर पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से हम काम करेंगे? या इस राजस्थान प्रदेश के प्रतिनिधि होने के नाते क्या आपका और हमारा सबका सामूहिक दायित्व नहीं बनता कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमानपूर्वक, स्वावलम्बन की व्यवस्था के साथ में, उसको इस प्रदेश में जीवन व्यतीत करने के लिए वे सारे संसाधन उपलब्ध करवाएं जिससे वह अपना जीवन यापन भी स्वाभिमानपूर्वक कर सके? अगर वह किसान है तो उस किसान को उतना पर्याप्त पानी मिले कि उस पानी से खेती भी करे, अपने पशुओं को भी पाले और बच्चों को भी पाल-पोस कर बड़ा करके पढ़ाये और इस राजस्थान की धरा का एक-एक कण अन्नदाता के स्वरूप में, अन्नपूर्णा के माध्यम से, इस देश के बाकी भागों में भी जाए।

आज अगर कोई मूल भावना है, इसके अन्दर त्रुटियां हो सकती हैं, इसका ग्रामर हो सकता है गलत, इस चीज के क्लाजेज में गड़बड़ हो सकती है, इसमें कहीं कुछ और शुद्धि की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसकी आत्मा पवित्र है और जिसकी आत्मा पवित्र है, वहां परमात्मा निवास करता है और परमात्मा निवास करता है तो, माननीय सभापति महोदय, वहां गंगा भी आती है, यमुना भी आती है, सरस्वती भी आती है, गोदावरी भी आती है और सबका देवता ब्रह्मपुत्र भी आता है। इसलिए मैं सम्मान के साथ में इस सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर पानी की बात आती है, वहां तर्पण की बात आती है; जहां पानी की बात आती है, वहां चरणामृत की बात आती है और जब चरणामृत की बात आती है तो दिल के उस सदैव भाव की आती है।

इसलिए सामूहिक रूप से हम इस बिल का स्वागत करें और ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि जिस राजस्थान को मरु धरती कहा जाता था, उस राजस्थान को हरी धरती के नाम से पुकारा जाए। हरियाणा हो सकता है, पंजाब हो सकता है, लेकिन बात तो तब हो जब हरियाणा और पंजाब मिलकर भी राजस्थान का सामना न कर सकें। यह हमारी इसके बीच में भावना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी, कुछ कहेंगे? कह चुके वैसे तो आप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अब कोई बाकी रह गया क्या?

श्री सभापति: अपनी जगह पर जाइए। नहीं, बाकी कुछ नहीं है। मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, अपने स्थान पर जाइए। यह बाकी है। विराजिए आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 पारित किया गया।

श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दोनों इकट्ठा हो जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं एक प्रार्थना कर रहा था कि समय काफी हो गया और दो बड़े महत्वपूर्ण बिल, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 और राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर आप इसमें जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं, उनकी सूची को देखें तो इसमें तीन के अलावा लगभग सब समान ही हैं, एक ही हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो इनको अलग-अलग इंट्रोड्यूज करवाकर और इनमें विचार व्यक्त करने के लिए जब माननीय सदस्य खड़े हों तो दोनों पर एक साथ विचार व्यक्त कर दें, माननीय मंत्रीजी दोनों का एक साथ उत्तर कर दें। पारण की स्टेज पर आप अलग-अलग पारण करवा दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हालांकि रूल्स में कुछ और लिखा है पर आपके पास तो अधिकार है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि समय को देखते हुए, कल भी, माननीय सभापति महोदय, विलम्ब हो गया था। अगर आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें तो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वैसे भी एक ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, यह प्रार्थना ही है। मेरा आग्रह है, सिर्फ प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका कहना ठीक है, आपकी जगह में होता तो मैं भी यही कहता लेकिन मेरी जगह पर आप होते तो यही करते जो मैं कह रहा हूं। हमारे नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि दोनों बिल, फाइनेंस बिल और जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, उनकी अलग स्थिति है और इन बिलों की अलग

(श्री सभापति)

स्थिति है। इनके क्लाजेज अलग हैं, इसलिए अलग-अलग होगा, लेकिन मैं समय की सीमा तय कर देता हूं और ज्यादा समय इस पर नहीं मिलेगा सब माननीय सदस्यों को। संक्षिप्त होगा, समय सीमा में होगा। इसलिए जब आपको पहली घंटी बज जाए, या पहली बार रोकने के लिए कहें, तो उसके एक-दो मिनट के बाद जो बोलने वाले सदस्य हैं, वे अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री राजपाल सिंहजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री मदन राठौड़। संक्षेप में कहेंगे। माननीय सदस्य, इसमें बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप लम्बा-चौड़ा काम करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, तीन-तीन मिनट मत दो, पांच मिनट दे दो, बस। हां, पांच मिनट दे दो।

श्री सभापति: चलिये, पांच मिनट दे देते हैं। आपकी स्वीकार है। पांच मिनट में समाप्त करना है। बोलिये माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पांच मिनट में?

श्री सभापति: जी हां, पांच मिनट में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, हमारी ही सरकार पहले भी यह बिल लेकर आयी थी 2006 में। बहुत एक, अपन सब जानते हैं, समाज में कई क्षेत्रों में लोग जहां कहीं पर भी थूक देते थे, कहीं पर भी पोस्टर लगा देते थे। कहीं पर भी खड़े-खड़े कोई पेशाब भी कर लेते थे। यह सारा एक सम्पत्ति विरूपण, यानी उसको बदरंग करने का यह प्रयास लोग कर देते थे। कई बाहरी देशों के लोग भी हमारे हिन्दुस्तान में आते हैं, तो बड़ा भद्दा प्रदर्शन लगता है और इसको ठीक करने के लिए, जनता में इस प्रकार का

(श्री मदन राठौड़)

स्वभाव बने, जब अब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी भी चाहते हैं कि हिन्दुस्तान स्वच्छ रहे, साफ रहे, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े; ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी हम 2006 में यह विधेयक लाये थे और उसमें जो प्रावधान रखे थे वे थोड़े कम थे। दंड इतना कम था कि लोग उसको गम्भीरता से लेते ही नहीं थे तो इस बार प्रावधान बढ़ाया है कि दंड यह जब हम महसूस करेंगे कि दंड का प्रावधान बढ़ाया है तो एक-दो व्यक्ति को यदि दंड मिलेगा तो बाकी लोग भी जब यह महसूस करेंगे कि यह दंड मिलता है, पेनल्टी लगती है, जेल जाना पड़ता है, तब सावधान रहेंगे और भविष्य में इस प्रकार की गलती करेंगे नहीं। तो ऐसा इन्होंने यह प्रावधान रखा है।

यदि प्रथम अपराध कोई व्यक्ति करे, खड़ा-खड़ा पेशाब कर ले, थूक दे, या कहीं पर स्याही से कुछ लिख दे, दीवारों पर कुछ भी अपना नारा लगा दे, कुछ भी कर दे, तो यह विरूपण होता है उस सम्पत्ति का। मतलब, पहला अपराध करे तो एक वर्ष तक की सज़ा या फिर पांच हजार रुपया से अधिक जुर्माना। यानी, पांच हजार कम से कम है, पांच हजार से दस हजार तक जुर्माना या फिर दोनों सज़ा उसको मिलें। ठीक इसी प्रकार से यदि दुबारा यही गलती कर ले, तो फिर उसको दो वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान रखा है और दस हजार से बीस हजार तक का दंड का प्रावधान रखा है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

इसलिए अब निश्चित रूप से जो पहले अभ्यास था गांवों में कि कहीं पर भी, शहरों में, नगरीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में है यह। बाकी आप चिंता मत करो, बाड़मेर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य। नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार की है कि यह...,

अब इसमें मैं वह भी बोल देता हूं, जो मैंने संशोधन दिया था... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोल लो, जो बोलना हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): संशोधन मैंने यह दिया था कि बहुत अधिक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पांच मिनट में जो भी बोलना हो, वह बोल सकते हो। आपको छूट है पूरी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, तो मुझे बाद में मौका मिलेगा?

श्री सभापति: देख लेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी देर में तो मैं कह ही देता।

श्री सभापति: हां, तो कह ही दो, जो कहना है, वह।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने जो संशोधन दिया था कि जहां पर एक वर्ष की सज़ा का प्रावधान रखा है, पहली बार कोई खड़ा-खड़ा पेशाब कर ले, तो मैंने कहा कि उसको एक वर्ष की जगह दो माह कर दो। पहले एक माह था, अब यह दो माह कर लो। और, जो पांच हजार का दंड का प्रावधान रखा है, मैंने कहा, उसको आप एक हजार कर लो और दस हजार तक का है तो उसको पांच हजार कर लो।

ये मैंने दो-तीन संशोधन दिये थे। संशोधन तो, मैं जनता हूं, स्वीकार नहीं होंगे।

जन मत जानने का जो मैंने प्रस्ताव किया था, उसको वापस लेने के लिए अनुमति चाहूंगा।

श्री सभापति: बैठिए। विराजिए। धन्यवाद।

श्री जोगारामजी पटेल। आपके लायक तो यह है नहीं वैसे भी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं अपना यह जो टाइम है वह अगले एक्ट के लिए रिजर्व रखते हुए अपने प्रस्ताव को विथड्रा करता हूं। तो मेरे को उस वक्त दस मिनट मिल जाएंगे।

श्री सभापति: विराजिए। ठीक है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री हीरालाल नागर।

श्री गोविंद सिंह डोटासरा।

श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सदन का मूड भी हमेशा सेंस करना चाहिये वक्ता को।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, हां, बिलकुल।

चूंकि यह नया विधेयक नहीं है, संशोधन विधेयक है; 2006 में इसी सदन में यह विधेयक पारित किया था और अब जब संशोधन विधेयक आ रहा है तो सज़ा और जुर्माने में बदलाव का प्रावधान तय किया है। सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके स्वरूप को बिगाड़ेगा, कहीं पेशाब करेगा,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

या कहीं थूकेगा। इस सदन में हम इस विधेयक को पारित तो कर देंगे, माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी पर उल्टा पड़े ना पड़े। आज तो आप बच सकते हो, लेकिन जब मंत्री नहीं रहोगे, यह विधेयक आप पर जरूर उल्टा पड़ेगा।

श्री सभापति: इसके लिए तो बिल ही लाया गया है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी कानून से बंधे हुए हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सार्वजनिक जीवन में अनुशासन लाने के उद्देश्य से, साफ-सफाई के उद्देश्य से, यह बिल ठीक हो सकता है लेकिन हमें इसके व्यावहारिक पक्षों में जाना पड़ेगा। सड़क पर कोई पेशाब कर रहा है, पहली बार में हम उसको एक साल की सज़ा, दूसरी बार में दो साल की सज़ा। सड़क पर गंदगी कर रहा है, माननीय सभापति महोदय, शहर में होली जलती है तो सड़क पर पेशाब करने से ज्यादा गंदगी हो जाती है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? होली का ठूंठ गड़ता है तो सड़क पर गड्ढा कर दिया जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्वयं नगर निगम इस बारे में विचार करें।

म्यूनिसिपेलिटी का एक्ट लाने से पहले, आज गांव का मजदूर जो पलायन करके शहरों में आता है, सर्दियों में भी वह डिवाइडर उसका आसरा होता है। धरती की गोद और आसमान की छत। आप जब रैन-बसेरे बनाते हो, पूरे राजस्थान में मुझे एक भी रैन-बसेरा बता दो जिसके साथ आप शौचालय बनाते हो। रात को सोते समय वह उठकर पेशाब करने के लिए निकलता है। वह रोज निकलेगा और दो बार में उसको पकड़ लिया तो वह एक बार में एक साल के लिए सज़ा में जाएगा और दूसरी बार में दो साल के लिए जाएगा। यह कानून पास होगा। मुझे कुछ नहीं कहना। एक ही रात में दो बार चला जाएगा।

तो हमको यह डिफाइन करना चाहिये कि जो हेरिटेज महत्व की बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, कोई ऐतिहासिक स्मारक है, उनके स्वरूप को बिगाड़े और सामान्य प्रवृत्ति के बारे में, मेला लगता है नगरपालिकाओं का, कहीं तेजाजी का मेला लगता है, कहीं पाबूजी का लगता है, कोटा में दशहरा मेला लगता है; दो-दो लाख लोग उनमें आते हैं। म्यूनिसिपेलिटीज उनके लिए सार्वजनिक शौचालय का प्रबन्ध नहीं करती है। वह गांव से आने वाला व्यक्ति शहर में जो रहता है, माननीय सभापति महोदय, वह अपने घर में बाथरूम कर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लेगा, लेकिन मेले में जो गांव से व्यक्ति आएगा, वह सड़क के किनारे बाथरूम करेगा और उठाकर पुलिस कहेगी, तुमने अपराध कर दिया और दूसरी बार अगर वह पकड़ा गया तो फिर उस पर पांच हजार का जुर्माना। तो पेशाब सड़क पर करने के लिए, उसको मेले में आने के लिए रखकर लाना पड़ेगा।

हम राजस्थान में इस सदन में जो कानून बना रहे हैं, कानून बनाते समय व्यावहारिक पक्षों को नजरअंदाज करके नहीं चलें। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन लाने के लिए कानून-सम्मत तरीके से समाज और व्यवस्था चले। ट्रैफिक के सिपाही, जो मोटर साइकिलों का चालान बनाते हैं, मेलों में खड़े हो जाएंगे। पेशाब करने वालों की गर्दन पकड़-पकड़कर लूटने के लिए। हम वैसा कानून लाएं जो व्यावहारिक हो, जिससे लोगों को न्याय दिला सकें। इसीलिए चूंकि समय पांच मिनट का है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए, विधेयक चूंकि पुराना है, अब समाप्त नहीं किया जा सकता, संशोधन है। इसलिए मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापतिः डा. फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदयजी, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2015 का जो संशोधन लाया गया है...

श्री सभापतिः ये दो काम जो इन्होंने बताये हैं, उनके अलावा कोई काम हो तो करना।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हां बिलकुल। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन नरेन्द्र मोदीजी का जो सपना है और उन्होंने जो स्वच्छता का अभियान चलाया है, उसमें ये बातें बहुत जरूरी भी हैं। जो विधेयक लाया गया है, इसका जो संशोधन है, इसमें बिलकुल होना चाहिये। लेकिन यह जो सज़ा का प्रावधान इसमें इतना बढ़ा दिया, सज़ा अगर पहली बार में पांच हजार रुपये और उसको दोनों सजाएं। ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति शहर में आएगा और उसको पता भी नहीं होगा और वह सीधे पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जेल के अन्दर डाल देंगे। तो उस गांव

(श्री कैलाश चौधरी)

से आने वाले कई अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं, जिनको कइयों को पता नहीं हो तो यह जो सज़ा का प्रावधान किया है, वह बहुत ज्यादा किया है।

जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान जो पोस्टर, वगैरह लगाते हैं, उनके लिए तो प्रतिबन्ध हो। दूसरा, जो ऐसे कोई मंदिर या सार्वजनिक...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह बातें आ चुकी हैं, माननीय सदस्य। जो बातें आ गयीं, उनको नहीं दोहराएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उसका आप चयन कर सकते हैं।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सज़ा का जो प्रावधान है, उसको थोड़ा कम करें और इसके लिए जगह-जगह सूचना जरूर नगरपालिका या जो नगर निगम है, वह हर जगह इसकी सूचना जरूर लिखें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को यह पता नहीं होगा। हर जगह यह अलग से लिखा हुआ होना चाहिये कि यह अगर आप गुनाह करेंगे तो इसकी आपको इतनी सज़ा मिलेगी। यह भी नगरपालिका का दायित्व बने। यही है।

जन मत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसको मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सम्पत्ति तो है, मेले में नहीं है, जैसा आपने बोला। मेले, वगैरह में वहां नहीं है।

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आप में योग्यता है, परन्तु अभी योग्यता का प्रदर्शन केवल राजपाल सिंहजी को ही करना है।

श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कहा है, जो सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष तक और जुर्माना 5 हजार से 20 हजार किया है, इस प्रावधान को कम से कम करें। जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि एक हजार रुपये और दो माह की सज़ा।

आप यह कानून लाने से पहले इसका सर्वे करवाते कि शहरों में कितने किलोमीटर पर, या नगरपालिकाओं में कितने किलोमीटर पर कितने शौचालय हैं, कितने पीकदान हैं। तो यह भी इस कानून को लाने से पहले सर्वे

(श्री रमेश)

करवाते और घनी आबादी में जिस रेशो के हिसाब से आप पीकदान की बात कर रहे हां, आप शौचालय की बात कर रहे हों, वे हैं ही नहीं। तो एक तरह से यह अवैध वसूली का रास्ता हो जाएगा। चाहे जिसको पुलिस वाले पकड़ेंगे कि तूने यह जुर्म किया है। यह कानून बन गया तो एक तरह से लूट-खसोट का रास्ता खुल जाएगा। इसी प्रकार पुरातत्व महत्व के स्थान पर भी इस तरह की व्यवस्था है।

आप यह कड़ा कानून ले आये। वहां पर आपके गार्ड, वगैरह लगा रखे हैं, वे सोते रहते हैं। आपके सी.सी. कैमरे बंद पड़े हुए हैं। इस तरह की जो व्यवस्था पर्यटन की दृष्टि से लाने का विचार कर रहे हैं, तो इस पर एक सर्वे करवाएं।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप यह जो कानून लाये हैं, शहरों में लाये हैं, नगरपालिका तक लायें। गांवों में भी पुरा-महत्व के किले हैं, गढ़ हैं, हवेलियां हैं। तो उनके बारे में बतायें कि उनकी कैसे रक्षा होगी? लोगों ने जो उनका मूल स्वरूप था, उसको तोड़ दिया। कहीं उन्होंने होटल बना दिये, कहीं रिसोर्ट बना दिये। तो इस बारे में भी, वहां पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो यह सरकार इस बारे में भी सोचे।

जो हमने जन मत जानने के लिए विधेयक को दो माह के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है, उसको किया जावे। धन्यवाद।

हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है।

श्री सभापतिः धन्यवाद, रमेशजी।

प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान)

नाम नहीं है इसमें। थर्ड वाचन पर बोलना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सुनें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2006 की धारा 3(1) में जो संशोधन 2015 लाया गया, माननीय सभापति महोदय, आप सब जानते हैं, राजस्थान की हेरिटेज वेल्यू है, राजस्थान की ट्यूरिज्म वर्थ है। राजस्थान के अन्दर, जिस प्रकार पूरे हिन्दुस्तान में भी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

स्वच्छता अभियान चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। इस दिशा में इस देश को बहुत आगे जाना है।

2006 के अन्दर जो हम कानून लेकर आये और जिस कानून के अन्दर हमने एक महीने तक का कारावास और 100 रुपये तक दण्ड का प्रावधान किया था, उस प्रावधान के द्वारा इस दिशा में जो हम काम करना चाहते थे उसका डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, आप जहां भी जाएं, जयपुर में जाएं, किसी भी शहर की सड़कों पर जाएं, लोगों ने मकान की दीवार नहीं, मोन्यूमेंट्स नहीं, किसी बिजली के खम्भे को नहीं छोड़ा, किसी टेलीफोन के खम्भे को नहीं छोड़ा। आप वहां जाएं, कोई कम्पनी का लिखा मिलेगा, किसी कोचिंग सेंटर का मिलेगा; कालीचरण सराफ को वोट दो, यह लिखा मिलेगा; युवा नेता का नाम कालीचरण सराफ है, यह नारा लिखा मिलेगा। जयपुर शहर और राजस्थान के सारे इलाके ...

श्री सभापतिः यह गलत विज्ञापनों पर भी आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं, सर?

श्री सभापतिः युवा नेता कालीचरण सराफ को वोट दो, यह गलत जो विज्ञापन हैं, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं होगी?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उन पर बिलकुल कार्यवाही करेंगे।

इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, समय ने कर दी।

श्री सभापतिः जी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): युवा नेता कालीचरण सराफ को वोट दो, इस पर कार्यवाही तो समय के थपेड़ों ने कर दी। अब सर पर बाल नहीं हैं, सभापति महोदय, यहां सुनाई में दिक्कत, मुंह में पूरे दांत नहीं। इसलिए अब यह ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसमें साबित भी इन्हीं को करना पड़ेगा कि मैंने नहीं लिखवाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब उसकी परिभाषा बदल गयी है, अब इनको जवान कहते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं उम्र की परिभाषा बता दूं क्या जरा?

श्री सभापति: हां, बताओ। सुनो, मंत्रीजी, एक मिनट इनकी भी सुन लो। राजपाल सिंह जी, विराजो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बैठ जाऊं, साहब?

श्री सभापति: हां।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक आदमी तब तक जवान रहता है जब तक वह फील नहीं करता। जब तक वह फील करता रहता है, जवान ही रहता है। हमारे कालीचरणजी जवान फील करते हैं, इसलिए कालीचरण जी जवान ही रहेंगे। एक महिला जब दिखती है, एक मिनट, एक मिनट, सर, पूरी बात ...

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मेरे बारे में कोई बात हो और इनका कोई कमेंट नहीं आये, यह सम्भव है क्या? इसलिए कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जवान फील करते हैं, इसलिए जवान ही रहेंगे। महिला तब जवान फील नहीं करती, जब वह दिखती नहीं है ऐसी।

श्री सभापति: आप पुरुषों तक ही सीमित रहो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दिखती नहीं है।

श्री सभापति: आप पुरुषों तक सीमित रहिये। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, इतना डिटेलडेस्क्रिप्शन तो आज से पहले किसी चलचित्र में भी नहीं आया।

श्री सभापति: यह राजस्थान विधान सभा का अहो-भाग्य है।(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): समय जा रहा है। (व्यवधान) टाइम बांधा था और यह टाइम दूसरा जा रहा है।

श्री सभापति: यह आपके टाइम में से ही कट रहा है। जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 2006 के अधिनियम में इस प्रकार की 100 रुपये तक की और एक महीने तक की सज़ा के प्रावधान होने के बावजूद जो डिजायरेबल रिजल्ट्स आने चाहिए थे, वे डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आये। इसलिए इस दिशा के अन्दर इस पनिशमेंट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कैसे बनाया जाए। हम आस-पास के जितने भी प्रदेशों को देखेंगे तो वहां इसी प्रकार के पेनल्टी प्रोविजन्स हैं और हमारे पेनल्टी प्रोविजन्स बहुत लीनीएंट थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरांचल के लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में दस हजार रुपये तक का पहली बार में ही, पंजाब लोक सम्पत्ति में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। कर्नाटक खुले स्थान विरूपण निवारण अधिनियम के अन्दर, चाहे महाराष्ट्र सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अन्दर, और दिल्ली सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में तो 50 हजार रुपये हैं, एक साल की सज़ा के साथ में 50 हजार रुपये जुर्माना, और गोवा के अन्दर भी उसी प्रकार का स्ट्रिंजेंट कानून है। मैं समझता हूं, इसमें परिवर्तन करने के बाद में जिस दिशा में हम काम करना चाहते हैं, उस दिशा में डिजायरेबल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे।

जिसकी चिंता अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने की है, मैं समझता हूं, उसके लिए अवेयरनेस कैम्प हैं। इसके लिए इसको पापुलराइज करने की बात करेंगे, जगह-जगह पर इस बात के पब्लिसाइज करने की कोशिश करेंगे, इस बात की अवेकनिंग पैदा करने की कोशिश करेंगे कि विरूपण अगर किया ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जगह-जगह लिखोगे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप जगह-जगह लिखोगे तो आपके खिलाफ भी हो जाएगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लिखने से कोई मनाही नहीं है। लिखने से पहले एप्रोप्रिएट अथोरिटी से परमिशन लें। उसके बाद में आप, मदन जी, नाम लिखना चाहें, लिखवाना चाहें पाली में अपना, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है।

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको ध्यान नहीं है कि माननीय मंत्रीजी को पक्ष-विपक्ष की ज्यादा चिंता नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए हम एक पापुलराइजेशन कैम्पेन चलायेंगे, अवेकनिंग का कैम्पेन चलायेंगे और इस कैम्पेन के बाद में जनता को, आपको जो चिंता है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी और जानकारी के अभाव में वे अपराध कर सकते हैं, तो जानकारी के अभाव में अपराध कारित करें, ऐसी सम्भावना नहीं बने, इसके लिए हम महीने भर का कैम्पेन चलायेंगे। कैम्पेन चलाने के बाद में, जब अवेयरनैस पूरी हो जाएगी, तब, मैं समझता हूं, इस परिवर्तन के साथ में वे सब रिजल्ट आ पायेंगे जिस रिजल्ट को मन में रखते हुए हम 2006 में इस कानून को लाये थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा तो एक प्रश्न था कि बोलते समय अगर कागज का निरूपण हो जाए तो क्या होगा?

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापतिजी।

श्री सभापति: अब नहीं। विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री मदन राठौड़, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड-2 । श्री मदन राठौड़।

हो गया। वापस ले लिया था। मूव ही नहीं किया। मूव नहीं किया न आपने?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ना, मूव नहीं किया।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंहजी।

विधेयक का पारण

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो।

श्री सभापति: बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 सरकार लेकर के आयी है। हमने इसको जन मत जानने का प्रस्ताव भी दिया है।

श्री सभापति: जन मत का नहीं, अब तो पारित का ही है। थर्ड स्टेज है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, वह तो कर ही दिया आपने। 'हां पक्ष' जीत ही गया।

मैं इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा कि 2006 में यह कानून बना। कानून बनाया, भावना अच्छी थी लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब आप इसका जो फाइन है वह बढ़ा रहे हैं, पहले कम था। था तो सही, कानून तो अस्तित्व में था, लेकिन 2006 से अब तक कितने प्रकरण हैं जिनमें आपने कोई जुर्माना किया? कानून बनाना अलग बात है, अच्छी बात है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज हमारे प्रदेश में, देश में इतने कानून हैं, इतने कानून हैं कि नया कानून किसी विषय पर लाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज आप देखिये कि पालीथिन की थैली है, कानून बना हुआ है, बिक्री नहीं हो सकती; आप कहीं भी चले जाइये, जयपुर में किसी ठेले पर चले जाइये, किसी दुकान पर चले जाइये, आपको मिल जाएगी। गुटका प्रतिबंधित किया, कानून बनाया, आज कहीं भी गुटका ले लीजिए। पहले शामिल में मिलता था अब दो पाउच मिलती है, दो रुपये ज्यादा लगता है। आराम से इजी है, दोनों को मिलाओ और खाओ, मस्ती से अपना काम करो।

तीसरा, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान, कानून बनाया, बहुत अच्छा है, कितने फाइन किये? कितना यहां पर वह कानून लागू हुआ? आज भी चाहे बस स्टैंड पर देख लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, लोग धूम्रपान करते हैं।

जहां पर चुनावों में आचार संहिता आती है, चुनाव आचार संहिता के अन्दर हमारा पैसा तय है कि इतना पैसा लगना चाहिए, चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित है। हम कितने करोड़ों रुपये खर्च कर-करके यहां आते हैं। क्या उस कानून की पालना हो रही है? नहीं हो रही है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, यह आप मत कहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या?

श्री सभापति: बोलिये। बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पैसे तो लगते ही हैं न। जो कानून बना हुआ है, लिंगदोह कमेटी ने...

(20.00 बजे)

श्री सभापति: आपके तो उतने ही लगे हैं न, जितने चुनाव आयोग ने कहे हैं? उतने ही लगे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लगे हैं, लेकिन जो चुनाव में खर्चा हो रहा है, वह तो सबको पता है न। यहां कहने में क्या दिक्कत आ रही है?

श्री सभापति: दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम पारदर्शिता का भी कानून लाये, जवाबदेही का भी कानून लाये, लेकिन उनको यह ब्यूरोक्रेट इम्पलीमेंट कहां करते हैं। कोई इम्प्लीमेंट

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं करता है। लिंगदोह कमेटी ने कहा था कि छात्र संघ के चुनाव इस-इस आधार पर होने चाहिए; ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां जो प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हुए, बाहर हुए, किस तरह से हुए?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून बना, नियम निकाला सरकार ने कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है वह अपना नाम लिखेगा, जो भी पम्पलेट छपेंगे। छप रहे हैं क्या? दुनिया भर के छप रहे हैं। किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले का नाम नहीं है।

कानून यह भी बना कि जो शादी का कार्ड छपायेंगे, उस शादी के कार्ड पर डेट आफ बर्थ होगी, लड़के की और लड़की की। मैं आपको कितने ही बता दूं, आपके, हमारे परिवारों में जो आते हैं, हमें निमंत्रण देकर के। मैं समझता हूं कि कोई महीने, 20 दिन तक तो किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले ने लिखे होंगे। आज एक भी कार्ड पर डेट आफ बर्थ न तो लड़के की है और न लड़की की है।

आज जितने कानून हैं, हमारे प्रधान मंत्रीजी तो यह कह रहे हैं कि 1,700 कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं है। 700 कानूनों को तो उन्होंने चिह्नित ही कर लिया है। आज हम बार-बार वही कानून ला रहे हैं।

इसमें मेरा एक ही सब्मिशन है लास्ट में कि कानून हम बना रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वे लागू हों, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए जो राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में जो हमने फाइन किया है, जो पहले से कानून था, उसमें आपने कोई कार्यवाही नहीं की, तो कम से कम मेहरबानी करके यह जब कानून बन जाये, उसके बाद में उसके ऊपर लागू होना चाहिए। उसके आधार पर कार्यवाही होगी, तब तो हमारी जो विरासत है, हमारे जो सार्वजनिक प्लेस हैं, हमारे जो निजी मकान हैं, वे गंदे होने से बचेंगे...

श्री सभापति: विराजें। विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं तो नहीं बचेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो कानून आप पारित करा रहे हैं, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन सख्ताई से हो, तब जाकर इस कानून की मंशा पूरी होगी।

श्री सभापति: श्री मोहनलालजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सम्पत्ति विरूपण जो अधिनियम ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो अधिकारी हैं, वे इस कानून को निश्चित रूप से लागू करके लोगों के ऊपर जुर्माना करेंगे जब तक आप जुर्माना नहीं करेंगे, तब तक इस कानून की भावना जो है, उसको लागू नहीं किया जा सकता है। अब पोस्टर लगाया। पोस्टर लगाने के बाद में उसमें किसी ने उसको विरूपित कर दिया, रूपित कर दिया। विरूपित और रूपित दोनों की परिभाषा क्या है? जैसे अभी कालीचरणजी ने 67वां जन्म दिवस मनाया और किसी ने उसको 27 कर दिया। तो फिर वह क्या होगा? मैं समझता हूं कि रूपण और विरूपण दोनों की परिभाषा निश्चित रूप से परिभाषित होनी चाहिए, यह किसके ऊपर लागू होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कालीचरणजी की उम्र का इस बिल से क्या सम्बन्ध है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत सम्बन्ध है। रूपण और विरूपण से सम्बन्ध है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय राजपाल जी देंगे अपने जवाब में।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मंत्रीजी से भी मैं कहना चाहूंगा एक बात, कि एक बार पंडितजी के पास में एक मां अपने बेटे को लेकर के गयी कि बैंगन खाने के क्या-क्या दुर्गुण होते हैं। एक मिनट, सर।

श्री सभापति: पंडितजी के पास नहीं लेकर गयी थी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसलिए लेकर गयी कि आपने कहा था। पंडितजी ने कहा कि 7 दिन बाद में आना।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही में गम्भीरता रखें। विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं गम्भीरतापूर्वक बात कर रहा हूं, सर।

पंडितजी ने कहा कि मैं 7 दिन बाद में बताऊंगा कि बैंगन के दुर्गुण क्या हैं। 7 दिन तक उन्होंने बैंगन खाना छोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने बताया कि इसके दुर्गुण क्या हैं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जो बिल रख रहे हैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय, उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे अपना गुटखा कृपया छोड़ें। आज ही इस बात की घोषणा करें। चूंकि बिल उन्होंने पेश किया है, राजपाल सिंह शेखावत इस बिल पर नाम है, इसलिए वे खुद छोड़ें। दूसरे तभी प्रेरित होंगे। अन्यथा लोग आपकी बात को फालो नहीं करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में आज भी पूरी आप चारदीवारी में चले जाइए, सब जगह ब्लैक एंड व्हाइट में नाम हैं। एक ही तरह से नाम हैं सारे जयपुर में। न इंग्लिश में हैं। एक ही तरह से नाम हैं। जयपुर का कलर भी पिंक है। एम.आई. रोड का जो कलर है वह सफेद है; उदयपुर का रंग सफेद है। बूंदी, जैसलमेर, सब जगह के रंग अपने-अपने अलग-अलग रखे हुए हैं।

जब पुराने समय में, राजा-महाराजाओं के समय में, जब डेमोक्रेसी नहीं आई थी, तभी हमारे शहरों को सुन्दर, स्वच्छ रखने का अभियान चला हुआ था। आज जब डेमोक्रेसी आ गयी, कानून बन गये, कानून के तहत इतनी प्रकार की पेनल्टी लगनी चालू हो गयी। यह 2006 में पास हुआ, उसके पहले ही म्यूनिसिपल एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान हैं। यह सम्पत्ति विरूपण के, पोस्टर नहीं लगाने के, गंदगी नहीं करने के, पेशाब, इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करने के, प्रावधान हैं। जब तक इस एक्ट की भावना के अनुरूप अधिकारी इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक इस एक्ट को पास करना, या न करना, हमारे लिए बेमानी हो जाएगा।

बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। इस कानून को लाने के पीछे मकसद यही है कि हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, मोदी जी ने जो चलाया है, उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत सारे ट्यूरिस्ट स्पाट, सारी हेरिटेज प्रोपर्टी, सारे शहर साफ रहें। अब पेशाबघरों में क्या लगा हुआ है...

श्री सभापति: विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पोस्टर लगे हुए हैं। कितने गंदे-गंदे पोस्टर लगे हुए हैं। हम क्या सोच सकते हैं कि कितने गंदे पोस्टर लगे हुए हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत लम्बा बोलने का भी जुर्माना है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): लिफ्ट में गंदी-गंदी बातें लिखी हुई हैं। आखिर इन सब चीजों को हम जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के लोग हैं वे सोचते नहीं हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो। उनके खिलाफ सरकार के अधिकारी कार्यवाही करें।

इसके तहत मैं यह प्रस्तावना भी करता हूं कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में ये गंदे पोस्टर लगेंगे, जिसके यहां सम्पत्ति का विरूपण होगा, जिनके यहां सार्वजनिक मूत्रालयों पर गंदी चीजें लगी होंगी और जो शहर को खराब करेंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्यवाही हो। इस प्रकार की प्रस्तावना करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये, मोहन लालजी।

श्री सुखरामजी। अब कोई नहीं बोलेगा। लास्ट वक्ता, सुखरामजी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, यह कानून 2006 में बना। इस कानून के पीछे अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की, तभी यह कानून लागू हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सार्वजनिक बाथरूम में, टायलेट में इस तरह के नारे और चित्र लगे हुए होते हैं, या हाथों से लिख देते हैं कि परिवार के साथ कहीं भी जाना असम्भव होता है। लिफ्ट में किसी के बारे में लिख दिया। कहीं भी लिख दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कानून में पहले एक महीना और 100 रुपये, फिर पुनरावृति पर 200 रुपये। पहले 2006 में भाजपा ने ही इस कानून को बनाया, वापस ये बना रहे हैं। 2 साल और 10 से 20 हजार तक जुर्माना, यह बहुत भारी प्रावधान है। गांव का एक अनपढ़ आदमी या सामान्य पढ़ा-लिखा लड़का अगर कहीं भी किसी तरह की बात लिख देता है, पोस्टर चिपका देता है, तो पुलिस जिसको प्रताड़ित करना चाहती है, जिसको दंडित करना चाहती है, वह इस कानून की आड़ में आराम से कर सकती है। जैसे कि पहले धूम्रपान के लिए स्कूलों से 200 मीटर की दूरी पर अपराध था। पुलिस वाले जिसका चाहते, उस दुकान मालिक का चालान कर देते; जिसका चाहते, उसका नहीं करते।

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब देंगे। विराजें। बातें आ गयीं आपकी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): धन्यवाद।

श्री सभापति: आ गयी बातें।

मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह 2006 में लाये गये विधेयक और आज इस अमेंडमेंट के बारे में मौलिक रूप से किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। केवल एक चिंता व्यक्त की गयी है कि जो शहर में नहीं रहता, वह अगर शहर में आया और उसे इस विधेयक के बारे में जानकारी नहीं हुई, तो तकलीफ में फंस सकता है। मैं इसके लिए पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चलायेंगे, पापुलराइजेशन का कैंपेन चलायेंगे।

आपने कहा कि यह सख्त सज़ा है, यह थोड़ी भारी है। यदि सज़ा सख्त नहीं हो, तो 2006 में जब यह कानून बना तो इस कानून के तहत हमारी सरकार में कार्यवाही हुई, गये 5 साल में कोई मोटी कार्यवाही नहीं हो पाई। उस कार्यवाही में रिकरेंसेज हुए। यह रिकरेंसेज इस बात को शो करते हैं कि एक आफेंस कमिट करने के बाद, पेनेलाइजेशन होने के बाद, दुबारा आफेंस कमिट करता है। इसका मतलब, जो पनिशमेंट उसे मिला, वह इतना रिग्रस नहीं था, इतना डिटेरेंट नहीं था, इतना रेजिस्ट करने वाला नहीं था कि वह दुबारा उसी आफेंस को कमिट करने से रोक सके। इसीलिए यह प्रावधान लाया गया।

यह संशोधन है और इस संशोधन के तहत जो प्रावधान लाया गया है, इसीलिए यह डिटेरेंट के रूप में हो। पनिशमेंट करने का इन्टेंशन नहीं है, यह रिफोर्मेटिव है और जब तक यह पनिशमेंट इतना डिटेरेंट नहीं हो, रेजिस्ट करने वाला नहीं हो, तब तक यह कानून प्रभावशाली नहीं बनेगा। इसके तहत रिकरेंसेज को किस प्रकार से रोका जाए, मैंने एक आफेंस कमिट कर दिया, मुझे पनिशमेंट मिला, मैं दुबारा करता हूं, या नहीं करता हूं, यह रिकरेंसेज को रोकने के लिए पेनेलाइज करना पड़ा है। मैं समझता हूं कि इस एन्हेंसमेंट के बाद में ओफेंस करने की रिकरेंस नहीं होगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जयपुर और जयपुर जैसे शहर और पूरे के पूरे म्युनिसिपल एरियाज के अन्दर जिस प्रकार की स्वच्छता की, सुन्दरता की बात अपन करते हैं, चाहे वह मोन्यूमेंट्स के बारे में हो, आपने खुद ने स्वीकार किया है कि सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार के पोस्टर लगे होना, जगह-जगह पर इस प्रकार के पोस्टर लगे होना, कामर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, आफिशियल एडवर्टाइजमेंट है।

इन सबको रोकने के लिए समाज को एक बार दृढ़ मन बनाकर इस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रकार से सख्ती से जब तक हम कानून नहीं बनाएंगे और उस कानून की पालना नहीं करवाएंगे, तब तक काम रुक जाएगा, इसकी सम्भावना कम थी। इसकी सम्भावना को अधिकतम करते हुए और उसको पापुलरली इम्प्लीमेंट करने के लिए ही, यह परपज है इसको एन्हांस करने का। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

श्री सभापति: श्री राजपाल सिंहजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़। समय सीमा वही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, एक बात निवेदन करूं, मेरे लिए तो है...

श्री सभापति: सबके लिए है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन कई माननीय सदस्य तो ऐसे-ऐसे मजाक कर रहे थे।

श्री सभापति: आसन समय सीमा तय कर सकता है जो सबके लिए लागू है।

(20.13 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015, इसमें यह जो लेकर आये हैं, 2009 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 2, उसमें सबसे पहले तो उसके खण्ड

(श्री मदन राठौड़)

-8 के (ख) में नगर निगम के मामले में 'आयुक्त', यह जोड़ने के लिए यह संशोधन दिया है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2(8) के बाद इसमें धारा 3 में एक संशोधन यह भी लाये हैं कि जैसे सफाई समितियां नगरपालिकाओं में होती हैं, नगर परिषद में या नगर निगम में, बाकी तो समितियां यथावत काम करती रहेंगी जैसे अन्य समितियां बनी हुई हैं लेकिन सफाई की समिति, वह नगरपालिका क्षेत्र में एक से पचास तक वार्ड हैं, तब तक तो एक रहेगी और पचास से पिचहत्तर तक जहां वार्ड है वहां पर दो यह समितियां हो सकेंगी और पिचहत्तर से अधिक यदि वार्ड हैं तो वहां पर तीन सफाई समितियां अलग से ये बना सकेंगे। इस प्रकार का इसमें प्रावधान रखा है।

इसमें तो मुझे विशेष कुछ भी नहीं कहना क्योंकि व्यक्ति स्वयं भी सफाई करता है और अब जैसे सफाई का एक वातावरण बना है तो निश्चित रूप से ये समितियां बनाई जानी चाहिए। कार्यपालिका भी सफाई में योगदान दे, इसके लिए जन-प्रतिनिधियों को उसमें जोड़कर, उनको आग्रह करके, इस अभियान में और तेजी कैसे ला सकें, इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसमें जो एक संशोधन कर रहे हैं, गैर-कृषि भूमि का यदि कोई व्यक्ति सरेण्डर करता है, तो वह नगरपालिका ले तो लेगी उसको और फीस-वीस जो कुछ भी लेकर के वह कन्वर्ट करके वापस उसको दे देगी। इसमें मेरा एक सुझाव है कि नगर निगम या नगरपालिका स्वयं क्यों नहीं उसको अधिग्रहित कर देती? खुद अपने स्तर पर उसका व्यवस्थित रूप से चाहे भूखण्ड और पट्टे काटकर नीलाम करके दे, या आबंटित करके दे, या यदि व्यवस्था कर सकें, तो ज्यादा ठीक है। केवल जैसे किसी व्यक्ति की भूमि है और वह सरेण्डर कर रहा है और उसी को कुछ फीस वीस लेकर के वापस उसको भूमि कन्वर्ट करके दे दें, तो वह मनमाने दाम पर वहां पर भूखण्ड बेचेगा, वहां पर वह निर्माण करेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें इतनी छूट देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं नगर निगम या स्थानीय निकाय स्वयं इसमें विकास कार्य करें। क्योंकि नगर बढ़ रहे हैं, बाहरी लोग, गांवों के लोग आकर के नगरों में निवास कर रहे हैं, आवश्यकताएं हैं। तो वह नगर निकाय स्वयं यह करे तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा ठीक रहेगा।

इसमें गैर-कृषि भूमि का लिखा है। माननीय सभापति महोदय, कई नगरों के अन्दर कृषि भूमि भी अवस्थित है। जैसे मैं मेरे सुमेरपुर में भी देख

(श्री मदन राठौड़)

रहा हूं, तो नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि भी है। तो वह भी वहां इसी प्रकार का प्रस्ताव रखेगा। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, यह इसमें कहीं भी..., जब अपन संशोधन ला रहे हैं, यह समय जाया हो रहा है, अपन इसमें इतना समय लगा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता का पैसा इसमें लग रहा है, तो एक साथ ही क्यों नहीं संशोधन ले आएं? यह संशोधन हम बाद में लाएंगे। कृषि भूमि यदि नगरीय क्षेत्र के अन्दर आ गई है, नगर का विस्तार हो गया है, कृषि भूमि अन्दर है, तो इसको फिर किस प्रकार से आप करेंगे? यह भी एक इसमें लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कई क्षेत्र, जैसे बीकानेर है, वहां पर रेलवे लाइन निकल रही है नगर के बीच से और रेलवे लाइन के लिए प्रावधान है कि इसके सेंटर से कितनी दूरी तक कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। अब वह तो निर्मित है पहले से। अब जब वह पहले से वहां निर्मित है। तो उसका क्या प्रावधान होगा? उसको आप रेगुलराइज कैसे करेंगे? उसको सारी सुविधाएं वहां मिली हुई हैं, बिजली, पानी, टेलीफोन, सारी सुविधाएं। वहां पर निर्माण है। अब आप उसको पट्टा नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे क्योंकि वह उसकी परिधि में आता है।

तो ये ऐसे कई प्रावधान इसमें आएंगे। कई ऐसे, वह भी बात कह देता हूं जो अभी माननीय सदस्य मुझे बता रहे थे कि कई ऐसे नगरीय क्षेत्र के अन्दर इण्डस्ट्रीज पहले थीं, कारखाने थे, अब वे कारखाने बंद पड़े हैं। अब वे कारखाने बंद पड़े हैं तो उस भूमि का क्या करना है? जैसे ब्यावर के अन्दर है, ब्यावर में एक बहुत बड़ी यूनिट पहले चलती थी, टैक्सटाइल यूनिट, वह बंद पड़ी है। अब वह यूनिट वहां बंद पड़ी है, तो वह उस यूनिट का करेगा क्या? क्या वह कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट करेगा तो क्या प्रावधान हैं? इण्डस्ट्रियल कन्वर्शन था, अब आबादी में कन्वर्ट करवाने के लिए, या भूखण्ड का प्लाटिंग करके वह करेगा।

तो मैं सोचता हूं कि इस विषय पर भी विचार करने की जरूरत है। इस पर जब मंत्रीजी जवाब दें, मैं जानता हूं कि समय सीमा आपने बांध रखी है, मैं अधिक इस विषय पर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा इन विषयों पर भी संशोधन एक साथ ले आते तो मैं सोचता हूं कि समय बचता। बहुत कुछ विचार इसमें किया जा सकता था। आज ऐसे-ऐसे बिल अपन पास कर रहे हैं। थोड़ा समय और देते तो अपन विस्तार से कई और चर्चाएं भी कर सकते थे। लेकिन समय सीमा है, मुझे पता है, मर्यादा का मैं ध्यान रखूंगा।

(श्री मदन राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं अनुमति चाहूंगा कि मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव किया है, उसको मैं वापस लेना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, यह जो एक्ट लाया गया है संशोधन, इसमें मूल विधेयक धारा 2, इसमें केवल पहले नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयुक्त, उसकी जगह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हटाकर केवल मात्र नगर निगम के मामले में 'आयुक्त' इस शब्द को जोड़ा गया है। इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है।

इसके साथ ही, इसी तरह से सेक्शन 32 में, 32 की उप-धारा (1) के क्लाज (a) का सब-क्लाज (i), उसमें one chief executive officer of every municipal corporation, उसकी जगह प्रत्येक नगर निगम में एक आयुक्त, प्रत्येक नगर निगम के लिए इतनी संख्या से ऊपर अपर आयुक्त या उपायुक्त, जो अवधारित किया जाए; प्रत्येक नगर परिषद के लिए एक आयुक्त; प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड के लिए एक कार्यपालक अधिकारी; और प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद आयुक्त के अतिरिक्त सचिव नियुक्त करने का संकल्प करने के लिए और एक सचिव, किसी भी नाम और पदनाम...।

मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि तीसरा जो अमेंडमेंट किया गया है धारा 55 के अन्दर, उसमें पहले सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति थी, उसके स्थान पर जोड़ा गया, 'एक या अधिक'। आगे लिखा गया है, प्रत्येक नगरपालिका 50 वार्डों तक एक समिति, 51 से 75 वार्डों तक 2 समिति और 75 से ज्यादा 3 समिति है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि स्वच्छता रखने के लिए जब आपकी एक कमेटी ही काम नहीं कर रही है नगरपालिका क्षेत्र में, तो छोटे से छोटा वार्ड भी, 25 वार्ड हैं, एक समिति आज की तारीख में काम नहीं कर रही है। केवल मात्र प्रधान मंत्री ने स्वच्छता का नारा दिया और उनको प्रभावित करने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए, आप यह संशोधन ले आये। आप स्वच्छता का देख रहे हैं, दिल्ली के अन्दर पहले गंदगी डाली और फिर आपके नेताओं ने साफ करके फोटो लिया। माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि केवल मात्र कमेटी ज्यादा बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। कमेटी जब आपकी एक ही काम नहीं कर रही है, तो तीन-तीन, चार-चार कमेटियां कैसे काम करेंगी।

(श्री सुखराम विश्नोई)

उसके बाद में, जैसा कि धारा 69 है, 69 को एज-इट-इज रखा गया है और 70 से पहले 69(क) ऐड की गयी है। उसके अन्दर गैर-कृषि भूमि धारित, इसमें स्पष्ट किया "ई व्यक्ति जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा", इनके अलावा यदि गैर-कृषि भूमि उसके पास है। अब गैर-कृषि भूमि शहरों के आसपास, आजकल जो नई नगरपालिकाएं बनी हैं, वहां गोचर जमीन आयी हुई है। गोचर जमीन गैर-कृषि जमीन है, गोचर जमीन में पट्टा जारी हो नहीं सकता, गोचर के अलावा काम में नहीं ली जा सकती। इसके अलावा बहुत सारी सरकारी जमीन है, जैसे उद्योग की जमीन है, कोई स्कूल पुरानी पड़ी हुई है उसकी जमीन है, बहुत सारी जमीन हैं, श्मशान था बदल दिया, सिटी में उसकी जमीन है; पहले कोई खेल का मैदान था, वह जमीन है। इस तरह की जमीनें जो गैर-कृषि भूमि थीं, वे नगरपालिका के लोग मिलकर उस करोड़ों की जमीन का पट्टा जारी करा लेंगे, उसको लेकर दूसरा काम करेंगे। कम से कम धारा 69 है, 69(क) है, यह हमें तो स्पष्ट नहीं लग रही है, इसमें भ्रम पैदा हो रहा है। इसलिए जब आप जवाब दें तो स्पष्ट किया जाय।

कुल मिलाकर आपकी मार्फत निवेदन है कि चार जो संशोधन किये गये हैं, उनका मूल मकसद था, एक स्वच्छ भारत का जो नारा दिया गया है उसको किस तरह आगे बढाएं। इसके लिए किया गया है। यह केवल मात्र इससे नहीं होगा। उसके लिए एक दृढ इच्छाशक्ति होगी और सरकार अगर मन से चाहेगी, तभी जाकर इस अमेंडमेंट की मंशा को पूरी कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान सिर्फ 69(क), खण्ड (4) के द्वारा जिसको आपने संशोधित किया है और नई धारा डाली है, यह मुद्दा दो पूर्व माननीय सदस्यों ने उठाया भी है। गैर-कृषि की परिभाषा आपके द्वारा दी जानी आवश्यक है। गैर-कृषि की चूंकि कोई परिभाषा इसमें नहीं है, इसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। एक आदमी को बावड़ी के लिए जमीन मिली बहुत पुराने टाइम में, किसी को धर्मशाला के लिए जमीन मिली, कुछ लोगों के पास इंडस्ट्रियल प्लाट्स हैं। बीकानेर में एक ग्लास फैक्टरी है, काफी महत्वपूर्ण स्थान पर है। ग्लास फैक्टरी, इंडस्ट्रियल प्लाट गैर-कृषि तो है ही। गैर-कृषि में हम किन-किन वर्गों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को, कौन-कौनसी कैटेगरी आफ लैण्ड को शामिल करना चाहते हैं, इसकी व्याख्या एक्ट में ही दी जानी आवश्यक है। आप उसको रूल्स में डालेंगे तो रूल्स में भी इसकी विस्तृत परिभाषा होनी चाहिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो और नगरपालिका या नगर निगम या नगर परिषद उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। यह प्रिकाशन इसलिए लिया जाना जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर के कन्वर्जन के रूल्स अलग हैं ही, वे बने हुए हैं, यू आई टीज् में हैं, जे डी ए अथोरिटीज में हैं और नगर निगमों में भी हैं, लेकिन गैर-कृषि का जो मामला है, मेरा निवेदन है कि आप या तो रूल्स में स्पष्ट कर दें या फिर एक्ट में स्पष्ट करते, तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि कई चीजें जो मूल हैं वे एक्ट के द्वारा ही स्पष्ट की जानी चाहिए। एक्ट में उसकी परिभाषा होती तो ज्यादा अच्छा होता।

सभापतिजी, आप किसी को मुख्य कार्यपालक कहें या सिर्फ आयुक्त कहें, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नाम को आप चेंज करना चाहते हैं, वह करें। आपका ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि चाहे आपका कमिश्नर, इलेक्टेड बाडीज में अनेक जगह पर आपको फीडबैक भी आया होगा कि कमिश्नर और चेयरमैन में रिश्ता 3 और 6 का है। फंक्शनिंग ही नहीं होती। मैं उसके आगे की बात नहीं कहना चाहता।

आप जो चेंजेज लाये हैं सिवाय 69(क) के, बाकी तो सब कास्मेटिक चेंजेज हैं। आपने जो नाम बदला है खण्ड 2 में, खण्ड 5 में उसकी पुनरावृत्ति की गयी है और एक से अधिक आयुक्त रखे जा सकते हैं, सह आयुक्त रखे जा सकते हैं। वह आपके प्रशासन की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा निवेदन इतना ही है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति में इन संशोधनों से कोई महत्वपूर्ण फर्क नहीं है। गैर-कृषि को डिफाइन करने के बाद उनकी कुछ आमदनी का सोर्स बन सकता है। वह भी छोटा-मोटा सोर्स बनेगा। जो करोड़ों रुपयों का गैप है, नगर परिषदों व नगर निगमों के बजट में और उनके रिसोर्सेज में, वह गैप भरने वाला नहीं है।

आज मैं इस पर लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि राज्य सरकार, चूंकि नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका के लिए राज्य सरकार का फंक्शन आपको डिस्चार्ज करना है, इनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आप अलग-अलग कैटेगरीज की नगरपालिकाओं को, कोई नगर निगम को अलग बुला लें, नगर परिषद को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अलग बुलाएं, नगरपालिकाओं को अलग बुलाएं और उनकी आर्थिक स्थिति में क्या महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है, इस बात का आप अध्ययन करें। इसमें कोई शक नहीं है कि नगर निगमों और नगर परिषदों को जब तक आप अलग-अलग कैटेगरीज की नगरपालिकाओं को, जिनकी आमदनी बजट से साफ जाहिर होती है, जब तक राज्य सरकार उनको एड नहीं देती तब तक न तो सीवर लाइन बन सकती है, न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन सकता है, न विलबरोज खरीदे जा सकते हैं, न स्वच्छता व सफाई की कोई व्यवस्था हो सकती है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि गैर-कृषि को इसमें डिफाइन करने की कोशिश करें। इसमें नहीं हो सकती है तो उस गैप को नियमों में भरने की कोशिश करें।

इसी निवेदन के साथ, मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको मैं विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो विधि विशेषज्ञ हैं, फिर भी जो बात कह रहे थे उसे शार्ट कर दिया। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जहां आपने अंत किया वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं।

आपने जो नया सेक्शन 69(ए) बनाया है, 69(ए) की जो हैडिंग है, "Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed", यह वर्ड है लैण्ड। राजस्थान में अब सिर्फ एक ही कानून है जिसने लैण्ड को डिफाइन किया है, वह है राजस्थान टिनेंसी एक्ट, जिसका सेक्शन 5, सब-क्लाज (24) है, वह लैण्ड को डिफाइन करता है। आपके म्यूनिसिपल एक्ट ने स्वयं ने भी लैण्ड को डिफाइन किया है। वह शायद बनाते वक्त इसको पढ़ा नहीं। आपकी जो डेफिनेशन है, वह डेफिनेशन है सेक्शन 2 का सब क्लाज (23) "land" includes land, which is built upon or covered with water. जहां कहीं भी इस कानून में वर्ड लैण्ड आएगा, उसका तात्पर्य होगा Land includes land, which is built upon or covered with water. अब जिस लैण्ड के लिए आप सेक्शन 69 लेकर आ रहे हैं और जिस लैण्ड की लीज डीड या पट्टा या टाइटल डीड आप देने की कोशिश कर रहे हैं, वह नान-एग्रीकल्चर लैण्ड की डेफिनेशन आप लाएंगे कहां से? आइदर तो आप टिनेंसी एक्ट की डेफिनेशन ले लेते, जिसको फालो किया है राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 ने। उस

(श्री जोगाराम पटेल)

सेक्शन 5 के अलावा कोई भी लैण्ड की डेफिनेशन आप दे ही नहीं सकते क्योंकि वह राजस्थान टिनेंसी एक्ट है वह बाकी सभी एक्ट को ओवरराइड करता है, लैण्ड की डेफिनेशन के लिए।

उसी में 5(39) में आबादी को डिफाइन किया है। दो ही लैण्ड हो सकती हैं either it is an agricultural land, दूसरी वह लैण्ड जो आबादी है। चाहे नदी है, चाहे नाला है, चाहे तालाब है, चाहे पहाड़ है, वह सारी लैण्ड की डेफिनेशन में आता है।

तो मेरा पहला निवेदन यह है कि अगर आप अपने एक्ट की डेफिनेशन लें, तो लैण्ड कौनसी होगी, जो आपने खुद ने डिफाइन की है। 'land' includes land, which is built upon..." तो बिल्ट अपोन लैण्ड का तो आप ले नहीं रहे हैं और "...or covered upon with water," वह भी आप ले नहीं रहे हैं। तो आपके इस सेक्शन 69 में वह कौनसी लैण्ड है जिस लैण्ड के लिए कानून ला रहे हैं? इसका प्रोसीजर फालो कैसे होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा?

इससे भी आगे आप लें, तो सब-क्लाज (1), "any person who holds non-agricultural land". एक भी उदाहरण आप बता दें आज तक के राजस्थान के कानून में, जिसका टाइटल एज ए नान-एग्रीकल्चर लैण्ड हो। अगर एक भी बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि जिस व्यक्ति ने भी इस कानून को, ला डिपार्टमेंट ने इसको फ्रेम किया है, वह नान-एग्रीकल्चर लैण्ड बता दे कि यह नान-एग्रीकल्चर लैण्ड है। Either it is a land defined as per राजस्थान नगरपालिका अधिनियम or it is a land as per Rajasthan Tenancy Act. इसके सिवाय कोई लैण्ड है ही नहीं। वह हमारी बोलचाल में समझने के लिए हम कहते हैं कि यह एग्रीकल्चर लैण्ड है, यह नान-एग्रीकल्चर लैण्ड है, यह नदी है, यह पहाड़ है, यह फलां है, यह तालाब है, आगोर है, लेकिन they all included in definition as a land और आपने नगरपालिका में जो डेफिनेशन दी है उससे भी यह कवर नहीं हो रहा है।

इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि जब तक आप इसमें यह संशोधन नहीं करेंगे, जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप इस नान-एग्रीकल्चर लैण्ड को डिफाइन कीजिये। डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि वह कान्फिलक्ट आ जाएगा और इन्कंसिस्टेंट प्रोविजन्स हो जाएंगे। राजस्थान टीनेंसी एक्ट में जिसको फालो किया है, इसको ओवरराइड किया है राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में और आपने अपनी खुद की नगरपालिका के एक्ट में। अब आप जो भी इसका जवाब दें, मेरा सब्मिशन है

(श्री जोगाराम पटेल)

इसका कि यह क्लीयर जरूर करें। नान-एग्रीकल्चर लैण्ड को कोई भी अधिकारी, कोई भी सामान्य व्यक्ति समझने जाएगा, तो वह किसको कहेगा, या कौन से प्रोविजन्स हैं, या कौन से ऐसे डाक्यूमेंट हैं, जिनके अन्दर एज ए नान-एग्रीकल्चर लैण्ड मेंशन की हुई है?

इसलिए पहला निवेदन तो यह था कि यह नान-एग्रीकल्चर शब्द यूज करके, आइदर सिर्फ आप लैण्ड शब्द यूज कर देते तो फिर भी समझ लेते कि जो भी लैण्ड है, आइदर म्यूनिसिपेलिटी एक्ट में डिफाइंड लैण्ड मान लेते, या राजस्थान टीनेंसी एक्ट में डिफाइंड लैण्ड मान लेते, लेकिन आपने यहां आते ही नान-एग्रीकल्चर लैण्ड कर दिया, जबकि नान-एग्रीकल्चर लैण्ड कोई लैण्ड होती ही नहीं है। खेती नहीं करना अपने आप में नान-एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं हो जाती है। लैण्ड तो लैण्ड ही रहेगी। इस संसार में जितनी भी भूमि है, राजस्थान कानून के अनुसार वह सब लैण्ड है। आज हम यहां पर बैठे हैं, वे भी लैण्ड, पर वह कौनसी लैण्ड है, आबादी लैण्ड है। जहां कोई दूसरा काम है, वह एग्रीकल्चर लैण्ड है, पर वह अपने आप अलग-अलग डिफाइन की हुई है। तो पहला तो मेरा निवेदन यह था।

दूसरा, आपने नये प्रोविजन्स बनाये और नये प्रोविजन्स बनाकर सेक्शन 332 में कुछ अमेंडमेंट किये। सेक्शन 332 के सब-क्लाज (1) में आपने एक तो कमिश्नर बनाया म्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए और आपने इस सुविधा के लिए कि कहीं काम ज्यादा हो, एरिया ज्यादा हो, तो उसकी सहायता के लिए आपने एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट और क्रियेट कीं। मेरा निवेदन, मंत्रीजी आपसे यह है कि कमिश्नर को इस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में कहीं भी डिफाइन किया हुआ नहीं है कि कमिश्नर किसको कहेंगे। मीयरली आप किसी अधिकारी को वहां पोस्टेड कर देंगे, तो how does he become a Commissioner? आइदर तो आप जो जनरल एक्ट में प्रोविजन्स हैं और उसकी डेफिनेशन दी है, उसको कमिश्नर बना दीजिए, या उसकी क्वालिफिकेशन तय कर दीजिए कि फलां कैटेगिरी का जो आफिसर होगा वह हमारा कमिश्नर होगा। अगर यह भी मान लें कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया, फिर भी आपका काम चलेगा। तो भी आपने सेक्शन 2(a) में एक कमिश्नर बनाने के प्रोविजन किये हैं, सेक्शन 2 के सब-क्लाज (13) में एक कमिश्नर बनाने के प्रोविजन किये हैं। सेक्शन 2 का सब-क्लाज (13) इसमें है ही नहीं और आपने नई बनाई।

(श्री जोगाराम पटेल)

अब इसमें आपने वर्ड लिखा है कमिश्नर। अब पोस्ट तो क्रियेट कर रहे हैं आप कमिश्नर के साथ दूसरी, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, और इसमें सिर्फ कमिश्नर है। या तो यह कहिये कि कमिश्नर इन्क्लूड्स एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तो काम चलेगा, या आप इसमें एड कीजिये कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। जब डेफिनेशन में सिर्फ कमिश्नर ही शब्द दे रहे हैं और आप पोस्टिंग जो कर रहे हैं एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की कर रहे हैं, तो ये एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस एक्ट में आयेंगे कहां से? ज्यों ही आप एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग करेंगे तो वह किस एक्ट के तहत वर्क करेगा? क्योंकि यहां तो सिर्फ कमिश्नर ही है। इसलिए मेरा दूसरा सब्मिशन है और मैंने अमेंडमेंट भी दिया है कि आप इसमें एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साथ में जोड़ दीजिये और साथ जोड़ते ही आपके सैक्शन 332 में जो पोस्टिंग हो रही है वह सही हो जाएगी। अदरवाइज यह एक प्राब्लम रहेगी। आप कमिश्नर की पोस्टिंग में अगर इसमें डेफिनेशन देते कमिश्नर की, कमिश्नर इन्क्लूड्स एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जैसे कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू में कहा गया है कलक्टर इन्क्लूड्स एडिशनल कलक्टर। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि यह कमिश्नर की डेफिनेशन देते वक्त एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की डेफिनेशन नहीं दी है।

तीसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण निवेदन है, वह यह है कि ये जो प्रोविजन्स बनाये गये हैं कमेटियों के, कमेटियों में आपने एक प्रोविजो जोड़ा है सेक्शन 55 सब-क्लाज (3) में (ii) one or more health and sanitation committees; provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two committees for fifty-one wards to seventy-five wards and three committees for wards exceeding seventy-five;" तो 50 तक एक, उससे दो और फिर तीन, लेकिन यह कमेटी जो आप बनायेंगे, इस कमेटी का फार्मेशन कैसे होगा? वह अलग विषय है कि आप उसको रूल्स में ले लेंगे, लेकिन एक कमेटी कितने वार्ड के लिए होगी, दूसरी कमेटी कितने वार्ड के लिए होगी? या इनका जुरिस्डिक्शन का डिस्ट्रिब्यूशन कौन करेगा? अपने आप ही वे खुद कर लेंगे? या एक से पचास वार्ड के लिए एक कमेटी होगी और पचास से ज्यादा के लिए दूसरी हो जाएगी? या एक से पच्चीस के लिए एक कमेटी होगी और उससे अधिक वाली दूसरी कमेटी होगी? और फिर यह कैसे तय करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो मेम्बर हैं वे इस कमेटी में रहें और ये पर्टिकुलर मेम्बर इस

(श्री जोगाराम पटेल)

कमेटी में रहें? तो इसका ज्योग्राफिकली जुरिस्डिक्शन तय करने के लिए, आइदर वार्ड का जुरिस्डिक्शन तय करने के लिए, कहीं न कहीं आपको इसमें असर्टेन करना पड़ेगा कि इनका फार्मेशन इस तरह से होगा और इनका जुरिस्डिक्शन फलां आदमी बांटेगा। इसलिए मैंने इस बारे में भी जो अमेंडमेंट दिया है वह यह है। अब रूल्स में आपने बताया नहीं कि रूल्स बनेंगे। क्योंकि यह तो संशोधन है, इसलिए रूल्स तो अब बन नहीं सकते। अगर आप साथ ही कह दो कि हम और रूल बनायेंगे, तो रूल बन नहीं सकते, रूल का अमेंडमेंट आप लेकर आये नहीं। यह तो सिर्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा और फिर ऐसे ही साइलेंट हो जाएगा। तो वह हमेशा ही डिसप्यूट यह रहेगा कि मेरी कमेटी का, मेरा तो वार्ड नम्बर 75 लगता है, 75 नम्बर वार्ड तक मेरी कमेटी है। वे कहेंगे कि तुम्हारा तो 3 वार्ड तक ही है, यहां कहां आ रहे हो? तो दो कमेटियों का भी आपस में कान्फ्लिक्ट होने की पासिबिलिटी है। अगर उनका जुरिस्डिक्शन बंट जाए या किसी चेयरमैन को आप राइट दे दें कि चेयरमैन उनका ज्योग्राफिकली, अकोर्डिंग टू वार्ड अनुसार, या विधान सभा अनुसार, या जो भी, whatever may be, उनके अनुसार करें। यह भी आपने नहीं किया है।

मैं इस सम्बन्ध में, अमेंडमेंट के सम्बन्ध में तीसरी चीज निवेदन यह करूंगा कि जो सीरियलिटी है, सीरियल के हिसाब से लेंगे, या... जो 69 बनाया है वह 69 के आप प्रोविजन्स पढ़ेंगे तो यह 71 की जगह आना चाहिए। क्योंकि आप जो पट्टे देने के प्रोविजन्स बना रहे हैं, वे सारे ये जो प्रोविजन्स खतम हो रहे हैं वे हो रहे हैं, यह चैप्टर फोर्थ है, जहां प्रोपर्टी के डिस्पोजल और प्रोपर्टी का मामला है। चैप्टर फोर्थ शुरू आता है वह सेक्शन 67 होता है। "Power to acquire land" है, ''Vesting of property" सेक्शन 68 में और फिर 69 में "Acquisition of property by Municipality by agreement, exchange, lease, grant, etc. etc.'' तो ये प्रोविजन देने के लिए नहीं हैं, ये प्रोविजन लेने के लिए हैं। इसके बाद यह जो "Acquisition of property by Municipality by agreement, exchange, lease, grant, etc.'' उसके बाद में सेक्शन 70 है कम्पल्सरी एक्विजिशन और यह खतम होने के बाद अलाटमेंट, रेगुलराइजेशन आफ सर्टेन लैण्ड। इसका अगर प्रोविजन बनायेंगे तो सीक्वेंस सही रहेगा और इसके बाद यह बेचने का मामला आयेगा। इसलिए मेरा सब्मिशन यह है कि यह सेक्शन 69 (a) आपने क्रियेट किया है यह 71 (a) क्रियेट करें, तो इसको डिस्पोजल करने के लिए सुविधा रहेगी।

ये तो मेरे इस सम्बन्ध में थे। दूसरा, मैं जो निवेदन करूंगा, जो मैंने दिया है, कि सिटी एरियाज में ऐसी अनेक लैण्ड आई हुई हैं जो रेवेन्यू रिकार्ड

(श्री जोगाराम पटेल)

में तो एग्रीकल्चर लैण्ड हैं, वहां कालोनीज बन गई हैं, स्कूल बन गये हैं, अस्पताल बन गये हैं, कई वर्षों से बने हुए हैं लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में आज भी एग्रीकल्चर लैण्ड हैं। तो यह एक जो आपने प्रोविजन बना दिया कि नान-एग्रीकल्चर लैण्ड है, उसका तो हम पट्टा देने के लिए तैयार हैं लेकिन भले ही वह रेवेन्यू रिकार्ड में एग्रीकल्चर लैण्ड लिखी हुई है, कानून के अनुसार और आपकी डेफिनेशन के अनुसार वह भी नान-एग्रीकल्चर लैण्ड है। इसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक फैसले कर दिये हैं कि भले ही वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में या रेवेन्यू रिकार्ड में एग्रीकल्चर लैण्ड लिखी हुई है, अगर वह लगातार पांच साल तक किसी एग्रीकल्चर परपज या काम में नहीं आई है, तो उसको नान-एग्रीकल्चर परपज ही डिक्लेयर किया जाएगा। इसके सम्बन्ध में 1993, सुप्रीम कोर्ट, 2485, "Agriculture land. Land situated within the Municipal limits registered as an agricultural land in revenue records-Assessee owner entering into agreement for sale to housing cooperative society-Obtaining permission of land revenue authority for the transfer as non-agricultural purpose, Sale immediately thereafter-Land not cultivated for 4 years preceding. Held, land was non-agricultural land at the time of the sale..." और इन्होंने इसका डिटेल फैसला किया कि "it be treated as a non-agricultural land."

तो मेरा निवेदन यह है कि आप जिस उद्देश्य से लेकर आये हैं, उस उद्देश्य का फुलफिलमेंट तभी होगा। क्योंकि नान-एग्रीकल्चर लैण्ड या आबादी लैण्ड, उसके तो पट्टे अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, आज सभी माननीय सदस्य फील करते होंगे, म्यूनिसिपेलिटी के अन्दर, जो एग्रीकल्चर लैण्ड आई हुई है, जहां कई कालोनीज बस गई हैं, कई बड़े-बड़े पब्लिक इंस्टिट्यूशन खड़े हो गये हैं, उनको उन पर राइट नहीं मिल रहा है। कन्वर्जन के लिए जाएं तो इतना लम्बा प्रोसीजर है कि वह कन्वर्ट हो नहीं पा रही है।

इसीलिए आप इसको भी इन्क्लूड कर दें कि भले ही वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में एग्रीकल्चर लैण्ड लिखी हुई हो, परन्तु पिछले पर्टिकुलर टाइम से नान-एग्रीकल्चर परपज में काम आ रही है, मकान बन गया है, अस्पताल बन गया है, कालोनी बस गई, तो उसको भी ट्रीट करते हुए इसी प्रोविजन, सेक्शन-69 के तहत लीज डीड या पट्टा देने की कोशिश करें। यह मेरा निवेदन था।

तीन बातें मैं आपसे आखिर में तीन मिनट में ही निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसलिए आपको इस स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। नगरपालिकाओं को जीवित रखने के लिए नगरपालिका के सोर्स को डवलप करना पड़ेगा और नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बगैर नगरपालिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ। जो जन-प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो पार्षद या पंच या सरपंच, वार्ड पंच जीतकर आ रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा मिला है। आपके भी कुछ समय बाद में इलेक्शन आने वाले हैं। आप भी अपने एक्ट में मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन तय करें। मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, अगर आप वह क्वालिफिकेशन तय करेंगे तो आपको भी रिजल्ट बढ़िया मिलेगा।

कुछ नगरपालिकाओं में पूर्ववर्ती सरकार ने और स्पेशली जोधपुर में बिना किसी जानकारी के डि-लिमिटेशन कर दिया। एक वार्ड की पापुलेशन है 5,000 और एक वार्ड की पापुलेशन है 45,000 । वह 5,000 पर अपने आदमी को, पर्टिकुलर अपने फेथ वाले को, या किसी कास्ट वाले को सिर कर दिया और 45,000 वाले का रह गया। इसलिए डि-लिमिटेशन भी आप एज कानून और पापुलेशन के अनुसार करें। यह भी मेरा निवेदन है।

कमेटियों की पूर्व संरचना आपने की है, उन पर रिव्यू करने की आवश्यकता है। यह बहुत पुराने समय से कमेटी बनी हुई हैं। आपने सिर्फ एक कमेटी का रिव्यू किया है। बाकी वाली कमेटियों को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है।

इन सारी बातों से मेरा निवेदन है और, अंत में, सबसे गहन इश्यू आजकल राजस्थान में चल रहा है, आपका तात्पर्य है डि-सेन्ट्रलाइज करने का। पूर्व में सेक्शन 300 था, ओल्ड एक्ट में और कमिश्नर को अपीलेट पावर जुरिस्डिक्शन दिया हुआ था, रिविजन का। कोई भी म्यूनिसिपेलिटी ने आर्डर पास किया, पट्टा दिया कि नहीं दिया, परमिशन कंस्ट्रक्शन की दी या नहीं दी, और भी जो डिस्प्यूट होते थे, वे कमिश्नर जाकर सुनता था। आजकल सारे के सारे पावर आपने गवर्नमेंट से लेकर यहां जयपुर में दे दिये। एक छोटा-सा भी कोई काम हो जाए, चाहे वह बीकानेर बैठा है, चाहे वह कोटा बैठा है, चाहे वह कहीं बैठा हो, उसको जयपुर आना पड़ता है। इसीलिए पहले जैसे जुरिस्डिक्शन था, बाई नोटिफिकेशन जुरिस्डिक्शन दिया गया था आल कमिश्नर को। जो

(श्री जोगाराम पटेल)

कमिश्नर बैठे हैं, उनको आप जुरिस्डिक्शन देवें और वह डि-सेन्ट्रलाइज करें अपनी पावर को, नहीं तो पूरे राजस्थान को छोटे-छोटे कार्य के लिए, सारों को जयपुर आना पड़ता है। एक छोटी-सी परमिशन मुझे नहीं मिली कंस्ट्रक्शन की, तो मुझे ठेठ जयपुर आना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1987 का जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन के द्वारा कमिश्नर को जो पावर दिये गये थे, वही पावर आप वापस लेवें और डि-सेन्ट्रलाइज करें। सभी बार एसोसिएशंस ने यह रिक्वेस्ट आपको भेजी है। बार काउंसिल आफ राजस्थान ने भी यह रिक्वेस्ट आपको भेजी है। अजमेर की बार काउंसिल और सभी बार एसोसिएशंस ने यह रिक्वेस्ट आपको भेजी है कि पहले की भांति उनको डि-सेन्ट्रलाइज करें, कमिश्नर को पावर दें।

इतना ही मेरा निवेदन था। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): टाइम तो सबके लिए बराबर है। कानून अलग से है क्या?

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ना ना, आसन की मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे और आसन का प्रोटेक्शन भी रहेगा।

श्री सभापति: मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा, आसन आपको बाध्य नहीं करेगा लेकिन सदन की भी मानसिकता का ध्यान रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बिलकुल, माननीय सभापतिजी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015, अधिनियम 2009 को और संशोधित करने के लिए लाया गया है और मोटे-मोटे तौर पर तीन संशोधन हैं, जिन पर इस सदन के माननीय वरिष्ठ सदस्य लूणकरणसर से आने वाले मानिक चन्दजी सुराना और लूणी से आने वाले जोगारामजी ने काफी विस्तार से बताया है। लास्ट अमेंडमेंट जो 2009 के राजस्थान अधिनियम संख्या-18 की धारा 332, आपने आपके अधिकारियों का पदनाम बदला है और कानून-सम्मत तरीके से आप पदनाम बदल सकते हैं। इस पर मुझे कोई बहुत अधिक बात नहीं कहनी है।

मुझे मोटी-मोटी दो बात निवेदन करनी हैं। कानून लाते हैं, संशोधन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लाते हैं। ये जो सफाई समितियों को विस्तारित करने के लिए कानून लेकर आये हैं, धारा-55 का संशोधन और इस धारा-55 की उपधारा (3) के विद्यमान खण्ड-(ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा। पहले एक समिति होती थी सफाई की, अब जहां 50 वार्ड होंगे, वहां एक रहेगी; 75 होंगे, वहां दो हो जाएंगी और उनको अलग-अलग कैसे अधिकार क्षेत्र बनेगा, यह तो जोगारामजी ने पूछा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक बहुत महत्व का सवाल, 75 के बाद तीन हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से म्यूनिसिपेलिटीज पर सफाई की बहुत गहरी जिम्मेदारी है और यह केवल हम नहीं कह रहे हैं, मैंने दो बार इस सदन में पहले भी कोट किया है कि नगर निगम जयपुर को सफाई के लिए राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा मानिटरिंग तक करने के बारे में निर्देशित किया गया और तीन-तीन महीने में रिपोर्ट मांगी।

मैं इससे हटकर एक बात, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं। नगर निगमों में सफाई की स्थिति के बारे में एक बार मूल्यांकन करें और मानिटरिंग का ऐसा कोई मैकेनिज्म तय करें। नगर निगम के परमानेंट कर्मचारियों के अलावा, कोई नगर निगम इस राजस्थान की नहीं होगी जिसमें प्रत्येक वार्ड में 25-50-60-70 और सैकड़ों-हजारों सफाई कर्मचारी संविदाकर्मी के रूप में काम नहीं करते हों। अगर आप मौके पर उनका मूल्यांकन करेंगे तो किसी वार्ड में अगर संविदा के 50 कर्मचारी लगे हुए हैं आन रिकार्ड, आपको 10 या 20 भी मिल जाएं। संवेदक और वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों और जमादार की मिलीभगत के कारण 10 लोग भी ईमानदारी से काम नहीं करते। 30-30, 40-40 संविदाकर्मियों का फर्जी वेतन उठता है।

हम ला रहे हैं, लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई करेंगे। प्रधान मंत्रीजी की मंशा है, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और स्वच्छता में ही स्वास्थ्य निहित है। हमारी लोक कल्याण की भावना तब इम्प्लीमेंट होगी, जब हम इस प्रकार की बेइमानी पर नियंत्रण करेंगे। उस अधिकारी की बेइमानी के कारण उस पार्षद पर अंगुली उठती है कि पार्षद भी भ्रष्ट होगा। उस पार्षद पर भी अंगुली उठती है जो लोकतंत्र की व्यवस्था में चुना हुआ प्रतिनिधि है। सरकारी व्यवस्था के मुलाजिमों की कार्यप्रणाली के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी, पार्षदों पर भी भ्रष्टाचार के दाग-धब्बे लगते हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जब तक आप इस पर नियंत्रण का प्रयास नहीं करेंगे, आप चार बना लें। मानिटरिंग के लिए आपकी व्यवस्था, ठीक है, निगमें बड़ी हो गई, 50 वार्ड पर एक स्वास्थ्य समिति मानिटरिंग कर ले, सम्भव नहीं है। आप इसको 15 पर भी ले आओ, लेकिन स्वास्थ्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सफाई कर्मचारियों में, जब तक उस पर नियंत्रण का कोई ठीक तरीके का मेकेनिज्म कायम नहीं करोगे, तब तक इस बिल में संशोधन करके समितियों को बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह राजस्थान में आम बात है, सभापति महोदय। किसी भी निगम में चले जाएं और यह चर्चा करके देख लें। सफाई के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ तो प्रधान मंत्रीजी कितना बड़ा महत्वाकांक्षी सपना देख रहे हैं, मैं बात छोटी-छोटी करूंगा और परिणाम बड़े दूंगा। स्वास्थ्य, सफाई, जो ऐसी महत्वाकांक्षी बात कर रहे हैं और हम उनकी भावना के अनुरूप एक नियंत्रण की ठोस व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इस पर इतना कहना है।

अगला, जो बहुत व्यापक चर्चा हुई है, 69-क । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कई बार यहां बिल पारित होते हैं और बिल पारित करते समय मैंने इस सदन में भी दो, तीन, चार बिलों में देखा है, जब प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उठकर खड़े होकर कहा, तब आपने और कई मंत्रियों ने कहा, जरा एक बार इस ड्राफ़्ट को पढ़ लो, यह आपकी सरकार का लाया हुआ ड्राफ़्ट है। जो गैर-कृषि भूमि है, इसके बारे में व्यापक चर्चा हो गई, जो एग्रीकल्चर लैण्ड है, म्यूनिसिपेलिज में आज भी मौजूदा कानून में उसको भूमि परिवर्तन करके पट्टा देने का प्रोविजन है। गैर-कृषि भूमि को जब आप इसमें परिभाषित कर रहे हैं, मैं आज यह जानना चाहता हूं, कहीं यह ड्राफ़्ट पिछले राज का तो नहीं था और अगर यह पिछले राज का ड्राफ़्ट था, तो, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, यह एक सरकार में बैठे हुए लोगों का रीयल एस्टेट के कारोबारियों से परदे के पीछे मिला हुआ हाथ था। पिछली सरकार ने कोटा नगर निगम में जो सैमटेल फैक्टरी बंद हो गई और उस सैमटेल फैक्टरी के मालिक ने जो एग्रीकल्चर जमीन खरीद के उद्योग में कन्वर्ट करा ली, उस जमीन की 90-ए की, मज़दूरों का समझौता हुए बगैर, नगर विकास न्यास, कोटा ने 90-ए की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। क्या ये इस प्रकार की जो इण्डस्ट्रीज की बड़ी ज़मीनें हैं, पिछले राज में कोई इस प्रकार का ड्राफ़्ट हुआ हो, जिनको आप अपार्टमेंट बनाने के लिए, कई रीयल एस्टेट के बड़े

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कारोबारियों को कानून-सम्मत तरीके से बहुत राहत देने के लिए तो क्लाज स्थापित नहीं कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह मान लो, माननीय सदस्य, पिछले राज में ही हुआ है फिर भी पारित होगा और आप ही कराएंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): और इसीलिए इसको व्यापक संदर्भों में विचार करने की जरूरत है। हम कच्ची बस्ती को भी पट्टा दे रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की कालोनी को भी दे रहे हैं, हम तमाम प्रकार के जो 1999 से पहले क़ाबिज़ था, हम सब प्रकार के पट्टे दे रहे हैं, फिर ये गैर-कृषि भूमि कौनसी हैं जिनको व्यक्ति सरेण्डर करेगा और निगम फिर उसके लीगल राइट्स फिर दुबारा स्वयं में लेने के बाद, उसके हक में बहाल कर देगा। यह कोटा की घटनाओं के आधार पर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से, सैमकोर की सैकड़ों करोड़ की कीमत की जमीन की मजदूर का फैसला हुए बगैर पिछले स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने यू आई टी से 90-ए की कार्यवाही शुरू करा दी। इतना ही, रीको की जमीन पर तत्कालीन यू आई टी के जो चेयरमैन थे उन्होंने 500 कमरों का हास्टल बना दिया और उसका पट्टा यू आई टी से किस प्रकार से मिले, एक हास्टल लाबी तैयार हो गई और...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सरकार के 90-बी के घोटाले भी बता दो जरा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 500 कमरों का हास्टल, माननीय सभापति महोदय, यू आई टी के चेयरमैन; रीको की जो इण्डस्ट्री के परपज से जमीन ली गई और अगर एक्ट में हम इण्डस्ट्री के परपज से जमीन लेकर उसका गैर-औद्योगिक परपज में काम करने वाले लोगों को इस क्लाज के माध्यम से अगर लाभ देंगे, तो मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत बात नहीं होगी। इसको वॉच करने की जरूरत है, गम्भीरतापूर्वक तरीके से। अगर यह पिछली गवर्नमेंट का ड्राफ़्ट है तो इसको चैक करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आज आप पास करा लें, लेकिन आप इसको चैक करवाये कि यह किन लोगों को राहत प्रदान कर रहा है, किन लोगों को न्याय दिला रहा है, किन लोगों के गैर-कानूनी कामों को, जिन्होंने रीको पर 500 कमरों का, हास्टल लाबी है यह, पिछले राज में खूब माफिया पनपे।

श्री सभापति: लेकिन, माननीय सदस्य, मैं आपको यह बताऊंगा कि

(श्री सभापति)

रीको के लैंड रूल्स 3-W को चेंज किया है, कई बार अमेण्ड किया है, जिसमें हास्टल्स, स्कूल्स तक को अलाऊ किया है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): रीको की जमीन पर गैर औद्योगिक...

श्री सभापति: रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में अगर जमीन किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट ने ली इण्डस्ट्री के लिए, तो उसके लैंड रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें हास्टल भी अलाऊ किया गया है। लेकिन वह कब हुआ, यह आपकी जिज्ञासा का विषय होना चाहिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह मेरी जानकारी में नहीं है। पिछले राज ने अगर इसमें कोई संशोधन कर दिया हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे यह पता है, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ब्यावर में कोई फैक्टरी है, नगर निगम में आ गई है, बीकानेर या ब्यावर कहीं का जिक्र कर रहे थे। ऐसे नगर निगम, नगरपालिका क्षेत्रों में कोई इण्डस्ट्री आ गई है और वह इण्डस्ट्री जो बंद पड़ी है, या बंद होने की स्टेज पर है। अगर उस इण्डस्ट्री से उद्योग में लाभ नहीं मिल रहा है; आज के समय पूरे देश में रीयल एस्टेट का कारोबार इतना पनप रहा है, कि वह छोटा- मोटा रोजगार सौ-पचास मज़दूरों को मिल रहा है, धक्के खाकर इण्डस्ट्री चल रही है, अगर हमने उसको बंद करके संपरिवर्तन का प्रिविलेज उसको दे दिया, तो वह सौ लोगों का रोजगार भी जाएगा और वह भू-कारोबारी माफिया करोड़ों रुपये कमाएगा।

इसलिए इस पर बहुत ईमानदारी के साथ विचार करके इसको पारित करने की आवश्यकता है। मेरी व्यक्तिगत रूप से यह मंशा है।

इसलिए इतना निवेदन करते हुए, जन मत जानने का जो मैंने प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जन मत जानने के लिए प्रस्ताव किया है।

मैं काफी देर से हमारे सत्ता पक्ष के हमारे विद्वान माननीय सदस्यों की बहस सुन रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, दावा हमने ड्राफ़्ट किया, अगले ने जवाब दे दिया, गवाही करा दी, तगड़ी बहस कर ली कि मेरा दावा डिक्री किया जाए और लास्ट में एक सेन्टेंस बोल दिया कि मैं मेरा दावा वापस विथड्रा करता हूं। तो क्यों तो दावा किया? क्यों गवाही कराई? क्यों कोर्ट का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
समय खराब किया? तो यह स्थिति, मैं समझता हूं, अब कब तक चलेगी, कैसे चलेगी? यहां तो आपको ओम् शांति, ओम् शांति करना चाहिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यदि यह सदन पुनर्विचार करे और आसन नई व्यवस्था कायम करे, तो सब लोग तैयार हैं उसके लिए। यह तो परम्परा बनी हुई है। आप जब इधर बैठते हों, तो आप भी ऐसा ही करते हों।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं तो माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, अब ओम् शांति, ओम् शांति में हो, या कोई अलग ही राग है? अलग है ना? अलग है तो मुझे कुछ नहीं कहना और ओम् शांति में हो, तो फिर बात करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मेरे पर तो ओम् शांति की छाया भी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलिये, एक चीज से तो बचे आप।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन छोटे-छोटे जो अमेंडमेंट लेकर के आये हैं, पदनाम का है, सफाई समितियों का है और एक जो गैर-कृषि भूमि की बात है, उसको लेकर के है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप सफाई समिति बना रहे हैं, पहले से भी तो है ना सफाई समिति, सफाई समिति तो है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या नगर परिषद, नगरपालिकाओं में, नगर निगमों में सफाई कर्मचारी हैं? क्या शहरों में सफाई है? क्या आपके पास में कचरा निस्तारण का कोई ट्रीटमेंट प्लांट है? आज स्थिति यह है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां हैं नहीं, सफाई कर्मचारी है नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट हैं नहीं, सीवरेज आपने दे नहीं रखे हैं और जो पास कराये थे, हमने उसको वापस रोक दिया, किसी को कैंसिल कर दिया। बड़ी विचित्र स्थिति है, और फिर कह रहे हैं, हम समिति बनाएंगे। अगर समितियों से ही भला हो, तो फिर 50 वार्डों पर क्यों बना रहे हो? एक-एक वार्ड पर एक-एक समिति बना दो। मिल जाएंगे इतने आदमी तो।

माननीय सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि प्रधान मंत्रीजी ने नारा दे दिया। महीने, दो महीने तक नेताओं की फोटो और फोटो भी आजकल सुन्दर आने लग गई, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की और नेताओं की। क्योंकि मोदीजी ने एक कलर ऐसा दे दिया जाकेट का कि सारे पहनने लग गये। इसलिए फोटो भी कलर्ड आती है। हमारी तो व्हाइट की तो क्या आये।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हम खुद सांवले और व्हाइट क़मीज़ और यह पाजामा कुर्ता, इसलिए क्या फोटो आए?

तो केवल मात्र सफाई का नारा देने से, इनको जो शपथ, जब जन-प्रतिनिधि बनते हैं, उसमें शामिल करने से, मैं दो घंटे काम करूंगा, यह करूंगा, सौ घंटे सप्ताह में करूंगा, इनसे सफाई नहीं होगी, शहरों की जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए हमारी जो नगरपालिकाएं, जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करनी पड़ेगी, उनको बजट

(21.00 बजे)

देना पड़ेगा। उन सफाई कर्मचारियों की हमने चालू की थी भर्ती, कुछ जगह हमने किये, कुछ जगह नहीं हो पाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता है। केवल मात्र आप, अब सुन रहे हैं कि कानून आया है, बताते हैं, घंटे बजा कर, परिपत्र निकला है, घंटी बजायेंगे, कचरे वाला, कचरे वाला। दूध वाला सुनते थे, ब्रेड वाला सुनते थे, अब सुबह-सुबह कचरे वाला भी सुनना पड़ेगा और कचरे वाले की घंटी बजी और भग कर के, अगर कोई लेट सोया है और उठा नहीं और उसने कचरा नहीं डाला, तो वह घर में पूरे दिन कचरा रखना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो कहते हैं कि साठ साल हो गये, साहब, कांग्रेस ने ये नहीं किया, वह नहीं किया। पांच तो 2003 से 2008 में आपको मिल गये, फिर डेढ़ साल अब मिल गये, आपने एक भी शहर से कचरा साफ करने का काम, सफाई कराने का काम नहीं किया। पार्टी के अन्दर तो जरूरी कई तरह की उठा-पटक कर रहे हैं, लेकिन जो शहरों की स्थिति सुधरनी चाहिए थी, वह स्थिति नहीं सुधरी है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

दूसरा एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, 90-ए हो चुकी, 90-बी हो गयी, खातेदार ने प्लाट काट दिये, प्लाट काटने के बाद में उसको कुछ पट्टे भी मिल गये। उसके बाद में रोक दिया। कोई इनको पूछे कि क्यों रोक दिया? कि साहब, एस सी/एस टी की जमीन है, 1999 के बाद में काटी हुई है। तो आपका ही कानून था, आपके अधिकारी थे, आपने 90-ए या 90-बी, जो भी की है, आपने पट्टे जारी किये हैं। जब पचास प्लाटों में से दस के पट्टे जारी हो गये, तो उन चालीस को रोककर के आचार डालोगे क्या? उसमें मकान बन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
गये, लोग रह रहे हैं। उस पट्टे के अभाव में उसको न तो बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, न कोई और सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए यह जो व्यवस्था है इसको ठीक करने की जरूरत है।

एक और बहुत बड़ा मामला चल रहा है। मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि अपंजीकृत इकरारनामे थे, उनके आधार पर पट्टे जारी होते थे। एक कट आफ डेट थी। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, फिर वह टास्क फोर्स वाली बात आ जाएगी। मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): दिन छिप गया, रात हो गयी, बस।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आपका समय हो गया, लेकिन हमारा साढ़े दस बजे बाद में चालू होता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, उन ...(व्यवधान) कह दो, काका क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो, आप अपना...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): थोड़ा हाउस आर्डर में आए न।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): काका बोल रहे हैं कि ये घर से लड़ कर आये हैं, ऐसा लगता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब जब 12-12 बजे तक आप हाउस चलाओगे, तो क्या प्रेम होगा? लड़ाई ही होगी। और क्या होगा, आप बताओ। तो यह काम तो सत्ता पक्ष को करना चाहिए कि आठ बजे से पहले निपटा दें। तो झगड़े भी नहीं होंगे और आपका भी काम ठीक चलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक काम और हुआ है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षों से कालोनियां कट गयीं, लोग आबाद हो गये, उसके बाद में अब नोटिस दे रहे हैं। हमारे सीकर में तो यह मामला बहुत बड़ा चल रहा है कि एक कलक्टर आता है, नोटिस टिकाता है, अवैध कालोनियां कैसे बसीं? फिर मामला थोड़ा-बहुत सैट होता है। दूसरा कलेक्टर आता है, वह कहता है, अवैध कालोनियां

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कैसे बसीं? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो बसीं तो बसीं, आपकी नजरों में बसी, आपके अधिकारियों के सामने बसीं और जब लोग बस गये, तो आप उनको सुओ मोटू कार्यवाही करके, 90ए करके उनको पट्टे देने का काम करो। जो लोग बस गये, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? क्या हासिल होने वाला है? क्या ऐसा कानून है आपका कि जिसके माध्यम से आप जहां जो बस गये, उन लोगों को उखाड़कर के फेंक दोगे? गाड़िया लुहार नहीं जाता है, गाड़ी लेकर के बैठ जाता है। आपको उसको बसाना पड़ता है दूसरी जगह। करोड़-करोड़ रुपये लगा करके मकान बना करके बैठ गये। यह कहां के न्याय की बात है? आप पाबंद करिये कि कोई भी आदमी बिना नियमन कराये, बिना 90ए कराये, बिना प्लान अप्रूव कराये, वह कोई कालोनी नहीं काट सकता। लेकिन उसके साथ-साथ आपको यह इच्छाशक्ति भी रखनी पड़ेगी कि हम ईमानदारी से जो व्यक्ति आता है उसको फटाफट रिलीफ दें और उसका काम करें। नक्शे पास करने में टाउन प्लानिंग वाले इतना भ्रष्टाचार करते हैं, इतना तंग करते हैं कि कोई आदमी इधर टाउन प्लानिंग की तरफ सोच नहीं सकता है। आपको इस बात की जरूरत है, माननीय मंत्री महोदय। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको आगे चलकर के उनको रिलीफ देनी पड़ेगी..., आपको यह देखना पड़ेगा कि जो चीज हो चुकी है उसको तो हम रेगुलराइज करें और जो चीज अब होने जा रही है वह नियम विरुद्ध नहीं हो। इस बात की अगर व्यवस्था करोगे तो मैं समझता हूं...।

एक और, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सफाई की, रोड की, लाइट की, जो भी बातें हैं, एक कालोनी रेगुलराइज होती है, वह पैसे जमा कराता है। करोड़, दो करोड़, चार करोड़ रुपये उसकी कालोनी से आते हैं और उस कालोनी में उस नगर परिषद या नगरपालिका यू आई टी द्वारा एक रुपया खर्च नहीं किया जाता है। जहां राजनीतिक भेदभाव से या मान लीजिये, मेरा प्रभाव है तो मेरे कहने से कहीं भी पैसा लग सकता है, लेकिन उस कालोनी में जहां के लोगों ने कन्वर्जन चार्जेज दिया है, पैसा दिया है, वहां पर नहीं लगता है। क्यों? क्यों नहीं लगता? जब जिस कालोनी को आप रेगुलराइज कर रहे हो, जिससे आप नियमन के पैसे ले रहे हो, जिससे कन्वर्जन के पैसे ले रहे हो, उस कालोनी में यह नियम होना चाहिए कि उसी कालोनी में उसका पैसा लगेगा। मेरा दावा है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुओ मोटू लोग आएंगे, आकर के और नियमन करायेंगे। उस कालोनी वाले लोग आएंगे कि हमारा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रेगुलराइज भी होगा, पट्टा भी मिलेगा और जो पैसा हम देंगे, वह हमारी कालोनी में सड़क, बिजली के काम में आएगा। इसलिए इन चीजों को सोचने की जरूरत है।

एक दूसरा जो धारा-69 है, कि कौनसी है, कृषि के बारे में। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी करिये लेकिन इसकी एक समय-सीमा बांध दीजिये, आप कानून में परिवर्तन कराइये, लेकिन इसके साथ-साथ में आपको एक समय-सीमा बांधनी पड़ेगी कि आपने अगर 90ए के लिए एप्लाई किया है, नक्शा पास कराने के लिए एप्लाई किया है, आपने गैर-कृषि भूमि को कन्वर्ट कराने के लिए, उसको वापस लेकर के, वापस पट्टा लेने के लिए किया है, एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। आज मेरा प्रभाव है, मैं दस दिन में नक्शा पास कराकर ले आऊंगा। अगर किसी का प्रभाव नहीं है तो वह बारह महीनों तक पड़ा रहेगा। मेरी जमीन है, मैं प्रभावशाली हूं तो ,90ए उसकी तुरन्त हो जाएगी। अगर मैं नहीं हूं, दूसरा कोई, है गरीब आदमी है, तो उसकी दो साल तक नहीं होगी, तो ये इस तरह का जो भेदभाव है, यह तब मिटेगा सभापति महोदय, जब व्यवस्थित सारी बात होगी। जब जो व्यक्ति कालोनी काट रहा है, जो खातेदार जमीन के प्लाट काट करके अपना विक्रय कर रहा है, कालोनी बसा रहा है, उस व्यक्ति को यह तय हो जाएगा कि मैं इस नियम में जाऊंगा, यहां जाऊंगा, इतनी तारीख को एप्लिकेशन देऊंगा, इतने दिन में मेरा नक्शा पास होगा, इतने दिन में मेरी 90ए होगी, इतने दिन में मुझे पट्टा मिलेगा। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की यह स्थिति है।

टाउन प्लानिंग वाले, जब लेकर के आते हैं, एक हैक्टेयर से कम का अगर हम नक्शा पास कराते हैं, कोई कालोनी काटना चाहता है, तो उसमें 60:40 का रेशो रहना चाहिए। 60 प्रतिशत तक उस डवलपर को जमीन मिलेगी, 40 परसेंट उसको फैसिलिटी में छोड़नी पड़ेगी। जब टाउन प्लानिंग आफिस में आप जाओगे, तो वो कहेंगे कि हम तो 52 देंगे, हम तो 53 दे देंगे। चाय पिलाओ, काफी पिलाओ, फिर हम 55 दे देंगे, 55 से ऊपर किसी को नहीं देते। आपके बाप का माल है क्या? आप 55 दे दोगे, 54 दे दोगे, 52 दे दोगे। ये सेटिंग-वेटिंग चलती रहती है। यह तय होना चाहिए। कानून बड़ा स्पष्ट है कि जब 60:40 के रेशो में एक हैक्टेयर वाला कालोनी काट करके नक्शा पास करा सकता है, तो उसको 60 परसेंट तक कितना भी, वह जो लेकर आता है, उसमें आप क्यों नहीं देते हों? इतना भेदभाव है। इतनी असमानताएं हैं। एक को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

60 मिल रहा है, एक को 55 मिल रहा है, एक को 52 मिल रहा है। जैसी दक्षिणा, वैसा उसको माइलेज।

यह सारा का सारा सिस्टम जब तक बंद नहीं करेंगे, सरकारें कोई भी आयें, कानून कितने भी ले आयें, हमारा राज भी रहा है, आपका राज भी चल रहा है, लेकिन यह व्यवस्थाएं जो दृढ़ इच्छाशक्ति वाला अधिकारी, मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत ठीक होने वाला है, मुझे आशा है, क्योंकि जो अधिकारी अब इस महकमे में है वे इच्छाशक्ति रखते हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता भी है और वे करेंगे भी, लेकिन इसके माध्यम से केवल कानून लाकर हम इस तरह की कोई बात करें, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। केवल कानून लाकर रख दे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएं। आप सुविधाएं दीजिए, लोग लेने के लिये तैयार हैं। सभापति महोदय, मैं दृढ़ता से यह बात रख सकता हूं कि आपका जो सिस्टम है, जिसमें कालोनी काटने की बात है, सैंक्शन करने की बात है जो प्रक्रिया है उसमें सब शामिल होना चाह रहे हैं लेकिन इतना डर लगता है कि कहीं ऐसा अटका कर मारेंगे कि दुबारा वह व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पायेगा अधिकारियों की तरफ।

हमारे सीकर में यू आई टी है, आज बड़ी दयनीय हालत है, अधिकारी लड़ रहे हैं। वह कह रहा है ए ईएन मैं हूं, वह कह रहा है ए ईएन मैं हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आवासीय कालोनी गोविन्द, मेरे नाम से सभापति महोदय, गोविन्द नगर। पैसे ले लिये और पैसे लेने के बाद लिटिगेशन में वह फंस गई। नक्शा उन्होंने पास कराया नहीं था। पैसे वापस लेने जायेगा तो 500 रुपये कटेंगे। आज डेढ़ साल के लगभग हो गये, उस कालोनी में कुछ भी नहीं हो पाया, न सेक्रेटरी है।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप व्यवस्था सुधारिए।

एक विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में कल हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। हमीरपुरा रोड पर, माननीय मंत्री महोदय, हमीरपुरा रोड पर नगरपालिका ने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन ली और जमीन लेने के बाद में, उसको 12 महीने से वहां खुले में कचरा ला-लाकर डाल रहे थे। और वहां के आसपास के लोगों में, वहां मोदी इंस्टिट्यूट भी है, ढाणियां, खेतों वाले बसे हुए हैं, आबादी का एरिया है वहां रहना दूभर हो गया। उन्होंने प्रशासन को जितना कहना था कहा, लेकिन कहा, नहीं, यह तो ट्रीटमेंट प्लांट के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिए ली हुई है। वहां खुला कचरा डाल रहे थे, मरे हुए पशु डाल रहे थे। वहां के लोगों को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर में जाकर राजस्थान उच्च न्यायालय में गये। कल नगरपालिका को नोटिस मिला है।

यह कौनसा तरीका है? आपने लिया ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए और आप डाल रहे हो खुला कचरा और फिर कह रहे हो, सफाई समिति बना देंगे और जिस दिन सफाई समिति का यह एक्ट पारित हो जायेगा, फटाफट सफाई हो जायेगी, क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कह ही दिया कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय डोटासराजी, अब आप बहुत बोल चुके, थक भी गये होंगे। भोजन तैयार है आपके लिए। इसलिए अब आप खतम करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे पता है, आपने खाने की व्यवस्था कर रखी है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके लिए खाने की व्यवस्था कर दी मैंने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल खा कर ही जायेंगे। आज ऐसे नहीं जायेंगे इसीलिए बोल रहा हूं लम्बा। एक मिनट और लगाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे लक्ष्मणगढ़ में हमारी सरकार के समय सीवरेज पारित हुई। एक दिन पहले आचार संहिता लग गई, वरना हम उसका उद्‌घाटन कर देते। माननीय मंत्री महोदयजी को बार-बार निवेदन किया, पहले यह नहीं थे तब भी मैंने सदन में उठाया, हालांकि मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त तो कर रखा है कि आपकी सीवरेज देंगे, लेकिन डेढ साल तो हो गये ...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इसका मतलब आपकी मिलीभगत है मंत्रीजी से और यहां आप जो भाषण दे रहे हों, वह फालतू दे रहे हों।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, पक्की मिलीभगत है। यह तो जगजाहिर है, मिलीभगत तो। क्योंकि मंत्री तो यही हैं पूरे प्रदेश के, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं। इसलिए निवेदन तो इन्हीं से करना पड़ेगा।

इसलिए लक्ष्मणगढ़ को सीवरेज दीजिए, वह सीवरेज का हकदार है। डेढ़ साल बीत गये हैं...

श्री सभापतिः आज आप आसन को निवेदन कर दो, आपका निवेदन मैं मंत्रीजी तक पहुंचा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को करबद्ध निवेदन है कि आप निर्देशित फरमाएं कि लक्ष्मणगढ़ की सीवरेज शीघ्र पारित कराएं और कार्य चालू कराएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अनावश्यक नहीं बोलूंगा आपकी तरह। आप लक्ष्मणगढ पर आ गये; आप नेता कांग्रेस के हैं, लक्ष्मणगढ़ पर आ गये।

माननीय सभापतिजी, ...

श्री सभापतिः बोलने वालों में डाक्टर सिर्फ आपके नाम के आगे ही लगा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नगरपालिका संशोधन के लिए हम विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर स्वायत शासन की जो स्थिति है, मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब उसकी पुस्तक में भी था, दो महत्वपूर्ण काम थे, सफाई और प्रकाश; यह नाली शब्द तो बाद में आया, उस समय नहीं था, उस पुस्तक में ये दो बातें ही लिखी रहती थीं। जयपुर साफ-सुथरा दिखता था। पिछले 10 वर्ष में जितना गड़बड़ हुआ है ...(व्यवधान) यह जयपुर को गंदा करने का काम तो इन्होंने किया है। ये इस लायक नहीं हैं कि इस प्रकार के शहरों को चलाएं। जयपुर की हालत इन पांच सालों में ही खराब हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि लाइट का तो फिर भी काम चल जाये, लेकिन सफाई से, बीमारियां होने लग गईं, गांव सड़ते हैं।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, उनके पास न गार्डन बनाने की जगह है, न उनके पास कार्यालय बनाने की जगह है। इसी प्रकार से कुछ और सुविधाएं हो सकती हैं, मनोरंजन की सुविधाएं हो सकती हैं, उनके लिए चाहे सरकार को एक्वायर करना पड़े। मार्केट पहले से बना हुआ है, मकान तोड़ कर गली में मार्केट डवलप हो रहे हैं। इस कारण से निकला नहीं जाता, सभी स्थानों पर। सबसे पहले कोटा के कलेक्टर ने कोटा में नीचे दुकान ऊपर मकान, ऐसी व्यवस्था दी थी, वह विज्ञान नगर आज भी सुन्दर दिखता है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस प्रकार प्रत्येक, छोटी नगरपालिकाओं में भी और सब में ही कुछ सुविधाएं, कुछ मापदंड तय करें कि ये पांच चीज होनी चाहिये, आदर्श नगरपालिका के लिए पांच चीजें होनी चाहिये। इसमें सबसे पहले तो स्टाफ की बात आती है।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां छोटी नगरपालिका है, लेकिन उस छोटी नगरपालिका में विकास के नाम पर कभी पैसा दिया ही नहीं गया; दिया, तो क्षेत्रीय विधायक ने दिया, या क्षेत्रीय सांसदों ने दिया। उसके आधार पर विराटनगर डवलप हुआ, लेकिन और डवलपमेंट नहीं हुआ। कोई भी पक्का नाला नहीं है। जो बड़े बरसाती नाले हैं वे पक्के नहीं हैं। 35 वर्ष से कार्यालय भी नहीं है। वह सक्षम नहीं है। जब चूंगी थी तब तो फिर भी थोड़ी बहुत सक्षम होती थी। चुंगी के बाद, उसमें भी एक बड़ी जोरदार घटना हुई; जिन्होंने दो साल पहले से ठेके पर देना शुरू कर दिया उनको तो चौगुना पैसा मिल रहा है और जिनके ठेका नहीं था, खुद चला रहे थे, उनकी मात्रा और गई। आधार यह रहा कि उसके पिछले वर्ष में चुंगी की कितनी इन्कम हुई थी, उसके अनुसार भरण पोषण किया जाता है। इस कारण इसमें भी चेंज किया जाये। जैसे पंचायतों में पर-व्यक्ति मिलता है, वैसे पर-व्यक्ति विकास के लिए नगरपालिकाओं को दिया जाये। कोई भी पांच चीजें तय कर लें, ये पांच चीजें हमें करनी ही करनी हैं।

अतिक्रमण हटाने का काम तो बहुत दूर की बात है, नगरपालिका खुद पैसे ले लेती है, फिर कहते हैं आप कर लो। ईओ नहीं जाता, उनके कर्मचारी नहीं जाते। पहली बात तो कर्मचारी ही नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति है। जब यह अतिक्रमण होते हैं, तो नगरपालिका किसलिये है? मुझे तो नहीं लगता कि अतिक्रमण बनाये रखने के लिए किसी चेयरमैन को सस्पेंड किया हो। मैंने तो सुना नहीं। किसी ईओ को सस्पेंड किया हो, नहीं। दुकानें बन जाती हैं। एक गड़बड़ करता है, आगे की देखकर बना लेते हैं। फिर वह लटकता है। अगर ऐसा ही करना है तो 10 गुणा पेनल्टी लेकर क्यों नहीं रेगुलराइज करें? जब उनको रखना ही है, तो कम से कम इन्कम तो हो। अतिक्रमणियों से 10 गुणा पेनल्टी लेकर उस पर खर्च किया जाये तो नगरपालिका में सुविधा हो सकती है।

इसी प्रकार से मैं सुझाव और देना चाहूंगा। नगरपालिकाएं बन गईं, पंचायतें बन गईं। कुछ कस्बे ऐसे हैं जो न तो पंचायत की कैटेगिरी में हैं, न नगरपालिका की कैटेगिरी में हैं, जैसे माननीय सभापतिजी का ही खेजरोली

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

गांव है। पहले बस्सी को रिमूव कर दिया। ऐसे ही मनोहरपुर है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। कई स्टेटों में नगर पंचायत के नाम से अलग से एक कैटेगिरी है, वह बना दी जाये, तो कम से कम उनका भी विकास हो। मैं तो कई बार यह बात कहता हूं, आपके माध्यम से इनसे भी कहना चाहता हूं कि जो बीच के कैटेगिरी के हैं, ये नकल के शहर हैं और बिगड़े हुए गांव हैं। यह हकीकत है। क्योंकि कोई साज-सम्भाल होती ही नहीं। तीन प्लानिंग जब इंडिया में पूरी हो गई, तब एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री आया, 6 महीने घूमा और अंत में क्या कहकर चला गया, वह सौ फूल भी उस धरती पर उगाये जा सकते हैं जहां एक फूल भी उचित देखभाल के कारण से मुरझा जाता है। यही स्थिति आजकल नगरपालिकाओं की है।

अब पानी की बात और जुड़ गई। सड़क बनती है, फिर दो महीने बाद टूटती है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन डालनी है। मास्टर प्लान बनने चाहिए, मास्टर प्लान बने भी हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट...।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप इसके बारे में, वैसे तो गम्भीर है। पहले मंत्रीजी इतने गम्भीर नहीं थे जितने मंत्री बनने के बाद गम्भीर है, यह हकीकत है, वास्तव में। ये कुछ चीजें तय भी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को टारगेट, एक ग्रुप बनाया जाए कि ये पांच चीजें हमें कम्प्लीट करनी हैं, शहरों को, गांवों को सुन्दर बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, इतना ही निवेदन था।

मैंने जन मत जानने का जो प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की अनुमति दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

(अनुपस्थित) श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे देता हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2015 को मैंने जन मत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन किया। इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान की नगरपालिकाओं के बारे में, नगर निगम और नगर परिषदों के बारे में कहा। गांव की सरकार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत राज की संस्थाएं होती हैं और शहरों की सरकार नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। सभापति महोदय, आज नगरपालिकाओं के अन्दर संसाधनों की भारी कमी है। करीब-करीब जे ईएन से लेकर, इस संशोधन के अन्दर आप लेकर आये हैं कि आयुक्त की जगह उपायुक्त और अपर आयुक्त के पद भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके आयुक्त के पद ही राजस्थान के अन्दर भरे हुए नहीं हैं। 25 परसेंट नगरपालिकाओं के चार्ज, कहीं तो कोई सीनियर बाबू के पास हैं, कहीं ई ओ का चार्ज किसी एल डी सी के पास पड़ा है और राम भरोसे राजस्थान की नगरपालिकाएं चल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक पर आने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पहले सरकारी भूमि पर नगरपालिकाएं पट्टा जारी करती थीं और 80(2) की अपील कलक्टर के यहां होती थी और अगर पट्टा गलत जारी हुआ होता तो कलक्टर उसको निरस्त कर सकते थे। बाद में सम्भागीय आयुक्त के यहां अपील होती थी। बीच में यह सिस्टम सारा बदल गया। यह कब बदला, यह तो मुझे एग्जेक्ट पता नहीं, हो सकता है, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम यह बदला होगा, अब सीधा सम्भागीय आयुक्त के पास नहीं जाकर, कलक्टर निस्तारण करता है। वह डी एल बी या, हमने कई मामलों में देखा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा पहले के किसी मंत्री का, लेकिन उन्होंने सीधे आदेश किये कि कलक्टर इस अपील को नहीं सुन सकता, हमारा सेक्रेटरी सुनेगा।

मेरे नागौर और कुचेरा, कुचेरा नगरपालिका मेरे क्षेत्र में आती है। नागौर नगरपालिका है, वहां 400 नागौर नगरपालिका की, 400 अपीलें पिछले 15 साल से पेंडिंग पड़ी हैं डी एल बी के अन्दर। मंत्रीजी, मैं आपसे इस मामले में फेवर चाहूंगा। नागौर नगरपालिका की 400 अपीलें अगर विचाराधीन हैं, भू-माफिया हैं, अगर कलक्टर उनके पट्टे निरस्त करता है तो वह यहां आकर स्टे करा लेते हैं और उसके बाद पेशी बदलवाते रहते हैं। यहां जो सिस्टम है वह सारा आप जानते हैं। जब कोर्ट के अन्दर इतने मुकदमें पेंडिग पड़े हैं, तो यहां कौन सुनने वाला है? स्टाफ नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, तारीख पर तारीख लिये जाते हैं और फिर डी एल बी के अन्दर कोई सेक्रेटरी या प्रिसिंपल सेक्रेटरी उनके हिसाब का आता है तो वे अपने हक के अन्दर करवा लेते हैं।

सबसे पहले तो आप राजस्थान में एक काम कीजिए। अतिक्रमी और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भू-माफिया जितने भी हैं, सम्भागीय आयुक्त और जिला कलक्टर के माध्यम से, जो पहले का सिस्टम चलता था, वह सम्भागीय आयुक्त उन अपीलों को सुने, इस सिस्टम को आप वापस बहाल कीजिए। ऐसे लोग जो जमीनों का धंधा करते हैं, जमीनों के दलाल हैं, भू-माफिया हैं, सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं, जितनी भी अपीलें यहां कई सालों से पड़ी हैं, इनका तुरन्त निर्णय कराने के लिए आप एक कमेटी का गठन करें। जल्दी से जल्दी इस मामले में आप करेंगे तो निश्चित रूप से नगरपालिका और आपके स्वायत्त शासन डिपार्टमेंट के बारे में जो लोगों की धारणा है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, पहले लोग मेडिकल एंड हैल्थ का कहते थे, आजकल कहते हैं स्वायत्त शासन; इस डिपार्टमेंट की इमेज राजस्थान में तब ही बनेगी जब आप सिस्टम, ऊपर से, जयपुर से सुधारना ठीक करोगे और जाकर नीचे की ओर जाएगा।

मेरे नागौर नगरपालिका के अन्दर, पहले पालिका थी अब परिषद बन गई, ई.ओ. था, अब उसको कमिश्नर कहते हैं, दो बार ए सी डी ने उसको ट्रैप किया, उसका चालान पेंडिंग पड़ा है। तीन साल से उसने सैकड़ों पट्टे नागौर नगरपालिका के अन्दर काट दिये। कुचेरा नगरपालिका के अन्दर, अभी दो दिन से कुचेरा का कस्बा बंद रहा, लोगों ने वहां की ई.ओ. और चेयरमैन के खिलाफ हाइवे जाम किया। ए सी बी के अन्दर शिकायत दर्ज की। ए सी बी की टीम वहां पहुंची और 19-20 कार्यों की जांच की। 19-20 कार्यों की जांच करके ए सी बी ने पी.ई. दर्ज करने के लिए मुख्यालय को भेज दिया।

मंत्री महोदय, हम विपक्ष में हैं, माना कि खींवसर का बहुत बड़ा ध्यान रखते हों, लेकिन जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां गलत काम हो रहा है और वह बात अगर हम लेकर आते हैं कि फलां जगह भ्रष्टाचार हुआ, उस मामले में भी आपको गम्भीरता से ध्यान देना होगा। आप ध्यान देते हों, इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। अगर कोई ध्यान देने वाला मंत्री नहीं होता, तो मैं सारी बात आपको नहीं कहता। क्योंकि कालीचरणजी को मैं कोई बात बताता ही नहीं। ये ध्यान नहीं देते मेरी बात का, कम देते हैं।

मंत्री महोदय, कुचेरा नगरपालिका, नागौर नगरपालिका, कुचेरा की ई.ओ. को तीन बार ए पी ओ किया, ऐसे क्या कारण रहे कि तीन बार ए पी ओ करने के बाद उसको वापस वहीं पर लगा दिया? सरकार में क्या उसकी हैसियत है? लोग उसकी शिकायत करें, सारे सरकार के लोग भी खिलाफ, फिर वहां बैठी है। कांग्रेस के लोगों का वर्चस्व उसके ऊपर है और बी जे पी के राज में उसकी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दुकान चल रही है। तो कम से कम ऐसे लोगों को आप वहां से बाहर करें ताकि जनता को राहत मिले। कुछ कागज भी मैं इस मामले के आपको दूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के निगमों की शक्तियों को मजबूत करने की बात इसके माध्यम से कही गई है, लेकिन अपर आयुक्त और उपायुक्त के पद होने के बाद आपस में ग्रुप इन नगर निगमों और नगर परिषदों के अन्दर बनेंगे। अगर पावर अलग-अलग जगहों पर जाएगा, तो निश्चित रूप से इनके झगड़े बढ़ेंगे, ग्रुप बनेंगे।

सभापति महोदय, नये पट्टे देने की योजना में आप जो संशोधन कर रहे हैं कि गैर-कृषि भूमि, अब गैर-कृषि भूमि कौनसी होगी, आप बताओ। नगरपालिका, नगर निगम क्षेत्र के अन्दर गैर-कृषि भूमि तो बची ही नहीं। गोचर, अगोर और यह बचा है और अगर इनके ही पट्टे आप दे दोगे... और इसके अन्दर आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि किसी की खातेदारी की जमीन है, कृषि की जमीन है, वह अगर उसमें पट्टा लेना चाहे, तो वह कैसे लेगा? यह मामला भी संशोधन विधेयक के माध्यम से स्पष्ट नहीं है। पहले ही नगरपालिकाएं कई जगह अगोर और चरागाह में पट्टे दे चुकी हैं। यह विधेयक, यह सता अगर इनके हाथ में आ जाएगी, तो ये तो राजस्थान के अन्दर लूट मचा देंगे।

सभापति महोदय, आज नगरपालिका का मुख्य काम क्या रह गया, शहर की सरकार का, कि शहर के अन्दर बिजली की व्यवस्था करें। राजस्थान के किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में, जयपुर में भी, पूरी रोड लाइट ठीक नहीं मिलेंगी। जहां नगर निगम है, पूरा शासन यहां से चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। जयपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार की गूंज तो पूरे देश के अन्दर रही थी। पूर्ववर्ती महापौर और उनके कमिश्नर के बीच झगड़ा चला; पहले जयपुर के आई ए एस अधिकारी थे, वे जेल में बैठे हुए हैं; महापौर पर भी ए सी बी के मामले दर्ज हुए। इन्होंने इधर-उधर हाथा-जोड़ी करके शायद एकाध मामले में तो राहत प्राप्त कर ली है।

सभापति महोदय, कचरा निस्तारण की बात लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। कचरा निस्तारण संयंत्र मेरे हिसाब से करीब-करीब कोई दो-पांच शहरों के अन्दर बन गये होंगे, बाकी तो हाल बेहाल हो रहे हैं। हमारे नवलगढ़ के साथी यहां बैठते हैं, रोज वे नवलगढ़ क्षेत्र के अन्दर कहते हैं कि सुबह जल्दी, क्योंकि रात को तो लोग ऐसी जगह पर कचरा उठाकर, लोगों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के घरों के आगे ले जाकर डाल देते हैं। दिन में तो डालने नहीं देते। अंधेरे के अन्दर लोग जगते रहते हैं और जैसे ही उनको सुबह 3-4 बजे नींद आती होगी, तो जाकर पुलिस के जरिये उस कचरे को..., वे आपके पास भी आये होंगे, उन्होंने अपनी समस्या रखी होगी।

तो हालात ये हैं कि जो जागरूक लोग हैं, जो सदन में अपनी बात कह रहे हैं, कालेज-विश्वविद्यालय से आये हैं, हम हमारी बात कहते हैं, लेकिन जब हम हमारी समस्याओं का ही समाधान यहां नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आम आदमी की समस्या का समाधान कैसे होगा? आप बताइये। यहां तो हालात ऐसे हैं, सभापति महोदय, हमारा सौभाग्य है कि दोनों बार यहां चेयर पर आप बैठे हों, बोलने का मौका मिल गया, सवा-डेढ़ महीने से तो श्रवणजी और हम बोलने के लिए ही कर रहे हैं। हमारा बोलने का संघर्ष चल रहा है।

सभापति महोदय, स्वच्छता अभियान आपके प्रधान मंत्रीजी ने चलाया, बहुत अच्छा लगा। फोटो भी छप रही है। आपके मंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, उनके साथ आई ए एस लगा रहे हैं। देश के मंत्री दिल्ली की सड़कों पर लगा रहे हैं। झाड़ू पार्टी आई जिसने आपके ऊपर झाड़ू लगा दी दिल्ली के अन्दर, पूरा साफ कर दिया। लेकिन राजस्थान में कहीं सफाई का और स्वच्छता अभियान का नतीजा हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी आप कहीं भी चले जाओ।

अभी स्वाइन फ्लू फैला। मेरे नागौर जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुई स्वाइन फ्लू से। वह शहरी क्षेत्र के अन्दर, सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू शहरी क्षेत्र के अन्दर हुआ। बीमारियां फैलीं।

'रुडिप' की जो आपकी योजनाएं चल रही हैं, उन्होंने जगह-जगह पाइपलाइनों को तोड़ दिया। पीने के पानी, पेयजल; जो सीवरेज लाइनों की बात थी; अभी भी 'रुडिप' का काम हमारे वहां पर पूरा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा राजस्थान के अन्दर 'रुडिप' का काम पूरा नहीं हुआ होगा।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं का काम, अग्निशमन के यंत्र, आग बुझाने की जो मशीन है, जब आग पूरी तरह लगकर और पूरा नुकसान, गांव जल जाता है, तब इनकी मशीन स्टार्ट होकर वहां पर जाती है। क्योंकि वह धक्का स्टार्ट गाड़ी है। किसी में ड्राइवर नहीं है।

चेयरमैन और ई.ओ. का गाड़ी को लेकर हमेशा झगड़ा रहता है। एक गाड़ी है, ड्राइवर कहीं चला जाता है। उसका मोबाइल बंद मिलता है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं, इनके पास जे.सी.बी. मशीन नहीं। कोई तो पंक्चर मिलती है, किसी के हालात कुछ नहीं। कचरे के ट्रैक्टर नहीं।

कुछ भर्तियां जरूर नगरपालिकाओं के अन्दर की गयी थीं लेकिन उन भर्तियों से भी कोई बहुत बड़ी राहत इस डिपार्टमेंट के अन्दर नहीं मिली। अभी भी आपके 70 प्रतिशत पद राजस्थान के अन्दर खाली हैं। जब आपके पद ही नहीं भरे जाएंगे, तो सफाई व्यवस्था की बात करना बेमानी होगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मेरे नागौर के अन्दर एक ओवरब्रिज बना था। 60 साल जिन लोगों ने वहां वोट लिये, उन्होंने कभी विकास की बात नहीं कही। हमेशा बरगला कर वोट लिये। पहली बार एक पुल वहां पर बना, नागौर के अन्दर, हमारे नागौर विधायक महोदय के गांव की तरफ जाता हुआ, बासनी। वह पुल ठीक है क्या, एम.एल.ए. साहब? वह पुल ऐसा बना है, सभापति महोदय, उसमें 20 एक्सिडेंट तो एक साल के अन्दर हो गये। ऐसा पुल, राजस्थान के अन्दर भद्दा पुल, जो किसी भी तरह, उसकी जांच अगर कराई जाए, मंत्री महोदय, उस पुल की अगर जांच कराई जाए, तो उस पुल की जो सीमेंट थी, वह ठेकेदारों ने करीब-करीब बाहर ही बेच दी। उस पुल को इस हिसाब से, बिना नक्शे के पास कराकर, उस पुल पर करोड़ों रुपये राजस्थान सरकार के खराब किये। जहां पुल बनाने की आवश्यकता थी, बीकानेर...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): यह कौनसी सरकार में पुल बना? कांग्रेस? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट बोलने दें ना। (व्यवधान)

ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता, सभापति महोदय, जहां सबसे ज्यादा जरूरी था, वह हमारा मानासर, जो नेशनल हाई-वे 65 है, नागौर-जोधपुर रोड, इस पर बनता; या बीकानेर की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहां पुल अगर बनता, तो निश्चित रूप से नागौर के लोगों को उसका फायदा होता।

सभापति महोदय, मेरी नागौर नगरपालिका, पिछले 6-8 महीने के अन्दर भ्रष्टाचार की गूंज पूरे राजस्थान में रही। कई बार ए.सी.बी. वहां पहुंच गई, 7-8 मुकदमे भी ई.ओ. के खिलाफ और दर्ज हो गये। मैं मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जिनको ए.सी.बी. ट्रैप कर चुकी है, ऐसे लोगों को समय रहते आप वहां से हटाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा।

सभापति महोदय, शहरी सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का बजट लेप्स होने के कगार पर है। कुल बजट 1,128 करोड़

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रुपये था, विकास मद पर 440 खर्च होने थे, लेकिन सिर्फ 86 करोड़ हुए। निगम के कोष में करीब 100 करोड़ की वृद्धि, रुपये पड़े हैं, फिर भी शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पंचायतों के अन्दर आप एक्ट लेकर आये कि पढ़े-लिखे सरपंच होने चाहिए, पंचायत समिति के मेम्बर होने चाहिए। तो नगरपालिका के चुनाव जो पहले हो गये, उनमें तो अब, आप जानो, कैसे करोगे, लेकिन अब जो अगस्त के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे, उनके अन्दर निश्चित रूप से वार्डों का पुनर्सीमांकन आपने कर दिया होगा, उनमें दसवीं और बारहवीं पास कम से कम वार्ड का पार्षद बने और जो चेयरमैन बने वह ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था आप करें तो ज्यादा अच्छा मेसेज जाएगा।

सभापति महोदय, 90-बी की गूंज पूरे देश में रही और पिछली जो सरकार बनी उसने शर्म के मारे इस 90-बी का नाम ही हटा दिया और 90-ए रखा। ऐसा कहते हैं कि तीन लाख रुपया प्रति बीघा के हिसाब से ऊपर तक पैसा जाता था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो निवेदन और करूंगा। सभापति महोदय, आजादी के 60 साल बाद इतना बहुमत, जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इससे ज्यादा बहुमत पहले किसी भी सरकार को नहीं मिला। आपको इन नगरपालिकाओं को, नगर निगमों को और यह जो आपकी, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको चलाने के लिए अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। आप उसी अधिकारी को लेकर आये हैं, जिस अधिकारी के खिलाफ, जब आप विपक्ष में बैठा करते थे, मैं भी आपके साथ था, तब आपने कहा था कि इस अधिकारी ने रोडवेज को डुबो दिया। यह रोडवेज के अन्दर एक मैनेजर, जो सीकर में लगा था, उसके फार्म हाउस पर, घर पर अकसर जाया करता था। यहां विधान सभा स्थगित हुई थी। उसी अधिकारी के भरोसे पूरा राजस्थान चल रहा है, जिसके भ्रष्टाचार के कारनामे पूरा राजस्थान जानता है। उस अधिकारी पर सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों है? सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे बदनाम अधिकारियों को अगर आप रखोगे, जो हमारे जिले में भी नियुक्त रहे थे...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): संशोधन पर बोलो, संशोधन पर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह संशोधन ही कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रात के पूरे 11 बज गये। क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): संशोधन पर बोलो। इस पर मत बोलो आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): विधेयक पर बोलें। विधेयक पर बोलें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ऐसे बदनाम अधिकारी, जिनका चाल-चरित्र, चेहरा अच्छा नहीं है, उन्हें आप दूर का रास्ता दिखाएं। तब जाकर राजस्थान में संदेश जाएगा कि आप भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास राजस्थान के अन्दर कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदीजी, प्रधान मंत्रीजी की जो भावना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, कैसे बनेगा भ्रष्टाचार-मुक्त भारत? जब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले लोग बैठे रहेंगे, तो भ्रष्टाचार-मुक्त भारत नहीं बन सकता।

मैं इस संशोधन विधेयक को, जो आप लेकर आये हैं, इसमें इस विधेयक को लाने से बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। यह भू-माफियाओं को फायदा होगा। निश्चित रूप से भू-माफियाओं को, चाहे जैसे पट्टे, वह अगोर, गोचर और जो भी कृषि भूमि है, उसको गैर-कृषि भूमि बता कर लेंगे। पहले ही नगरपालिकाएं भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। तो मैं इस विधेयक को, जो आप संशोधन लाये हैं, इनको जन मत जानने के लिए परिचालित करने का आग्रह करता हूं और, सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का फिर ध्यान आकर्षित करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को आप लेकर चलोगे तो पिछली बार आप इधर ही थे, फिर वह दिन दूर नहीं, अब की बार 22 की संख्या से हो सकता है कि 10-12 पर आ जाओ। तो समय पर ही ध्यान रखना है। इन लोगों ने, नागौर के अन्दर दुनिया भर की खानें ले लीं, जहां वे कलक्टर थे; जयपुर के अन्दर फार्म हाउस ले लिये और चाहे जो गुण्डागर्दी राजस्थान के अन्दर इन्होंने की। जो चला गया, उसको छोड़ा नहीं और सारे कुकृत्य...। राजस्थान के ऐसे लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाएं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री अमृतलाल।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री):

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान म्यूनिसिपेलिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2015 के तहत, मैं समझता हूं, जिस प्रकार की चर्चाएं बाकी मामलों को लेकर हुईं, उन पर मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता और मैं अमेंडमेंट पर ही बात करना चाहूंगा। जोगारामजी मेरे हाथ जोड़ रहे हैं। जोगारामजी बोलते हैं, तब मैं हाथ जोड़ता हूं। कोई सुनता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत सही कह रहे हैं आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सेक्शन 2 के क्लाज (13) में जो एग्जस्टिंग प्रोविजन हैं, उसके अन्दर चीफ म्यूनिसिपल आफिसर का मतलब कारपोरेशंस के अन्दर चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर एण्ड कमिश्नर है। सारी की सारी म्यूनिसिपेलिटीज में, जहां-जहां भी जाते हैं, वहां पर कमिश्नर का ही पद है और कमिश्नर के नीचे जो काम करने वाले हैं, उनका डिप्टी कमिश्नर का पद है। लेकिन राजस्थान के कारपोरेशंस के अन्दर एक सी.ई.ओ. और कमिश्नर, बाकी भी कमिश्नर, हैडक्वार्टर कमिश्नर, ईस्ट कमिश्नर, वैस्ट कमिश्नर, सिविल लाइन्स कमिश्नर, एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक कमिश्नर सी.ई.ओ. है, एक कमिश्नर फलाणा है, एक कमिश्नर फलाणा है, एक कमिश्नर फलाणा है। तो यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौनसा कमिश्नर कौनसा है। पूरे हिन्दुस्तान में, सब जगह, जहां भी देखते हैं, वहां पर, जैसे जे.डी.ए. में एक कमिश्नर है, बाकी एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, या जोइंट कमिश्नर हैं। यहां जो अनोमली थी इस डेजिग्नेशन के अन्दर, इसकी यूनिफोर्मिटी पैदा करने के लिए इसको लाया गया है।

अब लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कमिश्नर शब्द एक्ट में नहीं है। इस एक्ट में चीफ म्यूनिसिपल आफिसर का नाम है और चीफ म्यूनिसिपल आफिसर्स बताएंगे कि कौन चीफ म्यूनिसिपल आफिसर, कौन। कारपोरेशन के अन्दर चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर एण्ड कमिश्नर, बाकी कमिश्नर और बाद में एक्जिक्यूटिव आफिसर। अब इसको हमने साफ तौर पर कर दिया है कि नगर निगम के लिए चीफ म्यूनिसिपल आफिसर का मतलब है कमिश्नर, म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए भी कमिश्नर एक और म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर एग्जीक्यूटिव आफिसर। इस चीज को बड़ा साफ कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे लोगों की समझ, इस एक्ट के तहत जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों की डेजिग्नेशन की समझ में बढ़ावा मिलेगा।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपने सेक्शन-55 की धारा 3(2) में जो पहले एक 'a health and sanitation committee' हुआ करती थी, उसमें हमने बदलाव करके कहा है कि 'one or more health and sanitation committees.' लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हम मोदीजी से प्रेरणा लेकर कमेटियों को बढ़ा रहे हैं। मोदीजी से प्रेरणा लेने के लिए कई जगह हैं, हम सबको लेनी चाहिए लेकिन आप जानते हैं कि यह म्यूनिसिपल एक्ट बहुत पहले से बना हुआ है और म्यूनिसिपल एक्ट जब बना था तो जयपुर का भी बहुत बड़ा विस्तार नहीं था, जोधपुर का बहुत बड़ा विस्तार नहीं था, उदयपुर का विस्तार नहीं था। म्यूनिसिपेलिटीज हुआ करती थीं, अब कारपोरेशन में तब्दील हो गयीं। जयपुर कोई जमाने में दो-तीन लाख की आबादी का शहर हुआ करता था, आज 30 लाख की आबादी का शहर है। इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। इसका ओर-छोर मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पर एक इलेक्टेड हैल्थ कमेटी, सफाई कमेटी और उस कमेटी का चेयरमैन, जिस पर यह मोटे तौर पर उसको मोनिटर करने की जिम्मेदारी है। जयपुर में 91 वार्ड, 30 लाख लोग और सफाई रोज का काम; सुबह का काम, रात का काम।

एक म्यूनिसिपेलिटी है, जहां से मैं चुनाव जीत कर आता हूं, माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक म्यूनिसिपेलिटी है, जोबनेर। सात हजार लोग, सबसे छोटी। वहां पर भी एक कमेटी है। जयपुर में 30 लाख लोग, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर- एक हैल्थ कमेटी, एक सफाई कमेटी, एक चेयरमैन। एक चेयरमैन पर जिम्मेदारी है उसको मोनिटर करने की।

इसलिए यह देखा गया कि इसको डि-सेंट्रलाइज जब तक हम नहीं करेंगे, जैसा कि विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो म्यूनिसिपेलिटी के दो मौलिक काम देखा करते थे, सफाई और बिजली, तो मौलिक काम सफाई और सफाई का काम इतना बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गयी। तो इस काम की इफेक्टिव मानिटरिंग कैसे हो और सफाई का जिसका मौलिक काम है, उसमें सुधार कैसे हो, इसकी चिंता पहली बार की गयी है और इसीलिए किया गया कि 1 से लेकर 50 तक जहां पर वार्ड हैं, वहां पर एक कमेटी और जहां 51 से लेकर 75 वार्ड हैं, वहां पर दो कमेटी और जहां जयपुर जैसे शहर में 75 से लेकर ज्यादा वार्ड हैं, वहां पर तीन कमेटी है। मैं समझता हूं कि इस प्रोविजन से बड़ा पोजिटिव और माइक्रो लेवल पर सफाई की मानिटरिंग किस प्रकार से की जाए,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत))

इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इस इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन समितियों की संख्या में वृद्धि की है। मैं समझता हूं कि इसका समर्थन, बाकी सब लोगों ने कहा है और आपने भी समर्थन किया है, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन समितियों की संख्या के बढ़ने से, इनके चेयरमैन के बढ़ने से, जयपुर समेत सारे प्रदेश के अन्दर जहां-जहां समितियां एक से दो ज्यादा बनेंगी, दो बनेंगी या तीन बनेंगी, वहां निश्चित रूप से सफाई के काम के अन्दर प्रगति होगी; सफाई के काम के अन्दर सफाई हो रही है, यह रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा।

माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 69-A पर बड़ी चिंता व्यक्त की गयी कि इनकी लैंड क्या है? लैंड को डिफाइन नहीं किया गया। लैंड को डिफाइन करते कि साहब, रेवेन्यू में कहा गया है, इसमें उन्होंने लैंड को डिफाइन किया है, वह लैंड को डिफाइन वही है। इसमें दिक्कत क्या है? Land as land is. आगे भी डिफाइन किया है। हम यहां यह कहना चाहते हैं कि "Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease dead"

किसी ने कहा कि साहब, गोचर बेच देंगे; किसी ने कहा कि सिवायचक बेच देंगे; किसी ने कहा कि इंडस्ट्रियल को हम कन्वर्ट कर देंगे। हम ऐसी कोई जमीन को, इसके अन्दर सरेंडर करने वाली जमीन, जिसके अन्दर if any advance record is available, अगर उस भूमि के बारे में कोई एडवांस रिकार्ड अवेलेबल है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसमें हमारा परपज यह है कि कोई आदमी लगातार अपनी जमीन पर काबिज है, कागज नहीं बना पाया, वैलिड कागज आफ आनरशिप नहीं है; वह मालिक है, पैरेंटल प्रोपर्टी है, लगातार रह रहा है, उसके कब्जे में है; वह ही मालिक है, उसके पिताजी भी मालिक थे, दादा मालिक थे, लेकिन आनरशिप का वैलिड डाक्यूमेंट नहीं है; उसको रहन नहीं रख सकता, उस पर ऋण नहीं ले सकता, उसको बेचान में उसके तकलीफ है। उसकी कोई गलती नहीं है। केवल इतनी सी गलती है कि जो आनरशिप का डाक्यूमेंट जिस प्रकार से वैलिड होना चाहिए, उसका कोई प्रोविजन नहीं था। उस प्रोविजन के अभाव के अन्दर वह आदमी डिप्राइव्ड हो रहा है अपने राइट से। उसका सम्पत्ति पर वाजिब अधिकार बन सके, उसका वैलिड डाक्यूमेंट बन सके, यही इसकी मंशा है और यही इसका परपज है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हम डिफाइन करेंगे रूल्स में।

इसमें फर्दर अगर किसी प्रकार की जो चिंता आपके मन में है, जरा-सी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
भी कोई चिंता है, तो मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें चिंता मुक्त हो जाना चाहिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपको लेकर चिंता नहीं है। पिछले राज में जो किया था, जितनी जमीन थी, उसको हथियाने का प्रयास हुआ। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा में भी हुआ है, साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से जो सम्पत्ति-धारक है, जिस सम्पतत्ति-धारक को उस जमीन के ऊपर वैलिड कागज नहीं मिलने के कारण ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मंत्री महोदय, हमारे भीलवाड़ा में तो डालडा मिल और मेवाड़ मिल के 1,500 करोड़ के घोटाले हो चुके हैं इस कारण से। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अमेंडमेंट तो आज ला रहा हूं, घोटाले पहले ही हो गये? (व्यवधान) उस जमाने में? हां?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वे दोनों इंगित कर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह 69-A का जो इंसर्शन है, यह इंसर्शन यहां पर नहीं होकर 71 में होना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 71 है, "Allotment, regularization, etc. of certain lands." It is not regularization. It is not an allotment. 69 कहता है-"Acquisition of property." यहां मैं जमीन को सरेंडर करूंगा; प्रोपर्टी मेरी है, मेरी प्रोपर्टी को सरेंडर करूंगा। इसलिए 69 के अन्दर हमने यह इंसर्शन करके इसका इस्तेमाल किया है और 71 में आने का कोई रेलेवेंस नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह भी चिंता व्यक्त की है कि हम कमेटियां तीन-तीन बना रहे हैं, सफाई की समितियां तीन-तीन बना रहे हैं। अब तीन-तीन सफाई समितियों का जुरिस्डिक्शन कैसे बंटेगा? उनमें आपस में कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट होगा; डिफाइन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आलरैडी सेक्शन-55 यह कहता है कि "Provided that the State Government may, looking to the functions of a Municipality, increase the maximum limit of

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

committees specified in this clause." 'this clause' means clause 3. (4) The Executive Committee and the committee mentioned in sub-section(3) may exercise, perform and discharge such powers, duties and functions as may be prescribed in rules." इन रूल्स में, चूंकि यह सेक्शन पहले इंसर्शन लाया है, इन रूल्स में हम प्रोविजन करेंगे। इस प्रकार से कोई भी जुरिस्डिक्शन के मामले में किसी प्रकार का कांफ्लिक्ट हो जाएगा, यह शंका रखने की कोई जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक केवल कमिश्नर था, अब हमने कहा कि इसमें कोई डि-सेंट्रलाइज किस ढंग से किया जाए? कमिश्नर रहा है, वहां पर एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट को क्रिएट किया गया है, डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट को क्रिएट किया गया है। और ज्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक को-ओर्डिनेटेड मानिटरिंग के लिए ये जो पद बनाये गये हैं और इसके लिए सेक्शन 332 के अन्दर पोस्ट का क्रिएशन है एडिशनल कमिश्नर का और डिप्टी कमिश्नर का और इसी के तहत 332- 1 (i) के अन्दर स्टेट को अधिकार मिले हैं जिसके तहत वह इन नई पोस्टों को, एडिशनल कमिश्नर और और डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स का डेलीगेशन कर सके।

मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के, इन परिवर्तन और संशोधनों के करने के बाद म्यूनिसिपल एक्ट के अन्दर इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, इसके अन्दर माइक्रो लेवल पर म्यूनिसिपेलिटीज सफाई में किस प्रकार से ज्यादा इफेक्टिव हो पाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव डि-सेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से हो पाए और पदनाम के अन्दर यूनिफार्मिटी किस प्रकार से हो जाए और नगरपालिकाओं के क्षेत्र में वे लोग जो सम्पत्ति के वैध मालिक होते हुए भी जिनको आज वैध डाक्यूमेंट नहीं हैं, उन लोगों को वैध डाक्यूमेंट मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि इन सब कामों के तहत अगर काम चलेगा तो आने वाले समय में म्यूनिसिपेलिटी एक्ट की इफेक्टिवनेस हम सबके सामने आएगी। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री मदन राठौड़, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक पर जन मत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 5। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं... (व्यवधान)

विधेयक का पारण

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

अनेक माननीय सदस्यः पारित कराओ, साहब।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कालीचरणजी को दे देना ना।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी आज्ञा हो, तो। कोई संशोधन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह जो सारी...(व्यवधान) दो मिनट बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह डायना वाले पर बोल लेना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह जो सारी कवायद की गयी है, उसके बारे में सदन को बताना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग ध्यान से सुनिये। महापौर रहे हुए हैं। आखिर ऐसे थोड़े हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह सारी कवायद केवल अधिकारियों के कहने पर की गयी है। इसलिए आपको रिप्रजेंटेशन दिया था कि इस चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर की जगह कमिश्नर नाम रखा जाये। क्या किसी आफिसर ने कहा? क्या किसी म्युनिसिपेलिटी ने कहा? या किसी कारपोरेटर ने कहा? क्यों?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि तीन सफाई समितियां बनाने के लिए प्रतिबन्ध कहां है? इस पूरे एक्ट में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं जब मेयर था, तब म्यूनिसिपल कारपोरेशन में तीन सफाई समितियां थीं। मैं खुद उसका महापौर था, इसलिए मैं बता रहा हूं और इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी। विश्व महापौर सम्मेलन हुआ था, उन सफाई समितियों में काम को देखने के लिए लोग आये थे, कच्ची बस्ती समितियों के लोगों को देखने के लिए आये थे।

तीसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, संक्षेप में, कि आप यह कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि को पट्टे देने की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो, बहुत सारे लोग बाप-दादाओं के जमाने से यहां रह रहे हैं। तो स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे कैसे नहीं दिये जा रहे हैं? स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे देने का अधिकार म्यूनिसिपल कारपोरेशन को, म्युनिसिपेलिटीज को है। अब आप यह नया बिल लाकर, नई चीज लाकर, क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं?

आखिर आप विद्वान मंत्री हैं और...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप महापौर नहीं रहे। विश्व महापौर सम्मेलन में नहीं गये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप विद्वान मंत्री हैं, आप इस एक्ट के बारे में, इस म्यूनिसिपल एक्ट के बारे में एक कोई कमेटी बनायें। वह कमेटी, इस म्यूनिसिपल एक्ट में क्या-क्या संशोधन हो सकते हैं, जनता को इससे क्या फायदा हो सकता है और जनता को जो तकलीफें हैं, उनको किस प्रकार से हम संशोधनों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उस बात के लिए आपको अधिकारियों ने कह दिया, तीन-तीन कमेटी बना दीं; आपको अधिकारियों ने कह दिया, इसका नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दिया। स्टेट ग्रांट एक्ट का आपने ध्यान नहीं रखा।

ये सब काम हो रहे हैं। इसके बिना कोई काम रुक नहीं रहा है।

श्री सभापतिः आप यह कहना चाह रहे हैं कि यह विधेयक किसी अधिकारी के कहने से आया है, इन्होंने अपने विवेक से नहीं बनाया है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ये विद्वान मंत्री हैं और इन्होंने इस प्रकार से यदि यह बात पूछ ली होती कि क्या प्राब्लम है इसमें, लोगों से राय ले ली होती, तो निश्चित रूप से...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से, इनको नगर निगम का संरक्षक बना दिया जाये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय कोटा और बाहर के विधायकों से न पूछें, तो समझ में आता है। जयपुर वालों से भी न पूछें, यह बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, सीधा आक्षेप लगा रहे हैं और यह इसलिए लगा रहे हैं, कि मंत्री इनसे ज्यादा इंटेलीजेंट हैं। इसलिए लगा रहे हैं ये। और ये महापौर रहे, क्या किया, क्या नहीं किया, यह सारा देश जानता है। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह सारी कवायद बेकार है। आप चाहे इसको कमिश्नर कह दीजिये, चाहे आप नान-एग्रीकल्चर लैण्ड पर पट्टे देने की बात कर लीजिये, कुछ भी कर लीजिये, ये सब काम म्यूनिसिपेलिटीज में आज भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे।

मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायें इस म्यूनिसिपल एक्ट को ठीक करने के लिए, और इसमें सबसे पहले आप लाइये म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट। क्या 40 लाख की जनसंख्या का शहर,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

वो भी इसी से गवर्न होगा? जो 5 लाख की जनसंख्या का शहर है, वह भी इससे गवर्न होगा? और एक लाख जनसंख्या वाला शहर भी इसी से गवर्न होगा? 50 हजार जनसंख्या वाला म्यूनिसिपल बोर्ड, वह भी इसी एक्ट से गवर्न होगा? मैं नहीं समझता। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, यह सिस्टम आफ पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ डेमोक्रेसी है। एक प्रेसिडेंशल सिस्टम आफ डेमोक्रेसी है। आप बताइये कि हमारी म्यूनिसिपेलिटीज कौनसे सिस्टम से चल रही हैं? न तो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ डेमोक्रेसी चल रही है और न प्रेसिडेंशल सिस्टम आफ डेमोक्रेसी चल रही है। चेयरमैन की भी नहीं चल रही है और कमिश्नर की भी नहीं चल रही है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, गम्भीर होने की जरूरत नहीं है। भाषण के लिए ही बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कोई बात नहीं, आप मत सुनिये, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन में जब सभापति के पद पर स्वयं मेयर बैठता हो, स्वयं चेयरमैन बैठता हो, तो किस प्रकार से अपने विरोध की बात सुनेगा? वह किस प्रकार से बोर्ड को चलाएगा? वह चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर नीचे बैठेगा, और विपक्ष का नेता कहां बैठेगा, उसका कोई पता नहीं है। आज विपक्ष का नेता वहां बैठता है, सत्ता पक्ष का नेता इधर बैठता है और मुख्य मंत्री यदि वहां बैठें तो किस प्रकार से सिस्टम चलेगा?

मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय, म्यूनिसिपल बोर्ड का जो फंक्शन है, उसको चेंज करने के लिए आप विशेषज्ञों की कमेटी बनाइये। पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां सभापति अलग चुना जाता है। (व्यवधान) टोक्यो की अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। काका यह कहेंगे कि बाहर जा रहे हो आप। यहां एक्ट में विपक्ष के नेता का दर्जा है, विपक्ष के नेता का दर्जा है, लेकिन विपक्ष के नेता का कोई अर्थ नहीं है, महत्व नहीं है।

श्री सभापति: कहां?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारी म्यूनिसिपेलिटीज में। म्यूनिसिपेलिटी की बात कर रहा हूं। मैं म्यूनिसिपल एक्ट की बात कर रहा हूं। इसलिए...

श्री सभापति: स्पष्ट करना ठीक रहता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट में अध्यक्ष बैठता है, विपक्ष का नेता बैठता है, मुख्य मंत्री बैठता है, 'हां पक्ष', 'ना पक्ष' होता है। म्यूनिसिपेलिटी में कौनसा पक्ष है? म्यूनिसिपेलिटी में न 'हां पक्ष' है, न 'ना पक्ष' है, कोई विरोध पक्ष भी नहीं है। केवल प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा दिया हुआ है। चेयरमैन खुद, मेयर खुद सभापति की कुर्सी पर बैठता है।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंशल सिस्टम आफ डेमोक्रेसी हो, तो आप चेयरमैन को बिठाइये, चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर को पावर दीजिये और उसके बाद में मेयर, जो फर्स्ट सिटीजन होता है, उसके आधार पर चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर अपना काम करे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ डेमोक्रेसी लागू करना चाहते हैं तो 'हां पक्ष' बनाइये, 'ना पक्ष' बनाइये, सभापति अलग बनाइये। पश्चिम बंगाल के एक्ट का अध्ययन कीजिये, उसके बाद कुछ काम कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: फिर तो आपको इस सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रधान की जगह भी कोई सभापति बैठेगा, जिला प्रमुख की जगह भी कोई सभापति बैठेगा। फिर तो इस व्यवस्था में पूरा आमूलचूल परिवर्तन होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, नहीं। देखिये, यह 74वां संविधान संशोधन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये तो परिवर्तन के वाहक हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 74वां संविधान संशोधन हुआ है और 74वां संविधान संशोधन, यह कोई खिचड़ी नहीं है। यह खिचड़ी बनी हुई है। मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं बैठा हूं आपकी जगह भी, वहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन में, जहां आप बैठे हों। इसलिए कमेंट करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को चलाना और म्यूनिसिपल बोर्ड को चलाना, इसमें बहुत डिफरेंस है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सारी गरिमाओं को ताक पर रख दिया आपने।

श्री सभापति: आसन आपसे बड़े आदर से यह निवेदन कर रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था सिर्फ नगर निकाय में या नगर निगम में ही नहीं है। पंचायत राज संस्थाओं में भी जो वहां के मुखिया हैं, वही उस सभा में सभाध्यक्ष हैं। जिला परिषद ले लीजिये, पंचायत समिति ले लीजिये, या ग्राम पंचायत ले लीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वहां कोई विपक्ष का नेता नहीं है। म्यूनिसिपल एक्ट में विपक्ष के नेता का प्रावधान है, जो एग्जीक्यूटिव का सदस्य होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मेयर होता है, वह शहर का प्रथम नागरिक होता है। उस प्रथम नागरिक होने के नाते..; (व्यवधान) मैं बताऊंगा, कहां होता है। हां, प्रथम नागरिक होता है। जब ही राष्ट्रपति आते हैं, प्रधान मंत्री आते हैं, बाहर का कोई विदेशी नागरिक आता है, उसको भी बुलाया जाता है।

मैं माननीय सभापति महोदय, यह भी कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: वैसे, मंत्री महोदय, आप चाहें तो इस मेयर शब्द के पद नाम में परिवर्तन कर दें, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह बात भी सही है।

(22.00 बजे)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक बार भंवरलालजी की मेहरबानी हो गयी थी मेयर बनाने में। सबसे बड़ी बात है, वे बहुत भले आदमी थे, अब तो पता नहीं कहां हैं पर भंवरलालजी की मेहरबानी हो गयी। ये भंवरलालजी के सुबह और शाम, दोनों टाइम जाते थे, इसलिए उनको महापौर बना दिया। यह जमाना था।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी आप कमिश्नर्स की नियुक्ति (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पीड़ा इस बात की है कि एक महापौर तो अध्यक्ष है और एक महापौर भाषण देता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, सम्माननीय सदस्य, जब इतने विद्वान सदस्य बोलें, तो बीच में नहीं टोकना चाहिए आपको। विराज जाएं आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद। और विद्वान जब सभापति हों तो बिलकुल ही नहीं बोलना चाहिए।

श्री सभापति: आसन तो हरदम विद्वान होता है और विद्यमान भी होता है। दोनों आप ध्यान में रखें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और उसका सम्मान भी हम करते हैं आदर सहित।

आदर सहित मैं यह बोलना चाहूंगा, कमिश्नर्स को आपने नियुक्त किया है, कमिश्नर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्या आप सीनियर आई.ए.एस. आफिसर को बनायेंगे? आप उसमें अगर एक्ट लाना चाहें तो बताइये कि इस एक्ट में कमिश्नर हम सीनियर आई.ए.एस. आफिसर को बनायेंगे, इस आई.ए.एस. आफिसर को बनायेंगे, आर.ए.एस. को बनायेंगे, सीनियर आर.ए.एस. को बनायेंगे, उसकी क्वालिटी यह होगी, इसकी क्वालिफिकेशन यह होगी। लेकिन म्यूनिसिपेलिटीज को म्यूनिसिपल सर्विसेज के अलावा के लोग चला रहे हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए और म्यूनिसिपल आफिसर्स की एक्सपर्टीज को हमको निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे एक्सपर्टाइज के द्वारा शहरों का संचालन और प्रशासन चलाया जाना चाहिए जो म्यूनिसिपेलिटी के विशेषज्ञ हों। विशेषज्ञों की बात ही नहीं है। केवल मात्र अधिकारियों ने बोल दिया और हमने ला दिया, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

फिर भी चूंकि माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने यह विधेयक रखा है, मैं इसके समर्थन में हूं और निश्चित रूप से आप भी कुछ...(व्यवधान) हैं? नहीं, नहीं, नहीं। भारी मन से नहीं, मन से स्वागत करते हुए। आगे से ये एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: Would you like to react?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ... अध्यक्ष कौन होगा? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष अगर गुप्ताजी को बना दो तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष इनको बना दो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रथम महापौर और प्रथम नागरिक जो रहे हैं जयपुर के, उन्होंने मुझे एक आश्चर्यजनक सूचना दी, मुझे पता है, मैं यह समझता हूं कि वे म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर बने थे, इसी किताब के कानून के तहत बने थे और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि उन्होंने पूरे चार-पांच साल जो मेयरशिप चलायी, वह इस कानून की किताब के सहारे चलायी होगी, और कानून से परे होकर अगर चलायी है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इस किताब में सेक्शन 55 जो कमेटीज को कांस्टिट्यूट करने के बारे में बात करता है, "The Chairperson of the committees constituted by the Municipality under sub-section (3). The Chief Municipal Officer of the Municipality shall be ex-officio Secretary of the Executive Committee. In addition to the Executive Committee, every Municipality shall also constitute the following Committees consisting of not more than ten members, namely; (a) a finance committee..., That means one finance committee. That's' what I understand and I do have under the law. ''...(b) a health and sanitation committee...'' I do not think that there was ever any provision for more than two committees, before today. ''...(c) a buildings permission and works committee. (d) a slum improvement committee; (e) a rules and bye-laws committee; (f) a compounding and compromising of offences committee; and (g) looking to the functions of a Municipality, it may also constitute such other committees, not exceeding eight in case of Municipal Corporation, not exceeding six in case of Municipal Council and not exceeding four in case of Municipal Board, as it may deem necessary;"

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने तो अंग्रेजी एडिशन से बताया, उन्होंने हिन्दी में चलायी थी। हिन्दी वाली से चलायी थी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसमें प्रोवाइडेड वर्ड भी है, "Provided that the state Government can...." वह अभी मैं वर्ड बता रहा हूं, आप प्रोवाइडेड पढ़ लीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): Other committees. Not two committees.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अदर कमेटीज, हां। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अंग्रेजी भी आती है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो आप यह अधूरी भाषा क्या लगाते हो? हम पढ़े-लिखे हैं, ऐसा नहीं है। प्रोवाइडेड वर्ड है। स्टेट गवर्नमेंट के आर्डर हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं हिन्दी में पढ़ देता हूं। मैं हिन्दी में पढ़ दूं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, आप अंग्रेजी में पढ़ दीजिए न। अंग्रेजी में पढ़ दीजिए, प्रोवाइडेड वर्ड है। प्रोवाइडेड ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक बार और मौका दूंगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो अन्य कमेटी की चर्चा इन्होंने की है, "Provided that the State Government may, looking to the functions of Municipality, increase the maximum limit of committees..." Maximum number of committees. Not two committees of one area.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कमेटीज।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां। पर आपकी मेयरशिप में दो-दो कमेटियां चली हों, तो उनके निर्णयों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको इस बात पर बड़ी आपत्ति है कि चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर का नाम क्यों बदला? मेयर जयपुर में ही नहीं है और जगह भी मेयर हैं, म्यूनिसिपल कारपोरेशन केवल जयपुर में ही नहीं है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और जगह भी हैं और जहां-जहां म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैं, माननीय सभापति महोदय, वहां चीफ म्यूनिसिपल आफिसर का नाम केवल कमिश्नर है। जयपुर के अन्दर चीफ एग्जीक्यूटिव, राजस्थान के अन्दर चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर-कम-कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव-कम-कमिश्नर का नाम था, इस एनोमली को हमने ठीक कर दिया। जो लोग सोचते थे कि कमिश्नर ही कमिश्नर; हो सकता है, माननीय मेयर साहब को बड़ी खुशी होती होगी मेयर के जमाने में कि मेरे नीचे आठ-आठ कमिश्नर हैं, अब एक ही कमिश्नर है मेयर के नीचे, इसकी तकलीफ हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता।

अब कमिश्नर एक और उसके अलावा एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। जे.डी.ए. इससे बड़ा आर्गेनाइजेशन है, ज्यादा प्रोफेशनल आर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि डेमोक्रेटिक नहीं हो, वहां भी कमिश्नर एक, बाकी एडिशनल कमिश्नर होगा, जोइंट कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा।

यह जो यूनिफोर्मिटी लाने के लिए, कानून में यूनिफोर्मिटी लाना एक पाजिटिव स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और जो यूनिफोर्मिटी नहीं थी उस यूनिफोर्मिटी को लाने में अगर मैंने अफसरों की बात मान भी ली, तो आपको आपत्ति क्या है? अगर आप गलत राय दें और मैं आपकी नहीं मानूं, तो मुझे नहीं मानना चाहिए। अगर यूनिफोर्मिटी लाने के लिए राय कहीं सड़क चलते आदमी की भी मुझे मिलती और जनता के हित में होता, कानून का सरलीकरण करता होता, भ्रम को तोड़ता होता, तो निश्चित रूप से मैंने गर्व के साथ में और खुशी के साथ में उसको स्वीकार किया होता।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं उम्मीद करता हूं और मेरा यह पूरा विश्वास है कि म्यूनिसिपल एक्ट में जो अमेंडमेंट लेकर मैं आज आया हूं, उस अमेंडमेंट के साथ में इस काम में, म्यूनिसिपेलिटी के काम में, इफेक्टिवनेस आयेगी और नीचे के लेवल पर जो मैस है म्यूनिसिपेलिटीज के अन्दर और जो आपके जमाने में भी रही है, उस मैस को अगर ठीक करना है, उसकी शुरुआत अगर होगी तो वह शुरुआत आज इस अमेंडमेंट के साथ में होगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसके कहने से क्या लाया गया, लेकिन जो भी लाया गया, वह सबसे बेहतरीन लाया गया है, उससे म्यूनिसिपेलिटी एक्ट व म्यूनिसिपेलिटीज की स्थिति सुधरेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा और जिस काम के लिए म्युनिसिपेलिटीज बनी हैं, वह इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय...,

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.08 बजे गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जायल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित विद्युत कनेक्शन

458. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' के तहत कितनी ढाणियों के आवेदन पत्र लम्बित हैं?

(2) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं तथा कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं?

(3) कितने बी.पी.एल. परिवार अब तक विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं?

(4) सरकार द्वारा अब कब तक उक्त परिवारों/ढाणियों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' के तहत विधान सभा क्षेत्र जायल की 3 ढाणियों में 15 आवेदकों (03 समूह) के आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(2) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के तहत विधान सभा क्षेत्र जायल में 100 से अधिक आबादी वाली 32 ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं। कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2012-13 में किये गये सर्वे के अनुसार सहायक अभियन्ता (पवस), जायल उपखण्ड के 634 बी पी एल परिवार तथा कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), नागौर उपखण्ड के 213 बी पी एल परिवार, इस प्रकार कुल 847 बी पी एल परिवार विद्युतीकरण से वंचित हैं।

(4) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (वर्तमान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के तहत शेष रही 100 से अधिक आबादी की उक्त ढाणियों एवं बी पी एल परिवारों का आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं तकनीकी साध्यता के अनुरूप विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र-अ

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत से वंचित ढाणियों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	ढाणी का नाम
1	2	3
1.	बोडीन्द कला	नायकों की ढाणी
2.	चावली	नायकों की ढाणी
3.	छापरा	अखा नदी की ढाणी
4.	छापरा	नाई नाडा की ढाणी
5.	छापरा	वनबारीयों की ढाणी
6.	दुगोली	भावरी की ढाणी
7.	झाडेली	बावलों की ढाणी
8.	झाडेली	हरीजनों की ढाणी
9.	कमेडीया	सारणों की ढाणी
10.	खंवर	नायकों की ढाणी
11.	खेडा हीरावास	भाटियों की ढाणी
12.	खेराट	खातियों की ढाणी
13.	किशनपुरा	राजपूत और जाटों की ढाणी
14.	निबोरा	दहियां की ढाणी
15.	राजोद	जाटों मेघवालों की ढाणी
16.	सोनेली	मेघवालों नायकों की ढाणी
17.	मीठा मांजरा	मीठा मांजरा
18.	झाडेली	झाडेली
19.	भदाणा	जाटों की ढाणी साडोगन मार्ग
20.	गंठीलासार	जिन्दोलाई नाडी की ढाणी

1	2	3
21.	गंठीलासार	खरांडीया नाडा की ढाणी
22.	गंठीलासार	कुरलीयों की ढाणी
23.	हरीमा	नाथों की ढाणी
24.	हींगोनिया	नायकों की ढाणी
25.	जाजोलाई	जाजोलाई नाडी की ढाणी
26.	जीन्दास	बेलदारों की ढाणी
27.	कितलसर	गोलसर जाडीसरा मार्ग की ढाणी
28.	मान्डेली	जाटों व मेघवालों की ढाणी
29.	तितरी	मेघवालों की ढाणी
30.	तितरी	नायक जाट व मेघवालों की ढाणी
31.	तितरी	राजपूत मेघवाल व जाटों की ढाणी
32.	तितरी	स्वामी जाट व मेघवालों की ढाणी

अधीक्षण अभियन्ता

अविविनिलि, नागौर

प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण

459. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में कितने नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, कितने आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा कितने आंगनबाड़ी भवनों के विस्तार हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय कर प्रदेश में कितने नवीन आगंनबाड़ी भवनों का निर्माण, मरम्मत तथा विस्तार किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के किन-किन गांव, ढाणियों में नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया गया तथा किन-किन आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत की गयी तथा किन-किन आंगनबाड़ी भवनों का विस्तार किया गया तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य पूर्ण करा दिये गये और कौने-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक इन्हें पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में 4,850 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 41,932 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा 611 आंगनबाड़ी भवनों के विस्तार हेतु 27,641.91 लाख राशि का प्रावधान किया गया था। जिसे संशोधित अनुमानों में शून्य (टोकन प्रावधान) करवाये जाने के कारण कोई भी राशि व्यय नहीं की गयी है।

(2) वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मरम्मत एवं विस्तार का प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्व के वित्तीय वर्षों में 9 गांव ढाणियों में स्वीकृत 11 नवीन आंगनबाड़ी भवनों में से 10 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा उन पर स्वीकृत 49.50 लाख रूपये में से 36.60 लाख राशि व्यय की गयी। नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त अवधि में कोई भी नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा आंगनबाड़ी भवनों का विस्तार का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। पूर्व के वित्तीय वर्षों में स्वीकृत 11 नवीन आंगनबाड़ी भवनों में से 10 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 5 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 5 निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। ग्राम पंचायत, कारी के आंगनबाड़ी केन्द्र, गुसाइयों की ढाणी का नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य, जमीन सम्बन्धी विवाद होने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण का विवरण

(31 मार्च, 2015 तक)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	स्वीकृत राशि	आज दिनांक तक व्यय राशि
1	तोगडाकलां	डाबडी बलोदा	4.50 लाख	4.50 लाख
2	कैरू	कैरू-125	4.50 लाख	4.50 लाख
3	कैरू	कैरू-126	4.50 लाख	4.50 लाख
4	कैरू	सुल्तानपुरा	4.50 लाख	4.50 लाख
5	सोटवारा	सोटवारा-158	4.50 लाख	4.50 लाख
6	सोटवारा	सोटवारा-160	4.50 लाख	1.80 लाख
7	निवाई	निवाई	4.50 लाख	1.80 लाख
8	मोहनवाड़ी	चेनगढ़	4.50 लाख	3.50 लाख
9	मोहनवाड़ी	मोहनवाड़ी	4.50 लाख	3.50 लाख
10	मोहनवाड़ी	बारवां	4.50 लाख	3.50 लाख
11	कारी	गुसाइयों की ढाणी	4.50 लाख	0

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण का विवरण

(31 मार्च, 2015 तक)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
1	तोगडाकलां	डाबडी बलोदा	पूर्ण	—
2	कैरू	कैरू-125	पूर्ण	—
3	कैरू	कैरू-126	पूर्ण	—
4	कैरू	सुल्तानपुरा	पूर्ण	—
5	सोटवारा	सोटवारा-158	पूर्ण	—
6	सोटवारा	सोटवारा-160	चालू	माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।
7	निवाई	निवाई	चालू	माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।
8	मोहनवाड़ी	चेनगढ़	चालू	माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।
9	मोहनवाड़ी	मोहनवाडी	चालू	माह अप्रैल 2015 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।
10	मोहनवाड़ी	बारवां	चालू	माह अप्रैल, 2015 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।
11	कारी	गुसाइयों की ढाणी	चालू नहीं	जमीन का विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका। वर्ष 2015-16 की निविदा होते ही कार्य चालू करवा दिया जावेगा।

वागड़ अंचल (डूंगरपुर व बांसवाड़ा) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

460. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देश में पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध प्रदेश में जिला स्तर पर स्थापित पर्यटक सूचना केन्द्रों में अनेक केन्द्रों पर जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी या कोई भी कर्मचारी नियुक्ति नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में समस्त जिला स्तर पर जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी भर्ती के लिए क्या प्रस्ताव तैयार किये गये हैं और उनकी क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध वागड़ अंचल (बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले) में प्रवासी पक्षियों के बड़ी संख्या में आगमन और इसके प्रति पर्यटकों के जुड़ाव को देखते हुए क्या सरकार उक्त जिलों के तालाबों को पक्षियों के विचरण के लिए सुरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त जिलों के प्रमुख तालाबों में मत्स्याखेट, मछली या सिंघाड़ा उत्पादन के ठेकों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) डूंगरपुर जिले में गत दो वर्षों से वृहद् पैमाने पर आयोजित हुए बर्ड फेयर की सफलता को देखते हुए इसे पर्यटन विभाग के वार्षिक कलेण्डर में सम्मिलित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) प्रत्येक जिला स्तर पर पर्यटन कार्यालय स्थापित नहीं है। राज्य के प्रमुख पर्यटकीय महत्व के जिलों में पर्यटन कार्यालय (पर्यटक स्वागत केन्द्र एवं पर्यटक सूचना केन्द्र) स्वीकृत हैं। जिन जिलों में पर्यटन कार्यालय कार्यरत नहीं हैं, उनका क्षेत्र निकट के पर्यटन कार्यालय में सम्मिलित किया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी अथवा सहायक पर्यटन अधिकारी के रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार निकट के कार्यालय के अधिकारी को सौंपा हुआ है। पर्यटन कार्यालयों की तथा उनके कार्यक्षेत्र की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) निकट भविष्य में समस्त जिला स्तर पर पर्यटन कार्यालय स्थापित कर जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी नियुक्त

(पर्यटन, राज्य मंत्री)

करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में स्वीकृत कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ पद रिक्त हैं, जिनको भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में स्थित तालाब जल संसाधन तथा पंचायती राज विभाग के अधीन है। इन्हें मत्स्य विभाग एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम, उदयपुर द्वारा मछली पालन एवं सिंघाड़ा उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

(4) बर्ड फेयर, डूंगरपुर को विभाग के वार्षिक कलेण्डर में सम्मिलित किये जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। बर्ड फेयर का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

परिशिष्ट- "अ"

पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र एवं उनके क्षेत्राधिकार की सूची

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार में आबंटित जिले
1	2	3
1.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर	जयपुर एवं दौसा
2.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अलवर	अलवर
3.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर	भरतपुर एवं धौलपुर
4.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर, टोंक एवं करौली
5.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, कोटा	कोटा एवं बून्दी
6.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झालावाड़	झालावाड़ एवं बारां
7.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं राजसमन्द
8.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू	सिरोही एवं जालौर
9.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा एवं नागौर

1	2	3
10.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर	जोधपुर एवं पाली
11.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर	बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरु एवं श्रीगंगानगर
12.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनूं	झुन्झुनूं, सीकर
13.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जैसलमेर	जैसलमेर एवं बाड़मेर
14.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
15.	पर्यटक सूचना केन्द्र, बून्दी	बून्दी
16.	पर्यटक सूचना केन्द्र, सीकर	सीकर
17.	पर्यटक सूचना केन्द्र, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
18.	पर्यटक सूचना केन्द्र, नागौर	नागौर
19.	पर्यटक सूचना केन्द्र, डूंगरपुर	डूंगरपुर
20.	पर्यटक सूचना केन्द्र, नाथद्वारा	नाथद्वारा
21.	पर्यटक सूचना केन्द्र, बाड़मेर	बाड़मेर

उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना

461. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना का विषय अकेले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 51 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थाई बेंच की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से की जाती है तथा सर्किट बेंच की स्थापना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा माननीय राज्यपाल के अनुमोदन से की जाती है।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

वर्तमान में उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लम्बित नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर उदयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राज्यपाल के अनुमोदन परामर्श हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रदेश में दुर्घटनाओं में पोस्टमार्टम कराये जाने के नियम

462. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़क दुर्घटना सहित अन्य विभिन्न घटनाओं में मृत्यु के उपरान्त पोस्टमार्टम करवाया जाना अनिवार्य नहीं है? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में? तत्सम्बन्धित नियमों व आदेशों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में ऐसे प्रकरणों में पोस्टमार्टम परिजनों की इच्छा पर ही किया जाता है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा शहर में दुर्घटना उपरान्त मृत्यु के लगभग सभी प्रकरणों में परिजनों की इच्छा न होने के उपरान्त भी शवों का पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) सड़क दुर्घटना एवं रेल दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत यदि अन्वेषण अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह नही हो, तो पोस्टमार्टम करवाया जाना आवश्यक नहीं होगा। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

अन्य दुर्घनाओं में मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है।

(2) यह सही है कि उक्त आदेशों की पालना में सड़क दुर्घटना एवं रेल दुर्घटनाओं के प्रकरणों में पोस्टमार्टम परिजनों की इच्छा से ही किया जाता है। अन्य घटना/दुर्घटनाओं में नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाया जाता है जिसमें परिजनों की सहमति आवश्यक नही है।

(3) कोटा शहर में सड़क/रेल दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य दुर्घटना से मृत्यु के सभी प्रकरणों में मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। राजस्थान पुलिस नियम 1965 अनुच्छेद 6.35 की प्रति परिशिष्ट "ब" तथा "स" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस सी.आई.डी. (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीआईडी/सीबी/पीआरसी/10/04/1675-1720 दिनांक :13.4.2006

समस्त पुलिस अधीक्षक गण,
राजस्थान मय जीआरपी अजमेर एवं जोधपुर।

विषय :—सड़क एवं रेल दुर्घटनाओं में शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प-19 (8) गृह-10/04 दि. 25.5.04 एवं पुलिस क्रमांक र-4(2)पु. प्रशा./04/10198-10350 दिनांक 12.10.2004 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10214-62 दिनांक 20.11.04

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में पुन: स्मरण कराया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान पुलिस नियम 6.35 के उप नियम (1) में संशोधन के उपरान्त जोड़े गये परन्तुक के द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि अन्वेषक अधिकारी की सन्तुष्टि एवं सन्देह से परे हुई रेल दुर्घटनाओं में शव पोस्टमार्टम करवाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

उक्त संशोधन की मूल भावना एवं मानवीय पहलू के महत्व को समझते हुये अपने अधीनस्थ सभी अन्वेषक अधिकारी को निर्देशित करे कि कानून में प्रदत्त इस शक्ति का अपनी दृष्टि के आधार पर निसंकोच प्रयोग करे, जिसमें आम जनता को राहत मिल सके। सड़क दुर्घटना में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की लाश को पोस्टमार्टम के नाम पर कई घण्टों तक परिजनों को नहीं सौंपने से मानवीय संवेदनाओं को आघात तो लगता ही है, कभी-कभी अनावश्यक कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अन्वेषक अधिकारी को निर्देशित करे कि निर्देशों की मूल भावना एवं मानवीय पहलुओं को समझते हुये सभी अन्वेषक अधिकारी कानून में प्रदत्त अपनी शक्तियों का निसंकोच प्रयोग कर सके।

उक्त निदेशों की पालना की जावे।

भवदीय,
ह./-
पुलिस अधीक्षक
(प्रशासन एवं पीआरसी)
सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर

परिशिष्ट "ब"

6.35 शव परीक्षा (पोस्टमार्टम)—परीक्षा कब एवं किसके द्वारा की जाएगी—

(1) किसी अर्हता प्राप्त सर्जन के द्वारा शव परीक्षा के सम्बन्ध में कानूनी अपेक्षायें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 (3) में दी गई हैं। प्रत्येक मामले में मृत्यु आत्महत्या, मानव वध, दुर्घटनावश या सन्देहास्पद कारणों से हुई प्रतीत होती है तथा जहां मृत्यु के वास्तविक कारण के बारे में कोई सन्देह विद्यमान हो, या अन्वेषण करने वाले अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 या धारा 174 के अधीन ऐसा करना समीचीन रहेगा, तो शरीर के शव परीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत निकटतम चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाएगा। परीक्षा के लिए शरीर को भेजे जाने को तभी समाप्त किया जाएगा जहां ऐसी कार्रवाई अन्यथा अपेक्षित हो तथा जब ऐसी स्थिति विद्यमान हो जैसे कि जब शव बहुत अधिक सड़ गया हो। इससे जांच का कार्य करना स्पष्ट रूप से निरर्थक हो जाएगा।

(2) कानून यह अपेक्षा करता है कि मृत शरीर को निकटतम अर्हता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाएगा। अपवादस्वरूप विशेष मामले को छोड़कर मृत्यु के स्थान पर या उसके समीप जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को नहीं बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति वहां हो सकती है जहां अत्यधिक रूप से सड़ जाने से या जिन परिस्थितियों में शव पाया गया था कि यदि उस शव को ले जाया गया तो उससे चिकित्सा अधिकारी को चोटों की प्रकृति या मृत्यु के वास्तविक कारण के बारे में अपनी सही राय जानना सम्भव नहीं होगा। ऐसे मामलों में यदि अन्वेषणकर्ता अधिकारी न्याय के हित में किसी विशेषज्ञ से शव परीक्षा कराना आवश्यक समझता है तो वह अर्हता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी से जांच करने के लिए मौके पर प्रस्थान करने के लिए निवेदन करेगा।

(3) ऐसे मामलों में जिनमें या तो किसी अर्हता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के पास शरीर को भेजना असम्भव हो या मौके पर ही उस अधिकारी द्वारा उसकी जांच करना असम्भव हो, तो अधिकारी, अपने स्वविवेक पर, निकटतम सरकारी चिकित्सा अधिकारी को, चाहे वह अधिकारी शव परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत नहीं हो, उसके एनाटामीकल (Anatomical) एवं अन्य विशेषज्ञ ज्ञान के साथ प्रभावों तथा चोट आदि के अन्य कारणों का अनुमान लगाने में उसकी मदद करने हेतु निवेदन कर सकता है। ऐसे चिकित्सा अधिकारी शरीर पर कोई आपरेशन करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

परिशिष्ट "स"

गृह (ग्रुप 10) विभाग

अधिसूचना

प. 19 (8) गृह-10/2004 जयपुर, दिनांक : 25 सितम्बर, 2004

पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम 5) की धारा 45 और 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पुलिस नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6.35 का संशोधन :—राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.35 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

"परन्तु सड़क और रेल दुर्घटनाओं के मामलों में, यदि अन्वेषक अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह नहीं हो तो शव परीक्षा के लिए भेजना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा।"

राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(के. एल. यादव)

शासन उप सचिव, गृह (विधि)

जोधपुर शहर में ड्रेनेज व्यवस्था का सुधार

463. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण नदी की भांति पानी तेज रफ्तार से सड़कों पर बहता है? यदि हां, तो क्या सरकार जोधपुर में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर में अधिकतर सड़कों पर दोनों तरफ नाले नहीं होने के कारण वर्षा का पानी सड़कों पर ही एकत्रित हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार सभी सड़कों पर सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी हेतु

(श्री कैलाश भंसाली)

नाले निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु कभी-कभी कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के समय ड्रेनेज क्षमता कम होने एवं ड्रेनेज व्यवस्था में व्यवधान आने के कारण सड़कों पर पानी बह जाता है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ड्रेनेज व्यवस्था हेतु निम्न नालों का निर्माण करवाया गया है:-

1. खतरनाक पुलिया से पी डब्ल्यू डी आफिस तक नाला निर्माण 2. गांधीपुरा कल्याणसिंह प्याऊ होते हुये आर.टी.ओ. आफिस बी.जे.एस. तक नाला निर्माण 3. पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर से सांधी स्कूल मण्डोर तक नाला निर्माण 4. शास्त्री सर्कल से मथुरादास माथुर अस्पताल तक नाला निर्माण 5. 12वीं रोड से मेडिकल कालेज तक नाला निर्माण।

(2) जी नहीं। जोधपुर में अधिकतर सड़कों के दोनों तरफ नाले हैं, जिनकी क्षमता कम होने व कुछ सड़कों के लेवलिंग भाग में वर्षा एवं अतिवृष्टि होने पर कहीं-कहीं पानी इक्ट्ठा हो जाता है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क के दोनों तरफ निम्नानुसार सड़क निर्माण के साथ-साथ नालों का निर्माण करवाया जा रहा है:-

1. पाल रोड से अणदाराम स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य, 2. आखलिया चौराहे से जैसलमेर बाइपास तक सड़क निर्माण कार्य, 3. बासनी चौराहे से पाल रोड तक सड़क निर्माण कार्य, 4. अणदाराम स्कूल से डाली बाई चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य।

इसके अतिरिक्त, निम्न महत्वपूर्ण सड़कों के नवीनीकरण का कार्य करवाया जा रहा है, जिनमें नालों का निर्माण शामिल नहीं है क्योंकि इन सड़कों में प्राकृतिक ढलान उपलब्ध है:- 1. सरदारपुरा बी रोड, 2. सरदारपुरा सी रोड, 3. सरदारपुरा सेक्टर 9 रोड, 4. सरदारपुरा सेक्टर 11 रोड, 5. सरदारपुरा 7वीं रोड के.सी. लोन से मदन लाल डागा मार्ग तक सड़क निर्माण, 6. गोल बिल्डिंग तिराहा से मेहता भवन तक सड़क निर्माण।

प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित पंचायत समितियां

464. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति जारी करने के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी पंचायत समितियां सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जोधपुर जिले की नवीन पंचायत समिति सेखाला में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की एन सी वी टी सम्बद्धता रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी जी ई टी) नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। अत: डीजीईटी, नई दिल्लीई भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 105 पंचायत समितियां सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्यं सरकार की मंशा प्रत्येक पंचायत समिति में सरकारी अथवा निजी सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वंचित 105 पंचायत समितियों में से 88 पंचायत समितियों में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। शेष 17 पंचायत समितियां जहां कोई राजकीय अथवा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, वहां वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने बाबत विचार किया जा सकेगा।

(4) जी हां। राज्य सरकार की मंशा प्रत्येक पंचायत समिति में सरकारी अथवा निजी सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की है। पंचायत समिति सेखाला में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धनता होने पर गुणावगुणों के आधार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने बाबत विचार किया जा सकेगा।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

करौली जिले में बांधों/एनिकटों के विचाराधीन प्रस्ताव

465. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक करौली जिले के कौन-कौन से व कितने बांधों/एनिकटों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? ग्रामवार, पंचायतवार व राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले के कौन-कौनसे एनिकटों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा विचाराधीन प्रस्ताव किस-किस के माध्यम से प्राप्त हुए? सरकार द्वारा उक्त विचाराधीन प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक करौली जिले में स्वीकृत बांधों/एनिकटों की ग्रामवार, पंचायतवार व राशिवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में करौली जिले के रतनापुरा, भागीरथपुरा व अलूदा एनिकटों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा जन सुनवाई दिनांक 13.02.2014 को सपोटरा में आयोजित कैम्प में प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की सक्षम स्तर पर परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त एनिकट एवं लघु सिंचाई परियोजना

क्र. सं.	कार्य का नाम बांध/एनिकट	स्वीकृति राशि (रु. लाख)	गांव का नाम	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5
1	माता सूला एनिकट पंचायत समिति टोडाभीम जिला करौली	27.52	मातासूला	माधोपुरा

1	2	3	4	5
2	मोगेपुरा एनिकट पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	44.69	नया गांव मोगेपुरा	मोगेपुरा
3	पडवा देवी एनिकट पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	86.52	मोगेपुरा	मोगेपुरा
4	बड पीपल एनिकट पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	107.88	हाड़ौती	हाड़ौती
5	बड़ी वाली नाली एनिकट पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	126.74	कोटरा-खिरकरी	गुरदेह
6	जेरे का नाला एनिकट पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	77.45	भांकरी	भांकरी
7	खोहरी एनिकट पंचायत समिति करौली जिला करौली	53.68	खोहरी	खोहरी
8	फोरेस्ट एनिकट-रीछ खो	41.91	चन्देली	रोधई
9	फोरेस्ट एनिकट-महलढाकरी	49.42	महल गांव	करणपुर
10	फोरेस्ट एनिकट-ओडीनाली	49.24	करणपुरा	करणपुर
11	फोरेस्ट एनिकट-टोडानाला	49.95	टोडा	टोडा
12	फोरेस्ट एनिकट-कसेड खो	49.78	कसेड	कसेड
13	फोरेस्ट एनिकट-चिरचिरी स्रोत-I	30.13	चिरचिरी	महाराजपुरा
14	फोरेस्ट एनिकट-चिरचिरी स्रोत-II	47.59	चिरचिरी	महाराजपुरा
15	फोरेस्ट एनिकट बड़ी ओसर भैरोजी	43.63	गढ़ी का गांव	करणपुर

1	2	3	4	5
16	फोरेस्ट एनिकट बहता गढ़ी गांव	67.9	गढ़ी का गांव	करणपुर
17	फोरेस्ट एनिकट सिया खो	59.06	चन्देली	रोधई
18	फोरेस्ट एनिकट पुराना पानी	71.06	महाराजपुरा	महाराजपुरा
19	फोरेस्ट एनिकट पोलर कानरदा लघु/मध्यम सिंचाई परियोजना	72.63	महाराजपुरा	महाराजपुरा
20	दोहरी लघु सिंचाई परियोजना	21.30	दोहरी भरपुरा	करणपुर

अधिशासी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, करौली

रामगढ़ के सहजपुर में संचालित मेवात आवासीय विद्यालय

466. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अलवर जिले में वर्तमान में कितने मेवात आवासीय विद्यालयों का कहां-कहां पर संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त मेवात आवासीय विद्यालयों में भारी अनियमितताएं एवं अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं?

(3) उक्त मेवात आवासीय विद्यालयों में भोजन एवं रहने की क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सहजपुर में संचालित मेवात आवासीय विद्यालय अव्यवस्थाओं एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण दिसम्बर 2014 में 10 दिवस से अधिक दिन तक बंद रहा था?

(5) क्या यह भी सही है कि आवासीय विद्यालय में भोजन नहीं देने एवं प्रताड़ित करने के कारण सभी छात्राओं द्वारा विद्यालय छोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो विद्यालय बंद होने के क्या कारण हैं?

(6) अलवर जिले के मेवात आवासीय विद्यालयों में व्याप्त असुविधाओं एवं अनियमितताओं को दुरुस्त करने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? क्या

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सरकार इनके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10 मेवात आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नातनुसार है :-

क्र.सं.	ब्लाक	मेवात बालिका आवासीय विद्यालय का नाम
1	मुण्डावर	मातोर
2	रामगढ़	सहजपुर
3	रामगढ़	नगला बजीरका
4	उमरैण	महूआ खुर्द
5	कठूमर	मानकपुर गोठड़ी
6	लक्ष्मणगढ़	जमालपुर
7	उमरैण	चांदोली
8	किशनगढ़बास	खानपुर मेवान
9	किशनगढ़बास	बाघोड़ा
10	तिजारा	जैरोली

(2) जी नहीं।

(3) जिले में संचालित प्रत्येक मेवात आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भोजन संलग्न मीनू परिशिष्ट-"क" के अनुसार दिया जाता है। आवासीय विद्यालयों में शयनकक्षों एवं बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था हैं।

(4) विद्यालय बंद रहने का कारण विद्यालय में व्यवस्थार्थ कार्यरत अध्यापिकाओं एवं ग्रामीणजन एवं अभिभावकों में आपसी विवाद रहा था।

(5) जी नहीं। शेष उत्तर बिन्दु संख्या 4 के अनुसार।

(6) सभी मेवात आवासीय विद्यालय वर्तमान मानदण्डानुसार संचालित किये जा रहे हैं। मेवात आवासीय विद्यालय, सहजपुर में व्यवस्थार्थ कार्यरत अध्यापिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट-क

भोजन मेन्यू

क्र.सं.	दिवस	प्रात:	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	शाम का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	सोमवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास सेण्डवीच-2, आलू कोफ्ता	रोटी, पालक की दाल, अरबी/भिण्डी की सूखी सब्जी, पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय, फलों की चाट (सेब, पपीता, अंगूर, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अनार आदि), नमकीन सेवई	रोटी, तोरई रस वाली, सूखे आलू प्याज की सब्जी, गुड़
2	मंगलवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास मीठा दलिया-1 प्लेट	रोटी, अरहर की दाल, भिण्डी/गोभी की सूखी सब्जी, सादा चावल, दही सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), मिक्स पकोड़े	रोटी, मंगोड़ी-आलू रसे वाली, शिमला मिर्च आलू की सब्जी, गुड़
3	बुधवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास इडली सांभर-2/आलू का पराठा	रोटी, मिक्स दाल (अरहर, मूंग, चना, मसूर) मिक्स सब्जी/सेम आलू की सूखी सब्जी, जीरा चावल, छाछ सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), बेसन का चीला	रोटी, पालक-आलू, गाजर की सब्जी, गुड़

1	2	3	4	5	6	7
4	गुरुवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास अंकुरित साबुत मूंग/मोठ की चाट1 प्लेट	रोटी, चना घीया की दाल, मेथी-आलू/गाजर मटर की सूखी सब्जी, ब्राउन राइस (प्याज से छोकें हुये), पुदीना रायता, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय, फलों की चाट फल (सेब, पपीता, अंगर, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अनार आदि), कटलेट	(हरी मेथी की रोटी, आलू टमाटर रसे वाली सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, गुड़
5	शुक्रवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास पोहा-1 प्लेट	रोटी, मूंग छिलका दाल, कद्दू/प्याज आलू की सूखी सब्जी, सादा चावल, बथुआ/मीठा रायता, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली) आदि	चाय, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), ब्रेडरोल	रोटी, सोयाबीन की दाल, भिण्डी की सब्जी, गुड़
6	शनिवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास उपमा-1 प्लेट	रोटी, उड़द मोगर की दाल, पत्ता गोभी/टमाटर घीया की सूखी सब्जी, पुलाव, खीरा/ककड़ी का रायता, सलाद (प्याज टमाटर, खीरा, गाजर) आदि	चाय कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), अंकुरित चाट	रोटी, घीया टमाटर की रसे वाली सब्जी, गट्टे की सब्जी, गुड़

नोट : सब्जी, सलाद एवं फल मौसम के अनुसार उपयोग में लिए जावें।

रविवार-विशेष दिवस-विशेष भोजन मेन्यू

क्र.सं.	दिवस	प्रातः	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	शाम का नाश्ता	रात्रि का भोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	प्रथम रविवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास समोसा-1, सूजी का हलवा-1 प्लेट	रोटी, राजमा, भरवा टिण्डा, चावल, दही बड़ा, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय, फलों की चाट (सेब, पपीता, अंगूर, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अनार आदि), नमकीन सेवई	रोटी, अरहर की दाल, फली की सब्जी, पापड़, कोई भी एक मीठा व्यंजन
2	द्वितीय रविवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	भखां पराठा-2, दही, अचार, चटनी	रोटी, कढ़ी, भरवा भिण्डी, सादा चावल, बूंदी का रायता, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय/नींबू की शिकंजी, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), आलू का कोपता	रोटी, मिक्स दाल, पालक पनीर की सब्जी, पापड़, फ्रुट कस्टर्ड
3	तृतीय रविवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	मीठा दलिया, दूध, उपमा	पूड़ी, छोले सब्जी, जीरा चावल, मिक्स फ्रुट रायता, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), नमकीन सेवई	रोटी, सोयाबीन की मंगोड़ी की सब्जी, मिर्ची के टपोरे, पुलाव, पापड़, चावल की खीर

1	2	3	4	5	6	7
4	चतुर्थ रविवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध सेवई की खीर, पकौड़े-पालक पनीर	दाल, बाटी, ब्राउन राइस (प्याज से छौंके हुये), पुदीना रायता, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय/बील का ज्यूस/कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), भेलपूरी	रोटी, घीया के कोपते, पापड़ कोई भी एक मीठा व्यंजन
5	पंचम रविवार	चाय एवं बिस्किट/टोस्ट	दूध-1 गिलास पोहा-1 प्लेट	रोटी, मसूर की दाल, दमआलू की सब्जी, पुलाव दही की पकोड़ी, सलाद (प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली आदि)	चाय/नींबू की शिकंजी, कोई भी एक मौसमी फल (सेब, संतरा, केला, खरबूज, तरबूज, आम, अमरूद आदि), आलू का कोपता	पंराठे, काले चने की सब्जी, भिण्डी की सब्जी, पापड़ कोई भी एक मीठा व्यंजन

नोट : सब्जी, सलाद एवं फल मौसम के अनुसार उपयोग में लिए जावें।

14.3 आधारभूत आवश्यकताओं पर कुल वार्षिक व्यय की राशि रु. 2000/ मात्र- प्रति बालिका निम्नानुसार व्यय किये जायेंगे :-

जुलाई					
क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1.	स्लीपर	1	10.	स्कार्फ	1
2.	जूते	1 जोड़ी	11.	शू पालिश	2
3.	रिबन	2 मी.	12.	रूमाल	3
4.	कंघा	1	13.	तौलिया	1
5.	हेयर क्लिप	6	14.	ब्रुश (कपड़े धोने का)	1
6.	शमीज	3	15.	कपड़े सुखाने की क्लिप	3
7.	अण्डरवीयर	3	16.	स्कूल यूनिफार्म	2 जोड़ी
8.	मौजे	2 जोड़ी	17.	स्वेटर	1
9.	नेलकटर	1		अन्य दैनिक उपयोग हेतु सामग्री आवश्यकतानुसार	

छठे वेतन आयोग के तहत देय चयनित वेतनमान में परिवर्तन

467. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पूर्व कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाता था? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चयनित वेतनमान में पदोन्नति से सम्बन्धित नियम लागू होते थे? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि छठे वेतन आयोग में चयनित वेतनमान के स्थान पर राज्य सरकार ने ए.सी.पी. का प्रावधान किया है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ए.सी.पी. के नये नियम चयनित वेतनमान के नियमों से भिन्न बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

(5) क्या यह सही है कि ए.सी.पी. के उक्त नियमों में 1 जून, 2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को पूरे सेवाकाल में एक भी ए.सी.पी. नहीं दिये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त नियमों में संशोधन करने अथवा पदोन्नति से सम्बन्धित नियम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं एकाकी पदों पर रुपये 10,500 से कम मूल वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाता था। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 16(2)वित्त/नियम/1998 दिनांक 17.02.1998 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। चयनित वेतनमान नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्रताधारी कर्मचारियों को ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने एवं चयनित वेतनमान के रूप में पदोन्नति के लिए देय वित्तीय लाभ स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया था।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त/नियम/2008 पार्ट-I तथा प. 14(88)वित्त/नियम/2008 पार्ट-II दिनांक 31.12.2009 की प्रतियां परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न हैं।

(4) जी हां। केन्द्र सरकार के छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों पर वेतनमान लागू किये जाने पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही ए सी पी स्वीकृत करने के प्रावधान लागू किये गये हैं।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होने के लिए किये गए प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए ए सी पी स्वीकृत नहीं करने का प्रावधान किया गया है।

(6) जी नहीं। राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा सम्भाग में सामूहिक विवाह में देय अनुदान के लम्बित आवेदन

468. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कोटा सम्भाग में वर्षवार कितने सामूहिक विवाह सम्मेलन के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनी संस्थाओं को वर्षवार अनुदान स्वीकृत किया गया तथा कितनी संस्थाओं को सामूहिक विवाह का अनुदान उपलब्ध कराना शेष है? वर्षवार संस्था का नाम व दिये जाने वाले अनुदान सहित जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन पर अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कोटा सम्भाग में सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु कुल आवेदन 195 प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कुल 101 संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध करवाने से शेष 60 संस्थाएं हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के प्रावधान के तहत पात्रता रखने वाली संस्था को निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाना सम्भव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में रिक्त पद

469. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में स्थित है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसका उद्देश्य क्या है? उक्त संस्थान में अब तक कौन-कौन निदेशक पद पर पदस्थापित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अजीत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान में लम्बे समय से निदेशक एवं उप निदेशक तथा अन्य कार्मिकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा 04 दिसम्बर, 1978 को की गई थी। इसके उद्देश्य परिशिष्ट-अ संलग्न हैं।

अरबी फारसी शोध संस्थान में अब तक पदस्थापित रहे निदेशकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) संस्थान में दिनांक 31.07.2014 से निदेशक के पद का अतिरिक्त चार्ज अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के पास है। उप निदेशक का पद दिनांक 27.01.2001 से आस्थगित रखा (kept in abeyance) गया है।

अधीनस्थ सेवा में शोध अधिकारी का पद दिनांक 01.03.2014 से, लेखाकार का पद दिनांक 12.06.2012 से, कनिष्ठ तकनीकी सहायक का पद दिनांक 31.07.2012 से, कैलिग्राफिस्ट के दो पद दिनांक 17.04.2013 एवं एक पद 18.04.2013 से, मेण्डर-कम-बाइण्डर का एक पद दिनांक 17.04.2013 से एवं एक पद 30.09.2013 से रिक्त हैं। वरिष्ठ लिपिक के दो पद दिनांक 01.02.2013 एवं 01.10.2013 से रिक्त है। कापिस्ट (कनिष्ठ लिपिक) का पद दिनांक 31.12.2009 से, कनिष्ठ लिपिक का एक पद दिनांक 18.09.2013 से, परशियन टाइपिस्ट (कनिष्ठ लिपिक) का एक पद दिनांक 30.04.2014 से रिक्त है। ड्राइवर का एक नव सृजित पद दिनांक 17.04.2013 से रिक्त है। चौकीदार का एक पद दिनांक 30.06.2006 से, साइकिल सवार का एक पद दिनांक 31.05.2013 से एवं बुक लिफ्टर का एक पद दिनांक 11.11.2010 से रिक्त हैं।

रिक्त पद विभागीय सेवा नियम अनुमोदन पश्चात् भरे जायेंगे। विभागीय सेवा नियमों को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक की स्थापना के उद्देश्य

1– राजस्थान में उपलब्ध या राजस्थान से सम्बन्धित अरबी, फारसी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता के मूल स्रोतों का एकत्रीकरण, संरक्षण एवं परिक्षण।

2– अरबी, फारसी शोध एवं अध्ययन का उत्थान एवं विकास जो प्रारम्भिक रूप में उपरोक्त वर्णित सामग्री पर आधारित हो। इस प्रकार विद्वानों को सुविधाएं एवं सुलभताएं प्रदान करना।

3– मूल स्रोतों का सम्पादन, अनुवाद, प्रकाशन और डिसाइफरिंग कार्य करवाना।

4– संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सम्पादन, डिसाइफरिंग तथा शोध के मूल स्रोतों के अनुवाद आदि में सहयोग हेतु दक्ष विद्वानों की सेवाएं प्राप्त करना।

5– संस्थान के अतिरिक्त अन्य संगठनों के पास शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण अरबी, फारसी की उपलब्ध मूल सामग्री का डाक्यूमेन्टेशन करना तथा ऐसे कार्यों में इन संस्थाओं को सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान करना।

6– अरबी, फारसी अध्ययन में शोध करने के तरीकों, रिसर्च मेथोडोलोजी की तकनीकी कला को उत्साहित एवं स्थापित करना एवं इस बाबत सुविधाएं जुटाना।

7– उपेक्षित प्राच्य कलाओं यथा कैलीग्राफी और पैलियोग्राफी आदि को प्रारम्भ करना और उनके अध्ययन को उत्साहित करना।

8- पारितोषिक, स्कालरशिप एवं फैलोशिप आदि स्कीमों को प्रारम्भ करना और प्राच्य विद्या के क्षेत्र में शोध तथा उच्च अध्ययन हेतु अवार्ड्स प्रदान करना।

9– संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त आवश्यक साधन उपलब्ध कराना और उनका विकास तथा सेमिनार, सिम्पोजियम, चर्चा कांफ्रेन्स, कार्यशाला, प्रदर्शनियां और प्रसारण भाषण आदि का आयोजन और शोध पत्रिका प्रकाशित करना।

परिशिष्ट-ब

मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में अब तक पदस्थापित निदेशकों की सूची

1. श्री शौकत अली खान
2. श्री अश्विनी कुमार गुप्ता (अति. कार्यभार)
3. श्री बी.एल. वर्मा
4. श्री कानसिंह राठौड़ (अति. कार्यभार)
5. श्री एन. के. सिकंदर (अति. कार्यभार)
6. श्री भीवां राम (अति. कार्यभार)
7. श्री के.डी. खान
8. श्री अब्दुल मोईद खान
9. श्री पी.एस. नागा (अति. कार्यभार)
10. श्री एन. के. स्वर्णकार (अति. कार्यभार लगातार)

प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित दवाइयां

470. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी महामारी के रूप में जगह-जगह अपने पैर पसार रही है? यदि हां, तो उक्त बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में स्वाइन फ्लू बीमारी के कितने संक्रमित व्यक्ति प्रदेश में कहां-कहां पर पाये गये तथा कितने संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु उक्त बीमारी से होना पाया गया? विवरण संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बीमारी की सभी जांचें एवं सम्पूर्ण इलाज राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क किये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों को भी नि:शुल्क जांच करने के लिए प्रतिबद्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री धीरज गुर्जर)

(4) क्या सरकार स्वाइन फ्लू बीमारी से मरने वालों के परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रत्येक जिले में कुल कितनी तरह की दवाइयां नि:शुल्क दवा योजना के तहत आबंटित की गईं? वर्षवार सूची सहित तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त योजना में दवा वितरण में कमी आई है? यदि हां, तो कमी आने के क्या कारण हैं? क्या सरकार नि:शुल्क दवा योजना को बन्द ना करते हुए आगे भी चालू रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। लेकिन फिर भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीजनल इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू) बचाव एवं नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) गत वर्ष जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक स्वाइन फ्लू बीमारी के 65 संक्रमित व्यक्ति प्रदेश में पाये गये तथा 34 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होना पाया गया। जिलेवार सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। स्वाइन फ्लू का सम्पूर्ण इलाज सभी राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क किया जा रहा है।

उक्त बीमारी की जांच हेतु सभी राजकीय चिकित्सालयों में सैम्पल कलेक्ट कर मेडिकल कालेज में जांच हेतु भिजवाये जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क जांच सुविधा 6 मेडिकल कालेज (जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर) एवं डी.एम.आर.सी. (डेजर्ट मेडिसन रिसर्च सेन्टर) जोधपुर में उपलब्ध है।

तीन निजी लैब (डा. लाल पैथ, डा. बी. लाल एवं एस आर एल) में भी स्वाइन फ्लू की जांच सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा विभाग द्वारा सैम्पल कलेक्ट कर निजी लैब में भिजवाये जाने पर नि:शुल्क जांच की जाती है।

निजी चिकित्सालयों में उनकी मांग के आधार पर स्वाइन फ्लू की दवा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

(4) जी नहीं। सरकार में स्वाइन फ्लू बीमारी से मरने वालों के परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा देने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) वर्ष 2013 में आवश्यवक दवा सूची के अन्तर्गत जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर 527 दवाइयां, 37 सूचर्स व 69 सर्जिकल्स का प्रावधान किया गया।

वर्ष 2014 में आवश्यक दवा सूची के अन्तर्गत जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर 532 दवाइयां, 37 सूचर्स व 69 सर्जिकल्स का प्रावधान किया गया।

वर्ष 2013 में आवश्यक दवा सूची के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों पर 607 दवाइयां, 77 सूचर्स व 73 सर्जिकल्स का प्रावधान किया गया।

वर्ष 2014 में आवश्यक दवा सूची के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों पर 612 दवाइयां, 77 सूचर्स व 73 सर्जिकल्स का प्रावधान किया गया।

वितरित की जाने वाली दवाइयों का प्रावधान परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

इस प्रकार वर्ष 2014 में निम्न 5 दवाइयां सभी राजकीय चिकित्सालयों के लिए जोड़ी गयीं:-

ओसेल्टामीवीर कैप्सूल 30 एमजी

ओसेल्टामीवीर कैप्सूल 45 एमजी

ओसेल्टामीवीर कैप्सूल 75 एमजी

ओसेल्टामीवीर सीरप

वीटामीन के-1 इन्जेक्शन

वितरित दवाइयों/सर्जिकल्स व सूचर्स की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत दवा वितरण में कोई कमी नहीं आयी है।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना वर्तमान में जारी है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

पुलिस कर्मचारियों के नियम विरुद्ध अवकाश स्वीकृति पर कार्यवाही

471. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करते समय राजकीय अवकाश के दिन भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो कौन से नियम के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में कर्मचारी के बीमार होने पर उसके मेडिकल अवकाश को पी.एल. या यू.एल. अवकाश में स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारी के खाते में मेडिकल अवकाश बकाया होने पर भी कर्मचारी की पी.एल. या यू.एल. स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस विभाग को आवश्यक सेवा में माना गया है। इस विभाग के कर्मचारी को 24 घण्टे ड्यूटी पर माना जाता है, जिसका उल्लेख पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 33 में किया गया है। इसके दृष्टिगत ही राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को सामाजिक कार्य-कलापों में भाग लेने एवं आकस्मिक अन्य कार्यों के लिए 25 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान है, जबकि अन्यं विभागो में मात्र 15 दिन का आकस्मिक अवकाश का ही प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन, हार्ड ड्यूटी भत्ते के स्वरूप दिया जाता है। कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस थानों/चौकियों में प्रत्येक दिन पर्याप्त पुलिस बल रखना आवश्यक है।

(2) जी नहीं।

(3) पुलिस विभाग में कर्मचारी के बीमार होने पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 93(2), 97 के अनुसार निर्धारित रूपान्तरित अवकाश (कम्यूटेड लीव) स्वीकृत की जाती है। सामान्यत: सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में रूपान्तरित अवकाश शेष नहीं होने की स्थिति में पी.एल. या ई.ओ.एल. अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(गृह मंत्री)

(4) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश में मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के उपाय

472. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मोबाइल टावर से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन के सम्बन्ध में आमजन को बचाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में मुख्य मंत्री द्वारा रेडिएशन से निपटने के लिए वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब तक राज्य में मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय व निर्णय किये गये? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब निर्णय लेने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागीय आदेश दिनांक 31.08.12 द्वारा समस्त नगरीय निकायों में "नगर निगम/परिषद/पालिका----(2-जी व 3-जी टेक्नोलोजी के मोबाइल टावर/पोल एन्टींना)" उपविधि 2012 लागू किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सेवा प्रदाता कम्पनियां रेडिएशन की मात्रा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करेगी एवं रेडिएशन की जांच सेवा प्रदाता कम्पनी के खर्चे पर किया जाना भी सुनिश्चित किया जावेगा। इसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भारत सरकार के मापदण्डों के अन्तर्गत मोबाइल टावर के रेडिएशन कम करने बाबत विभागीय आदेश दिनांक 13.09.12 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)(मोबा) नियम/ डीएलबी/12/5451 दिनांक 21.05.12 द्वारा राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में मोबाइल टावर, पोल एन्टिना, आदि संस्थित किये जाने की दृष्टि से नीति बनाये जाने हेतु

(स्वायत्त शासन मंत्री)

विभागीय आदेश दिनांक 21.5.12 के द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति की अभिशंसा अनुसार उपविधि 2012 जारी की गयी।

(3) नगरीय निकायों में मोबाइल टावर/पोल एन्टिना उपविधियां 2012 लागू की गई हैं जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सेवा प्रदाता कम्पनियां रेडिएशन की मात्रा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करेंगी एवं रेडिएशन की जांच सेवा प्रदाता कम्पनी के खर्चे पर किया जाना भी सुनिश्चित किया जावेगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

तारानगर (चूरू) के महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

473. श्री जय नारायण पूनिया (तारानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तारानगर, जिला चूरू के महिला महाविद्यालय में कार्मिकों व व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महिला उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उक्त रिक्ति पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा तारानगर, जिला चूरू के महिला महाविद्यालय का भवन निर्माण कराना प्रस्तावित है? क्या उक्त के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक भवन निर्माण करवाने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तारानगर, जिला चूरू के राजकीय महिला महाविद्यालय में कार्मिकों एवं व्याख्याताओं के स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(उच्च शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	रिक्त
1.	प्राचार्य	01	00
2.	व्याख्याता	07	07
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01
4.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01
5.	सहायक लेखाधिकारी	01	01
6.	लिपिक ग्रेड-1	01	01
7.	प्रयोगशाला सहायक	01	00
8.	प्रयोगशाला वाहक	01	01
9.	बुकलिफ्टर	01	01
10.	च.श्रे. कर्मचारी	02	02
	योग	17	15

(2) जी हां। व्याख्याधताओं के 1,118 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है, जो कि परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है। इसके अतिरिक्त, सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरना प्रस्तावित है।

(3) तारानगर, जिला चूरू के महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 5 सितम्बर, 2014 को जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। भवन निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को राशि रुपये 100.00 लाख, बजट आबंटन किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। भवन निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

बारां जिले में नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु आबंटित बजट

474. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले में नहरी तंत्र (नहरों की मरम्मत) के लिए गत दो वर्षों में कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो सरकार कब तक नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट आबंटित किये जाने का विचार रखती है?

(श्री रामपाल)

(2) क्या सरकार उक्त जिले में नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन नहरों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बारां जिले में नहरी तंत्र की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न मदों में राशि रुपये 4,500.21 लाख का आबंटन विगत दो वर्षों में किया गया।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बारां जिले में नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु सी.ए.डी. चम्बल परियोजना की रिवैम्पिंग परियोजना अन्तर्गत 13 कार्य स्वीकृत/प्रस्तावित हैं, के अतिरिक्त बिलास, गोपालपुरा एवं परवन पिक-अप वीयर मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिन्हें संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

बांरा जिले में ल्हासी मध्यम एवं अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की नई नहरों के निर्माण कार्य भी वर्ष 2015-16 के दौरान संसाधन उपलब्धतानुसार प्रारम्भ किये जाने विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट "अ"

बारां जिले में नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा (रिवैम्पिंग परियोजना) में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)	निर्माण कार्य की सम्भावित पूर्णता तिथि	विवरण
1	2	3	4	5
1	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures of Direct minors offtaking from R.M.C. between km. 90 to 103.50 & Etawa Branch Canal to 15 km. & its offtaking system.	167.95	13-1-15	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5
2	Construction of X-Regulator Gate Structure & Providing & Fixing of Gates to Control canal water at 95.78 km. (RMC, CAD Chambal Kota).	1547.00	16-8-16	कार्य प्रगति पर
3	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures of Palaitha Sub Branch and its system in between km. 10 to 15.	58.52	05-10-2015	कार्य प्रगति पर
4	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures of Palaitha Sub Branch and its system in between km. 22 to tail	65.62	05-10-2015	कार्य प्रगति पर
5	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures Direct offtaking minors from R.M.C. between km. 58 to 68.	62.65	05-10-2015	कार्य प्रगति पर
6	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures Direct offtaking minors from R.M.C. between km. 69 to 85.	58.45	05-10-2015	कार्य प्रगति पर
7	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures of Mau Disty. system & Direct offtaking Minors from R.M.C. between km. 106.50 to 121, Ayana Disty. And its system.	138.25	22-7-15	कार्य प्रगति पर
8	Restoration, Lining & Renovation of pucca structures of Ayana Branch Canal & Laxmipura Disty. & its system.	188.06	22-7-15	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5
9	Revamping & Rehabilitation of Etawa branch Canal Km. 0 to 16 and its offtaking system.	3450.01	30-09-2016	कार्य प्रगति पर
10	Revamping & Rehabilitation of Laxmipura Disty., Haripura Disty. and Mau Disty. and Minors of Chambal CAD Kota.	3627.06	30-6-2017	टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कार्यादेश प्रक्रियाधीन है।
11	Revamping & Rehabilitation of Ayana Branch Canal & Ayana Disty. system of Chambal CAD Kota.	4499.24	30-6-2017	टेण्डर आमन्त्रित किये जा चुके हैं।
12	Revamping & Rehabilitation of Palaitha Sub Branch & its offtakes of Chambal CAD Kota.	3418.62	30-6-2018	डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
13	Revamping & Rehabilitation of direct minors of R.M.C. between km. 57.50 to 103.00 of Chambal CAD Kota.	1743.00	30-6-2018	डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
	कुल योग	**19024.46**		

जिला बारां में सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	नाम परियोजना	अनुमानित लागत	विशेष विवरण
1	बिलास मध्यम सिंचाई परियोजना तह. किशनगंज	495.00 लाख	ए.आई.बी.पी. (ई.आर.एम.) की गाइड लाइन के अनुरूप डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता कोटा के पत्रांक 2551-52 दिनांक 20.02.2015 द्वारा मु.अ. जयपुर को प्रस्तुत।
2	गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना तह. किशनगंज	2680.00 लाख	ए.आई.बी.पी. (ई.आर.एम.) की गाइड लाइन के अनुरूप डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता कोटा के पत्रांक 2548-49 दिनांक 20.02.2015 द्वारा मु.अ. जयपुर को प्रस्तुत
3	परवन पिक-अप-वियर तह. अटरु	1341.00 लाख	ए.आई.बी.पी. (ई.आर.एम.) की गाइड लाइन के अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

निम्नांकित निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की नवीन नहरों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है -

क्र. सं.	नाम परियोजना	प्रस्तावित नहर की लम्बाई	विशेष विवरण
1	ल्हासी मध्यम सि. परि. तह. छीपाबड़ौद	10.20 कि.मी.	वर्ष 2015-16 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
2	अहमदी लघु सिंचाई परियोजना	8.22 कि.मी.	

प्रदेश के विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति

475. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक के रूप में नियुक्ति देने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार विद्यार्थी मित्रों को आश्वासन के अनुसार नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान शिक्षा सहायक भर्ती को निरस्त कर, नया सेवा संवर्ग "विद्यालय सहायक" के सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पात्रता रखने वाले आवेदक सम्मिलित होंगे।

पाली जिले में आबकारी से प्राप्त राजस्व

476. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में आबकारी से कितनी-कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आबकारी की प्राप्त आय की कितनी प्रतिशत राशि नवजीवन योजना में व्यय किये जाने का प्रावधान है?

(3) उक्त तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी एवं उसके विरुद्ध कितनी-कितनी व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नवजीवन योजना में जितनी राशि खर्च की जानी थी, उसकी तुलना में बहुत कम राशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में प्रावधान की गई सम्पूर्ण राशि नवजीवन योजना में व्यय करने हेतु अधिकारियों को निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में आबकारी से निम्न प्रकार वित्तीय वर्ष में आय अर्जित की गई:-

(आबकारी मंत्री)

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2011-12	96.68
2012-13	121.62
2013-14	155.34

(2) आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2009-10 के बिन्दु संख्या 8.1 के अनुसार "आबकारी मद से प्राप्त राजस्व की एक प्रतिशत राशि गरीबों के लिये मुफ्त इलाज, दवाई तथा हथकड़ शराब बनाने वाले लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास के लिये खर्च की जायेगी।"

राज्य में नवजीवन योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2013-14 का प्रावधित बजट एवं व्यय राशि की सूचना निम्नानुसार है-

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	प्रावधित राशि	व्यय राशि
2009-10	500.00	282.40
2010-11	2500.00	1150.24
2011-12	2200.00	329.41
2012-13	1903.99	571.06
2013-14	1937.08	356.05

वर्ष 2011-12 से नवजीवन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

(3) राज्य में जिलेवार वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए आबंटित एवं व्यय की गई राशि की सूचना क्रमशः परिशिष्ट 1, 2 व 3 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। यह सही है कि पाली जिले में नवजीवन योजनान्तर्गत आबंटित राशि की तुलना में कम व्यय की गई है। नवजीवन योजना में आबंटित बजट को व्यिय करने हेतु समय-समय पर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। जारी किये गये निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट 4, 5 व 6 पर उपलब्ध हैं।

(सूचनाएं व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कुशलगढ़ में भवन-रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

477. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में महिलाओं एवं बालकों के विकास से सम्बन्धित कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का कहां-कहां संचालन किया जा रहा है एवं ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर निर्धारित जनसंख्या होने के उपरान्त भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन-रहित हैं? क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु राजकीय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश में आंगनबाड़ केन्द्र स्वीकृत करने एवं इनके संचालन हेतु क्या-क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित समेकित बाल विकास सेवाएं के अधीन आई सी डी एस मिशन, इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सबला एवं आई एस एस एन आई पी (आई सी डी एस सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग एण्ड न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिला अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुल 499 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। बाल विकास परियोजना सज्जनगढ़ में 244, बाल विकास परियोजना कुशलगढ़ में 238 एवं बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा शहर अन्तर्गत नगर पालिका कुशलगढ़ के 17 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

बाल विकास परियोजना सज्जनगढ़ में 82 एवं बाल विकास परियोजना कुशलगढ़ में 95 स्थान हैं, जहां निर्धारित जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र में कुल 108 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन-रहित संचालित हैं। बाल विकास परियोजना सज्जनगढ़ में कुल 51, बाल विकास परियोजना कुशलगढ़ में 57 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन-रहित संचालित हो रहे हैं।

जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि एवं पट्टे प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट में प्रदेश में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 195 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि प्राप्त होने के उपरान्त भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वीकृत करने एवं इनके संचालन हेतु निर्धारित नियम एवं मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण, सूची व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो का निर्माण

478. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एयरपोर्ट निर्माण में प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार की कितनी-कितनी साझेदारी होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में ज्वैलरी व विभिन्न कीमती वस्तुओं का आयात निर्यात हवाई जहाज द्वारा होता है? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर के एयरपोर्ट पर एयर कार्गो निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में एयरपोर्ट निर्माण हेतु कोई स्पष्ट नीति या दिशा-निर्देश नहीं हैं। एयरपोर्ट निर्माण हेतु परिस्थितियों के अनुसार, आपसी एम ओ यू के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। निर्माण एवं अन्य विकास कार्य भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है।

(2) जी हां। वर्तमान में राजसिको (राजस्थान सरकार का उपक्रम) द्वारा जयपुर हवाई अड्डे पर एयर कार्गो काम्प्लेक्स से आयात एवं निर्यात होने वाले कार्गो का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ ज्वैलरी एवं विभिन्न कीमती वस्तुएं भी सम्मिलित हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-700

(स्थगित)

सहकारिता विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स के लम्बित प्रकरण

701. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारिता विभाग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत अनुशासनिक प्रकरण विचाराधीन हैं? अधिकारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 31 मार्च, 2014 तक कितने प्रकरण नियम 16 में पंजीकृत किये गये एवं उक्त अवधि में कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? अधिकारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की कोई समय-सीमा निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सी.सी.ए. रूल्स 16 के प्रकरणों के निस्तारण में अधिकतम समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी समय सीमा में व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या नियमों के अन्तर्गत सी.सी.ए. रूल्स 16 से आरोपित अधिकारी का ए.सी.पी. एवं प्रमोशन, दोनों बेनिफिट्स/परिलाभ दण्डादेश जारी करने से पूर्व रोके जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) विभागीय जांच प्राप्त होने के कितने दिनों में दण्डादेश अथवा राज्य सेवक के निर्दोष सिद्ध होने के आदेश जारी किये जाते हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियमों में स्पष्ट समय-सीमा का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहकारिता विभाग के 3 अधिकारियों के विरुद्ध सी सी ए रूल्स 17 के तहत 3 प्रकरण एवं 19 अधिकारियों के विरुद्ध सी सी ए रूल्स 16 के तहत

(कार्मिक मंत्री)

कुल 22 प्रकरणों में आरोप पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है। सी सी ए नियम-34 के तहत एक प्रकरण विचाराधीन है। अधिकारीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सहकारिता विभाग के दिनांक 01.01.2005 से अब तक 28 अधिकारियों के विरुद्ध कुल 36 प्रकरण सी सी ए नियम 16 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होकर पंजीकृत किये गये, जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है एवं दिनांक 01.01.2005 से 31.03.2014 तक सहकारिता विभाग के कुल 17 प्रकरणों का सी सी ए नियम 16 के तहत निस्तारण किया गया, जो परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(1) कार्मिक/क-3/2004 दिनांक 28.01.2015 के अनुसार वर्तमान में अनुशासनिक जांच कार्यवाही के निस्तारण हेतु समय-सीमा निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'द' संलग्न है।

(4) बिन्दु संख्या-3 के अनुसार अनुशासनिक जांच कार्यवाही के निस्तारण हेतु समय-सीमा निर्धारित है।

(5) आरोपित अधिकारी के पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा राजसेवक के विरुद्ध आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार कर चयन परिणाम को लिफाफा (सील्ड कवर) प्रक्रिया अपनाई जाती है। राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 दिनांक 4 जून, 2008 परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

ए सी पी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग द्वारा ज्ञापन संख्या 14(88) वित्त/नियम/2008/।। दिनांक 31.12.2009 से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 2(8) में ए सी पी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अनुशासनिक एवं दण्डात्मक प्रक्रिया के प्रकरणों में सामान्य पदोन्नति के लिए लागू नियमों को प्रभावी माना गया है। उक्त ज्ञापन की प्रति परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

(6) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-3/2004 दिनांक 28.01.2015 में प्रावधान दिया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'द' संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग

702. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्तता के कारण सरकार द्वारा आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किये गये हैं? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में किन-किन अधिकारियों को जारी किये गये? नाम, पद व आरोप पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी इनके विरुद्ध कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध कब-कब? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वर्ष 2010, 2012, 2013, 2014 एवं वर्ष 2015 के माह मार्च तक किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी नहीं किये गये हैं।

वर्ष 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत पांच वर्षों में (वर्ष 2010 से 2014 तक) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 18 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में बिक्री कर रिफण्ड के लम्बित प्रकरण

703. श्री ज्ञान चन्द पारख (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में बिक्री कर के रिफण्ड के कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने समय से लम्बित हैं?

(2) उक्त प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जायेगा?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) क्या सरकार रिफण्ड के प्रकरणों के निस्तारण की अवधि निश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो क्यों व किन कारणों से?

उत्तर

(1)

व्यवहारी का नाम	सम्बन्धित वर्ष	राशि (लाखों में)	कितने समय से	कारण
1	2	3	4	5
मै. कमल नारायण राजेन्द्र कुमार	2011-12	0.43	23.01.2015	आई टी सी का पूर्ण सत्यापन नहीं होने के कारण रिफण्ड देना बकाया रहा।
मै. कमल नारायण राजेन्द्र कुमार	2010-11	0.99	23.01.2015	आई टी सी का पूर्ण सत्यापन नहीं होने के कारण रिफण्ड देना बकाया रहा।
मै. आर. आर. केमिकल	2011-12	4.31	23.01.2015	आई टी सी का पूर्ण सत्यापन नहीं होने के कारण रिफण्ड देना बकाया रहा।

(वित्त मंत्री)

1	2	3	4	5
मै. ए ए आई जी सीमेण्ट डिपो	2011-12	4.41	26.02.2015	आई टी सी का पूर्ण सत्यापन नहीं होने के कारण रिफण्ड देना बकाया रहा।
मै. विनायक ट्रेडिंग कम्पनी सुमेरपुर	2013-14	33.60	12.03.2015	आई टी सी का पूर्ण सत्यापन नहीं होने के कारण रिफण्ड देना बकाया रहा।

(2) उक्त प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र ही आधिक्य कर का सत्यापन करवाए जाने के पश्चात तदनुरूप रिफण्ड जारी कर दिया जावेगा। जमा राशि या इनपुट टैक्स आधिक्य का सत्यापन नहीं होने की दशा में रिफण्ड तय समयावधि मे दिया जाना सम्भव नहीं होता है।

(3) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 27 के प्रावधानों को दिनांक 09-03-2015 को प्रतिस्थापित कर रिफण्ड जारी करने की समय-सीमा के प्रावधान निम्न प्रकार से दिनांक 01-07-2015 से लागू किये गये हैं। जमा राशि या इनपुट टैक्स आधिक्य का सत्यापन होने की दशा में :-

- पंजीकृत व्यवहारी के द्वारा कर निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप अथवा किसी सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी या न्यायालय आदेश की पालना में पूर्ण भरे हुए आवेदन वैट-20 की प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के भीतर।
- आयुक्त द्वारा जारी शीघ्र रिफण्ड आदेश की पालना मे पूर्ण भरे हुए आवेदन वैट-20ए, पंजीकृत व्यवहारी के द्वारा देश की सीमा के बाहर निर्यात के क्रम में पूर्ण भरे हुए आवेदन वैट-21 एवं अपंजीकृत व्यवहारी या व्यक्ति के द्वारा पूर्ण भरे हुए आवेदन वैट-22 की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर।

छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत उप सचिव के वेतनमान का पुनः निर्धारण

704. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उप सचिवों का वेतनमान रु. 11300-350-16200 (17) निर्धारित किया गया था और 1 सितम्बर, 1996 को न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने शासन सचिवालय सेवा के उप सचिवों एवं समकक्षीय अन्य सचिवालयों के उप सचिवों का वेतनमान संशोधित कर रु. 12000-375-16500 (18) कर दिया गया और आदेश संख्या एफ.12(2) एफ.डी./रूल्स/2013 दिनांक 19 सितम्बर, 1998 द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 1998 से लागू किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि जो उप सचिव दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से 31 अगस्त, 1998 तक व आगे भी कार्य करते रहे, उनका 1 सितम्बर, 1996 को न्यूनतम वेतन रु. 11300 पर निर्धारित किया गया तथा 1 सितम्बर, 1998 के पश्चात् उप सचिव के पद पर पदोन्नति हुए उनका न्यूनतम वेतन रु. 12000 निर्धारित किया गया?

(4) क्या यह सही है कि जो उप सचिव दिनांक 1 सितम्बर, 1996 के बाद 30 सितम्बर, 1997 तक सेवानिवृत्त हुए, उनके वेतन के रूप में न्यूनतम रु. 11300 + एक वेतनवृद्धि रुपये 350 जोड़कर रुपये 11,650 पर सेवा निवृत कर दिया और पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन स्वीकृत कर दी तथा जो उप सचिव दिनांक 30 सितम्बर, 1998 को ठीक एक वर्ष बाद सेवानिवृत्त हुए, उनको 1 सितम्बर, 1998 को न्यूनतम रुपये 12000 + एक वेतनवृद्धि रुपये 375 जोड़कर रुपये 12375 पर सेवानिवृत्त किया गया? क्या जो उप सचिव दिनांक 30 सितम्बर, 1997 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए, उन्हें दो वेतन वृद्धियां रुपये 725 प्रति माह की हानि हो रही है।

(5) क्या यह भी सही है कि छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2008 जो कि दिनांक 1 सितम्बर, 2006 से व बाद में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू किये गये थे, में भी दो वेतनवृद्धि का अंतर है? रुपये 11300 के स्थान पर रु. 21020 व 7200 ग्रेड वेतन रुपये= 28220 और रुपये 12000 के स्थान पर रुपये 22320 व 7600 ग्रेड पे वेतन= 29920 मिल रहे हैं, जो कि रुपये 1,700 प्रति माह अधिक है?

(श्रीमती संजना आगरी)

(6) क्या यह सही है कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 12 (2) एफडी/रूल्स/2013 दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा जिन पेंशनर्स को नवीन वेतनमान जो 1 जनवरी, 2006 से लागू किये गये हैं, के संदर्भ में न्यूनतम वेतनमान का 50 प्रतिशत व पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत से कम मिल रही है, उनसे 50 व 30 प्रतिशत पेंशन पाने के लिए विकल्प पत्र मांगे गये हैं?

(7) क्या सरकार ऐसे उप सचिव, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से 31 अगस्त, 1998 तक सेवानिवृत्त हुए हैं और उल्लेखित लाभ से वंचित रहे हैं, उन उप सचिवों को नवीन वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान रुपये 29,920 का 50 प्रतिशत रुपये 14,960 व 30 प्रतिशत रुपये 8,976 देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से लागू किये गये थे जिसमें उप सचिवों का वेतनमान रु. 11300-350-16200 (17) रखा गया था, किन्तु यह सही नहीं है कि सभी उप सचिवों का वेतन 1 सितम्बर, 1996 को न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किया गया। वेतन का निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 के वेतन निर्धारण प्रावधान के अनुसार किया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। उप सचिव का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 में वेतन निर्धारण उप सचिव के पद पर दिनांक 1 सितम्बर, 1996 को प्राप्त वेतन के आधार पर किया गया। 1 सितम्बर, 1998 को उप सचिव के पद का वेतनमान 12000-16500 संशोधित किये जाने पर जिन उप सचिवों का मूल वेतन रु. 12,000/- से कम था, उनके पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण न्यूनतम वेतन रु. 12,000/- पर किया गया।

(4) जी नहीं। सेवानिवृति के समय प्राप्त मूल वेतन के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियमों के प्रावधान के अनुसार पेंशन की राशि की गणना कर पेंशन राशि स्वीकृत की गई। सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंतिम वेतन में वेतनवृद्धि के अन्तर की गणना किया जाना काल्पनिक है।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं।

प्रदेश में अपहरण की घटनाओं पर कार्यवाही

705. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रदेश में गत दस वर्षों में अपहरण की कुल कितनी घटनाएं हुईं? सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में 1 जनवरी, 2005 से 17 मार्च, 2015 तक अपहरण के कुल 32,109 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 10,262 मुकदमों में चालान पेश किया, 20,281 मुकदमों में एफ.आर. दी गई तथा 1,566 मुकदमे अनुसंधानाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर के थानों में स्वीकृत नफरी

706. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में कितने पुलिस थाने कहां-कहां स्थित हैं और इनमें कितनी-कितनी नफरी स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के थानों में कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में कोतवाली सीकर, सदर सीकर, उद्योग नगर, रानोली, दादिया एवं महिला थाना स्थित हैं और इनमें स्वीकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सीकर के थानों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र सीकर में आने वाले थाने का नाम	कुल स्वीकृत नफरी पदवार					कुल मौजूदा नफरी पदवार				
		पुलिस निरीक्षक	उप निरी.	सउनि	हैड कानि.	कानि.	पुलिस निरीक्षक	उप निरी.	सउनि	हैड कानि.	कानि.
1	कोतवाली सीकर	1	3	20	4	46	1	3	4	5	45
2	सदर सीकर	1	1	7	8	40	0	2	2	5	32
3	उद्योग नगर सीकर	1	3	8	8	38	0	1	3	4	37
4	रानोली	0	2	5	5	39	0	1	3	4	28
5	दादिया	0	2	3	5	33	0	1	2	5	28
6	महिला थाना सीकर	1	1	2	3	22	0	1	0	2	19

परिशिष्ट 'ब'

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र सीकर में आने वाले थाने का नाम	निरीक्षक के पद				उप निरीक्षक				सहायक उप निरीक्षक				हैड कानिस्टेबल				कानिस्टेबल			
		स्वीकृत नफरी	मौजूदा नफरी	रिक्त पद	रिक्त पद कब से है दिनांक	स्वीकृत नफरी	मौजूदा नफरी	रिक्त पद	रिक्त पद कब से है दिनांक	स्वीकृत नफरी	मौजूदा नफरी	रिक्त पद	रिक्त पद कब से है दिनांक	स्वीकृत नफरी	मौजूदा नफरी	रिक्त पद	रिक्त पद कब से है दिनांक	स्वीकृत नफरी	मौजूदा नफरी	रिक्त पद	रिक्त पद कब से है दिनांक
1	कोतवाली सीकर	1	1	0	0	3	3	0	0	20	4	16	6 पद दि. 29.9.05 2 पद दि. 6.1.11 1 पद दि. 19.6.13 1 पद दि. 23.1.14 1 पद दि. 1.2.14 1 पद दि. 20.5.14 1 पद दि. 27.7.14 1 पद दि. 30.11.14 1 पद दि. 26.10.14 1 पद दि. 12.3.15	4	5	1 अति रिक्त		46	45	1	21.6.14
2	सदर सीकर	1	0	1	19.8.14	1	2	1 अति रिक्त	-	7	2	5	2 पद दि. 27.6.13 1 पद दि. 20.5.14 1 पद दि. 27.7.14 1 पद दि. 31.7.14	8	5	3	21.6.13	40	32	8	21.6.13
3	उद्योग नगर सीकर	1	0	1	23.1.14	3	1	2	1 पद दि. 25.5.13 1 पद दि. 4.3.14	8	3	5	3 पद दि. 25.5.13 1 पद दि. 26.6.13 1 पद दि. 1.2.14	8	4	4	21.6.13	38	37	1	21.6.13
4	रानोली	0	0	0	0	2	1	1	23.9.13	5	3	2	1 पद दि. 7.9.09 1 पद दि. 3.10.13	5	4	1	21.6.13	39	28	11	21.6.13
5	दादिया	0	0	0	0	2	1	1	14.06.07	3	2	1	15.2.15	5	5	0	0	33	28	5	21.6.13
6	महिला थाना सीकर	1	0	1	10.1.14	1	1	0	-	2	-	2	1 पद दि. 28.4.10 1 पद दि. 31.8.11	3	2	1	21.6.13	22	19	3	21.6.13

रींगस (सीकर) में नकली शराब के कारखाने पर कार्यवाही

707. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) व **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के रींगस कस्बे में वर्ष 2008 से 2013 के मध्य किसी राजनेता का नकली शराब बनाने का कारखाना पकड़ा गया था? यदि हां, तो कब व उसका केस किस दिनांक को दर्ज हुआ तथा उस समय क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में अनुसंधान में बाधा डालकर पत्रावली दबाई गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा यह पत्रावली पुन: अनुसंधान हेतु प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजनीतिक दबाव के कारण उक्त पत्रावली में एफ.आर. देने की तैयारी की गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो अब कब तक उक्त प्रकरण का न्यायालय में चालान पेश कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। सीकर जिले के रींगस कस्बे में वर्ष 2008 से 2013 के मध्य किसी राजनेता का नकली शराब बनाने का कोई कारखाना नहीं पकड़ा गया है। जबकि दिनांक 11-01-2011 को थाना रींगस पर आबकारी विभाग द्वारा अभियोग संख्या 15/11 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. दर्ज करवाया था जिसमें एच.एस.बी. एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. रींगस द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से स्प्रिट के टैंकर भेजकर आबकारी विभाग को राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

(2) यह सही नहीं है। अनुसंधान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली गई है ।

(3) यह सही नहीं है। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अनवरत जारी रहा है।

(4) यह सही नहीं है। मुलजिम 1-संजय चौधरी 2-विष्णु राठौड़ 3-पवन उर्फ संजय अग्रवाल 4-महलचन्द 5-भवानीसिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. का प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध चार्जशीट नं.- 60 दिनांक 21-4-11 किता कर दिनांक 23-4-11 को चालान पेश किया गया व मुलजिम दुर्गाप्रसाद को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध तितम्बा

(गृह मंत्री)

चार्जशीट दिनांक 3-9-11 को पेश की गई तथा शेष मुलजिम 1-रतनसिंह 2-अनिल कुमार 3-महमुद खां 4-नदीम अहमद 5-अनीष मोहम्मद 6-महेश ठक्कर उर्फ सुरेन्द्र 7-कोमल बाफना 8-ललित सुहालका 9-प्रकाश चौधरी 10-संजय चौधरी 11-विरेन्द्र कुमार 12-विजय कुमार सुहालका 13-हरिश विजयवर्गीय 14-शहादाब के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. का प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिमो की गिफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही चालान पेश न्यायालय किया जावेगा ।

आगुचा ग्राम, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में संचालित आश्रम के विरुद्ध कार्यवाही

708. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम आंगुचा (परमरामपुरा) गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा में एक ढोंगी साधु बाबा बालकनाथ अपने आपको भगवान घोषित कर आंगुचा आश्रम का संचालन कर रहा है, जिसे सरकार से गार्ड उपलब्ध करायी गयी है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बाबा बालकनाथ औरतों में ऊपर की हवा, परदे की बीमारी, लकवा, अन्धापन, बहरापन, कैंसर, टीबी, श्वास, बांझपन, शूगर, आदि का इलाज करने का दावा करता है? क्या इसके पास चिकित्सा का लाइसेंस प्राप्त है? यदि हां, तो कहां से और नहीं, तो क्या सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि साधु बाबा बालकनाथ गरीब ग्रामीण व्यक्तियों से इस तरह के झूठे प्रचार से हजारों रुपये का चन्दा इकट्ठा कर रहा है? यदि नहीं, तो इसके आय के स्रोत क्यां हैं?

उत्तर

(1) बाबा बालकनाथ को राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित खतरों के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गयी है। उक्त सुरक्षा दिनांक 02 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी व सुरक्षा का रिव्यू किये जाने पर दिनांक 12 मई, 2011 के आदेश द्वारा सुरक्षा हटा दी गयी। राज्य विशेष शाखा की खतरों के

(गृह मंत्री)

आकलन की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2012 के द्वारा उन्हें पुनः सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रतिरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में खतरों के आकलन के आधार पर राज्य सरकार सुरक्षा प्रदान करने/जारी रखने का निर्णय लेती है।

(2) राज्य सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबा बालकनाथ द्वारा इस प्रकार का दावा नहीं किया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) बाबा बालकनाथ के आश्रम में काफी अनुयायी आते हैं एवं चन्दा प्रदान करते हैं।

रामसर (नसीराबाद) की पुलिस चौकी का क्रमोन्नयन

709. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम रामसर में स्थित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा ग्राम रामसर में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा की क्रियान्वित सरकार द्वारा कब तक की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम रामसर में पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम रामसर में पुलिस थाना खोले जाने बाबत माननीया मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा के सम्बन्ध में अधिकारिक सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कारागार सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

710. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) प्रदेश में कारागार सेवा के अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) प्रदेश में कारागार सेवा के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति कब से लम्बित चल रही है?

(3) क्या सरकार कारागार सेवा के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कारागार सेवा के अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है।

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
महानिरीक्षक	1	0	1
उप महानिरीक्षक	3	0	3
अधीक्षक ग्रेड-I	10	4	6
अधीक्षक ग्रेड-II	8	3	5
उपाधीक्षक	35	23	12

महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक के रिक्त पदों पर वर्तमान में कार्य व्यवस्था हेतु आई.पी.एस. अधिकारी कार्यरत हैं।

(2) राजस्थान कारागार सेवा के अधिकारियों में उपाधीक्षक, अधीक्षक ग्रेड-II एवं अधीक्षक ग्रेड-I की वर्ष 2014-15 तक, उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2009-10 तक एवं महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु 2003-04 तक पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। महानिरीक्षक का पद 31 मई, 2014 को रिक्त हुआ है।

(3) जी हां। कई अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित होने से निर्णय सील बन्द होने तथा समुचित संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति प्रकिया के उपरान्त भी कई पद रिक्त चल रहे हैं। पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर पदोन्नति सम्भव होगी।

नि:शुल्क दवा/जांच योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

711. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नि:शुल्क दवा योजना व जांच योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु राजस्थान मेडिकल कारपोरेशन लि. का गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में RMCL द्वारा दवाइयों व उपकरणों पर व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में RMCL की आडिट करवाई गयी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विगत 2 वर्षों की आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में आर.एम.एस.सी.एल. के द्वारा दवाइयों एवं उपकरणों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के द्वारा निगम हेतु नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक के द्वारा आर.एम.एस.सी.एल. की लेखा-पुस्तिकाओं की जांच की गई है। विगत 2 वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 की संवैधानिक अंकेक्षक की आडिट रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में वितरित नि:शुल्क दवाइयां

712. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना प्रदेश में कब से लागू की गई है?

(2) योजना में सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना लागू होने से अब तक कोटा जिले में कौन-कौनसी दवाइयों का वितरण किन-किन उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर, 2011 से प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर लागू की गई है।

(2) वर्तमान में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर 612 औषधियां, 73 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान आवश्यक दवा सूची में किया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(3) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत कोटा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा संस्थानवार वितरण की गई दवाइयों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है ।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रोजवाड़ी (बस्सी) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

713. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की तहसील बस्सी में वर्तमान में कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर वर्तमान में किस-किस प्रकार के कौन-कौन से पद सृजित हैं एवं किस-किस पद पर कौन-कौन कार्मिक कार्यरत हैं? कौन-कौन से कितने पद कब-कब से किस-किस कारण से रिक्त हैं? केन्द्रवार सृजित, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी में किस-किस रोग की जांच हेतु क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध, हैं एवं कौन-कौन से चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध हैं? उनमें से कौन-कौन से उपकरण कब-कब से एवं किस कारण खराब चल रहे हैं? क्या सरकार उक्त केन्द्रों में खराब उपकरणों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र पर चिकित्साकर्मियों के अनुपस्थित रहने सम्बन्धी कोई शिकायत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को की गई थी? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त केन्द्र पर आपातकालीन सेवाओं एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई विशेष ठोस व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र को वर्ष 2003 से 2008 में सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो अब कब तक परिवर्तित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक तथा पदस्थापित चिकित्साकर्मी के नाम सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाड़ी में 15 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी में उपलब्ध उपकरणों के नाम परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाड़ी में वर्तमान में कोई उपकरण खराब नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आन-काल चिकित्सक उपलब्ध रहता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी पर पदस्थापित चिकित्साकर्मियों के द्वारा मौसमी बीमारी हैजा, डायरिया, मलेरिया, क्षय रोग, स्वाइन फ्लू, इत्यादि बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा उनके उपचार आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने की योजना

714. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी पद्धति से प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने प्राइवेट चिकित्सक हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) क्या प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स प्राइवेट इंस्टिट्यूशन द्वारा चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कोर्स व संस्थानों के नाम व पते सदन की मेज पर रखें। इन संस्थानों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पद्धति से रोगों के उपचार पर कोई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस पद्धति को मान्यता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने के लिए पूर्व में कोई कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो कमेटी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त कमेटी में कोई इलेक्ट्रोपैथी विशेषज्ञ को शामिल करने की कमेटी द्वारा अनुशंसा सरकार के पास आयी थी? यदि हां, तो किस इलेक्ट्रोपैथी विशेषज्ञ को समिति में शामिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे इलाज बाबत विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है। प्राइवेट इंस्टिट्यूशन द्वारा सर्टिफिकेट चिकित्सा पद्धति या डिप्लोमा कोर्स चलाये जाने बाबत विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(3) इस बाबत विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) भारत सरकार द्वारा इस चिकित्सा पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल करने हेतु महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा चुका है। उक्त समिति द्वारा इस पद्धति को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल नहीं करने की अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 2 (15) आयु./2005 दिनांक 12.03.12 द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारियों को इस बाबत सूचित किया जा चुका है।

(5) राज्य सरकार द्वारा निदेशक, आयुर्वेद विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक प2 (15) आयु./2005 दिनांक 10.05.2011 अनुसार "हर्बल चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने बाबत" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.11 पर

(आयुर्वेद मंत्री)

तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर निदेशालय, आयुर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक प3/सामा.6/ह.चि.इ.खि./2011-12/17561-66 दिनांक 03.06.11 के द्वारा निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है :-

क्र.	विवरण	समिति में धारित पद
1	प्राचार्य, म. मो. मा. राज. आयुर्वेद कालेज, उदयपुर	अध्यक्ष
2	प्रोफेसर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
3	सहायक निदेशक, मुख्यालय निदेशालय आयुर्वेद अजमेर	सदस्य
4	प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द जोधपुर	सदस्य
5	मुख्य विधि परामर्शी, मुख्यालय निदेशालय आयुर्वेद अजमेर	सदस्य

(6) कमेटी में इलेक्ट्रोपैथी विशेषज्ञ को शामिल करने की कमेटी द्वारा अनुशंसा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में शिक्षकों के रिक्त पद

715. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा में लम्बे समय से शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा में शिक्षकों के 6 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय	रिक्त	कब से रिक्त
1	2	3	4
1.	इतिहास	01	14.10.14
2.	अंग्रेजी	02	28.10.14, 01.07.14
3.	चित्रकला	01	14.10.14

(उच्च शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4
4.	अर्थशास्त्र	01	जून 2012 स्थानान्तरण से राज. महा. सागवाड़ा में पदस्थापित व्याख्याता श्री फूलचन्द महोलिया द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये जाने के कारण रिक्त।
5.	संस्कृत	01	01.02.14

व्याख्याताओं के 1,118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई अभ्यर्थना के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12.01.2015 को विज्ञप्ति जारी की गई है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

716. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा डिप्लोमा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के विभिन्न परीक्षा प्रश्न पत्रों को बोर्ड कार्यालय से प्राप्त करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने हेतु निजी क्षेत्र में संचालित संस्थानों के मैनेजमेंट को पाबंदित किया हुआ है? क्या इस कार्य हेतु बोर्ड द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित संस्थाओं के मैनेजमेंट को परिवहन का भुगतान किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर सम्भाग मुख्यालय पर स्थित राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों को बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय घोषित कर वहीं से प्रश्न पत्र वितरण एवं उत्तर पुस्तिकाएं जमा करवाने का केन्द्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शैक्षणिक कलेण्डर के तहत निर्धारित समय में परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस हेतु प्राविधिक मण्डल, सम्भाग मुख्यालय राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय को बोर्ड का क्षेत्रीय केन्द्र बनाकर परीक्षकों से उत्तर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

पुस्तिकाओं की जांच कराई गई? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल द्वारा राजकीय एवं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थानों के मैनेजमेंट को परिवहन का भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है। विवरण परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य के चार सम्भाग मुख्यालयों यथा जयपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में मण्डल के प्रश्न पत्र वितरण, उत्तरपुस्तिका वितरण एवं संग्रहण प्रकोष्ठ की स्थापना करने बाबत विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना होने के पश्चात इन केन्द्रो पर उत्तरपुस्तिकाओं की जांच का कार्य सम्पादित करवाया जायेगा।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प 13(24)त.शि./78 पार्ट जयपुर, दिनांक : 21 नवम्बर, 2011

अध्यक्ष,
प्राविधिक शिक्षा मण्डल,
राजस्थान, जोधपुर।

विषय :— प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कार्य के लिये पारिश्रमिक भुगतान की दरों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— आपका पत्रांक : एफ 5(12-1) प्राशिमं/सामान्य/2010-11/7349 दिनांक 8.11.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कार्य के लिये पारिश्रमिक भुगतान की दरों में निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	मद का नाम	आई.टी. आई. की दरें	प्रा. शि. मण्डल की वर्तमान दरें	प्रस्तावित दर	स्वीकृत संशोधित पारिश्रमिक दरें
1	2	3	4	5	6
1.	पेपर सेन्टर	400/- प्रति पेपर	300/- प्रति पेपर एवं हिन्दी अनुवाद के 75 रुपये अतिरिक्त	400/- प्रति पेपर एवं हिन्दी अनुवाद के 100 रुपये अतिरिक्त	प्रस्तावित दरों पर
2.	थ्योरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु परीक्षक	10/- प्रति उत्तर पुस्तिका	4.50/- प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम 150/- प्रति विषय)	15/- प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम 600/- प्रति विषय)	आई.टी.आई. की दर रु. 10/- प्रति उत्तर पुस्तिका पर
3.	परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	100/- प्रति पारी	45/- प्रति परीक्षा काल	150/- प्रति परीक्षा काल अधिकतम 200/- प्रतिदिन	आई.टी.आई. की दर रु. 100/- प्रति पारी पर
4.	अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक	75/- प्रति पारी	30/- प्रति परीक्षा काल	100/- प्रति परीक्षा काल अधिकतम 175/- प्रतिदिन	75/- प्रति पारी
5.	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त वीक्षक	70/- प्रति पारी	रु. 22.50/- प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक	रु. 70/- प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक	70/- प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक
6.	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी	45/- प्रति पारी	रु. 18/- प्रति लिपिक प्रति परीक्षा काल	रु. 40/- प्रति लिपिक प्रति परीक्षा काल	40/- प्रति लिपिक प्रति पारी

1	2	3	4	5	6
7.	परीक्षा कार्य में नियुक्त च. श्रे. क.	30/- प्रति पारी	रु. 12/- प्रति परीक्षा काल (4 घण्टे के लिए)	रु. 30/- प्रति परीक्षा काल (4 घण्टे के लिए)	30/- प्रति पारी प्रति च.श्रे.क. (4 घण्टे के लिए)
8.	प्रायोगिक एवं वायवा परीक्षा	25/- प्रति पारी	रु. 4.5 प्रति छात्र (न्यूनतम 150/- प्रति दिन प्रत्येक परीक्षक को)	रु. 15 प्रति छात्र (न्यूनतम 600/- प्रति दिन प्रत्येक परीक्षक को)	15/- प्रति छात्र (न्यूनतम 300/-)

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक 151101154 दिनांक 18.11.2011 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर जारी की जाती है।

भवदीय,
ह./-
(आर. के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त. शि.

प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोलने की योजना

717. श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश के सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में वंचित उपखण्ड मुख्यालयों पर सरकार महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जिले के मुख्यालय शिव व रामसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के 289 उपखण्ड मुख्यालयों में से 42 उपखण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय संचालित नहीं हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने एवं गुणावगुण के आधार पर उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(3) बाड़मेर जिले के उपखण्ड मुख्यालय शिव एवं रामसर में निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में युवा कौशल विकास केन्द्र संचालन के मानदण्ड

718. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा महाविद्यालयों में युवा कौशल विकास केन्द्र संचालित करने के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में झुंझुनूं जिले के कितने महाविद्यालयों में कहां-कहां युवा कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? इनके द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार झुंझुनूं जिले में युवा कौशल विकास केन्द्र द्वारा वंचित रहे महाविद्यालयों में युवा कौशल विकास केन्द्र संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या युवा कौशल विकास केन्द्र के लिए स्वीकृत किये गये बजट का उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र संचालन हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में झुंझुनूं जिले के सभी पांच राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्न है:-

1. राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनूं;
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुनूं;
3. राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़;
4. राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी; एवं

(उच्च शिक्षा मंत्री)

5. राजकीय महाविद्यालय, गुढा।

महाविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यो की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) झुंझुनूं जिले में सभी राजकीय महाविद्यालयों में युवा विकास केन्द्र संचालित हैं।

(4) जी हां। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकृत बजट का उपयोग सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(प्रति, सूचना व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

एच.वी. होटल्स के मानचित्र का अनुमोदन

719. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक रोड पर आश्रम मार्ग पर स्थित पी.डब्ल्यू.डी. चौकी के नाम से मशहूर भूखण्ड पर एच.वी. होटल्स प्रा.लि. ने बहुमंजिला व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 31 मार्च, 2005 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और उस प्रार्थना पत्र पर भवन मानचित्र समिति द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2006 को स्वीकृति दी गई थी और उस स्वीकृति की अनुपालना में दिनांक 07 सितम्बर, 2007 को स्वीकृति पत्र व अनुमोदित मानचित्र जारी किये गये थे? यदि हां, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों की बी.पी.सी. के निर्णय की तथा जारी की गई स्वीकृति की एवं अनुमोदित मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड स्वामित्व के दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 26 मार्च, 1997 की शर्त संख्या 1(3) व 1(6) के अनुसार सरकार में रिवर्ट हो चुका था? इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण करने की स्वीकृति देने का अधिकार ही नहीं था? यदि नहीं, तो आवेदक को उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रारम्भ करने की एवं पूरा करने की अवधि किस दिन तक की थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 26 मार्च, 1957 की शर्त संख्या 1(1) के अनुसार आवेदक से 1510

(श्री अशोक परनामी)

वर्ग मीटर भूमि सड़क चौड़ी करने हेतु नि:शुल्क सरेण्डर करवाई जानी थी? यदि हां, तो क्या उक्त आवेदक से 1510 वर्ग मीटर भूमि सरेण्डर करवाई गई? यदि नहीं, तो क्यों? कितनी भूमि निःशुल्क सरेण्डर करवानी थी और कितनी भूमि निःशुल्क सरेण्डर करवाई गई और कब्जें में ली गई? सरेण्डर करवाई गई भूमि के दस्तावेज मय साइट प्लान सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य अब तक भी पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो आवेदक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूखण्ड का अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को अभी तक भी कोई आवेदन नहीं किया गया है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त भूखण्ड पर आवेदक ने मौके पर सामने I व सामने II कितनी भूमि निःशुल्क सरेण्डर की हुई है तथा उसके बाद कितना-कितना सेटबैक मौके पर छोड़ा हुआ है? पार्श्व-I में तथा पीछे कितना सेटबैक मौके पर छोड़ा हुआ है? वर्तमान साइट प्लान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा होटल प्रयोजनार्थ विक्रय किये गये भूखण्ड का भू-उपयोग मल्टीपरपज कामर्शियल काम्पलेक्स एवं मल्टीप्लेक्स हेतु परिवर्तन करने का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क किस दर से लिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टोंक रोड पर आश्रम मार्ग पर स्थित पी.डब्ल्यू.डी. चौकी के नाम से मशूहर भूखण्ड पर बहुमंजिला व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 31.03.2005 को प्रस्तुत किया गया एवं भवन मानचित्र समिति द्वारा दिनांक 08.02.2006 को स्वीकृति दी गई एवं उस स्वीकृति की अनुपालना में दिनांक 07.09.2007 को मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये गये।

उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन (सम्पदा) विभाग से जारी लीज डीड/स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज परिशिष्ट-1, बी.पी.सी. के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-2 तथा जारी की गई स्वीकृति की प्रति मय अनुमोदित मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी नहीं। क्रेता द्वारा निर्माण कार्य की अवधि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2007 से मानी जाने के अनुरोध पर विभाग द्वारा क्रेता को उक्त भूखण्ड पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2007 से 1 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 3 वर्ष की अवधि दिनांक 11.01.2010 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की अनुमति शासन उप सचिव, सम्पदा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.3(4) सम्पदा/95/ पी-2 जयपुर दिनांक 26.09.2007 द्वारा दी गई। उक्त पत्र के क्रम में एच.वी. होटल प्रा.लि. के निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2007 से गणना किये जाने का निर्णय सम्पदा विभाग के स्तर पर लिये जाने एवं निर्माण कार्य दिनांक 11.01.2010 तक पूरा करने की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

उक्त पत्र के क्रम में ही अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बी पी सी (बी पी), ज वि प्रा के द्वारा भूखण्ड पर भवन निर्माण करने की स्वीकृति जारी की गई थी। मुताबिक स्वीकृति पत्र उक्त भूखण्ड के मानचित्र की वैद्यता अवधि दिनांक 07.09.2007 से जून, 2010 तक थी। उक्त स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 26.03.1997 की शर्त सं. 1(1) के अनुसार आवेदक से 1510 वर्ग मीटर भूमि सड़क चौड़ी करने हेतु नि:शुल्क सरेण्डर करवाई जानी थी।

जी नहीं। नीलामी के समय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि का क्षेत्रफल 10,490 वर्ग मीटर अनुमोदित किया गया था एवं नीलामी के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से नाप कराने पर मौके पर 10,227 वर्गमीटर पाई गई, जिसके कारण 10430-10227 =263 वर्ग मीटर भूमि क्रेता को कम मिलने के परिणामस्वरूप जो 1,510 वर्ग मीटर भूमि, जो क्रेता द्वारा सडक चौड़ाई नि:शुल्क छोड़ी जानी थी, उसमें से 262.97 वर्ग मीटर समायोजित करते हुए 1,247 वर्ग मीटर भूमि क्रेता से नि:शुल्क समर्पण करवाई गई। पी.डब्ल्यू.डी. चौकी की मौके पर उपलब्ध नीलामी से कम भूमि के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रमुख वित्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में अपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 24.02.2001 को आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि "1510.00 वर्गमीटर भूमि, जो क्रेता द्वारा सड़क चौड़ी करने हेतु नि:शुल्क छोड़ी जानी है, उसमें से 262.97 वर्ग मीटर भूमि

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

समायोजित करते हुए 1,247.024 वर्गमीटर ही क्रेता से नि:शुल्क प्राप्त कर ली जावे, ताकि कम पाई गई भूमि 262.97 वर्गमीटर का निस्तारण हो सके। "इस सम्बन्ध में शासन उप सचिव, सम्पदा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक : एफ.3(4) साप्र(स)/95 दिनांक 30.04.2003 एवं दिनांक 21.02.2004 की प्रतियां परिशिष्ट-5 पर संलग्न हैं, जिनमें उक्त निर्णय का उल्लेख है। बी पी सी (बी पी), ज वि प्रा के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी मानचित्र में समर्पित की जाने वाली भूमि को दर्शाया गया है। अत: साइट प्लान की प्रति मय समर्पित भूमि के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

इस निर्णय की पालना में अति. मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बी पी), ज वि प्रा जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक : जविप्रा/अति. मु.न.नि./बी.पी.सी./2012/डी-1550 दिनांक 06.08.2012 द्वारा 1,247 वर्ग मीटर भूमि नि:शुल्क समर्पण करने बाबत पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। उक्त पत्र के क्रम में आवेदक द्वारा 1,247 वर्ग मीटर भूमि समर्पित करने के संदर्भ में समर्पण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में समर्पित की गई भूमि के समर्पणनामे की प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है । उक्त समर्पित की गई भूमि का कब्जा उपायुक्त, जोन-4 के द्वारा लिया गया। उपायुक्त, जोन-4 से कब्जा लेने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र क्रमांक : डी-1989 दिनांक 06.09.2012 की प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

बी पी सी (बी पी) के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी मानचित्र में समर्पित की जाने वाली भूमि को दर्शाया गया है। अत: साइट प्लान की प्रति मय समर्पित भूमि के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि आज दिनांक तक भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकरण में शासन उप सचिव, सम्पदा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक : एफ.3(4) सम्पदा/95/पी-2 जयपुर दिनांक 26.09.2007 के क्रम में एच.वी. होटल प्रा.लि. के निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2007 से गणना किये जाने का निर्णय सम्पदा विभाग के स्तर पर लिये जाने एवं निर्माण कार्य दिनांक 11.01.2010 तक पूरा करने की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति के क्रम में निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सम्पदा विभाग के पत्र दिनांक 26.09.2007 के अनुसार क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर निर्माण अवधि दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किये जाने के कारण निर्माण अवधि बढ़ाये जाने अथवा लीज डीड की शर्त संख्या 1(3) एवं 1(6) के अनुसार सम्पसत्ति की लीज डीड निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण विधि विभाग से राय प्राप्ति करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

सामान्य प्रशासन (सम्पदा) विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा निर्माण अवधि आज दिनांक तक नहीं बढाये जाने के कारण वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव, बी पी सी (बी पी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा अपने पत्रांक : जविप्रा/सस/बीपीसी(बीपी)/2015/डी-769 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा लीजधारक श्री राज चड्डा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार जयपुर सेन्टर डवलपर्स प्रा.लि. को भवन मानचित्र अनुमोदन की अनुज्ञा की शर्त संख्या-9 का उल्लंघन करने पर भवन मानचित्र निरस्त करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस की प्रति परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

(5) आवेदक द्वारा आज दिनांक तक उक्त भूखण्ड़ का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आवेदन नहीं किया गया है।

इस प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव, बी पी सी (बी पी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा अपने पत्रांक : जविप्रा/सस/बी पी सी (बीपी)/2015/डी-769 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा लीजधारक श्री राज चड्डा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार जयपुर सेन्टर डवलपर्स प्रा.लि. को भवन मानचित्र अनुमोदन की अनुज्ञा की शर्त संख्या-9 का उल्लंघन करने पर भवन मानचित्र निरस्त करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति पूर्व में परिशिष्ठ -9 के रूप में संलग्न है।

(6) आवेदक द्वारा कुल 1,247 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क सड़क मार्गाधिकार हेतु समर्पित की गई है एवं समर्पित भूमि के पश्चात् आवेदित भूमि पर स्वीकृत एवं प्रस्तावित सेटबैक्स मीटर में निम्नानुसार है:-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

स्वीकृति साइट प्लानानुसार	स्वीकृति मानचित्रानुसार	मौकानुसार
पश्चिम में (टोंक रोड की ओर) 12.0 मी.	12.00 से 19.46 मी. तक	12.00 से 19.46 मी. तक
दक्षिण में बी-2 बाइपास की ओर 12.0 मी.	12.24 से 19.62 मी. तक	12.24 से 19.62 मी. तक
पूर्व में 9.0 मी.	9.15 से 9.32 मी. तक	9.15 से 9.32 मी. तक
उत्तर में 9.0 मी.	9.30 मी.	9.30 मी.

उक्त प्रकरण में साइट प्लान की प्रति बिन्दु संख्या-1 में स्वामित्व दस्तावेज के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में दिनांक 31.03.2015 को किये संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

(7) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा होटल प्रयोजनार्थ विक्रय किये गये भूखण्ड का भू-उपयोग मल्टीपरपज कामर्शियल एवं मल्टीप्लेक्स हेतु परिवर्तन करने का भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेय नहीं है, क्योंकि होटल प्रयोजनार्थ विक्रय कामर्शियल ही है एवं इसमें भू-उपयोग परिवर्तन नहीं हुआ है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भूतेड़ा हाउस (अम्बाबाड़ी जयपुर) की भूमि का नियमन का प्रकरण

720. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सीकर रोड अम्बाबाड़ी योजना में भूतेड़ा हाउस की भूमि का नगर निगम जयपुर द्वारा जारी किये पट्टे के मामले की स्वायत्त शासन विभाग एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से जांच करवाई गई है? यदि हां, तो दोनों विभागों को जांच करने के आदेश की तथा दोनों विभागों की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर में सरकार के आदेश संख्या प.8(ग)(अभियान)नियम/स्वा.शा./09/4916 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2010 को सज्जन कंवर व

(श्री अशोक परनामी)

उसके 5 पुत्रों की सीकर रोड अम्बाबाड़ी योजना में भूतेड़ा हाउस की भूमि का नियमन करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कितनी भूमि में से कितनी भूमि का नियमन करने का निर्णय लिया था? उस निर्णय की एवं उस निर्णय की अनुपालना में जारी किये गये लीज डीड व साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगर निगम, जयपुर में आयुक्त (राजस्व) का कोई पद कभी सृजित नहीं किया गया? यदि नहीं, तो नगर निगम, जयपुर में आयुक्त (राजस्व) का पद सृजित करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगर निगम जयपुर में आयुक्त (राजस्व) को राजस्थान सार्वजनिक परिसर एवं बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी कभी नियुक्त नहीं किया गया? यदि हां, तो सरकार द्वारा नगर निगम, जयपुर में आयुक्त (राजस्व) को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी नियुक्त करने के सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सम्पदा अधिकारी एवं आयुक्त (राजस्व), नगर निगम, जयपुर ने दिनांक 25 अगस्त, 2009 को राजस्थान सार्वजनिक परिसर एवं बेदखली अधिनियम, 1964 की धारा 5 व 7 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया था? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी। इस सम्बन्ध में जारी अर्द्ध शासकीय टीप की प्रति एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्र दिनांक 03.01.12 के द्वारा तत्कालीन महापौर, नगर निगम, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को विशेष जांच हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.12 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्राप्त शिकायतों में एक बिन्दु भूतेड़ा हाउस के सम्बन्ध में भी था, लेकिन स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा उक्त बिन्दु की जांच नहीं की जा सकी। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। 1,000 वर्ग गज भूमि में से 999.70 वर्ग गज भूमि के नियमन का निर्णय लिया गया। लीज डीड व साइट प्लान की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा नगर निगम जयपुर में आयुक्त (राजस्व) का कोई पद कभी सृजित नहीं किया गया है। नगर निगम, जयपुर द्वारा कार्य के प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु अत्यधिक कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्यालय आदेश संख्या : एफ4 ( ) आ.मु./सा.प्र./जननि/07/952 दिनांक 08.06.07 द्वारा आयुक्तों के कार्य निर्धारित किये गये हैं, जिसमें आयुक्त (राजस्व) का पद भी है। प्रति परिशिष्ट "य" संलग्न है।

(4) राजस्थान सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम 1964 की धारा 3 के द्वारा राज्य के समस्त नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर निगम, जयपुर के आदेश दिनांक 14.2.06 के द्वारा आयुक्त (राजस्व) को सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(5) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ल" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान आवासन मण्डल के ठेकेदारों पर अधूरा कार्य छोड़ने पर कार्यवाही

721. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में गत 5 वर्षों में कितने ठेकेदारों द्वारा उनको प्रदत्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा अधूरा कार्य छोड़ दिया गया जो दुबारा टेंडर कर दूसरे ठेकेदारों को आबंटित किया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल के उपरोक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में risk & cost की राशि (अर्थात पहले टेंडर की राशि और दूसरे टेंडर की राशि का अन्तर) दोषी ठेकेदार से वसूली गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

(3) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में कितने प्रकरणों के risk & cost की राशि ठेकेदारों से वसूली नहीं की गई तथा उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(4) दोषी ठेकेदारों से उक्त risk & cost की वसूल नहीं की गई राशि का समायोजन किस प्रकार किया गया? क्या उक्त राशि मण्डल प्रशासन के खर्च पर डाली गयी अथवा आवास आबंटियों पर डाली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या दोषी ठेकेदारों से risk & cost की वसूल नहीं की गई राशि आवास आबंटियों पर डालने से उक्त मकानों की कीमत अनावश्यक रूप से बढ़ गई है? यदि हां, तो क्या मण्डल प्रशासन इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है? यदि हां,तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवासन मण्डल में गत 5 वर्षों में 7 कार्य ठेकेदारों द्वारा अधूरे छोड़ दिये गये हैं, जो कि टेण्डर कर दूसरे ठेकेदारों को आबंटित किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल के नियमानुसार मूल संवेदक पर कास्ट एण्ड रिस्क की राशि की गणना, पहले टेण्डर की राशि व दूसरे टेण्डर की राशि के अन्तर से नहीं की जाती है। अधूरे कार्य को पुन: निविदा लगाकर पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक आइटम में किये गये कार्य की मात्रा एवं दी गई नई दर व पुरानी दर के अन्तर की राशि अनुसार रिस्क एण्ड कास्ट की राशि की गणना की जाती है। दोषी ठेकेदारों से वसूल की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त 7 प्रकरणों में दोषी ठेकेदारों की मण्डल में उपलब्ध राशि रु. 56,66,588.00 को जब्त कर दिया गया है। शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) दोषी ठेकेदारों से उक्त कास्ट एवं रिस्का की वसूल नहीं की गई राशि का समायोजन आवास निर्माण के कार्यों पर आबंटियों पर डाल कर किया जाता है। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। कास्ट एण्ड रिस्क की राशि आबंटियों पर डालने से आवासों की लागत बढ़ जाती है। कास्ट एण्ड रिस्क राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है। अत: कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशेष भूमि का नियमन

722. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) व **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन हुई समितियों के आबंटित आवासों के निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक अधिशेष भूमि राजकीय/सुविधा क्षेत्र में होने पर नियमन के सम्बन्ध में क्या कोई नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिशेष भूमि पर जो राजकीय/सुविधा क्षेत्र की भूमि नहीं है, बल्कि प्रारम्भ से ही कब्जे में होने एवं उस पर सम्पूर्ण रिहायशी मकान निर्मित होने पर उक्त भूमि के नियमन के क्या प्रावधान हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राधिकरण के जोन 5 में स्थित आनन्द विहार 10-A स्कीम, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर आवासीय कालोनी के विगत तीन माह में कितने प्रार्थना पत्र नियमन हेतु प्राप्त हुए और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? प्राप्त आवेदन पत्रों व उस पर की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन हुई समितियों के आबंटित आवासों के निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक अधिशेष भूमि राजकीय क्षेत्र में होने पर नियमन के सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्रमांक प.5(8)नविवि/3/99 दिनांक 26.05.2000 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जयपुर विकास प्राधिकरण से नियमन हुई समितियों के आबंटित आवासों के निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक अधिशेष भूमि सुविधा क्षेत्र में होने पर नियमन करने का प्रावधान नहीं है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण में अधिशेष भूमि के प्रकरण प्राप्त होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 14.03.2000 के तहत नियमन की कार्यवाही की जाती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-5 में स्थित आनन्द विहार 10-ए के नाम से काटी गई स्कीम गोपालपुरा बाइपास, जयपुर आवासीय कालोनी के विगत तीन माह में एक प्रार्थना पत्र अधिशेष भूमि के नियमन हेतु प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं पत्र पर की गई कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "स"

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पर संलग्न है, जिसमें भूखण्ड के बढ़े हुए क्षेत्रफल के नियमन हेतु जेड एल सी की जाकर बढ़े हुए क्षेत्रफल को आवेदक के पक्ष में नियमितीकरण करने का निर्णय लिया जा चुका है तथा शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

झोटवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज को चौड़ा करने की योजना

723. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ज.वि.प्रा. द्वारा झोटवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या झोटवाड़ा ओवरब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने बाबत आस-पास के क्षेत्र का सर्वे किया गया है? यदि हां, तो उक्त ओवरब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होगी एवं उक्त भूमि में से कितनी भूमि सिवाय चक/खातेदारी की भूमि है? उक्त सिवाय चक भूमि पर कितना कब्जा है एवं उक्त क्षेत्र में कितने मकान, दुकानें, श्मशान मंदिर आदि आते हैं? उक्त क्षेत्र में से कितनी भूमि खातेदारी अथवा सरकार द्वारा आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। झोटवाड़ा ओवरब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने हेतु 17 मार्च, 2015 को कंसल्टेंसी हेतु निविदा प्राप्त कर ली है। कंसल्टेंसी कराने के उपरान्त चौड़ाई बढ़ाने या अतिरिक्त ओवरब्रिज बनाने की सम्भावनाओं की विस्तृत रिपोर्ट आने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

(2) झोटवाड़ा ओवरब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने बाबत आसपास के क्षेत्र का सर्वे आवश्यकता अनुरूप कराया जायेगा। तत्पश्चात् ही भूमि की आवश्यकता, सिवायचक/खातेदारी/आबंटित भूमि, कब्जा तथा मकान, दुकानें, श्मशान, मंदिर, इत्यादि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अमरूदों का बाग (जयपुर) के आसपास सफाई व्यवस्था

724. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फूलसिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में सफाई व्यवस्था हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षो में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर में सफाई व्यवस्था हेतु सरकार को आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब-कब?

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्योति नगर विस्तार, जयपुर में अमरूदों के बाग के आस-पास के क्षेत्र में जहां कच्ची बस्ती है, वहां पर सफाई व्यवस्था हेतु सरकार को विशेष कार्य योजना बनाकर सफाई करवाने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं सरकार द्वारा उक्त आदेश की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या सरकार उक्त कच्ची बस्ती के आस-पास सफाई व्यवस्था हेतु विशेष अभियान चलाकर सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में शौचालय निर्माण करवाने एवं वहां फैल रही गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने एवं स्थानीय लोगों को खुले में शौच करने पर पाबंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 1088/2011 विमल चौधरी बनाम स्टेट आफ राजस्थान में आदेश दिये गये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2011 से लगातार दिये गये आदेशों की पालना में पालना रिपोर्ट नगर निगम द्वारा समय-समय पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुात की जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा मोती डूंगरी गणेश मन्दिर के पीछे की कालोनी व उसके आसपास के क्षेत्र की विशेष सफाई के साथ-साथ पूरे जयपुर शहर की सफाई के निर्देश भी सम्मिलित हैं।

(3) जी नहीं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) नगर निगम, जयपुर द्वारा समय-समय पर उक्त कच्ची बस्ती के आसपास सफाई करवायी जाती रही है व वर्तमान में भी उक्त क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था करवायी गयी है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(5) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान के माध्यम से सफाई करवाकर निगम के जन-प्रतिनिधियों द्वारा वहां के निवासियों को समझाइश की गई तथा वहां बीमारी नही फैले, इस हेतु निगम द्वारा लगातार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाया जा रहा है तथा खुले में शौच न जावें, इसके लिए इस बस्ती के लोगों को निर्मित शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(6) उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तारानगर में स्वीकृत मोगे

725. श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तारानगर विधान सभा क्षेत्र में गत एक वर्ष में कितने मोगे स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने मोगे दुरुस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र में बकाया मोगे लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तारानगर विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष (2013-14) में मोगे स्वीकृत नहीं किये गये हैं, तथा न ही दुरुस्त किये गये हैं।

(2) जी नहीं । बकाया मोगे लगाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जहाजपुर के कोठाज गांव में अवैध पम्पिंग स्टेशन

726. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री धीरज गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की कोटड़ी तहसील के कोठाज गांव के पास बनास नदी में पम्पिंग स्टेशन बनाकर किसी निजी कम्पनी को उद्योग हेतु पानी दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस कम्पनी को किन नियमों एवं प्रावधानों के तहत, व प्रतिदिन कितना पानी कब से दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बनास नदी में पम्पिंग सिस्टम के माध्यम से दिये जा रहे उक्त पानी के एवज में कोटड़ी तहसील को किसी प्रकार का राजस्व दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध चलाये जा रहे उक्त पम्पिंग स्टेशन को बंद करने अथवा इसकी एवज में कोटड़ी तहसील को किसी प्रकार का स्थायी राजस्व देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम आसवरी तहसील कोटड़ी में बनास नदी से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा अगूचा माइन्स जिला भीलवाड़ा को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.1989 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 1991-92 से प्रतिदिन 0.413179 एम.सी.एफटी. पानी दिया जा रहा है। बैठक दिनांक 15.04.1989 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बनास नदी में पम्पिंग सिस्टम के माध्यम से दिये जा रहे उक्त पानी की एवज में राज्य सरकार को 20 रूपये प्रति 1,000 घन फीट की दर से राजस्व प्राप्त हो रहा है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-727

(स्थगित)

सिवाना के गांवों को नर्मदा नहर से जोड़ने की योजना

728. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हमीरसिंह भायल)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिंचाई हेतु नर्मदा नहर से क्षेत्र के विभिन्न राजस्व गांवों तक पानी पहुंचाने हेतु सर्वे कर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव जोड़े जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नर्मदा नहर परियोजना से सिवाना विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नर्मदा नहर से क्षेत्र के विभिन्न राजस्व गांवों तक पानी पहुंचाने हेतु सर्वे कर कार्य प्रारम्भ किया जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है, ना ही भविष्य में ऐसा किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित/विचाराधीन है। नर्मदा नहर परियोजना के तहत राजस्थान को आबंटित जल का सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयोग निर्धारित किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट- अ

नर्मदा नहर परियोजना के तहत राजस्थान को आबंटित जल का सिंचाई एवं पेयजल उपयोग हेतु निर्धारित मात्रा का विवरण

क्र. सं.	जिस कार्य के लिए पानी की आवश्यकता है, का विवरण	सिंचाई/पेयजल हेतु निर्धारित पानी की मात्रा (Mcum में)	सिंचाई हेतु आवश्यक कुल जल की मात्रा (2.46 लाख हैक्टेयर के लिए)	सिंचाई हेतु जल की कमी (573.26-465.85)
1	सरदार सरोवर बांध पर राज्य का हिस्सा	616.75	573.26 Mcum	107.41 Mcum
2	कुल क्षति मार्ग में	19.65		
3	राजस्थान की सीमा पर राज्य का हिस्सा	597.10		
4	उपलब्ध जल में से सिंचाई हेतु जल की मात्रा	465.85		
5	पेयजल हेतु जल की मात्रा	131.25		

प्रदेश में पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना

729. श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर) : क्या कला, साहित्य व संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना कब व किन उद्देश्यों के लिए की गई थी?

(2) उक्त अकादमी स्थापना से लेकर अब तक अकादमी हेतु वर्षवार कितने बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया?

(3) अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पंजाबी भाषा अकादमी द्वारा अब तक किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 7 मार्च, 2006 को की गई। अकादमी की स्थापना पंजाबी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से की गई थी।

(2) वर्षवार आबंटित बजट -

(राशि लाखों में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान		वास्तविक व्यय	
	आयोजना मद	गैर आयोजना मद	आयोजना मद	गैर आयोजना मद
2006-2007	-	-	-	-
2007-2008	-	-	-	-
2008-2009	2.00	-	1;20	-
2009-2010	20.00	-	-	-
2010-2011	20.00	-	-	-
2011-2012	20.00	-	-	-
2012-2013	0.00	-	-	-
2013-2014	0.00	-	-	-
2014-2015	0.00	-	-	-

(कला, साहित्य व संस्कृति राज्य मंत्री)

(3) अकादमी विधान के अनुसार अकादमी की गतिविधियों का क्रियान्वयन सामान्य सभा द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ही किया जाना है, लेकिन अकादमी स्थापना से ही अकादमी की सामान्य सभा का गठन नहीं होने के कारण अकादमी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।

ऐतिहासिक इमारतों और धरोहर के संरक्षण की योजना

730. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों के संरक्षण के लिए कोई योजना बना रही है? इस योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों के संरक्षण के लिए निम्न प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति जारी करने हेतु भिजवाये गये हैं :-

1. हाड़ौती सर्किट (कोटा, झालावाड, बारां, बून्दी)-8.00 करोड़
2. भरतपुर-वैर-डीग का विकास-8.00 करोड़
3. धौलपुर का विकास-5.00 करोड़

उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्मारकों का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।

विभाग द्वारा प्रदेश स्थित निम्न छह संग्रहालयों में पुनर्गठन एवं विकास कार्यों के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रोजेक्ट भिजवाये गये हैं:-

1. राजकीय संग्रहालय, अलवर-5.50 करोड़
2. राजकीय संग्रहालय, आहाड़ (उदयपुर)-4.45 करोड़
3. राजकीय संग्रहालय, डूंगरपुर-4.30 करोड़
4. सिसोदिया रानी का बाग, जयपुर-4.50 करोड़
5. बाला किला, अलवर-3.50 करोड़
6. राजकीय संग्रहालय, चित्तौड़गढ़-5.40 करोड़

(पर्यटन राज्य मंत्री)

उक्त प्रस्तावों में राजकीय संग्रहालय-अलवर, आहाड़ (उदयपुर) एवं डूंगरपुर को संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृति हेतु प्राथमिकता सूची में रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजकीय संग्रहालय-अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर एवं जैसलमेर में विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10.00 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

डूंगरपुर जिले में पर्यटन विकास निगम के संचालित रेस्टोरेंट

731. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला डूंगरपुर में पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला डूंगरपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मोटल रतनपुर (एन.एच. 8 पर) स्थित है, जो दिनांक 01.04.1979 से संचालित है।

नूतन आदर्श विद्यालय सूरगढ़ (बामनवास) का एस.आर. रजिस्टर

732. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के सम्पूर्ण एस.आर. रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर के एस. आर. रजिस्टर संख्या 01 (क्रम संख्या 1 से 486) तथा रजिस्टर संख्या 02 (क्रम संख्या 487 से 597) की छाया प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

धोद में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराये गये कार्य

733. श्री गोरधन (धोद) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोरधन)

(1) सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसमें कौन-कौन से कार्य करवाये जाते हैं तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य वर्ष 2009 से जनवरी, 2015 तक विधान सभा क्षेत्र धोद में करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2015 तक उक्त अभियान के तहत कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने प्रगति पर हैं तथा निर्मित होने के बाद कितने उपयोग में आ रहे हैं तथा कितने उपयोग में नहीं आ रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में ये शामिल हैं:- सर्वसुलभ पहुंच तथा बच्चों को शिक्षा में बनाये रखना, शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी अंतरालों को पाटना, तथा बच्चों के अधिगम स्तरों का संवर्द्धन। इस प्रयोजन के लिए एस.एस.ए. अनेक हस्तक्षेपणीय उपायों की पेशकश करता है, नये स्कूल और वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं खोलना, स्कूलों और अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, टायलेटों तथा पेयजल की व्यवस्था, अध्यापकों की वेतन व्यवस्था, आवधिक अध्यापक प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक संसाधन सहयोग, अधिगम उपलब्धि के लिए पाठ्य-पुस्तकें तथा सहयोग।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2009 से जनवरी, 2015 तक विधान सभा धोद के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये निर्माण कार्यों का वर्षवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2015 तक सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 338 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 332 कार्य पूर्ण तथा 6 कार्य प्रगतिरत हैं। सभी पूर्ण कार्य उपयोग में आ रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की योजना

734. श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नरेन्द्र कुमार)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब तथा कितने पदों पर?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त पदों को न तो सीधी भर्ती से भरा गया और न ही डी.पी.सी. से? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इतने लम्बे समय तक उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(4) सरकार अब उक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपना रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.1(1)कार्मिक/क -2/85 दिनांक 1.4.1998 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में संशोधन किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया।

(2) जी हां। नियमों में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) के नाम से संवर्गित पद के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) के पदनाम से संशोधन किये जाने का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पद नहीं भरे गये।

(3) जी नहीं। इन पदों पर पातेय वेतन पर पदस्थापन किया जाकर एवं अतिरिक्त प्रभार दिया जाकर इन पदों का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किया गया। इन पदों को वर्ष 2015-16 में पदोन्नति से नियमित रूप से भरा जाना प्रस्तावित है।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष के रिक्त पदों को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियम-6(2) के परन्तुक (1) के प्रावधानानुसार कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर सीधी भर्ती के समस्त पदों को एकबारीय (One Time) पदोन्नति से वर्ष 2015-16 में भरने का निर्णय लिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षरों से जारी प्रतिनियुक्ति आदेश पर कार्यवाही

735. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा')

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर के पत्र क्रमांक जिशिअ/संस्था/2014-15/4640-44 दिनांक 9 जनवरी, 2015 के तहत किस अध्यापिका की प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये गये? सम्बन्धित का नाम, पद एवं कहां से कहां पदस्थापित किया गया एवं किसके आदेश से प्रतिनियुक्ति की गई, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के प्रतिनियुक्ति करने पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शिक्षा, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से उक्त प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किये? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रतिनियुक्ति पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू होने के उपरान्त की गई है? यदि हां, तो आचार संहिता का उल्लंघन, जिला शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने एवं सरकार के प्रतिनियुक्ति नहीं करने के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शिक्षा, जयपुर के आदेश क्रमांक जिशिअ/संस्था/2014-15/4640-44 दिनांक 9.1.2015 के द्वारा किसी भी अध्यापक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई, अपितु श्रीमती ललिता शर्मा, अध्यापिका, राजकीय माध्यामिक विद्यालय, चतरपुरा दांतली, पंचायत समिति सांगानेर को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीकिशनपुरा, सांगानेर में शिक्षण-व्यवस्थार्थ लगाया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त आदेश से प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, अपितु शिक्षण व्यवस्था की गई है। शिक्षण व्यवस्था किया जाना प्रतिबंधित नहीं है।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने उक्त आदेश जिला शिक्षा

(शिक्षा राज्य मंत्री)

अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् जारी किये हैं। हस्ताक्षर के विषय में जांच कराई जा रही है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। ग्रामवासियों द्वारा तत्कालीन जिला प्रमुख, जयपुर को प्रदत्त ज्ञापन पर दिये निर्देशानुसार उक्त अध्यापिका को शिक्षण व्यवस्थार्थ उसी पंचायत समिति के अन्य विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत लगाया गया।

परिशिष्ट "क"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शिक्षा जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/संस्था/2014-15/4640-44   दिनांक 9.1.15

कार्यालय आदेश

श्रीमती ललिता शर्मा अध्यापिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चतरपुरा दांतली पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर को विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुये तत्काल प्रभाव से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीकिशनपुरा, सांगानेर, जयपुर में शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया जाता है। सम्बन्धित संस्था प्रधान अविलम्ब कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण कराकर पालना से अवगत करावें।

ह./-

जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

नागौर जिले में क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

736. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर जिले के माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों में व्याख्याताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापन किया जायेगा? पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभावित विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति हेतु सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में वर्ष 2014-15 में नवक्रमोन्नत 5,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद सृजन होने पर रिक्त पदों को नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। उक्त क्रमोन्नत विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रारम्भ होंगे।

झालावाड़ जिले में कार्यरत स्वयं सहायता समूह

737. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में कितने स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को क्या-क्या सहायता दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में अब तक 13,407 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है, जिनमें से 4,842 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं।

(2) सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को निम्नलिखित सहायता दी जा रही है-

1. महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण पर जीवन काल में एक बार रुपये 50,000/- तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
2. महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु एक मुश्त अनुदान योजनान्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु रुपये 75,000/- की एक मुश्त अनुदान की राशि दी जाती है।
3. प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित किया जाता है एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

को आयजनक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ा जाता है।

4. स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आयजनक गतिविधि प्रशिक्षण दिलाया जाता है।
5. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन हेतु हाट बाजारों के माध्यम से विपणन के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

चाकसू के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बैकलाग भरने की योजना

738. श्री लक्ष्मीनारायण (चाकसू) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्मिकों की नियुक्ति में सरकार के आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र चाकसू में संचालित केन्द्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों का क्षेत्रवार विवरण व रिक्त पदों की स्थिति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार बैकलाग के (रिक्त पदों) को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मानदेय सेवा पर चयन में सरकार के आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं हैं, किन्तु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने वाली महिलाओं में से विधवा, परित्यक्तर/तलाकशुदा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में संचालित 356 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मानदेय सेवाकार्मिकों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) मानदेय सेवाकार्मिकों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होने के कारण बैकलाग सम्बन्धी नियम लागू नहीं होते हैं। मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर चयन आगामी ग्राम सभाओं में निर्धारित मानदण्डों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

किशनगंज-शाहबाद में बंगाली जाति के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र, खातेदारी अधिकार व बी पी एल सूची में नाम जोड़ा जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनंगज, शाहाबाद के चार गांवों में बंगाली जाति के लोग रहते हैं। सन् 1956 से घट्टी 1976 से नाटई, परानियां, नेहरुपुरा, कोटा शहर एवं 1970 से देवली में रहते हैं। बंगाल से विस्थापित होकर जब आये, तब इनको किशनगंज-शाहाबाद के उक्त गांवों में बसाया गया था। राजस्थान सरकार ने इनके प्रत्येक परिवार को 10-10 बीघा भूमि भी आबंटित की व सरकार द्वारा आबंटित भूमि गैर-खातेदारी में दर्ज हुई। सामान्य कृषक को भूमि आबंटित होती है तो दो वर्ष तक लगातार खेती करने पर खाते की आधिकारी मिल जाती है, परन्तु बंगालियों को 15-20 वर्ष खेती करने के बाद भी कई परिवार अभी तक खातेदारी अधिकारों से वंचित हैं।

इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल से आने वाली इन लोगों की जाति बंगाली नहीं है। इनमें सभी जाति के लोग हैं जो एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. में आते हैं। राजस्थान के कई स्थानों पर इनको अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र दिये गये हैं। बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र के गांव घट्टी, परानियां, नाटई, नेहरुपुरा में नमोशुद्र जाति के लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाति में आते हैं। राजस्थान के जोधपुर, कोटा, देवली में इनको अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमाण पत्र दिये जाते हैं लेकिन किशनगंज-शाहाबाद में रहने वाले इन बंगालियों को न तो खातेदारी अधिकार का पूर्ण दर्जा मिला है, न ही अनुसूचित वर्ग प्रमाण पत्र मिला, जिससे विद्यार्थियों को व कालेज में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई व नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इससे इन बंगाली परिवारों के शिक्षित अभ्यर्थी बेरोजगार हैं।

इन गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्हें बी.पी.एल. से जोड़ने का विचार करे। इनको खातेदारी अधिकार एवं आबंटन अधिकार राजस्थान के अन्य स्थानों, जोधपुर, कोटा, देवली में बसे बंगाली परिवारों की तरह मिलने का निवेदन कर रहा हूं।

धन्यवाद।

ललित कुमार
(किशनगंज)

डूंगरपुर का पर्यटन की दृष्टि से विकास

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मंत्रालय से निवेदन है कि देश में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश सर्वाधिक समृद्ध प्रदेशों में है। यहां पर जिला स्तर पर स्थापित पर्यटक सूचना केन्द्रों को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए पर्यटन विभाग कार्यों को सम्पादित कर रहा है, लेकिन कई जिलों में जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी या कोई भी कर्मचारी नियुक्त ही नहीं है, जिससे प्रदेश के पर्यटन विकास में बाधा पैदा होती नजर आ रही है। पर्यटन के क्षेत्र के विकास से प्रदेश में बेरोजगारी पर लगाम लग सकती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस पर गम्भीरता से सोचना होगा। क्या पर्यटन विभाग निकट भविष्य में समस्त जिला स्तर पर जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी नियुक्त करने की मंशा रखता है? यदि हां, तो इसकी भर्ती के लिए विभाग द्वारा क्या प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं और उनकी क्या प्रगति है? इससे प्रदेश के पर्यटन विकास को गति मिलेगी।

वहीं प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध वागड़ अंचल (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा) में प्रवासी पक्षियों के बड़ी संख्या में आगमन और इसके प्रति पर्यटकों के जुड़ाव को देखते हुए, क्या राज्य सरकार इन जिलों के तालाबों को पक्षियों के विचरण के लिए सुरक्षित रखने के लिए कोई विचार रख रही है? यदि इस क्षेत्र के प्रमुख तालाबों में मत्याखेट पर प्रतिबंध लगाने अथवा इनमें मछली या सिंघाड़ा उत्पादन के ठेकों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार के स्तर पर कदम उठाये जायें तो इस क्षेत्र को पर्यटन की ओर बढ़ावा मिलेगा।

वहीं डूंगरपुर जिले में गत दो वर्षो से वृहद् पैमाने पर आयोजित हुए बर्ड फेयर की सफलता को देखते हुए इसे पर्यटन विभाग के वार्षिक कलेंडर में सम्मिलित करने के लिए विभाग की क्या योजना है?

इस सारे मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए तो प्रदेश सहित जनजाति क्षेत्र में भी पर्यटन का विकास हो सकता है।

अनिता कटारा
(सागवाड़ा)

बुड़ाना ग्राम (झुंझनूं) में आई टी आई खोला जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के आदेश संख्या डीजीईटी-35(11) आईएनसी(2)राज 2013-एनपीआईयू के तहत तकनीकी निदेशक, जोधपुर को 3

करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए एक आई टी आई मेरे जिले झुन्झुनूं के ग्राम बुड़ाना में खोलने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने हेतु लिखा गया था। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार धन राशि देने को तैयार है, परन्तु राज्य सरकार का तकनीकी शिखा विभाग इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा है।

मान्यवर, एक तरफ तो राज्य सरकार कौशल विकास पर अत्यधिक जोर दे रही है, जबकि दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा धन राशि उपलब्ध करवाने के बावजूद भी उक्त आई टी आई नहीं खोली जा रही है।

अत: मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार से तत्काल प्रस्ताव बनाकर, इस राशि को उठाकर, इस क्षेत्र में यह आई टी आई खोलने का श्रम करावें ताकि जिले के व्यक्तियों को तकनीकी ट्रेनिंग लेने की सुविधा हो सके।

बृजेन्द्र सिंह ओला

(झुंझनूं)

गृह रक्षा के अधीनस्थ सेवा कर्मियों के वेतन-भत्तों की विसंगतियों का निराकरण

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्थान नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के अधीनस्थ सेवा के स्थायी स्टाफके व अन्य भत्ते की विसंगति दूर करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु-अनुसार मांग है।

1. राजस्थान गृह रक्षा के अधीनस्थ सेवा के स्थायी स्टाफ का वेतन आरम्भ से ही पुलिस, आर.ए.सी. व केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों के समान ही दिया जा रहा था, परन्तु पांचवें वेतन आयोग (1998 में) इस विभाग के अधीनस्थ सेवा संवर्ग का वेतन अन्य पुलिस बलों के वेतन से कम कर विसंगति रख दी गई व तदनुसार 6वें वेतनमान में भी विसंगति रखी गई। वर्ष 2013 में सरकार द्वारा विसंगति दूर करने की कमेटियां गठित की गई थीं। वर्तमान में भी विसंगति रखी गई है जो रैंक प्रतिमानों के प्रतिकूल है। अत: इस विसंगति को दूर करने हेतु निवेदन है कि इस विभाग के अधीनस्थ कार्मिकों को वेतन ग्रेड पे 1.1.2006 से पुलिस, आर.ए.सी. व अन्य बलों के समान किया जाकर, नोशनल आधार पर मानते हुए, 1.7.2013 से लागू करने का श्रम करावें।

2. वर्ष 2013 में सरकार द्वारा विधान सभा में 20.03.2013 को पुलिस/आर.ए.सी. के सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर रैंक तक के पदों को शामिल करते हुए मैस भत्ते का

लाभ दिया गया। इसमें इस विभाग के प्लाटून कमाण्डर व कम्पनी कमाण्डर के समकक्ष रैंक का नाम आदेश में नहीं होने से मैस भत्ता लागू नहीं हुआ। अत: आप श्रीमान, द्वारा न्यायोचित निर्णय कर मैस भत्ता लागू कराने का श्रम करावें।

3. इस विभाग के स्थायी कार्मिक भी पुलिस, आर.ए.सी. व अन्य बलों की तरह ही वर्दीधारी व रैंकधारी हैं। स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना, ड्यूटियों पर तैनात करना, कानून-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, बचाव एवं राहत, अग्निशमन, बार्डर होम गार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनातगी व राज्य से बाहर भी तैनातगी की इन ड्यूटियों को मध्यनजर रखते हुए इस विभाग के अधीनस्थ स्थायी स्टाफ को भी पुलिस, आर.ए.सी. की तरह वेतन का बारहवां भाग हार्ड ड्यूटी भत्ता दिलाया जाने का श्रम करें।

मनोज कुमार
(सादुलपुर)

संगरिया में हथियार लाइसेंस की अनावश्यक औपचारिकताओं व अघोषित पाबंदी की समाप्ति

मेरा विधान सभा क्षेत्र संगरिया जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जो कि राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र है। इसकी एक तरफ सीमा पंजाब से और दूसरी तरफ हरियाणा से लगती है। आपराधिक तत्व मेरे क्षेत्र में घटना कारित कर दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। इसके एक उदाहरण स्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम 4-केएसपी की ढाणी में 75 वर्षीय वृद्ध दम्पत्ति की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई और आज तक अपराधियों का पता नहीं लगा।

यह सही है कि प्रत्येक गांव और ढाणी में पुलिस की तैनाती नहीं की जा सकती है, लेकिन कम जनसंख्या घनत्व के ग्रामों तथा ढाणियों में बसे लोगों को आत्म रक्षा के लिए फायर आर्म्स के लाइसेंस देने का प्रावधान है। कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में हथियार लाइसेंस दिये जाने में कुछ गम्भीर गड़बड़िया हुई थीं और सीमावर्ती इलाका होने के कारण इस सम्बन्ध में काफी सतर्कता बरती जा रही है। इस अतिरिक्त सतर्कता का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक और तो सूने ग्राम तथा ढाणियों में अपराधी बेरोक-टोक अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए चाहते हुए भी हथियार नहीं रख पा रहा है क्योंकि हथियार लाइसेंस के लिए न सिर्फ अनावश्यक औपचारिकताएं बढ़ा दी गई हैं, बल्कि प्रयास ये किये जा रहे हैं कि इस हेतु प्राप्त आवेदनों को किसी न किसी बहाने निरस्त कर दिया जाए।

यदि उक्त दम्पति के पास लाइसेंसी हथियार होता तो वे अपराधी

आसानी से अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाते, लेकिन किसी और की खता की सजा किसी निपराध को चुकानी पड़ी है।

आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लाइसेंसी हथियार से बहुत ही कम अपराध कारित होने के प्रमाण हैं और समय-समय पर लाइसेंसी हथियार पुलिस द्वारा थाने में जमा कराए जाने की त्रुटिरहित प्रक्रिया भी विद्यमान है।

अत: निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में हथियार लाइसेंस जारी करने में वर्तमान में बरती जा रही अनावश्यक औपचारिकताओं तथा अघोषित पाबंदी को हटाने की कृपा करायें। इसी के साथ, मेरा यह भी निवेदन है कि हथियार लाइसेंस नीति पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और जो नागरिक हथियार रखना चाहें, उन्हें सरलता से लाइसेंस मिल सकें, इसका प्रावधान करना चाहिए।

कृष्ण कड़वा

(संगरिया)

देवली-उनियारा की कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, खातौली द्वारा पानी की कम कीमत से कारित राजस्व हानि

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय का मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमि., खातोली, तहसील उनियारा से सरकार को हो रहे राजस्व नुकसान के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक प्राइवेट कम्पनी है, जिसका प्रमुख कार्य बिजली उत्पादन कर इसे बेचना है। कम्पनी को पानी की आवश्यकता की पूर्ति उनियारा स्थित गलवा बांध से की जाती है।

सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक एफ 12 (1) सिंचाई/95 दिनांक 31.12.2002 द्वारा कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को मांग के अनुसार गलवा बांध से प्रतिदिन 1,500 क्यूबिक मीटर पानी यानी प्रतिदिन 15.00 लाख लीटर पानी दिये जाने एवं पानी के शुल्क की गणना 20/- रुपये प्रति हजार CFT नियमानुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। एक CFT का मतलब 28320 लीटर होता है। इस प्रकार 28320 लीटर पानी का शुल्क 20 रुपये निर्धारित है। इस तरह प्रतिदिन दिये जाने वाले 15.00 लाख लीटर पानी का शुल्क लगभग 1059/- रुपये होता है। इस हिसाब से कम्पनी द्वारा एक महीने में 4.50 करोड़ लीटर पानी लिया जाता है जिसका शुल्क लगभग 31779/- रुपये होता है।

यदि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा इण्ड्रस्टीज को पानी देने की दर से गणना करें तो 40,000 लीटर पानी से अधिक होने पर वसूली दर 13.20/- रुपये प्रति हजार लीटर होती है। इस दर के अनुसार गलवा बांध से कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली को दिये जा रहे पानी की राशि की गणना करें तो एक महीने में 4.50 करोड़ लीटर पानी लेने का शुल्क 5.94 लाख रुपये होता है।

कल्पतरु पवार ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली द्वारा गलवा बांध से पानी लेते हुए लगभग 12 वर्ष हो गये हैं जिसका अब तक 45.76 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि यदि इण्ड्रस्ट्रीज को पानी देने की दर से राजस्व वसूला जाता तो सरकार को 855.36 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता। इस प्रकार सरकार को 784.08 लाख रुपये का राजस्व आय का नुकसान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक एफ 12(1) सिंचाई/95 दिनांक 31.12.2002 में समय-समय पर पानी देने के दर सम्बन्धी नियम में संशोधन होने के अनुसार पानी का शुल्क निर्धारित किये जाने के भी निर्देश समाविष्ट हैं, परन्तु विभाग द्वारा 12 वर्षों में कोई भी आदेश जारी करके कल्पतरु को पानी देने की दर को परिवर्तित नहीं किया गया जिससे सरकार को राजस्व आय का भारी नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उक्त दरों को नियमानुसार जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की दरों के अनुसार निर्धारित की जावें एवं 12 वर्षों से अब तक सरकार को हुए राजस्व नुकसान की वसूली की जावे।

राजेन्द्र गुर्जर

(देवली-उनियारा)

बीकानेर शहर के रवीन्द्र रंगमंच के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर शहर में रवीन्द्र रंगमंच के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। रवीन्द्र रंगमंच की नींव सन् 1994 में रखने के साथ इसका काम शुरू हो गया था परन्तु बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि गत सरकारों द्वारा इसके निर्माण में कोई रुचि नहीं लेने के कारण इसका निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। केन्द्र प्रवर्तित सीमांत क्षेत्र विकास योजना में जरूर 2 करोड़ रुपये मिले तथा 25 लाख रुपये सांसद कोटे से इसके निर्माण के लिए मिले थे। शेष राशि नगर विकास न्यास द्वारा लगायी गयी। इसके लिए कई बार वास्तुकारों और सलाहकारों को भी बुलाया गया। कई बार इसके नक्शे भी बदले गये।

मेरे काफी निवेदन करने के बाद नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को राज्य सरकार के जरिये 5 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. भेजी गयी है। कई बार अधिकारियों से बात करते हैं तो हर बार यही कहा जाता है कि इस वर्ष इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसका अधूरा निर्माण बदहाली के आंसू रो रहा है।

बीकानेर के अनेक रंगकर्मी और नाट्यकर्मी इस बात से बेहद दु:खी हैं और बार-बार मेरे पास आकर इसको पूरा कराने के लिए प्रार्थना करते हैं।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इसके बारे में शीघ्र कोई निर्णय लेकर इसका निर्माण कार्य पूरा करावें ताकि वहां के रंगकर्मियों और नाट्यकर्मियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।

गोपाल कृष्ण

(बीकानेर पश्चिम)

भवानीमण्डी की मगनबाई मार्केट कालोनी का नियमितीकरण

सन् 1923 में सेठ आनन्दीलाल पोद्दार बम्बई वालों को जीनिंग प्रेस लगाने वास्ते जमीन दी गई थी। उक्त जमीन इनके द्वारा नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी को बेचान की गई थी, जिसका इंतकाल तहसील पचपहाड द्वारा खोला गया था। जिलाधीश महोदय के पत्र के अनुसार।

2. इसके बाद यह जमीन 50,000/- रु. (अक्षरे पचास हजार रुपये) में राजस्थान जीनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल के पार्टनर मगन भाई आ. माथूर भाई पटेल बड़ौदा के नाम बेचान हुई, जिसका इंतकाल नं. 204 ता. 27.11.1965 को खुला।

3. इस भूमि का मगन भाई के द्वारा व्यापार उद्योग मंडल, भवानीमण्डी को रु. 1,23,000/- में रजिस्टर्ड बेचान किया गया। इसके पश्चात् व्यापार उद्योग मण्डल भवानीमण्डी के 48 हिस्सेदारों के बीच बंटवारा पत्र द्वारा पचपहाड़ तहसील में पंजीकृत किया गया है, जिसका इंतकाल भी खोला गया है। उपपंजीयन पचपहाड़ द्वारा तारीख 01.02.1985 को रजिस्टर्ड की गई।

4. इस बंटवारा पत्र के इंतकाल पर विधिवत आदेश किये बिना काट दिया गया है जिसकी सूचना किसी को भी नहीं दी गई। झालावाड़ रिकार्ड के अनुसार इंतकाल नं. 227 में 48 हिस्सेदारों के नाम से आज भी कायम है।

5. सन् 1990 तक 48 हिस्सेदारों के द्वारा बेची गई जमीन का उपपंजीयन पचपहाड़ द्वारा पंजीकृत किया जाता रहा था एवं नगरपालिका भवानीमण्डी द्वारा भी मकानों के नक्शे नियमानुसार पास किये जाते रहे एवं विकास शुल्क भी जमा कराया गया। सन् 1990 के बाद बिना कारण बताये इस जमीन का पंजीयन करना बंद कर दिया गया एवं इस बाबत लिखकर देने के लिए मना करते रहे।

6. बंटवारा पत्र के 41 हिस्सेदारों की जो भूमि कृषि योग्य थी, उस जमीन का रूपांतर करने वास्ते रूपांतर शुल्क भी मई 1983 में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा भूमि रूपांतर के आदेश से अलग-अलग 41 होल्डरों द्वारा कुल रकम 77,541.38 (अक्षरे 77 हजार 541 रुपये 38 पैसे) चालान द्वारा एस.बी.बी.जे. में जमा कराई गई।

7. ता. 17.05.1985 को तहसील पत्र क्रमांक 147/रेवेन्यू/85 द्वारा आबादी का प्रमाण पत्र भी दिया गया।

8. उपरोक्त जमीन पर पूर्ण रूप से निर्माण कार्य हो चुका है।

(अ) धर्मशाला	2
(ब) पाठशाला	2
(स) मंदिर	2
(द) सिनेमा हाल	2
(य) रिहायशी मकान	200 लगभग

उपरोक्त सभी में जलदाय विभाग द्वारा एवं विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन दिये गये हैं व अधिकांश के नगरपालिका भवानीमण्डी द्वारा नक्शे पास किये हुए हैं। उक्त कालोनी को पूर्ण रूप से विकसित करने का कार्य भी नगरपालिका भवानीमण्डी द्वारा किया जा रहा है। नगरपालिका भवानीमण्डी द्वारा इस कालोनी को नियमित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जनहित एवं राजहित में इस कालोनी को नियमित करने की कृपा फरमावें।

रामचन्द्र

(डग)

उदयपुरवाटी की पेयजल समस्या का समाधान

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पिछले कुछ वर्षों से पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। दिन-रात भूगर्भ में जल का स्तर गिरता जा रहा है। कुओं की गहराई 700 से 800 फीट तक चली गई है जिसमें अत्यन्त फ्लोराइड मिला हुआ है। वह पानी धीमे जहर से कम नहीं है। किसी जमाने में इस क्षेत्र में काफी वर्षा होती थी, वर्षा की ऋतु में नदियां बहती थीं, खेतों में फसलरूपी सोना उगता था, आज उस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है। लोग पलायन कर रहे हैं। शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। वहां रहकर उस क्षेत्र में उपलब्ध पानी पीने वाले लोग कुबड़े होते जा रहे हैं।

इसका कोई स्थायी समाधान होना ही चाहिए और वह समाधान बिना सतही जल के हो नहीं सकता। सतही जल कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा। तब तक इस फ्लोराइड-युक्त पानी को शुद्ध करने के लिए तुरन्त मेरी पहाड़ी क्षेत्र की पंचायतों, पचलंगी, पापड़ा, बाधोली, जोधपुरा, सराय, मण्कसास, गुड़ा, जहाज, छापोली, बागोरा, नांगल पौंख, नेवरी, किशोरपुरा, ककराना में आर ओ प्लांट लगाये जायें ताकि क्षेत्र के निवासियों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके।

दूसरा, जल स्तर गिरने से पुराने ट्यूबवेल सब सूख गये हैं। उन्हें या तो गहरा किया जाये या वहां जहां कहीं भी पानी उपलब्ध हो, वहां नये ट्यूबवेल तुरन्त बनाये जायें। जिस क्षेत्र में भूगर्भ में पानी नहीं है, वहां पाइपलाइन की मदद से पानी लाकर गांव में बड़ी टंकियां बनाकर लोगों को पानी पिलाने में मदद करें। वरना आने वाले गर्मी के मौसम में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जायेगी।

सिंगल पाइंटों पर सोलर सिस्टम के माध्यम से ट्यूबवेलों को चलाये जाने की नई सोच भी काफी अच्छी साबित हो सकती है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे ट्यूबवेल बनवाकर मेरे क्षेत्र की जनता को भी अनुगृहीत करें।

शुभकरण चौधरी

(उदयपुरवाटी)

अनूपगढ़ के राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील के कुक-कम-हेल्पर का मानदेय बढ़ाया जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के तहत पोषाहार पकाने के लिए कुक-कम-हेल्पर कार्यरत हैं, जो कि विद्यालयों में पोषाहार बनाने के साथ-साथ बर्तन, आदि साफ करने का कार्य करती हैं, जिनको मानदेय के रूप में केवल 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) प्रति माह दिया जाता है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। अगर प्रत्येक व्यक्ति दिन की मजदूरी लगाई जाए तो उन्हें केवल 33/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही मिल पाते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होना मुश्किल है। गत कांग्रेस सरकार द्वारा इनका मानदेय 1,500 रुपये किया गया था, परन्तु यह केवल घोषणा ही रही, इसे लागू नहीं किया गया। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में हजारों की संख्या में कुक-कम-हेल्पर कार्यरत हैं जो गरीब परिवार से हैं। विद्यालयों में खाना बनाने में उन्हें पूरा दिन लग जाता है और उन्हें अन्य कार्य करने का समय नहीं मिल पाता है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि कुक-कम-हेल्पर का मानदेय 1,000 रु. से बढ़ाकर कम से

कम 5,000/- रु. प्रति माह किया जाए ताकि ये अपने परिवार का पालन-पोषण सही ढंग से कर सकें।

शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

माही परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित लिफ्ट योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में माही परियोजना के अन्तर्गत जिस क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी नहरों द्वारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, वह नहर का ऊपरी हिस्सा है, जहां नहर द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है।

उस क्षेत्र में माही परियोजना से लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाये जाने हेतु, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

माही परियोजना के अन्तर्गत निम्न चार लिफ्ट स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं;-

1. आम्बापुरा प्रथम (समाई माता मंदिर),
2. आम्बापुरा द्वितीय लिफ्ट,
3. काकन सेजा लिफ्ट, व
4. दानपुर लिफ्ट योजना।

ये प्रस्तावित योजनाएं माही भराव क्षेत्र से संचालित होंगी। माही भराव क्षेत्र के किनारे जो क्षेत्र असिंचित रह गये हैं, उन गांवों में लिफ्ट से पानी पहुंचाया जा सकेगा। उसके लिए आवश्यक अतिरिक्त जल माही बांध के भर जाने के पश्चात् जो आवक बनी रहती है, उससे उपलब्ध हो सकेगा।

इन चार लिफ्ट योजनाओं से 7,800 हेक्टर जमीन की सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, जिससे लाभान्वित किसानों की संख्या लगभग 21,000 से अधिक रहेगी।

इन योजनाओं के विस्तृत सर्वे एवं डी.पी.आर. बनवाने हेतु रुपये 18 लाख 50 हजार का तखमीना बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

लिफ्ट योजनाओं में पूर्व अनुभव से यह तथ्य सामने आया है कि लिफ्ट योजनाओं का विद्युत बिल पुनर्भरण नहीं होने से ज्यादातर लिफ्ट योजनाएं बंद हो जाती हैं। बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र (टी.एस.पी.) में आता है। यहां

के किसानों के पास औसतन 3 से 4 बीघा जमीन है। ऐसी स्थिति में यदि इन लिफ्टों को टी.ए.डी. विभाग से सहायता राशि मिलती रहे तथा इस आशय का एक एम.ओ.यू. इस विभाग से निष्पादित होता है, तो लिफ्ट सुचारु रूप से चल सकेंगी।

राज्य सरकार ने बीकानेर में गजनेर लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट, कंवरसेन लिफ्ट, फलौदी लिफ्ट सावा लिफ्ट, आदि लिफ्टों से जो सिंचाई हो रही है, उसके बिजली के बिल राज्य सरकार द्वारा भरे जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है व टी.एस.पी. का क्षेत्र है, इसलिए प्रस्तावित लिफ्ट स्कीमों की सर्वे की राशि स्वीकृत की जावे और प्रस्तावित लिफ्ट स्कीमों को मूर्त रूप देकर आदिवासी किसानों को लाभान्वित करने का विनम्र आग्रह है।

धनसिंह रावत

(बांसवाड़ा)

पुष्कर के कतिपय विद्यालयों के भवन निर्माण का अभाव

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अजमेर उप खण्ड की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सराधना के चार कक्षा कक्ष, हाल एवं स्कूल की भूमि रेलवे द्वारा फ्रैट कोरिडर के अन्तर्गत अधिग्रहित कर ली गई थी। रेलवे विभाग द्वारा उक्त भवन एवं भूमि के पेटे राशि 14,00,918/- (चौदह लाख नौ सो अठारह रुपये) का ड्राफ्ट संख्या 17626 दिनांक 11.9.2012 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के नाम दिया गया, जिसको जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम), अजमेर द्वारा 20.09.2012 को निदेशालय में भेज दिया गया। उक्त के पश्चात रेलवे द्वारा अक्टूबर, 2013 में उक्त भवन को तोड़कर भवन एवं भूमि का कब्जा ले लिया गया।

इसी प्रकार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सराधना के भी भवन एवं भूमि के अधिग्रहण के पेटे रेलवे विभाग द्वारा 44,49,048/- (चवालीस लाख उन्चास हजार अडतालीस रुपये) का ड्राफ्ट 8.8.2012 को शिक्षा विभाग को दे दिया गया। उच्च विद्यालय के भवन और भूमि का भी रेलवे द्वारा कब्जा ले लिया गया है।

उक्त दोनों स्कूलों के भूमि एवं भवन रेलवे द्वारा ले लिये जाने के पश्चात् और मुआवजा दे देने के उपरान्त भी विभाग द्वारा उक्त भवनों का निर्माण नहीं कराया जा रह है और बच्चे बाहर बैठकर पढ़ाई करने को बाध्य

हैं। चूंकि यह शिक्षा और बच्चों के भविष्य से जुडा हुआ मामला है, तो सरकार को इसको प्राथमिकता पर लेना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा ढिलाई बरतने के कारण दो साल से बच्चे बाहर धूप में बैठकर पढाई कर रहे हैं। जबकि सरकार के पास रेलवे विभाग द्वारा दिया हुआ पैसा पड़ा हुआ है, जो सिर्फ इसी कार्य के लिए दिया गया है।

साथ ही यह भी निवेदन है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय आवासन मण्डल, दौराई में खोलने की घोषणा 2013 में की गई थी। यह स्कूल चार महीनों तक कागजों में चलता रहा और चार महीने बाद 11 जनवरी, 2014 को विद्यालय की शुरुआत मंदिर के एक कमरे से की गई। आज दिनांक तक विद्यालय के लिए न तो कोई भूमि आबंटित हुई और न ही भवन के निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई। आवासन मण्डल, जयपुर को उक्त विद्यालय के भूमि आबंटन हेतु 31 जनवरी, 2014 को पूरा प्रकरण भिजवाया गया, परन्तु 14 महीने बीतने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान में विद्यालय में 74 बच्चे अध्ययनरत हैं और 15 महीने से खुले आसमान के नीचे बिना किसी सुविधा के बैठकर अध्ययन कर रहे हैं।

अत: मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त तीनों विद्यालयों के प्रकरणों की आप पत्रावली मंगवाकर जांच करें और शीघ्र ही इनके भवन निर्माण कराने की व्यवस्था करें ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध जारी कर सके।

सुरेश सिंह रावत

(पुष्कर)